ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

मार्च 2026
वर्ष : 08 | अंक : 03

इस अंक में ...

- ओल चिकी लिपि और संथाली भाषा
- SAHI और BODH एआई पहल
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025
- नए सोशल मीडिया नियम
- औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
- केरल हुआ 'केरलम'
- पैक्स सिलिका घोषणा
- बांग्लादेश में नई सरकार
- न्यू स्टार्ट संधि
- भारत-मलेशिया के मध्य समझौता
- स्वदेशी टीडी (टेटनस–डिफ्थीरिया) वैक्सीन
- ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण
- कुमार भास्कर वर्मा सेतु
- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025
- भारत-विस्तार योजना
- प्रोजेक्ट कुशा
- सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक
- प्रहार: भारत की पहली आतंकवाद-विरोधी नीति

और भी महत्वपूर्ण विषय ...

भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026

आत्मनिर्भर एआई से डिजिटल संप्रभुता तक

मुख्य विशेषताएं | पावर पैक्ड न्यूज | प्री बेस्ड एमसीक्यूस | संपादकीय लेख

ध्येय IAS
most trusted since 2003

अभिव्यक्ति

UP-PCS

MAINS TEST SERIES 2025

Schedule

Date	Paper	Time
07.03.2026	HINDI ESSAY	09:00AM-12:00 PM 01:00PM-04:00 PM
08.03.2026	GS I GS II	09:00AM-12:00 PM 01:00PM-04:00 PM
09.03.2026	GS III GS IV	09:00AM-12:00 PM 01:00PM-04:00 PM
10.03.2026	GS V GS VI	09:00AM-12:00 PM 01:00PM-04:00 PM

Starting
07 MAR 2026

Qualify
Write
Think

Registration Open

LUCKNOW

☎ 9506256789
ALIGANJ

☎ 7570009003
GOMTI NAGAR

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-17

➢ **अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य मौलिक अधिकार: गरिमा, समानता और संवैधानिक न्याय**

- मिस्र में तमिल-ब्राह्मी अभिलेखों की खोज
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण
- ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष और संथाली भाषा की मान्यता
- स्वास्थ्य एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए SAHI और BODH पहल
- भारत में डायन-प्रथा: कारण, कानून और मानवाधिकार के मुद्दे
- नानाघाट गुफाएं
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का परिवार सर्वेक्षण
- महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2026 रिपोर्ट

2. राजव्यवस्था एवं शासन 18-38

➢ **भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और फ्रीबीज़ की चुनौती**

- मेटा और व्हाट्सऐप के लिए न्यायिक चेतावनी
- कार्यवाहक डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट और मृत्युदंड
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
- कोकिंग कोयला महत्त्वपूर्ण खनिज के रूप में अधिसूचित
- लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025
- सरकार ने नए सोशल मीडिया नियमों को अधिसूचित किया
- पीएम केयर्स एवं अन्य निधियों पर विधायी निगरानी की सीमाएं
- संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया
- स्पेक्ट्रम पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय
- एआई के लिए मानव विज़न
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023
- अंतरधार्मिक विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय
- केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की मंजूरी दी

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 39-58

➢ **भारत–इज़राइल संबंध: तकनीक, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन**

- मुक्त व्यापार समझौते को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस' पर हस्ताक्षर
- न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty)
- राफा सीमा और गाज़ा शांति योजना
- भारत–अमेरिका व्यापार समझौता
- भारत और अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक
- स्पेन में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की योजना
- चाबहार बंदरगाह को फंडिंग
- अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौता
- भारत और मलेशिया के मध्य समझौतों पर हस्ताक्षर
- भारत ने सेशेल्स के लिए आर्थिक पैकेज घोषित किया
- सावलकोट जलविद्युत परियोजना
- बांग्लादेश में नई सरकार का गठन
- भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए
- भारत-ब्राजील: 2030 तक 30 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 59-69

➢ **भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण: पारिस्थितिकी, सुरक्षा और सतत विकास का समन्वय**

- हीटवेव और आकाशीय बिजली को आपदा घोषित करने का प्रस्ताव
- यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी द्वारा पैंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध
- भारत का पहला बी कॉरिडोर: NHAI की हरित राजमार्ग पहल
- पूर्वी हिमालय में सूक्ष्म आर्थ्रोपोड की नई प्रजाति की खोज
- जलवायु परिवर्तन से संकट में लॉगरहेड कछुए: 17 वर्षीय अध्ययन
- केरल में नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस केरलेंसिस की खोज
- जायंट फैंटम जेलीफ़िश की खोज
- भारत में बढ़ती वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 70-82

➢ **भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026: आत्मनिर्भर संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर कदम**

- कैंसर पर डब्लूएचओ रिपोर्ट
- हीलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग
- भारत में सर्पदंश (स्नेकबाइट) की बढ़ती समस्या
- कैंसर इम्यूनोथेरेपी
- तारे के ब्लैक होल बनने का स्पष्ट प्रमाण
- दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए जीन एडिटिंग की नई तकनीक
- लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSDs) के लिए राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित
- दीर्घकालिक रेटिना रोगों के लिए बायोसिमिलर
- ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण

6. आर्थिकी 83-95

➢ **ऑरेंज इकोनॉमी: भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान का नया क्षितिज**

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक
- 'डीप टेक' स्टार्ट-अप
- लघु वन उत्पादों की खरीद में गिरावट
- नीति आयोग की ऊर्जा सुधार संबंधी रिपोर्ट
- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025
- कुमार भास्कर वर्मा सेतु
- भारत-विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 96-106

➢ **भारत का रक्षा बजट: आधुनिकीकरण और क्षमता-निर्माण की दिशा में नीतिगत बदलाव**

- प्रोजेक्ट कुशा
- AMCA प्रोजेक्ट: भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान
- भारत की ₹3.25 लाख करोड़ की रक्षा स्वीकृति
- ओडिशा ने माओवादी आत्मसमर्पण नीति में संशोधन किया
- तेलंगाना में दो शीर्ष माओवादी नेताओं का आत्मसमर्पण
- सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक
- भारत की पहली आतंकवाद-विरोधी नीति

पावर पैक्ड न्यूज 107-121

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 122-130

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य मौलिक अधिकार: गरिमा, समानता और संवैधानिक न्याय

सन्दर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया। यह निर्णय केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे की मान्यता नहीं है, बल्कि यह भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को नए आयाम प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे से निकालकर न्यायिक रूप से लागू किए जा सकने वाले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ला दिया है। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि संरचनात्मक है क्योंकि अब राज्य की जिम्मेदारी केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संवैधानिक जवाबदेही के दायरे में आएगी।

संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" की व्याख्या समय के साथ विस्तृत होती रही है। न्यायालय ने इसे केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित न रखकर "गरिमापूर्ण जीवन" के अधिकार के रूप में विकसित किया है। इसी क्रम में मासिक धर्म स्वास्थ्य को गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता से जोड़ना इस बात की पुष्टि करता है कि जैविक वास्तविकताओं की उपेक्षा समानता की अवधारणा को खोखला बना देती है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी लड़की को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित शौचालय, स्वच्छ जल, स्वच्छता उत्पाद या अपशिष्ट निपटान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो यह उसकी गरिमा, निजता और समान अवसरों के अधिकार का उल्लंघन है। इस प्रकार, यह निर्णय अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव का निषेध) के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए।
- यह दृष्टिकोण पूर्ववर्ती निर्णयों की संवैधानिक परंपरा में निहित है, जैसे सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन तथा के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, जिनमें शारीरिक स्वायत्तता और निजता को मौलिक स्वतंत्रता का केंद्र माना गया था। मासिक धर्म स्वास्थ्य को इन्हीं सिद्धांतों की निरंतरता में समझा जाना चाहिए।

संरचनात्मक असमानता-

- इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय ने मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को व्यक्तिगत असुविधा या सामाजिक वर्जना का परिणाम न मानकर "संरचनात्मक अधिकारों की समस्या" के रूप में पहचाना।
- ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली अनेक छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान विद्यालय न जाने के लिए विवश होना पड़ता है। अलग-अलग शौचालयों का अभाव, सुरक्षित जल की कमी, सैनिटरी उत्पादों की अनुपलब्धता और अपशिष्ट प्रबंधन की असुविधा, ये सभी कारक मिलकर शिक्षा तक उनकी निरंतर पहुंच को बाधित करते हैं।

- इस प्रकार, मासिक धर्म संबंधी अवसंरचना की कमी केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि शिक्षा, आर्थिक अवसर और समान नागरिकता के संवैधानिक वादे का प्रश्न बन जाती है। न्यायालय ने इस वास्तविकता को स्वीकारते हुए शिक्षा के अधिकार को गरिमा-आधारित मासिक धर्म स्वास्थ्य से जोड़ा है।

शिक्षा, समानता और मौलिक समानता:

- समानता का मूल सिद्धांत "समान को समान व्यवहार" पर आधारित है, किंतु न्यायालय ने यह संकेत दिया कि जैविक और सामाजिक भिन्नताओं की अनदेखी कर दी जाए तो औपचारिक समानता वास्तविक असमानता को और गहरा कर सकती है।
- मासिक धर्म स्वास्थ्य को शिक्षा के अधिकार से जोड़कर न्यायालय ने "मौलिक समानता" (Substantive Equality) की अवधारणा को सुदृढ़ किया है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को उन विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जो महिलाओं और लड़कियों को जैविक रूप से प्रभावित करती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) और संयुक्त राष्ट्र के जल एवं स्वच्छता संबंधी विशेष प्रतिवेदकों ने मासिक धर्म स्वच्छता को लैंगिक समानता और शिक्षा के अधिकार से जोड़ा है। इस दृष्टि से भारतीय न्यायालय का निर्णय वैश्विक मानवाधिकार विमर्श के अनुरूप है।

न्यायालय के निर्देश:

- न्यायालय ने केवल अधिकार की घोषणा तक सीमित न रहकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिए—
  - » सभी स्कूलों में कार्यात्मक एवं लिंग-विभाजित शौचालय सुनिश्चित करना।
  - » सुरक्षित जल, स्वच्छ अपशिष्ट निपटान प्रणाली और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता।
  - » सरकारी स्कूलों की राज्य के प्रति जवाबदेही और अनुपालन न करने वाले निजी स्कूलों के पंजीकरण रद्द करने की संभावना।
- इन निर्देशों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया है। यह निर्णय नीतिगत सलाह से आगे बढ़कर दायित्व-आधारित प्रशासनिक संरचना की मांग करता है।

चुनौतियाँ:

- भारतीय संवैधानिक अनुभव यह बताते है कि अधिकारों की न्यायिक मान्यता पर्याप्त नहीं होती, उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 15-24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ विधियों के उपयोग का प्रतिशत NFHS-4 के 57.6% से बढ़कर NFHS-5 में 77.3% हो गया है।
- यह प्रगति सराहनीय है, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि लगभग एक-चौथाई युवा महिलाएं अब भी सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन से वंचित हैं। इसी प्रकार, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

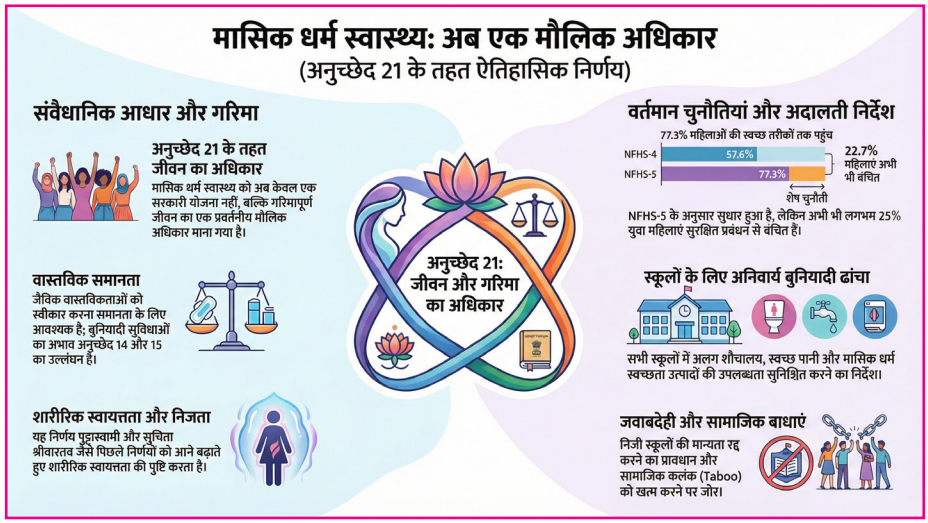

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े बताते हैं कि स्वच्छ मासिक धर्म विधियों का उपयोग बढ़ा है, परंतु ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अभी भी असमानता विद्यमान है।
- मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **अवसंरचनात्मक कमी:** कई विद्यालयों में शौचालय तो हैं पर वे कार्यात्मक नहीं हैं। जल, साबुन, सुरक्षित निपटान सुविधा और गोपनीयता के अभाव में छात्राएँ मासिक धर्म के दौरान विद्यालय नहीं आती हैं।
- **वित्तीय प्रतिबद्धता का अभाव:** मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम अक्सर परियोजना-आधारित होते हैं और उनमें निरंतर बजट, निगरानी तथा सामाजिक लेखा परीक्षा का अभाव रहता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार स्वच्छ विधियों का उपयोग बढ़कर 77.3% हुआ है, फिर भी लगभग एक-चौथाई युवतियाँ इससे वंचित हैं जो संरचनात्मक असमानता को दर्शाता है।
- **सामाजिक वर्जनाएँ:** मासिक धर्म को लेकर प्रचलित कलंक और चुप्पी लड़कियों के आत्मविश्वास, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी को प्रभावित करती है।
- **पर्यावरणीय चुनौती:** अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल निपटान तंत्र का अभाव है।

निष्कर्ष:

मासिक धर्म को लंबे समय तक निजी विषय माना जाता रहा है किंतु इस निर्णय ने इसे सार्वजनिक अधिकार और संस्थागत जिम्मेदारी के प्रश्न में रूपांतरित कर दिया है। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के दायरे को निरंतर विस्तारित करने वाली न्यायिक प्रवृत्ति का हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वायत्तता, विकलांगता पहुंच और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को भी हाल के वर्षों में गरिमापूर्ण जीवन के हिस्से के रूप में मान्यता मिली है। मासिक धर्म स्वास्थ्य को संवैधानिक संरक्षण देकर न्यायालय ने एक ऐसे क्षेत्र को संबोधित किया है जो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहा है। यह निर्णय यह स्वीकार करता है कि असमानता हमेशा प्रत्यक्ष कानूनी भेदभाव के रूप में प्रकट नहीं होती; वह संस्थागत ढांचे और अवसंरचना की कमी में भी निहित हो सकती है।

केंद्र और राज्य सरकारें इसे सहायक कल्याणकारी व्यय के रूप में नहीं, बल्कि अनिवार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश के रूप में देखना चाहिए। दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता, सामुदायिक जागरूकता अभियान और स्कूल-स्तरीय निगरानी तंत्र के बिना यह अधिकार अधूरा रहेगा। अंततः, यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र के उस वादे को सुदृढ़ करता है जिसमें समान नागरिकता केवल सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि व्यावहारिक वास्तविकता हो। यदि यह निर्णय प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह केवल मासिक धर्म स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि यह गरिमा, समानता और संवैधानिक नैतिकता की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

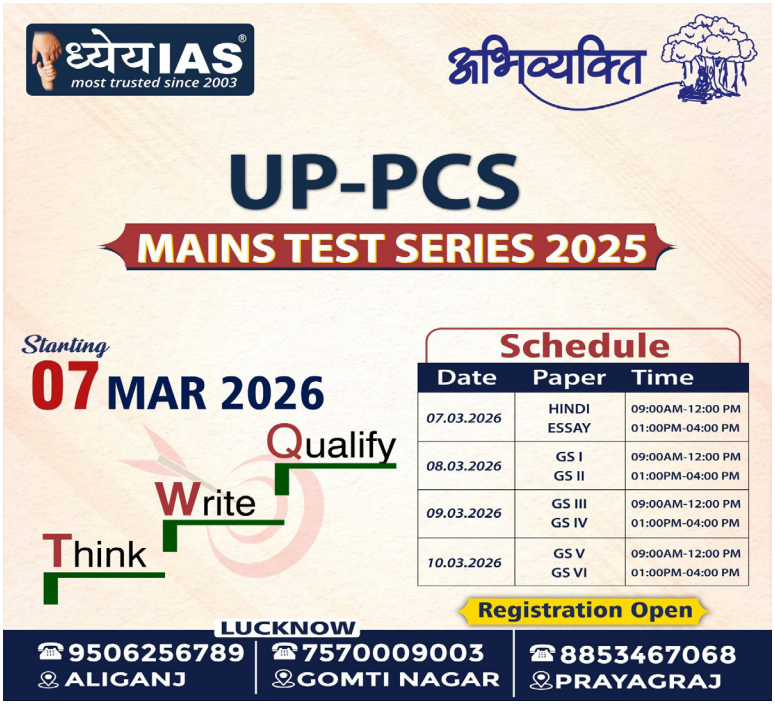

संक्षिप्त मुद्दे

मिस्र में तमिल-ब्राह्मी अभिलेखों की खोज

संदर्भ:

हाल ही में मिस्र के थेबन नेक्रोपोलिस में नदी नील के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल वैली ऑफ द किंग्स में लगभग 30 तमिल-ब्राह्मी अभिलेखों की पहचान की गई है। ये अभिलेख पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी (रोमन काल) के माने जा रहे हैं। यह खोज प्राचीन दक्षिण भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को प्रमाणित करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

तमिल-ब्राह्मी लिपि:

- ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, जो सिंधु लिपि के बाद विकसित हुई। यह सभी आधुनिक भारतीय लिपियों और दक्षिण-पूर्व एवं पूर्वी एशिया की कई लिपियों की आधारशिला है।
- अधिकतर ब्राह्मी शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं। ज्ञात सबसे पुराने शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों से हैं (268–232 ईसा पूर्व)। इसे 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा सफलतापूर्वक पढ़ा गया था।
- ब्राह्मी के अवशेष गंगीय मैदान, तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में पाए गए हैं, मुख्यतः मिट्टी के बर्तन पर।
- इसकी उत्तराधिकारी लिपियों में देवनागरी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल हैं।

खोज के प्रमुख बिंदु:

- मिस्र के शाही समाधि-स्थलों में तमिल-ब्राह्मी के लगभग 30 अभिलेख मिले हैं।
- कुछ अभिलेख संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में भी पाए गए हैं।
- अभिलेखों में सीकै कोट्टन, कोपान, सातन जैसे तमिल नाम दर्ज हैं।
- कुछ लेखों में "आया और देखा" जैसे वाक्यांश मिलते हैं, जो संकेत देते हैं कि ये आगंतुकों द्वारा अंकित किए गए थे।
- कुछ नामों की पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि भारतीयों की उपस्थिति आकस्मिक नहीं, बल्कि संगठित या नियमित रही होगी।

ऐतिहासिक एवं वैश्विक महत्त्व:

- **तटीय व्यापार से आगे का विस्तार:** अब तक तमिल-ब्राह्मी अभिलेख मुख्यतः लाल सागर के तटीय बंदरगाहों, जैसे बेरेनिके में पाए गए थे। किंतु नील नदी के आंतरिक भाग में इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय व्यापारी केवल समुद्री तटों तक सीमित नहीं थे, बल्कि मिस्र के भीतरी क्षेत्रों तक भी पहुँचे थे।
- **इंडो-रोमन व्यापार नेटवर्क:** पहली-दूसरी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापक समुद्री व्यापार विकसित था। भारत से काली मिर्च, मसाले, मोती, हाथीदांत और उत्तम वस्त्र निर्यात होते थे, जबकि रोमन साम्राज्य से सोने के सिक्के, मदिरा और विलासिता की वस्तुएँ आयात की जाती थीं।
- **सांस्कृतिक संपर्क का प्रमाण:** अभिलेख केवल व्यापारिक गतिविधियों का संकेत नहीं देते, बल्कि यह दर्शाते हैं कि भारतीय व्यापारी स्थानीय संस्कृति से परिचित थे। शाही समाधियों में अपने नाम अंकित करना यह दर्शाता है कि वे स्थानीय सामाजिक परिवेश से जुड़ाव महसूस करते थे।
- **प्रारंभिक वैश्वीकरण का संकेत:** यह खोज इस तथ्य को सुदृढ़ करती है कि प्राचीन विश्व में भारतीय महासागर व्यापार नेटवर्क वैश्विक संपर्क का प्रमुख माध्यम था। दक्षिण भारत इस नेटवर्क का एक सशक्त और प्रभावशाली केंद्र था।

निष्कर्ष:

मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में तमिल-ब्राह्मी अभिलेखों की खोज प्राचीन भारत और भूमध्यसागरीय विश्व के मध्य गहरे और बहुआयामी संबंधों का सशक्त प्रमाण है। यह न केवल इंडो-रोमन व्यापार की व्यापकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि दक्षिण भारत प्राचीन वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह खोज प्रारंभिक वैश्वीकरण, समुद्री शक्ति और सांस्कृतिक कूटनीति के ऐतिहासिक आयामों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय बजट 2026–2027 में उत्तर भारत में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS-2) की स्थापना की घोषणा की गई है। एनआईएमएएनएचएस-2 को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य तंत्रिका विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली उपचार सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ताकि देशभर में उन्नत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सके।

मानसिक स्वास्थ्य के बारे में:

- मानसिक स्वास्थ्य ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के सामान्य तनावों का संतुलित ढंग से सामना कर सके, प्रभावी रूप से कार्य कर सके, निरंतर सीख सके और समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है।
- कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य चिंता, अवसाद, सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) जैसे विकारों और अन्य गंभीर मानसिक स्थितियों के रूप में प्रकट हो सकता है। ये समस्याएँ व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक जीवन और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- भारत में बढ़ते तनाव, तेज़ शहरीकरण और महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। समय पर परामर्श और उपचार उपलब्ध होने से गंभीर संकटों को रोका जा सकता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा सामाजिक और आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है।

केंद्रीय बजट 2026–2027 की प्रमुख पहलें:

- **NIMHANS का विस्तार:**
  - » उत्तरी भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान-2 की स्थापना।
  - » बेंगलुरु स्थित संस्थान के मॉडल पर आधारित उच्च स्तरीय उपचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण व्यवस्था।
  - » क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और तृतीयक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास।
- **मौजूदा संस्थानों का उन्नयन:**
  - » रांची स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP) और तेजपुर स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH) को क्षेत्रीय सर्वोच्च संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - » इससे विशेष उपचार सुविधाएँ, शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमता और पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत में आघात सहायता सेवाएँ सुदृढ़ होंगी।
- **आपातकालीन और आघात देखभाल केंद्रों की स्थापना:**
  - » देश के सभी जिला अस्पतालों में आपातकालीन और आघात देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  - » ये केंद्र सस्ती, सुलभ और 24×7 चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे।
  - » यह पहल दुर्घटना पीड़ितों, हिंसा से प्रभावित लोगों और तीव्र मानसिक तनाव झेल रहे व्यक्तियों के लिए प्रभावी संकट प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
  - » इन सभी उपायों का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को घटाना, सेवाओं को अधिक किफायती बनाना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करना है।

भारत की मानसिक स्वास्थ्य यात्रा:

भारत ने विधायी सुधारों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और डिजिटल पहलों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को लगातार मजबूत किया है।

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:**
  - » इस अधिनियम ने 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का स्थान लिया।
  - » यह अधिनियम सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार सुनिश्चित करता है।
  - » विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) के अनुरूप गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है।
  - » आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर पुनर्वास पर बल देता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:**
  - » मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करती है।
  - » विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने पर जोर देती है।
  - » प्राथमिक और सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाती है।
- **आयुष्मान भारत के माध्यम से एकीकरण:**
  - » 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यापक

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं।

» प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत 22 मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रक्रियाएं कैशलेस सुविधा के साथ उपलब्ध हैं।

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:**
  - » 1982 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ने का प्रयास करता है। 1996 में आरंभ किया गया जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अब 767 जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत बाह्य रोगी सेवाएं, आंतरिक रोगी सुविधाएं, आत्महत्या रोकथाम पहल और जागरूकता अभियान समर्पित मानसिक स्वास्थ्य टीमों द्वारा संचालित किए जाते हैं।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022):**
  - » वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी का लक्ष्य।
  - » स्कूलों और कार्यस्थलों में नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहन।
  - » संकट हेल्पलाइन और उच्च जोखिम समूहों के लिए विशेष सहायता व्यवस्था।
- **राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली-मानस):**
  - » 2022 में शुरू किया गया टेली-मानस, 20 भाषाओं में 24×7 टोल-फ्री परामर्श सेवा प्रदान करता है। इसके तहत अब तक 33 लाख से अधिक कॉलों का समाधान किया जा चुका है। इसमें मोबाइल ऐप, "अस्मि" नामक एआई चैटबॉट तथा देशव्यापी वीडियो परामर्श सेवाएं शामिल हैं। यह जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का डिजिटल विस्तार है।
- इन सभी पहलों के माध्यम से भारत एक समावेशी, सुलभ, किफायती और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है, जिससे प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष और संथाली भाषा की मान्यता

संदर्भ:

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा इस लिपि के निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाई विविधता, सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण को लेकर देश की व्यापक नीति को भी दर्शाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- संथाली भारत की प्रमुख जनजातीय भाषाओं में से एक है। लंबे समय तक यह भाषा लोककथाओं, गीतों और कथा-वाचन जैसी मौखिक परंपराओं के माध्यम से जीवित रही। इन परंपराओं ने सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा, लेकिन अपनी अलग लिपि के अभाव में औपचारिक शिक्षा, साहित्यिक विकास और सरकारी स्तर पर मान्यता सीमित रही।
- वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का निर्माण किया, जिससे संथाली भाषा को वैज्ञानिक और ध्वनि-संबंधी लेखन प्रणाली प्राप्त हुई। उनकी साहित्यिक कृति हाई सेरेना (1936) सहित उपन्यासों, कविताओं और व्याकरण पुस्तकों ने संथाली को मौखिक परंपरा से एक सशक्त लिखित भाषा में परिवर्तित किया। इससे जनजातीय समाज में आत्मगौरव और पहचान को मजबूती मिली।

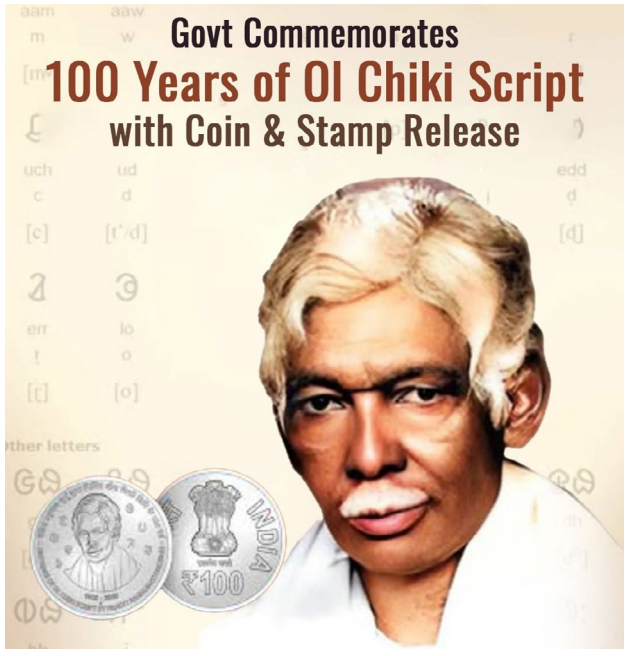

संरचनात्मक और भाषाई विशेषताएँ:

» **अक्षर:** कुल 30, जिनमें प्रत्येक एक विशिष्ट स्वर या व्यंजन का

प्रतिनिधित्व करता है।

» **ध्वन्यात्मक शुद्धता:** एक चिन्ह का संबंध केवल एक ही ध्वनि से होता है।

» **सांस्कृतिक विशिष्टता:** संथाली भाषा की विशिष्ट ध्वनियों को सटीक रूप से व्यक्त करती है, जिन्हें रोमन, बंगाली या देवनागरी जैसी लिपियाँ पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पातीं

» **प्रभाव:** साक्षरता, शिक्षा, साहित्य और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा; यूनिकोड में समावेश तथा कीबोर्ड सुविधा उपलब्ध

- ओल चिकी की सटीक संरचना ने संथाली भाषा के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे शिक्षण, प्रकाशन और पीढ़ियों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण को नई गति मिली है।

संवैधानिक मान्यता और वर्तमान महत्व:

- वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया और ओल चिकी को इसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता दी गई। दिसंबर 2025 में ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद किया गया।
- इससे जनजातीय समुदायों को अपनी भाषा में शासन और कानून को समझने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिला।
- शताब्दी समारोह भारत में जनजातीय सशक्तिकरण, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समावेशन पर दिए जा रहे विशेष बल को भी दर्शाता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

ओल चिकी लिपि का शताब्दी वर्ष केवल एक लिपि का उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय पहचान, सांस्कृतिक दृढ़ता और भाषाई न्याय की स्वीकृति है। 1925 में इसके निर्माण से लेकर संवैधानिक मान्यता और आधुनिक डिजिटल उपयोग तक, ओल चिकी ने संथाली भाषा को शिक्षा, साहित्य और सार्वजनिक जीवन में सशक्त बनाया है। इसकी यह यात्रा दर्शाती है कि स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोकतांत्रिक सहभागिता और सामाजिक विरासत के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्वास्थ्य एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए SAHI और BODH पहल

संदर्भ:

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने दो प्रमुख डिजिटल स्वास्थ्य पहलों "SAHI (सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव) और BODH (बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई)" का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ये पहलें भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित, नैतिक, पारदर्शी और प्रमाण-आधारित उपयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम हैं।

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने एक समग्र, परस्पर समन्वित, समावेशी और विस्तार योग्य डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की परिकल्पना की थी।
- इस विजन को वर्ष 2020 में प्रारंभ हुई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने और सुदृढ़ किया, जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की। SAHI और BODH इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और जन-केंद्रित एआई तंत्र के निर्माण का प्रयास करते हैं।

SAHI और BODH पहल के बारे में:

- SAHI (सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव) केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक सशक्त शासन ढांचा, नीतिगत दिशा-सूचक और राष्ट्रीय कार्य-योजना है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में एआई का उपयोग नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो तथा तकनीकी प्रगति सदैव जनहित के अनुरूप रहे।
- BODH (बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई) को सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक सुव्यवस्थित मंच उपलब्ध कराता है, जहाँ एआई आधारित समाधानों को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले उनका परीक्षण, मूल्यांकन और सत्यापन किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एआई प्रणालियाँ उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग की तैयारी के उच्च मानकों को पूरा करें, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में जनविश्वास मजबूत हो।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के प्रमुख उपयोग:

- एआई स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, तेज और सटीक बना रहा है। यह रोगों की पहचान को बेहतर बनाता है, कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करता है और व्यक्तिगत उपचार को संभव बनाता है। इसके प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं:
  - » **नैदानिक इमेजिंग और रेडियोलॉजी:** डीप लर्निंग एल्गोरिद्म चिकित्सा चित्रों का विश्लेषण कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की सटीक पहचान में सहायता करते हैं।
  - » **पूर्वानुमान विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन:** एआई जीवन-घातक स्थितियों (जैसे सेप्सिस) का पूर्वानुमान लगाने, आईसीयू क्षमता प्रबंधन तथा पुनः भर्ती की आशंका का आकलन करने में मदद करता है।
  - » **दवा खोज और विकास:** एआई दवा अनुसंधान की प्रक्रिया से लेकर लक्ष्य पहचान अणुओं के परिष्करण और व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास को तेज करता है ।
  - » **प्रशासनिक स्वचालन:** एआई आधारित उपकरण कागजी कार्यभार कम करते हैं, जिससे चिकित्सक रोगी देखभाल पर अधिक समय और ध्यान दे पाते हैं।
  - » **वर्चुअल सहायक और दूरस्थ निगरानी:** एआई संचालित चैटबॉट टेलीमेडिसिन सेवाओं को सशक्त बनाते हैं तथा मरीजों की निरंतर निगरानी संभव करते हैं।
  - » **रोबोटिक सर्जरी:** एआई समर्थित प्रणालियाँ शल्यक्रिया की सटीकता बढ़ाती हैं और जटिलताओं के जोखिम को कम करती हैं।
  - » **धोखाधड़ी की पहचान:** एआई बीमा दावों में असामान्य पैटर्न पहचानकर धोखाधड़ी पर नियंत्रण में सहायक होता है।

निष्कर्ष:

स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई अनेक लाभ प्रदान करता है, जिसमें बेहतर दक्षता, शीघ्र और सटीक निदान, प्रभावी उपचार तथा विशेष रूप से दूरस्थ और संसाधन-सीमित क्षेत्रों में बेहतर पहुँच शामिल है। तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों की प्रारंभिक पहचान रोगियों के उपचार परिणामों को उल्लेखनीय रूप से सुधारती है, जबकि प्रशासनिक स्वचालन चिकित्सकों के मानसिक दबाव को कम करने में सहायक है। फिर भी, डेटा गोपनीयता की सुरक्षा, मजबूत सत्यापन तंत्र और समान पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ऐसे में SAHI और BODH जैसी पहलें नैतिक, जवाबदेह और समावेशी एआई उपयोग को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पहलें भारत को जिम्मेदार स्वास्थ्य एआई के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव एवं विस्तार को सुदृढ़ करती हैं।

भारत में डायन-प्रथा: कारण, कानून और मानवाधिकार के मुद्दे

संदर्भ:

17 फ़रवरी 2026 को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम ज़िले के कलैया गाँव में 32 वर्षीय एक महिला और उसके दो माह के शिशु को कथित रूप से जादू-टोना करने के आरोप में भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। यह मामला समाज में अब भी मौजूद अंधविश्वास और सामूहिक हिंसा की गंभीर तस्वीर पेश करता है।

पृष्ठभूमि:

- डायन-प्रथा से जुड़ी घटनाएँ झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और असम में समय-समय पर सामने आती रहती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से अब तक 2,500 से अधिक महिलाओं की हत्या जादू-टोना के आरोप में की जा चुकी है।
- यद्यपि झारखंड में डायन प्रथा निवारण (डीएएआईएन) अधिनियम, 2001 सहित विभिन्न राज्यों में इस कुप्रथा के विरुद्ध विशेष कानून लागू हैं, फिर भी दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण घटनाओं की कम रिपोर्टिंग, प्रशासनिक उदासीनता, बदले की आशंका और कई बार समुदाय का मौन समर्थन है।

मुख्य कारण:

- डायन-प्रथा के बने रहने के पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार हैं:
  - » **लैंगिक भेद और पितृसत्तात्मक सोच:** इस कुप्रथा में विधवा, बुजुर्ग, अकेली या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएँ अधिक निशाना बनती हैं।
  - » **जातिगत और सामाजिक भेदभाव:** निचली जातियों तथा आदिवासी समुदाय की महिलाएँ अधिक असुरक्षित रहती हैं।
  - » **अंधविश्वास और अशिक्षा:** बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने जैसी घटनाओं का कारण जादू-टोना मान लिया जाता है।
  - » **संपत्ति विवाद और व्यक्तिगत शत्रुता:** कई मामलों में जमीन हड़पने या निजी दुश्मनी निकालने के लिए झूठे आरोप लगाए जाते हैं।

- आरोपित महिलाओं को शारीरिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक उत्पीड़न और कई बार हत्या तक का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर ऐसी घटनाओं पर चुप्पी यह दर्शाती है कि समाज में पितृसत्ता और जातिगत पूर्वाग्रह गहराई से जमे हुए हैं।

न्याय प्राप्त करने में चुनौतियाँ:

- **कम रिपोर्टिंग:** भय, सामाजिक कलंक और प्रशासन पर अविश्वास के कारण पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं।
- **प्रशासनिक लापरवाही:** पुलिस और स्थानीय अधिकारियों में संवेदनशीलता तथा पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी रहती है।
- **अंधविश्वास को बढ़ावा:** कुछ पारंपरिक उपचारकर्ता (जिन्हें अक्सर ओझा या स्वयंभू आध्यात्मिक साधक कहा जाता है) लोगों की गलत धारणाओं को मजबूत करते हैं, जिससे झूठे आरोपों को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है।

मानवाधिकार और संवैधानिक पहलू:

- डायन-प्रथा न केवल सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है:
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
  - **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता
  - **अनुच्छेद 15:** लिंग सहित अन्य आधारों पर भेदभाव का निषेध
- इसके अतिरिक्त यह संविधान के अनुच्छेद 51A(ह) की भावना के विरुद्ध है, जो नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना विकसित करने का आह्वान करता है।

समग्र समाधान की आवश्यकता:

- अंधविश्वास के आरोपों से जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है:
  - **कानून का प्रभावी क्रियान्वयन:** विशेष कानूनों का सख्ती से पालन, त्वरित न्याय और दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
  - **शिक्षा और जागरूकता अभियान:** अंधविश्वास दूर करने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
  - **स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराकर बीमारियों से जुड़े भ्रम को कम किया जाए।
  - **पीड़ितों का पुनर्वास:** प्रभावित महिलाओं और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा, परामर्श और आर्थिक सहायता की व्यवस्था हो।
  - **समावेशी नीति निर्माण:** लिंग, जाति और आर्थिक कमजोरी के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई जाएँ।
  - **क्षमता निर्माण:** पुलिस और न्यायिक तंत्र को संवेदनशील तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

निष्कर्ष:

झारखंड की यह घटना स्पष्ट करती है कि आधुनिक समय में भी अंधविश्वास के कारण निर्दोष महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए केवल कानूनी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है; बल्कि सामाजिक चेतना, सख्त कानून प्रवर्तन, समावेशी विकास और निरंतर जन-जागरूकता की आवश्यकता है। तभी इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त कर कमजोर वर्गों के जीवन और गरिमा की रक्षा की जा सकेगी।

नानाघाट गुफाएं

संदर्भ:

हाल ही में, महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे जिले के जुन्नर तालुका में नानाघाट गुफाओं के पास अवैध निर्माण के लिए एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों की शिकायत के बाद, यह मामला प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष (AMASR) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।

जुन्नर तालुका के प्रमुख स्थल:

- **नानेघाट गुफाएं:**
  - ये गुफाएं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और इनमें ब्राह्मी शिलालेख मौजूद हैं, जो सातवाहन शासकों और प्रारंभिक व्यापार मार्गों का विवरण देते हैं।
  - यह गुफाएं दक्कन के पठार और पश्चिमी तट के बीच एक गलियारे के रूप में कार्य करती थी और वाणिज्य व प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण थीं।
- **शिवनेरी किला:**
  - यहाँ प्राचीन किलेबंदी और जल प्रबंधन प्रणालियाँ हैं, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकालीन काल तक के चरणों को दर्शाती हैं।
  - यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है।
- **लेण्याद्री गुफाएं:**

» यह एक बौद्ध शैलकृत परिसर का हिस्सा है, जो पहाड़ी में तराशे गए अपने चैत्य और विहार संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है।

भारत में गुफा वास्तुकला:

- गुफा वास्तुकला पांचवीं और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व (BCE) में बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ फली-फूली।
- इन गुफाओं ने बौद्ध, जैन और आजीविका संप्रदायों के लिए ध्यान, तपस्या और सादा जीवन जीने के लिए एकांत प्रदान किया।
- इस अवधि में शानदार शैलकृत कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जिन्हें भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान माना जाता है।

पश्चिमी भारत की प्रमुख गुफाएं:

- **अजंता की गुफाएं (महाराष्ट्र):**
  - » एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (1983), जो 2,000 साल पहले बनी थी।
  - » इसमें 29 चैत्य और विहार हैं जिनमें पद्मपाणि बोधिसत्व और महाजनक जातक जैसे चित्र हैं।
- **एलोरा की गुफाएं (महाराष्ट्र):**
  - » यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन मठ व मंदिर हैं। इसमें कैलाशनाथ मंदिर शामिल है|
  - » जो दुनिया के सबसे बड़े अखंड (monolithic) मंदिरों में से एक है।
- **एलिफेंटा की गुफाएं (महाराष्ट्र):**
  - » भगवान शिव को समर्पित 5वीं शताब्दी ईस्वी की शैलकृत मंदिर।
  - » ये एलिफेंटा द्वीप पर स्थित विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **वराह गुफा मंदिर और कृष्ण मंडपम (तमिलनाडु):**
  - » 7वीं शताब्दी के स्मारक जो पल्लव वास्तुकला और विष्णु व कृष्ण के आधार-राहत (bas-reliefs) चित्रों को प्रदर्शित करते हैं।
- **बाघ और बादामी गुफाएं (मध्य प्रदेश और कर्नाटक):**
  - » बाघ गुफाएं (500-600 ईस्वी) अजंता शैली की सरल संरचनाओं को दर्शाती हैं।
  - » बादामी गुफाओं में विष्णु के अवतारों और हरि-हर की मूर्तियों के साथ वैष्णव, शैव और जैन मंदिर हैं।

निष्कर्ष:

नानाघाट गुफाएं न केवल सातवाहन युग का एक पुरातात्विक खजाना हैं, बल्कि भारत के प्राचीन व्यापार नेटवर्क, विकसित होती लिपियों, अंकन प्रणालियों और धर्म व वाणिज्य के बीच के अंतर्संबंधों का भी प्रतीक हैं। प्रारंभिक दक्कन के इतिहास, आर्थिक संबंधों और प्राचीन भारत के तटीय व आंतरिक क्षेत्रों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए इनका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का परिवार सर्वेक्षण

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अप्रैल 2026 के अंत तक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का अपनी तरह का पहला परिवार सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पर अंतिम-छोर का डेटा एकत्र करना, पात्रता कार्ड जारी करना और एक समर्पित ऐप के माध्यम से 12.35 लाख PVTG परिवारों के लिए एक डिजिटल डेटाबेस बनाना है। यह कदम आगामी राष्ट्रीय जनगणना में PVTGs के संभावित समावेश के अनुरूप भी है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बारे में:

- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) अनुसूचित जनजातियों की एक उप-श्रेणी हैं, जिन्हें अन्य अनुसूचित जाति समुदायों की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। मूल रूप से 1960-61 में ढेबर आयोग द्वारा इन्हें "आदिम जनजातीय समूह" (Primitive Tribal Groups) के रूप में पहचाना गया था, जिन्हें 2006 में बदलकर PVTGs कर दिया गया।

- PVTG वर्गीकरण के मानदंड निम्नलिखित हैं:
  - » घटती या स्थिर जनसंख्या
  - » भौगोलिक अलगाव
  - » कृषि-पूर्व निर्वाह प्रथाएं जैसे शिकार और संग्रह
  - » आर्थिक पिछड़ापन
  - » निम्न साक्षरता स्तर
- वर्तमान में, 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में 75 PVTGs मौजूद हैं, जिनमें चेन्चू, डोंगरिया कोंध, बोंडो, मारिया गोंड, जारवा और ओंगे जैसे समुदाय शामिल हैं। ये समुदाय हाशिए पर रहने, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विस्थापन के प्रति उच्च संवेदनशीलता का सामना करते हैं।

प्रमुख सरकारी पहल:

- **पीएम जनमन (PM JANMAN) योजना:**
  - » नवंबर 2023 में झारखंड के खूंटी से शुरू किया गया 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (PM JANMAN), ₹24,104 करोड़ के परिव्यय के साथ सभी 75 PVTG समुदायों को लक्षित करता है। नौ मंत्रालयों के समन्वय से, यह ग्यारह प्रमुख हस्तक्षेपों को लागू करता है, जिसमें ग्रामीण सड़कें, पाइप से जलापूर्ति, अंतिम-छोर तक विद्युतीकरण, पक्के आवास और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल हैं।
  - » PVTG-बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान भी चलाया गया।
- **अन्य कल्याणकारी योजनाएं:** पीएम जनमन के अलावा, कई अन्य योजनाएं PVTGs को सहायता प्रदान करती हैं:
  - » PVTG विकास योजना शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर केंद्रित है।
  - » प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) यह बाजार संपर्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लघु वन उत्पाद की खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- **अतिरिक्त कार्यक्रमों में शामिल हैं:**
  - » प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
  - » एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (ITDP)
  - » जनजातीय उप-योजना (TSP)
  - » एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
  - » वन अधिकार अधिनियम, 2006
  - » अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  - » पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)

महत्व और चुनौतियां:

- यह सर्वेक्षण और संबंधित कल्याणकारी पहल जनजातीय विकास के लिए एक डेटा-संचालित और लक्षित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सामाजिक-आर्थिक समावेश को बढ़ावा देते हुए हाशिए पर रहने, सेवाओं तक खराब पहुंच और विस्थापन की समस्याओं का समाधान करते हैं।
- हालाँकि, भौगोलिक अलगाव, सीमित साक्षरता और कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण PVTGs को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

निष्कर्ष:

PVTG परिवार सर्वेक्षण और पीएम जनमन जैसी पहल सबसे वंचित जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करती हैं। PVTGs के सतत और न्यायसंगत विकास के लिए अधिकारों की अंतिम कड़ी तक पहुंच को मजबूत करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2026 रिपोर्ट

संदर्भ:

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट, "महिलाएं, व्यवसाय और कानून (WBL) 2026" के अनुसार, महिलाओं को समान आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले कानून वैश्विक स्तर पर अपनी कुल क्षमता के केवल आधे (50%) ही कार्यान्वित हो पाते हैं। बेहतर विधायी ढांचे के अस्तित्व के बावजूद, प्रभावी प्रवर्तन और क्रियान्वयन के अभाव के कारण महिलाओं को कार्यस्थल पर निरंतर गंभीर संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह 'कानूनी प्रावधानों' और 'व्यावहारिक धरातल' के मध्य व्याप्त विशाल अंतराल न केवल वैश्विक आर्थिक विकास की गति को बाधित करता है, बल्कि समाज में लैंगिक असमानता के स्तर को भी बनाए रखता है, जो अंततः समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है।

महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2026 रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने वाला 11वां वार्षिक अध्ययन है। यह विश्लेषण करता है कि कानून और नीतियां महिलाओं के आर्थिक अवसरों को कैसे प्रभावित करती हैं।
- इस संस्करण में महिलाएं, व्यवसाय और कानून (WBL) 2.0 ढांचा पेश किया गया है, जो तीन स्तंभों का मूल्यांकन करता है:
  - » **कानूनी ढांचा:** समानता की गारंटी देने वाले कानून।
  - » **सहायक ढांचा:** नीतियां और सेवाएं जो कार्यान्वयन को सक्षम बनाती हैं।
  - » **प्रवर्तन धारणाएं:** वास्तविकता में कानून कितनी प्रभावी ढंग से लागू होते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की आर्थिक समानता का समर्थन करने वाले कानूनों के लिए देशों का औसत स्कोर 100 में से 67 है। जब इन कानूनों को लागू करने की बात आती है, तो स्कोर गिरकर 53 हो जाता है। साथ ही, इन अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणालियों का स्कोर केवल 47 है।
- दुनिया भर में केवल 4% महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं जहां लगभग पूर्ण कानूनी समानता है। यदि मौजूदा सभी कानून पूरी तरह से लागू हो भी जाएं, तो भी महिलाओं के पास पुरुषों को उपलब्ध कानूनी अधिकारों का केवल दो-तिहाई हिस्सा ही होगा।

चिंता के मुख्य विषय:

- **हिंसा से सुरक्षा:** सुरक्षा को सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। कई देशों में घर, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर महिलाओं को हिंसा से बचाने वाले कड़े कानूनों की कमी है। जहाँ कानून हैं, वहाँ प्रवर्तन कमजोर है। सुरक्षा के बिना महिलाएं आर्थिक जीवन में पूरी तरह भाग नहीं ले सकतीं।
- **ऋण और उद्यमिता तक पहुंच:** हालांकि अधिकांश देशों में महिलाओं को कानूनी रूप से व्यवसाय शुरू करने की अनुमति है, लेकिन केवल आधी अर्थव्यवस्थाएं ऋण तक समान पहुंच सुनिश्चित करती हैं। ऋण लेने में महिलाओं को वित्तीय पक्षपात और बैंकिंग सहायता की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

FIGURE ES.1 Equality laws are associated with more women working, owning businesses, and participating in politics, as well as a reduced gender gap in labor force participation

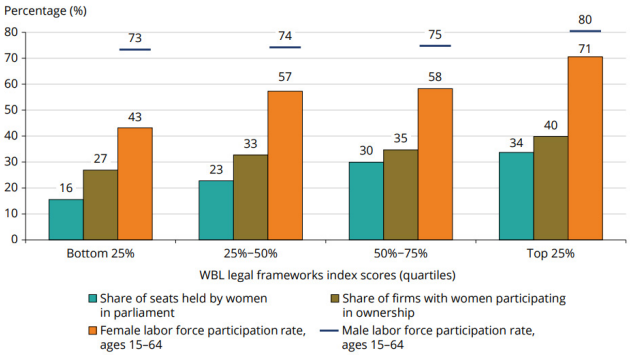

- **बाल देखभाल सहायता:** कम आय वाले देशों में चाइल्डकेयर सिस्टम लगभग अनुपस्थित हैं। आधे से भी कम देश इसके लिए वित्तीय या कर सहायता प्रदान करते हैं। इसके अभाव में कई महिलाएं नौकरी छोड़ने या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने को मजबूर हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** रिपोर्ट चेतावनी देती है कि महिलाओं के आर्थिक अधिकारों का कमजोर प्रवर्तन वैश्विक विकास को रोक रहा है। अगले दशक में लगभग 1.2 बिलियन युवा कार्यबल में शामिल होंगे, जिनमें से आधी लड़कियां होंगी। यदि उन्हें समान अवसर नहीं मिले, तो देश अपनी उत्पादक आबादी का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे।
- **तात्कालिक प्रगति:** चुनौतियों के बावजूद कुछ प्रगति हुई है। पिछले दो वर्षों में 68 देशों ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों में सुधार के लिए 113 कानूनी सुधार किए हैं। मिस्र को शीर्ष सुधारकों में से एक के रूप में पहचाना गया है।

निष्कर्ष:

विश्व बैंक की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि केवल कानून पारित करना पर्याप्त नहीं है। देशों को उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करना होगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का समर्थन करने के लिए मजबूत संस्थान बनाने होंगे। लैंगिक समानता न केवल एक सामाजिक लक्ष्य है, बल्कि सतत विकास के लिए एक आर्थिक आवश्यकता भी है।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और फ्रीबीज़ की चुनौती

संदर्भः

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों से पहले राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को फ्रीबीज़ (मुफ्त सुविधाएँ/वस्तुएँ) देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसी प्रथाएँ वित्तीय अनुशासन को खतरे में डाल सकती हैं, आर्थिक विकास को कमजोर कर सकती हैं, बाज़ार व्यवस्था को विकृत कर सकती हैं और यहाँ तक कि नागरिकों की कार्य संस्कृति को भी प्रभावित कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी प्रश्न उठाया कि बिना वास्तविक जरूरतमंदों को लक्षित किए इस प्रकार की घोषणाएँ क्या राजनीतिक तुष्टीकरण का रूप नहीं हैं। इन टिप्पणियों ने कल्याण और लोकलुभावनवाद के बीच की रेखा पर राष्ट्रीय बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

फ्रीबीज़ क्या होता है?

- हालाँकि राजनीतिक विमर्श में इस शब्द का व्यापक उपयोग होता है, लेकिन "फ्रीबीज़" की कोई सटीक कानूनी परिभाषा नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, "फ्रीबी वह सार्वजनिक कल्याण उपाय है जो निःशुल्क प्रदान किया जाता है।"
- आमतौर पर फ्रीबीज़ चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा घोषित की जाती हैं, जिनमें अल्पकालिक लाभ जैसे मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, साइकिल या ऋण माफी आदि शामिल होते हैं। वर्षों से ये उपाय भारतीय चुनावी राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, जिससे कल्याण और मुफ्त वितरण के बीच का अंतर अक्सर धुंधला हो जाता है।

कल्याणवाद बनाम फ्रीबीज़:

यह आवश्यक है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों और राजनीतिक फ्रीबीज़ के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। जहाँ कल्याण पहलें दीर्घकालिक सामाजिक विकास का लक्ष्य रखती हैं, वहीं फ्रीबीज़ अक्सर वोट हासिल करने के उद्देश्य से घोषित अस्थायी उपाय होते हैं।

पहलू	कल्याणवाद	फ्रीबीज़
मूल आधार	संवैधानिक कर्तव्य	अल्पकालिक राजनीतिक प्रोत्साहन
उदाहरण	खाद्य सुरक्षा (PDS), रोजगार (MGNREGA), शिक्षा/स्वास्थ्य सहायता	मुफ्त बिजली, पानी, ऋण माफी
स्थिरता	दीर्घकालिक	प्रायः अस्थिर
आर्थिक प्रभाव	मानव पूंजी का निर्माण	बाजार विकृति, ऋण संस्कृति का ह्रास, कार्य-प्रेरणा में कमी
दृष्टिकोण	अधिकार-आधारित, आवश्यकता-आधारित या दान-आधारित	लोकलुभावन वितरण

कल्याणवाद का दृष्टिकोण:

- **दान-आधारित दृष्टिकोण:** यह इनपुट पर अधिक ध्यान देता है, परिणामों पर कम। यह समृद्ध वर्ग की नैतिक जिम्मेदारी को मान्यता देता है और व्यक्तियों को परिस्थितियों का शिकार मानता है।
- **आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण:** यह इनपुट और परिणाम दोनों को संबोधित करता है, पहचानी गई आवश्यकताओं की पूर्ति करता

है और व्यक्तियों को विकास हस्तक्षेपों का विषय मानता है।

- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** यह प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर जोर देता है, जहाँ नागरिक अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं और समस्याओं के संरचनात्मक कारणों का समाधान किया जाता है।

फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

- तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा फ्रीबीज़ वितरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आय के आधार पर भेदभाव किए बिना सार्वभौमिक मुफ्त वितरण, जैसे- मुफ्त बिजली, वित्तीय विवेक और राजनीतिक मंशा पर प्रश्न खड़े करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- **राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव:** ज़रूरतमंदों को लक्षित किए बिना मुफ्त सुविधाएँ देने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो पहले से ही राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में चल रहे हैं।
- **कार्य संस्कृति (Work Culture) पर प्रभाव:** राजनीतिक मुफ्त उपहार नागरिकों की कार्य संस्कृति को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इससे लोग उत्पादक रोजगार में शामिल होने के बजाय सरकारी मुफ्त सुविधाओं पर आश्रित (Reliant) हो सकते हैं।
- **दीर्घकालिक विकास पर ध्यान:** जन कल्याण का मुख्य फोकस क्षणिक उपहारों के बजाय दीर्घकालिक विकास, रोजगार सृजन और स्थायी सामाजिक सहायता पर होना चाहिए, ताकि केवल वोट पाने के लिए संसाधनों का दुरुपयोग न हो।

संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण:

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज़ के मुद्दे को संविधान और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में देखा है:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41 राज्य की जिम्मेदारी पर बल देते हैं कि वह:
  - » सामाजिक कल्याण और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दें।
  - » नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करें।
  - » धन के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोके।
  - » कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार प्रदान करें।

मुख्य न्यायिक हस्तक्षेप:

- **सुब्रमण्यम बालाजी मामला (2013):** दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि लैपटॉप और टीवी जैसी वस्तुओं का वितरण, यदि पात्र नागरिकों को दिया जाए, तो DPSP के अनुरूप है और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ:** यह मामला चुनाव अभियानों के दौरान फ्रीबीज़ की पेशकश और वितरण की वैधता को चुनौती देता है।

निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश:

- भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी वादों में पारदर्शिता पर बल दिया है और राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे फ्रीबीज़ के वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा करें। इसका उद्देश्य अत्यधिक लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाना और चुनावी जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

फ्रीबीज़ के प्रभाव:

फ्रीबीज़ कभी-कभी तात्कालिक राहत प्रदान करती हैं, लेकिन इनके आर्थिक और सामाजिक जोखिम भी गंभीर हैं।

सकारात्मक (कल्याणवाद)	नकारात्मक (फ्रीबीज़)
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति (भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा)	सरकार पर वित्तीय बोझ, राजकोषीय घाटा
सामाजिक और लैंगिक असमानताओं का समाधान	निर्भरता संस्कृति, उत्पादकता में कमी
समावेशन और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा	टिकाऊ विकास में बाधा, पीढ़ीगत असमानता
राजनीतिक सहभागिता	वोट प्राप्त करने का साधन
बाज़ार विफलताओं का समाधान	निवेश से संसाधनों का विचलन, प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी

- विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में कल्याण और फ्रीबीज़ के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो गया है और दोनों शब्द राजनीतिक विमर्श में परस्पर उपयोग किए जा रहे हैं।

नीतिगत सुधार और सिफारिशें:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल्याण योजनाएँ टिकाऊ बनी रहें और राजनीतिक फ्रीबीज़ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित न करें, निम्नलिखित कदम प्रस्तावित किए गए हैं:

- **राजकोषीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन:** वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए समयबद्ध प्रावधान (सनसेट क्लॉज) के साथ टिकाऊ कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- **लीकेज और भ्रष्टाचार की रोकथाम:** यह सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी बिना किसी हेरफेर या धोखाधड़ी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।
- **बीमा कवरेज का विस्तार:** महामारी या प्राकृतिक आपदाओं जैसे झटकों से कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- **राजनीतिक सहमति:** केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय स्थापित करें ताकि कल्याण योजनाओं का वोट-बैंक राजनीति के लिए दुरुपयोग न हो।
- **निर्वाचन आयोग की निगरानी:** प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद से बचने के लिए घोषणापत्रों और फ्रीबीज़ के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- **कौशल विकास और आत्मनिर्भरता:** व्यक्तियों को सशक्त बनाया जाए ताकि दीर्घकालिक रूप से फ्रीबीज़ पर निर्भरता कम हो।
- **मतदाता जागरूकता कार्यक्रम:** नागरिकों को फ्रीबीज़ की दीर्घकालिक लागत और प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाए ताकि वे सूचित मतदान कर सकें।
- **न्यायिक निगरानी और विशेषज्ञ समितियाँ:** नीति आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्त आयोग के सदस्यों से युक्त समितियाँ फ्रीबीज़ के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन कर सकती हैं।
- **वैश्विक उदाहरण:**
  - **श्रीलंका (2019):** चुनावी वादों के तहत कर कटौती और मुफ्त वितरण ने गंभीर राजकोषीय संकट को जन्म दिया।
  - **वेनेजुएला:** लोकलुभावन फ्रीबीज़ और ऋण माफी ने दीर्घकालिक आर्थिक पतन में योगदान दिया।

कल्याण बनाम लोकलुभावनवाद:

- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ इस बात की याद दिलाती हैं कि संवैधानिक रूप से निर्धारित कल्याणकारी दायित्वों को पूरा करने और अस्थिर लोकलुभावन वितरण से बचने के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य मानव पूंजी का निर्माण, गरीबी उन्मूलन और नागरिकों का सशक्तिकरण है, जबकि अनियंत्रित फ्रीबीज़ राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर सकती हैं, बाज़ार तंत्र को विकृत कर सकती हैं और निर्भरता की संस्कृति को जन्म दे सकती हैं।
- यद्यपि कल्याण कानूनी और नैतिक दृष्टि से आवश्यक है, परंतु विशेषकर चुनावों के दौरान बिना भेदभाव के किए गए वितरण दीर्घकालिक विकास और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायपालिका की चेतावनी इस बात पर बल देती हैं कि नीतियाँ लक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी हों, जो अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के बजाय मानव विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष:

भारत का लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचा राज्य के सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के दायित्व पर जोर देता है, किंतु कल्याण और राजनीतिक फ्रीबीज़ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण, टिकाऊ और न्यायसंगत तरीके से किया जाना चाहिए। फ्रीबीज़ वास्तव में "मुफ्त" नहीं होतीं, इनकी कीमत भविष्य की पीढ़ियाँ, राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक विकास चुकाते हैं। पारदर्शिता, वित्तीय जिम्मेदारी और सशक्तिकरण पहलों के साथ टिकाऊ कल्याण आवश्यक है, ताकि भारत समावेशी और न्यायपूर्ण विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहे। नागरिकों, नीति-निर्माताओं और राजनीतिक दलों को वोट-आधारित वितरण के दीर्घकालिक परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक कल्याण संवैधानिक अनिवार्यता बना रहे, न कि केवल एक राजनीतिक साधन।

मेटा और व्हाट्सऐप के लिए न्यायिक चेतावनी

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स इंक. और व्हाट्सऐप को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा और डेटा संरक्षण से जुड़े भारतीय संवैधानिक एवं वैधानिक मानदंडों का पालन करने को कहा और अन्यथा की स्थिति में भारत से बाहर जाने पर विचार करना पड़ सकता है। यह विवाद व्हाट्सऐप की 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट से जुड़ा है, जिसमें उपयोगकर्ताओं की सार्थक सहमति के बिना मेटा की अन्य इकाइयों के साथ व्यापक डेटा साझा करने की अनुमति दी गई थी। इससे गोपनीयता और बाज़ार में प्रभुत्व (market dominance), दोनों पर गंभीर चिंताएँ उठीं।

कानूनी और नियामक पृष्ठभूमि:

- **गोपनीयता का अधिकार:**
  - » सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के डेटा को संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर व्यावसायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता।
  - » कोर्ट ने कहा कि कंपनियाँ नागरिकों के गोपनीयता अधिकार के साथ "खेल" नहीं सकतीं और किसी भी डेटा-साझाकरण व्यवस्था की बुनियाद वास्तविक एवं सार्थक सहमति होनी चाहिए।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:**
  - » नवंबर 2024 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने व्हाट्सऐप की 2021 नीति को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में पाया। उपयोगकर्ताओं को बिना वास्तविक विकल्प दिए व्यापक डेटा साझा करने के लिए मजबूर करना शोषणकारी और अनुचित माना गया।
  - » CCI ने ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया और सुधारात्मक निर्देश दिए, जिनमें सशर्त पहुँच (conditional access) पर रोक और स्पष्ट ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट तंत्र लागू करना शामिल था। मेटा और व्हाट्सऐप ने इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती दी, जिसने डेटा-साझाकरण पर रोक को आंशिक रूप से स्थगित किया, लेकिन मौद्रिक दंड को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स को भारत के गोपनीयता कानूनों का पालन करने या भारत से बाहर जाने का अल्टीमेटम दिया।

व्यापक कानूनी और नीतिगत निहितार्थ:

- संवैधानिक शासन डिजिटल क्षेत्र में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को मज़बूत करता है।
- प्रतिस्पर्धा और डिजिटल बाज़ार दर्शाता है कि कैसे प्रतिस्पर्धा कानून, गोपनीयता कानून के साथ मिलकर प्रभुत्वशाली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर अंकुश लगाता है।
- डिजिटल संप्रभुता यह संकेत देता है कि भारत विदेशी तकनीकी कंपनियों से वैश्विक नीतियाँ थोपने के बजाय स्थानीय कानूनों का पालन अपेक्षित करता है।

निष्कर्ष:

यह न्यायिक चेतावनी इस बात को रेखांकित करता है कि भारत वैश्विक तकनीकी कंपनियों से गोपनीयता अधिकारों, प्रतिस्पर्धा कानून और डेटा संरक्षण मानकों का सम्मान चाहता है। इसका परिणाम बहुराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए नियामक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है, जहाँ नवाचार और निवेश के साथ-साथ मौलिक अधिकारों और उपभोक्ता

संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा।

कार्यवाहक डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों द्वारा नियमित और निश्चित कार्यकाल वाले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के स्थान पर "कार्यवाहक" अथवा तदर्थ डीजीपी नियुक्त किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रथा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में जारी उसके बाध्यकारी निर्देशों का उल्लंघन है। न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार की नियुक्तियाँ योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को कमजोर करती हैं, पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं तथा पुलिस की संस्थागत स्वायत्तता को क्षति पहुँचाती हैं। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को यह निर्देश भी दिया कि वह अपने पूर्व निर्देशों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाए।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी की कि अनेक राज्य डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों को समय पर यूपीएससी को भेजने में लगातार विलंब कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है, जिससे वरिष्ठ, योग्य और अनुभवी अधिकारियों को वैध रूप से डीजीपी नियुक्त होने का अवसर नहीं मिल पाता।
- न्यायालय ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वह राज्यों के साथ औपचारिक रूप से पत्राचार करे, ताकि प्रस्ताव समयबद्ध रूप से भेजे जा सकें। इसके अतिरिक्त, यदि कोई राज्य निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो यूपीएससी को न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रकाश सिंह मामला और पुलिस सुधार:

- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह रेखांकित किया था कि डीजीपी का पद राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए तथा उसकी नियुक्ति एक पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख निर्देश जारी किए थे:
  - » **चयन मानदंड:** राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा चयनित तीन सबसे वरिष्ठ और सर्वाधिक योग्य भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के पैनल में से करनी होगी।
  - » **न्यूनतम कार्यकाल:** नियुक्त डीजीपी को कम से कम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाना अनिवार्य है, जिससे पुलिस प्रशासन में स्थिरता, निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।
  - » **कार्यवाहक डीजीपी की अस्वीकृति:** "कार्यवाहक" अथवा तदर्थ डीजीपी की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अस्थायी नियुक्तियाँ पुलिस सुधारों के मूल उद्देश्य को निष्प्रभावी कर देती हैं।
- इसके बाद 2018 और 2019 में दिए गए आदेशों में न्यायालय ने प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट किया। इन आदेशों के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि राज्य किसी पद के रिक्त होने से कई महीने पूर्व ही यूपीएससी को प्रस्ताव भेजें, ताकि चयन प्रक्रिया समय रहते पूरी की जा सके।

नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में:

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एकरूप बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। यह व्यवस्था प्रकाश सिंह निर्णय तथा यूपीएससी के वर्ष 2009 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक देरी तथा प्रक्रियागत बाधाओं को कम करना है।

सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया:

- **राज्य का प्रस्ताव:** प्रत्येक राज्य को वर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से कम से कम छह महीने पूर्व योग्य अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी होती है।
- **पात्रता मानदंड:** अधिकारियों के पास न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा होनी चाहिए अथवा वे संबंधित राज्य में पुलिस प्रमुख या उससे एक स्तर नीचे के पद पर कार्यरत हों। जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

में छह महीने से कम समय शेष है, उन्हें पात्र नहीं माना जाता।

- **यूपीएससी द्वारा पैनल चयन:** यूपीएससी की चयन समिति योग्यता, वरिष्ठता, सेवा अभिलेख तथा कार्यानुभव के आधार पर तीन अधिकारियों (छोटे राज्यों के लिए दो अधिकारियों) का पैनल तैयार करती है।
- **राज्य द्वारा चयन:** राज्य सरकार यूपीएससी द्वारा अनुशंसित पैनल में से किसी एक अधिकारी को डीजीपी के रूप में नियुक्त करती है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं कि न्यायिक निर्देशों और राज्यों द्वारा उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अब भी गंभीर अंतर बना हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम (जो प्रकाश सिंह निर्णय और यूपीएससी के दिशानिर्देशों पर आधारित है) पारदर्शी, योग्यता-आधारित और जवाबदेह डीजीपी नियुक्तियों को प्रोत्साहित करता है। इन मानकों का प्रभावी और ईमानदार क्रियान्वयन पुलिस की स्वायत्तता, पेशेवर क्षमता तथा लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट और मृत्युदंड

संदर्भ:

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली की शोध एवं वाद-विवाद इकाई प्रोजेक्ट 39ए की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले तीन वर्षों (2023–2025) के दौरान एक भी मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार नहीं रखा है। यद्यपि निचली अदालतों द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के मामलों में वृद्धि देखी गई है, फिर भी यह प्रवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय के सतर्क, अधिकार-आधारित और मानवीय दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं (2023–2025):** पिछले तीन वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने या तो मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया है अथवा अभियुक्त को पूर्ण रूप से बरी किया है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि अपीलीय स्तर पर मामलों की अत्यंत कठोर, सूक्ष्म और गहन जाँच की जाती है।
- **बरी किए जाने और सज़ा में कमी की उच्च दर:** वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित मृत्युदंड मामलों में से आधे से अधिक मामलों में अभियुक्तों को बरी किया गया। यह अनुपात 2016 के बाद अब तक का सबसे अधिक है।
- **मृत्युदंड की प्रतीक्षा में कैदियों की बढ़ती संख्या:** यद्यपि अपीलीय न्यायालय मृत्युदंड के मामलों में संयमित रुख अपना रहे हैं, फिर भी 2025 के अंत तक 574 व्यक्ति मृत्युदंड की प्रतीक्षा में थे। यह संख्या 2016 के बाद सबसे अधिक दर्ज की गई है।

मृत्युदंड के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण:

- सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर रूप से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, न्यायसंगत सुनवाई और व्यक्ति-विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप सज़ा निर्धारण पर विशेष बल दिया है। इस न्यायिक दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:
  - » **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य किया कि निचली अदालतें अभियुक्त के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट तथा जेल में उसके आचरण से संबंधित अभिलेखों पर अवश्य विचार करें। इन निर्देशों का पालन न किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना गया है।
  - » **अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकार:** यदि यह पाया जाता है कि मृत्युदंड से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट

याचिकाओं के माध्यम से ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने का अधिकार सुरक्षित है।

» **शमनकारी परिस्थितियों पर विशेष बल:** घोर और जघन्य अपराधों के मामलों में भी अब अभियुक्त की आयु, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि तथा उसके सुधार की संभावना जैसे पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मामला वास्तव में "दुर्लभ से दुर्लभतम" की श्रेणी में आता है या नहीं।

न्याय व्यवस्था के भीतर विरोधाभास:

- **निचली अदालतें बनाम अपीलीय जाँच:** निचली अदालतें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मृत्युदंड की सज़ा सुनाती हैं, किंतु इनमें से अधिकांश सजाएँ उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या तो रद्द कर दी जाती हैं या आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दी जाती हैं।
- **उच्च न्यायालयों की मिश्रित भूमिका:** कुछ मामलों में उच्च न्यायालय मृत्युदंड की पुष्टि करते हैं, परंतु ऐसे मामलों का केवल एक छोटा हिस्सा ही सर्वोच्च न्यायालय की कठोर और व्यापक जाँच में टिक पाता है।

प्रोजेक्ट 39ए के बारे में:

- प्रोजेक्ट 39ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए से प्रेरित एक पहल है, जो आपराधिक न्याय सुधार, विधिक सहायता तथा मृत्युदंड से संबंधित मामलों पर केंद्रित रूप से कार्य करती है।
- इसके शोध से यह स्पष्ट होता है कि मृत्युदंड की प्रतीक्षा में रहने वाले कैदियों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े अथवा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। यह पहल निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है तथा फॉरेंसिक विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े विषयों पर गहन शोध करती है।

भारत में मृत्युदंड व्यवस्था पर प्रभाव:

- सर्वोच्च न्यायालय के इस संयमित और मानवोन्मुखी दृष्टिकोण ने न्यायिक मानवीयता और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास के बीच संतुलन, कानूनी सिद्धांतों और ज़मीनी स्तर की वास्तविकताओं के बीच अंतर, तथा सभी स्तरों की अदालतों में सज़ा निर्धारण से जुड़े सुरक्षा उपायों के समान और प्रभावी पालन की आवश्यकता पर एक नई और व्यापक बहस को जन्म दिया है।

निष्कर्ष:

पिछले तीन वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार न रखना, भारत में मृत्युदंड संबंधी न्यायशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी चरण को दर्शाता है। यह एक ओर जहाँ संवैधानिक सुरक्षा और नैतिक न्याय की अवधारणा को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर निचली अदालतों में विद्यमान संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक चुनौतियों को भी उजागर करता है। भारत में मृत्युदंड को लेकर चल रही बहस आज भी प्रतिशोध, निवारण और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती हुई एक सतत विकसित होती न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनी हुई है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

संदर्भ:

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो SWM नियम, 2016 का स्थान लेंगे। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट उत्पादकों की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है, साथ ही परिपत्र अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के सिद्धांतों को एकीकृत करना है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **चार-स्तरीय पृथक्करण:** अपशिष्ट को स्रोत पर गीला, सूखा, स्वच्छता संबंधी तथा विशेष-देखभाल अपशिष्ट में अलग-अलग करना अनिवार्य होगा। इससे पुनर्चक्रण और खाद निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा लैंडफिल पर बोझ कम होगा।
- **थोक अपशिष्ट उत्पादक (BWGs):** वे संस्थाएँ जिनका निर्मित क्षेत्र ≥ 20,000 वर्ग मीटर, जल खपत ≥ 40,000 लीटर/दिन या अपशिष्ट उत्पादन ≥ 100 किलोग्राम/दिन है। ये अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होंगी। यदि स्थल पर गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण संभव न हो, तो विस्तारित थोक अपशिष्ट जनरेटर जिम्मेदारी (EBWGR) प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

100 किग्रा/दिन से अधिक कचरा पैदा करने वाले (BWGs) भारत के लगभग 30% ठोस अपशिष्ट के लिए उत्तरदायी हैं।

- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** गलत रिपोर्टिंग या अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन जैसे उल्लंघनों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। CPCB दिशानिर्देश जारी करेगा, जबकि SPCBs/PCCs द्वारा दंड आरोपित किए जाएंगे।
- **डिजिटल शासन:** पंजीकरण, ट्रैकिंग, ऑडिट और रिपोर्टिंग के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुपालन सुधरेगा और कागजी कार्य कम होगा।
- **भूमि आवंटन में तेजी एवं बफर ज़ोन:** अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए श्रेणीबद्ध भूमि आवंटन तथा क्षमता और प्रदूषण भार के आधार पर बफर ज़ोन निर्धारित किए जाएंगे। इससे सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों (MRFs) और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की शीघ्र स्थापना संभव होगी।
- **रिफ्यूज़-डिराइव्ड फ्यूल (RDF):** औद्योगिक इकाइयों को छह वर्षों में RDF के उपयोग को 5% से बढ़ाकर 15% करना अनिवार्य होगा। इससे परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन फुटप्रिंट घटेगा।
- **लैंडफिल प्रतिबंध एवं विरासत डंप:** लैंडफिल केवल गैर-पुनर्चक्रणीय और निष्क्रिय अपशिष्ट तक सीमित होंगे। असंवर्गीकृत अपशिष्ट पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा। विरासत डंपसाइट्स का उपचार बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन के माध्यम से किया जाएगा।
- **पर्वतीय क्षेत्र एवं द्वीप:** पर्यावरणीय क्षरण रोकने के लिए पर्यटक उपयोग शुल्क, नियंत्रित आगमन, निर्दिष्ट संग्रह केंद्र और विकेंद्रीकृत गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी।

प्रभाव:

- स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति में सुधार होगा।
- थोक अपशिष्ट उत्पादकों की बढ़ी हुई जवाबदेही से शहरी स्थानीय निकायों पर दबाव कम होगा।
- डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता, ट्रेसबिलिटी और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित होगा।
- परिपत्र अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता:

- भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन से अधिक नगर ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 25–28% का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण होता है।
- SWM नियम, 2016 में तीन-स्तरीय पृथक्करण, EPR और उपयोगकर्ता शुल्क पर जोर दिया गया था, किंतु प्रवर्तन, विरासत अपशिष्ट प्रबंधन और थोक अपशिष्ट उत्पादकों की जवाबदेही में कमियाँ बनी रहीं।
- प्रमुख चुनौतियों में अवसंरचना की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र का अपर्याप्त एकीकरण, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय सीमाएँ और सीमित जन भागीदारी शामिल हैं।

निष्कर्ष:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 भारत में सतत अपशिष्ट प्रबंधन

के लिए एक व्यापक कानूनी और परिचालन ढाँचा प्रदान करते हैं। नियामकीय प्रवर्तन, हितधारकों की जवाबदेही और डिजिटल शासन के संयोजन के माध्यम से ये नियम एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक परिपत्र शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।

कोकिंग कोयला महत्त्वपूर्ण खनिज के रूप में अधिसूचित

संदर्भ:

29 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के अंतर्गत कोकिंग कोयले को महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत करना और इस्पात उत्पादन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करना है।

अधिसूचना के प्रमुख बिंदु:

- यह अधिसूचना विकसित भारत लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति तथा नीति आयोग द्वारा दिए गए नीति सुझावों के आधार पर जारी की गई।
- कोकिंग कोयला घरेलू इस्पात उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक कच्चा माल है, जो औद्योगिक निरंतरता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है।
- भारत में कोकिंग कोयले के कुल 37.37 अरब टन संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका प्रमुख भाग झारखंड में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी इसके भंडार पाए जाते हैं।
- पर्याप्त घरेलू संसाधनों के बावजूद, देश की लगभग 95% कोकिंग कोयले की मांग आयात से पूरी की जाती है, जो 2020–21 में 51.20 मिलियन टन से बढ़कर 2024–25 में 57.58 मिलियन टन हो गई है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

कानूनी एवं नीतिगत प्रभाव:

- एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11C के तहत केंद्र सरकार को प्रथम अनुसूची में संशोधन का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत "कोकिंग कोयला" को भाग डी (महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज) में शामिल किया गया। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
  - » खनन परियोजनाओं के लिए तेज़ स्वीकृति प्रक्रिया और व्यवसाय करने में सुगमता।
  - » महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए सार्वजनिक परामर्श से छूट।
  - » प्रतिपूरक वनीकरण के लिए क्षतिग्रस्त वन भूमि का उपयोग।
  - » अन्वेषण, लाभकारीकरण तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाने में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन।
- रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम तथा अन्य वैधानिक भुगतान राज्य सरकारों को प्राप्त होते रहेंगे, जिससे संघीय वित्तीय संतुलन बना रहेगा।

रणनीतिक आधार:

- आयात पर निर्भरता में कमी से इस्पात और सहायक उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला अधिक सुरक्षित और स्थिर होगी।
- यह राष्ट्रीय इस्पात नीति को मजबूती प्रदान करता है तथा आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।
- खनन, परिवहन और इस्पात मूल्य श्रृंखला में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाएँ हैं।
- यह भारत की व्यापक महत्वपूर्ण खनिज रणनीति के अनुरूप है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे खनिज शामिल हैं, जो रक्षा, विद्युत वाहन और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ढांचे के बारे में:

- भारत ने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण

को ध्यान में रखते हुए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है।

- ये खनिज विद्युत वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों को आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रमुख विशेषताएँ:

- यह अधिनियम खनन पट्टों, खनिज अन्वेषण और संसाधन प्रबंधन को विनियमित करता है तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलन बनाए रखता है।
- प्रमुख खनिज केंद्र सरकार के नियंत्रण में तथा लघु खनिज राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं।
- अधिनियम अन्वेषण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों का प्रावधान करता है।
- हाल के प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:
  - » पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत।
  - » 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष प्रावधान, जिसके अंतर्गत नीलामी केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  - » 2023 में गहन खनिज अन्वेषण के लिए अन्वेषण लाइसेंस की व्यवस्था।
  - » अन्वेषण और स्थानीय समुदायों के विकास हेतु एनएमईटी और डीएमएफ जैसे संस्थागत ढांचे।

अधिसूचना का महत्व:

- राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
- निजी निवेश और उन्नत खनन तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
- आयात निर्भरता कम कर विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित करता है।
- रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है।
- औद्योगिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सशक्त बनाता है।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

संदर्भ:

हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। विपक्ष का आरोप है कि बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष का आचरण निष्पक्ष नहीं रहा। भारतीय संसदीय इतिहास में यह चौथा अवसर है जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है।

हटाने का संवैधानिक आधार:

- लोकसभा अध्यक्ष का पद संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत स्थापित एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष, संतुलित और नियमों के अनुरूप संचालित करें। संविधान के अनुच्छेद 94(ग) में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान किया गया है:
  - » अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है।
  - » इस प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदन के उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है।
  - » यह प्रावधान केवल लोकसभा पर लागू होता है; राज्यसभा के सभापति के लिए अलग व्यवस्था है।
- इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष निम्न परिस्थितियों में पद रिक्त करते हैं:
  - » यदि वे लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर देते हैं या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है (94(क))
  - » यदि वे उपाध्यक्ष को संबोधित लिखित इस्तीफा दे देते हैं (94(ख))
  - » यदि लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें हटा दिया जाता है (94(ग))

हटाने की प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया लोकसभा की कार्यसंचालन नियमावली के नियम 200 से 203 के अंतर्गत निर्धारित की गई है:
  - » **नोटिस:** अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए महासचिव को लिखित नोटिस दिया जाता है, जिस पर कम से कम दो सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। नोटिस देने के बाद कम से कम 14 दिनों की अवधि अनिवार्य है।
  - » **कार्यसूची में शामिल करना:** निर्धारित नोटिस अवधि पूरी होने के बाद ही प्रस्ताव को सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध

किया जाता है।

» **न्यूनतम समर्थन:** प्रस्ताव पर विचार की अनुमति के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि यह समर्थन नहीं मिलता, तो प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाता है।

» **चर्चा और मतदान:** यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर चर्चा के लिए लिया जाता है। चर्चा केवल प्रस्ताव में उल्लिखित आरोपों तक सीमित रहती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को अधिकतम 15 मिनट बोलने की अनुमति होती है। प्रस्ताव पारित करने के लिए पूर्ण बहुमत आवश्यक होता है।

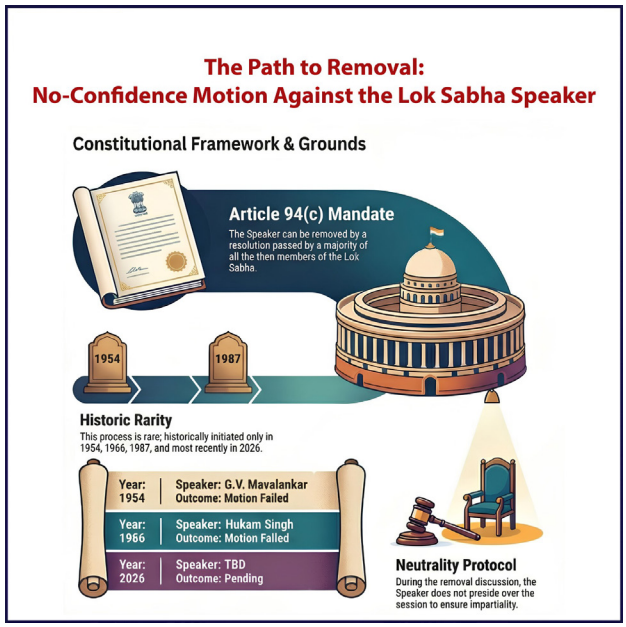

शर्तें और अध्यक्ष की भूमिका:

- लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 200क के अनुसार प्रस्ताव स्पष्ट, विशिष्ट और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए तथा उसमें मानहानि या व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अनुमति मांगते समय किसी प्रकार का भाषण नहीं दिया जाता।
- चर्चा के दौरान अध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, किंतु निष्पक्षता की परंपरा को बनाए रखने हेतु वे सामान्यतः पीठासीन नहीं होते। मतदान के संबंध में अध्यक्ष की भूमिका सीमित होती है और वे सामान्य परिस्थितियों में मतदान में भाग नहीं लेते।

निष्कर्ष:

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अत्यंत दुर्लभ घटनाएँ रही हैं। इससे पूर्व जी.वी. मावलंकर (1954), हुकम सिंह (1966) और बलराम जाखड़ (1987) के विरुद्ध ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे, परंतु किसी भी मामले में अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया गया। वर्तमान प्रस्ताव संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025

संदर्भ:

बर्लिन स्थित नागरिक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2025 में भारत को 182 देशों में 91वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर 39 रहा। इस सूचकांक में 0 का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट सार्वजनिक क्षेत्र से है, जबकि 100 का अर्थ अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी सार्वजनिक व्यवस्था को दर्शाता है।

सीपीआई क्या मापता है?

- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की धारणा का आकलन करता है। इसके लिए विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच तथा अन्य प्रतिष्ठित शोध संस्थानों सहित 13 स्वतंत्र स्रोतों के आकलनों का उपयोग किया जाता है।
- ये आकलन विशेषज्ञों और व्यापारिक समुदाय के प्रमुखों की धारणाओं पर आधारित होते हैं, जो सार्वजनिक संस्थानों और शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार की स्थिति को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं।
- वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है। यह तथ्य दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर नकारात्मक धारणा अब भी बनी हुई है। साथ ही, वैश्विक औसत सीपीआई स्कोर घटकर 42 रह गया है, जो यह संकेत देता है कि भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों में या तो ठहराव है या कई देशों में स्थिति और खराब हुई है।

भारत का प्रदर्शन: संरचनात्मक चुनौतियों के बीच सीमित सुधार:

- भारत का 91वाँ स्थान पिछले वर्ष की तुलना में पाँच स्थान का सुधार दर्शाता है तथा उसके स्कोर में एक अंक की वृद्धि हुई है। यद्यपि यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन भारत अब भी वैश्विक औसत

से नीचे बना हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन से जुड़ी कई संरचनात्मक समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं।

- विशेषज्ञों के अनुसार, सुधार की धीमी गति के पीछे प्रशासनिक अपारदर्शिता, नीति और निर्णय-प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के असमान और कमजोर क्रियान्वयन जैसे कारण प्रमुख हैं। इसी कारण भ्रष्टाचार को केवल अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था की एक गहरी और प्रणालीगत समस्या के रूप में देखा जाता है।
- रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जहाँ भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है। खोजी पत्रकारिता के दौरान मीडिया कर्मियों को धमकी, दबाव या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था कमजोर पड़ने की आशंका बनी रहती है।

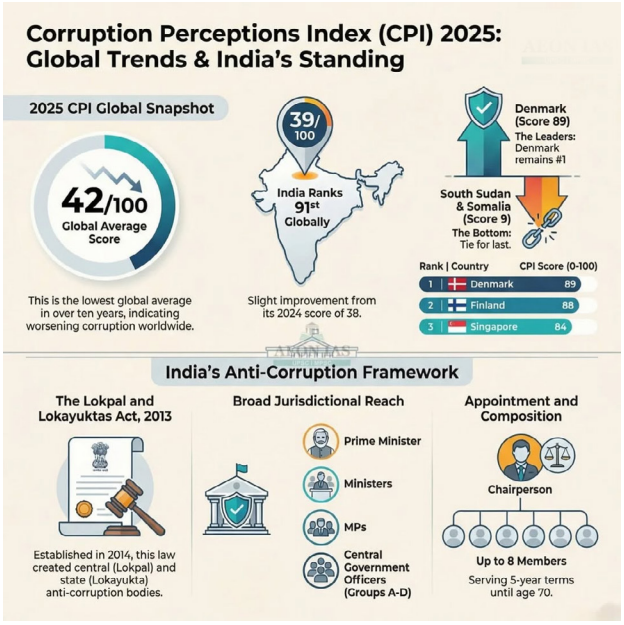

भारत में संस्थागत और कानूनी ढाँचा:

- भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक विस्तृत और बहु-स्तरीय संस्थागत तथा कानूनी ढाँचा विकसित किया गया है:
  - » **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** यह अधिनियम केंद्र और राज्यों में सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच के लिए लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - » **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी):** यह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करने वाला शीर्ष पर्यवेक्षी निकाय है।
  - » **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई):** यह देश की प्रमुख जाँच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और उससे जुड़े मामलों की जाँच करती है।
  - » **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018):** यह रिश्वतखोरी से संबंधित प्रमुख कानून है। वर्ष 2018 के संशोधन के बाद इसमें रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया।
  - » **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002:** यह कानून अवैध धन के शोधन को रोकने और अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करता है।
  - » **व्हिसलब्लोअर (Whistle Blowers) संरक्षण अधिनियम, 2014:** यह अधिनियम भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को प्रतिशोध और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह बहु-स्तरीय व्यवस्था भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध कानूनी रोकथाम को सशक्त करने और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

निष्कर्ष:

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2025 की रैंकिंग से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने भ्रष्टाचार की धारणा के स्तर पर सीमित सुधार अवश्य किया है, किंतु भ्रष्टाचार अब भी एक गंभीर और संरचनात्मक शासन-संबंधी चुनौती बना हुआ है। नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच के अंतर को कम करना, संस्थानों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करना तथा सार्वजनिक सेवा में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों में निरंतर और समन्वित प्रयास ही भारत की वैश्विक विश्वसनीयता को मजबूत कर सकते हैं और लोकतांत्रिक शासन में जनता के विश्वास को मजबूत बना सकते हैं।

सरकार ने नए सोशल मीडिया नियमों को अधिसूचित किया

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। ये नियम एआई-जनित सामग्री (AI content) पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने की शुरुआत करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अवैध सामग्री को हटाने की समय-सीमा को पिछले 36 घंटों से घटाकर तीन घंटे कर देते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **एआई कंटेंट लेबलिंग:** प्लेटफॉर्म्स के लिए सभी AI-जनित या सिंथेटिक सामग्री (जिसमें डीपफेक भी शामिल है) पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना अनिवार्य है। ये लेबल दिखाई देने चाहिए और उन्हें हटाया या छिपाया नहीं जा सकता।
- **तीन घंटे के भीतर सामग्री हटाना:** फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X जैसे प्लेटफॉर्म्स को चिन्हित की गई अवैध सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। गैर-सहमति वाली निजी छवियों (NCII) या हानिकारक डीपफेक के लिए दो घंटे की समय-सीमा लागू होगी।

उपयोगकर्ता घोषणाएँ और मेटाडेटा:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब उपयोगकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर सकते हैं कि वे एआई -जनित सामग्री की स्व-घोषणा करें। इसके सत्यापन हेतु प्लेटफॉर्म स्वचालित उपकरणों का प्रयोग करेंगे।
- यदि कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत प्राप्त 'सेफ हार्बर' (विधिक सुरक्षा कवच) खो देगा। इसका सीधा अर्थ है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी अवैध सामग्री के लिए वह कंपनी स्वयं कानूनी रूप से उत्तरदायी होगी।

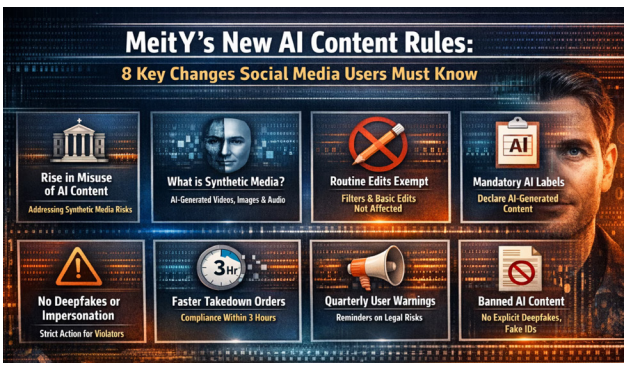

एआई/सिंथेटिक सामग्री की परिभाषा:

- सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI) में कोई भी ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियो-विज़ुअल सामग्री शामिल है जिसे AI का उपयोग करके बनाया या बदला गया है और जो वास्तविक प्रतीत होती है। सामान्य संपादन और शैक्षिक दृष्टांतों को इससे छूट प्रदान की गई है।
- **अनुपालन और जवाबदेही:** प्लेटफॉर्म्स के लिए अनिवार्य है कि वे:
  - » एआई -जनित सामग्री पर मेटाडेटा और स्पष्ट दिखने वाले लेबल एम्बेड करें।
  - » निर्धारित समय-सीमा के भीतर सामग्री हटाने के नियमों का सख्ती से पालन करें।
  - » उपयोगकर्ताओं को कम से कम हर तीन महीने में एक बार AI उपकरणों के दुरुपयोग पर दंड के बारे में चेतावनी दें।
  - » अनुपालन न करने की स्थिति में कानूनी दायित्व (Legal liability) बन सकता है, क्योंकि मध्यस्थ अपनी 'सेफ हार्बर' सुरक्षा खो सकते हैं।

औचित्य:

- इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य डीपफेक और एआई-जनित भ्रामक सूचनाओं की बढ़ती व्यापकता को नियंत्रित करना है। ऐसी सामग्रियाँ सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा सकती हैं और वित्तीय धोखाधड़ी का आधार बन सकती हैं। सरकार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है।

चिंताएँ और आलोचना:

- **परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ:** अत्यंत कम समय-सीमा (तीन घंटे) के कारण प्लेटफॉर्म्स द्वारा जल्दबाजी में वैध सूचनाओं को भी हटाया जा सकता है, जो 'ओवर-सेंसरशिप' की स्थिति पैदा कर सकता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** स्वचालित उपकरणों द्वारा सामग्री हटाने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।

डिजिटल शासन के लिए महत्व:

- ये संशोधन डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करते हैं। यह कदम स्पष्ट करता है कि भारत उभरती

तकनीकों को विनियमित करने और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष:

नए नियम, जो प्रमुख एआई लेबलिंग और सख्त समय-सीमा को जोड़ते हैं, डिजिटल विनियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए गलत सूचनाओं को रोकने में इनका कार्यान्वयन कितना प्रभावी रहता है।

पीएम केयर्स एवं अन्य निधियों पर विधायी निगरानी की सीमाएं

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि संसद सदस्य प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकते और न ही मामले उठा सकते हैं। इस निर्देश ने संसदीय निगरानी और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक बहस छेड़ दी है।

कारण:

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का तर्क दिया:
  - **नियम 41(2)(viii):** प्रश्न ऐसे मामले से संबंधित नहीं होंगे जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय नहीं हैं।
  - **नियम 41(2)(xvii):** ऐसे मामले नहीं उठाएंगे जो उन निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं जो मुख्य रूप से भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं।
- प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इन निधियों का स्रोत पूरी तरह से जनता का स्वैच्छिक योगदान है और इन्हें भारत की संचित निधि से कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता है परिणामस्वरूप, इनके संचालन, प्राप्ति या उपयोग पर संसदीय प्रश्न अस्वीकार्य माने जाते हैं।

कोष के बारे में:

- **पी एम केयर्स फंड:**
  - **स्थापना:** 27 मार्च, 2020 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में।
  - **उद्देश्य:** राष्ट्रीय आपात स्थितियों और आपदाओं का सामना करना।
  - **वित्त पोषण:** पूरी तरह से स्वैच्छिक; कोई सरकारी बजटीय आवंटन नहीं।
  - **शेष राशि:** मार्च 2023 तक 6,283.7 करोड़ रुपये।
  - **विधिक स्थिति:** सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।
- **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष:**
  - **स्थापना:** जनवरी 1948
  - **उद्देश्य:** प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को राहत देना।
- **राष्ट्रीय रक्षा कोष:**
  - **उद्देश्य:** सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों का कल्याण।
  - **प्रशासन:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के पीछे का तर्क है कि ये निधियां भारत की संचित निधि से धन नहीं लेती हैं और स्वैच्छिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में प्रशासित की जाती हैं इसलिए, लोकसभा नियमों के तहत वे मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय नहीं हैं। अतः, इनसे संबंधित प्रश्न संसद में स्वीकार्य नहीं हैं।

कानूनी और लोकतांत्रिक प्रभाव:

- **संसदीय निगरानी:** यह उन निधियों की विधायी जांच को सीमित करता है जिनमें जनता का भारी योगदान प्राप्त होता है।
- **पारदर्शिता:** यह कोष सूचना का अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, हालांकि अदालतों ने कुछ गोपनीयता सुरक्षा को स्वीकार किया है।
- **सार्वजनिक जवाबदेही:** यह उच्च-स्तरीय दान आधारित निधियों के लिए कार्यकारी जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर चिंता पैदा करता है।

निष्कर्ष:

यह निर्देश एक सख्त प्रक्रियात्मक व्याख्या को रेखांकित करता है जो कुछ निधियों की संसदीय निगरानी को सीमित करती है। हालांकि यह कानूनी

रूप से आधारित है, लेकिन इसने लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता और विधायी जांच पर व्यापक बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से उन निधियों के लिए जिनकी अध्यक्षता शीर्ष संवैधानिक पदधारकों द्वारा की जाती है।

संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया

संदर्भ:

हाल ही में संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कानून का रूप लेगा।

पृष्ठभूमि:

- 2020 से पहले भारत की श्रम कानून व्यवस्था कई अलग-अलग कानूनों में विभाजित थी, जो ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों तथा औद्योगिक विवादों के निपटान से संबंधित थीं। इन कानूनों को सरल, समकालीन और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता लागू की गई। यह चार श्रम संहिताओं के व्यापक सुधार पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इन संहिताओं के माध्यम से कई पुराने कानूनों को एकीकृत (समेकित) किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
  - ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
  - औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- इन कानूनों के एकीकरण का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संबंधों के लिए एक एकीकृत और अद्यतन कानूनी ढांचा तैयार करना, अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा व्यापार करने में सुविधा को बढ़ावा देना था।

संशोधन की आवश्यकता:

- यद्यपि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में धारा 104 के अंतर्गत पुराने कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया था, सरकार का यह मत था कि इन कानूनों के स्वतः निरसन को भविष्य में प्रक्रिया संबंधी आधार पर न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।
- इसी संदर्भ में यह संशोधन विधेयक लाया गया, ताकि पुराने कानूनों के निरसन की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जा सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी अस्पष्टता या अनावश्यक व्याख्यात्मक जटिलता से बचा जा सके।

सरकार के अनुसार:

- पुराने क़ानूनों का निरसन प्रशासनिक निर्णय या विवेकाधीन कार्रवाई से नहीं, बल्कि क़ानून के प्रभाव से पहले ही हो चुका था।
- यह संशोधन औद्योगिक संबंध शासन में कानूनी निश्चितता और स्थिरता को मज़बूत करता है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रमुख प्रावधान:

- **परिभाषाएँ और क्षेत्र:** "कर्मचारी", "वेतन" और "हड़ताल" जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को मानकीकृत किया गया है। साथ ही निश्चित अवधि (फिक्स्ड टर्म) रोजगार की व्यवस्था की गई है, जिसमें कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वैधानिक लाभ प्राप्त होते हैं।
- **यूनियन की मान्यता और सामूहिक सौदेबाजी:** कम से कम 51% कर्मचारियों की सदस्यता वाली यूनियन को वार्ता के लिए मान्यता दी जाती है। यदि एक से अधिक यूनियन मौजूद हों, तो उनके लिए संयुक्त वार्ता परिषद गठित की जा सकती है।
- **स्थायी आदेश:** यह प्रावधान 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की श्रेणियाँ, कार्य के घंटे, अवकाश, आचरण, अनुशासन तथा शिकायत निवारण से संबंधित नियम निर्धारित किए जाते हैं।
- **हड़ताल और तालाबंदी:** हड़ताल या तालाबंदी से पहले 14 से 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। यदि 50% या उससे अधिक कर्मचारी सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश लेते हैं, तो उसे भी हड़ताल माना जाएगा। विवाद समाधान की प्रक्रिया के दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहता है।
- **छंटनी, सेवा समाप्ति और बंदी:** 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी, सेवा समाप्ति या बंदी के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक है। इससे छोटे प्रतिष्ठानों के संचालन में अपेक्षाकृत आसानी होती है।
- **विवाद समाधान:** आंतरिक स्तर पर कार्य समिति और शिकायत निवारण समिति का प्रावधान किया गया है। बाहरी स्तर पर सुलह, मध्यस्थता और औद्योगिक न्यायाधिकरण के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है।
- **श्रमिक पुनःकौशल कोष:** नियोक्ताओं द्वारा लगभग 15 दिन के

वेतन के बराबर राशि इस कोष में जमा की जाती है, जिसका उद्देश्य छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनः कौशल विकास और पुनः रोजगार में सहायता प्रदान करना है।

- **दंड और अनुपालन:** अवैध हड़ताल, तालाबंदी तथा प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कुछ मामलों में अपराधों के समझौते (कंपाउंडिंग) की अनुमति भी दी गई है।

निष्कर्ष:

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 का पारित होना भारत में श्रम कानून सुधार की दिशा में एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। यह संशोधन श्रमिकों के अधिकारों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करता, बल्कि वर्ष 2020 में लागू किए गए एकीकृत औद्योगिक संबंध ढांचे में कानूनी स्पष्टता, निश्चितता और मजबूती प्रदान करने का प्रयास करता है।

स्पेक्ट्रम पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

संदर्भ:

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दिवालिया दूरसंचार ऑपरेटरों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को कर्जदाताओं का बकाया चुकाने के लिए बेचा नहीं जा सकता। यह मुद्दा एयरसेल लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियों की दिवाला कार्यवाही के दौरान उठा, जहाँ उनके लेनदारों ने ऋण वसूली के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग अधिकारों को भुनाने की मांग की थी। इस निर्णय ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत स्पेक्ट्रम की कानूनी स्थिति स्पष्ट की और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संसाधनों को 'कॉर्पोरेट संपत्ति' नहीं माना जा सकता।

कानूनी और संवैधानिक तर्क:

- उच्चतम न्यायालय ने अपने कानूनी और संवैधानिक तर्क में स्पष्ट किया कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर भारत संघ का संप्रभु स्वामित्व है और सरकार इसे नागरिकों के हित में एक 'न्यास' (Trust) के रूप में संभालती है।
- न्यायालय के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए लाइसेंस केवल स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्रदान करते हैं, न कि मालिकाना हक; और चूंकि IBC (दिवाला संहिता) केवल ऋणी की अपनी संपत्तियों की नीलामी की अनुमति देती है, इसलिए स्पेक्ट्रम को कॉर्पोरेट एसेट मानकर बेचा नहीं जा सकता।
- अंततः, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि लाइसेंस के तहत मिलने वाला कोई भी सशर्त हस्तांतरण स्वामित्व के समान नहीं है, जो दिवाला प्रावधानों के ऊपर दूरसंचार जैसे विशिष्ट क्षेत्रीय कानूनों की कानूनी प्रधानता को मजबूती से स्थापित करता है।

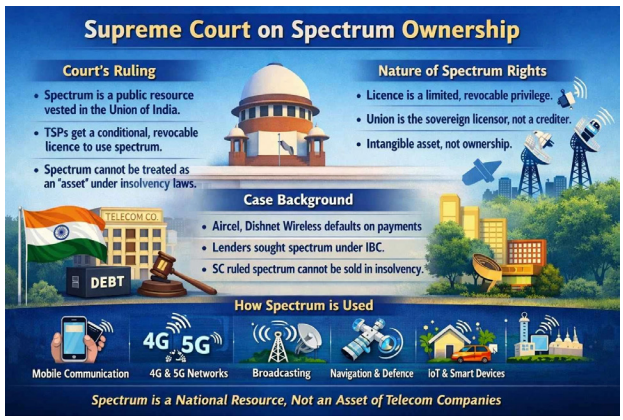

आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभाव:

- यह निर्णय ऋण वसूली के विकल्पों को सीमित करके और संभावित रूप से फंसे हुए कर्ज (NPA) को बढ़ाकर कर्जदाताओं और वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करता है।
- भविष्य में दूरसंचार वित्तपोषण में अधिक सख्त जोखिम मूल्यांकन शामिल हो सकता है। सरकार के लिए, स्पेक्ट्रम पर संप्रभु नियंत्रण मजबूत हुआ है, जिससे नीलामी या पुन: लाइसेंसिंग के माध्यम से इसका पुन: आवंटन संभव होगा।
- यह निर्णय वैधानिक लाइसेंसों के उपचार को भी स्पष्ट करता है, जो सार्वजनिक हित और लेनदारों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के बारे में:

- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 संकटग्रस्त कंपनियों और व्यक्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए भारत का व्यापक, लेनदार-केंद्रित कानून है।
- इसने वसूली में तेजी लाने के लिए पुराने कानूनों को एकीकृत किया, जिसमें समाधान या परिसमापन के लिए 180 दिनों की समय सीमा (270 दिनों तक विस्तार योग्य) तय की गई है। इसके उद्देश्यों में

संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, व्यापार सुगमता में सुधार करना और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है।

मुख्य पहलू:

- **उद्देश्य:** कॉर्पोरेट, साझेदारी और व्यक्तिगत दिवाला के लिए एक त्वरित और कुशल कानूनी ढांचा।
- **समय-बद्ध प्रक्रिया:** समाधान प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है, जिसे 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- **संस्थान:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और सूचना उपयोगिताएँ।
- **प्रक्रिया की शुरुआत:** इसे वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों या स्वयं ऋणी द्वारा शुरू किया जा सकता है।
- **लेनदारों की समिति:** वित्तीय लेनदार कंपनी के भविष्य (पुनरुद्धार या परिसमापन) का निर्णय लेते हैं।

प्रभाव और चुनौतियाँ:

- मार्च 2025 तक, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के माध्यम से 1,194 से अधिक संकटग्रस्त कंपनियों का सफल समाधान किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय लेनदारों (बैंकों) ने ₹3.89 लाख करोड़ से अधिक की राशि वसूल करने में सफलता प्राप्त की है।
- इस संहिता ने शक्ति को "ऋणी-के-कब्जे" से बदलकर "लेनदार-के-नियंत्रण" में कर दिया है, हालांकि प्रक्रिया को शुरू करने और समाधान में होने वाली देरी अभी भी एक चुनौती है।

निष्कर्ष:

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय स्पेक्ट्रम को एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में पुनः स्थापित करता है। मालिकाना हक और लाइसेंस के बीच अंतर स्पष्ट करके, यह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है और बैंकों को कानूनी स्पष्टता देता है। यह फैसला IBC के ढांचे को मजबूत करता है और एक मिसाल पेश करता है कि दिवाला मामलों में सरकारी लाइसेंस और प्राकृतिक संसाधनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए।

एआई के लिए मानव विज़न

संदर्भ:

नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुशासन के लिए "मानव (MANAV) विज़न" प्रस्तुत किया। इस पहल के माध्यम से भारत स्वयं को विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण से जिम्मेदार, संतुलित और मानव-केंद्रित एआई विकास का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मानव विज़न के प्रमुख घटक:

- मानव (MANAV) शब्द एआई के पाँच मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतीक है:
  - **M — Moral and Ethical Systems (नैतिक और मूल्य-आधारित प्रणाली):** एआई का विकास और उपयोग मजबूत नैतिक ढाँचों पर आधारित होना चाहिए। इसके निर्णय मानवाधिकारों, सामाजिक मूल्यों और नैतिक जवाबदेही का सम्मान करें, ताकि तकनीक मानव हितों के अनुरूप कार्य करे।
  - **A — Accountable Governance (जवाबदेह शासन):** एआई का संचालन पारदर्शी, उत्तरदायी और नियमबद्ध होना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट नीतियाँ, प्रभावी निगरानी तंत्र और डेवलपर्स व संचालकों को जवाबदेह ठहराने की सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक है।
  - **N — National Sovereignty (राष्ट्रीय संप्रभुता):** व्यक्तियों और राष्ट्रों से संबंधित डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। "जिसका डेटा, उसका अधिकार" के सिद्धांत के तहत डेटा स्वामित्व और राष्ट्रीय संप्रभुता को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
  - **A — Accessible and Inclusive (सुलभ और समावेशी):** एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचना चाहिए। यह कुछ कंपनियों या समूहों तक सीमित न रहकर समान अवसर, व्यापक पहुँच और तकनीकी लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दे।
  - **V — Valid and Legitimate (वैध और प्रमाणित):** एआई के सभी अनुप्रयोग कानून के अनुरूप, सत्यापित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होने चाहिए, ताकि वास्तविक जीवन में उनका उपयोग विश्वास, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ किया जा सके।

मानव विज़न का महत्व:

- यह विज़न भारत को जिम्मेदार एआई विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में स्थापित करता है, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक मार्गदर्शक मॉडल के रूप में।
- यह मानव-केंद्रित एआई को प्रोत्साहित करता है, जिसमें कल्याण, निष्पक्षता और नैतिक शासन को प्राथमिकता दी जाती है।
- यह नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन बनाता है, जिससे एआई विकास सुरक्षित, पारदर्शी और सामाजिक रूप से लाभकारी बन सके।
- यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए मूल्य-आधारित ढाँचा प्रदान करता है, जो तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में साझा जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

एआई के प्रति भारत की रणनीतिक दृष्टि:

- **समावेशी और सामाजिक उपयोगिता वाला एआई:** इंडिया एआई मिशन के माध्यम से सरकार एआई को निष्पक्ष, समावेशी और समाजोपयोगी बनाने पर बल दे रही है। इसका उद्देश्य शहरी–ग्रामीण अंतर को कम करना और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के क्षेत्रों में सुधार लाना है।
- **व्यावहारिक उपयोग:** दुग्ध क्षेत्र में अमूल जैसी संस्थाओं द्वारा एआई आधारित पहलों से 36 लाख से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ रही है और उनकी आय सशक्त हो रही है।
- **रोजगार और कौशल विकास:** एआई को रोजगार के लिए खतरा नहीं, बल्कि परिवर्तन का अवसर माना जा रहा है। बड़े स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल को नई तकनीकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।
- **वैश्विक एआई ढाँचे और सहयोग:** विश्व स्तर पर एआई शासन अधिक समावेशी और संतुलित ढाँचों की ओर बढ़ रहा है, जो पक्षपात, डिजिटल उपनिवेशवाद और उत्तर–दक्षिण असमानताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

प्रमुख पहलें:

- **ब्लेचली पार्क घोषणा (2023):** 28 देशों ने उन्नत एआई जोखिमों से निपटने और साझा वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
- **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई (GPAI):** 2024 में भारत के नेतृत्व में इस मंच ने एआई को वैश्विक सार्वजनिक संपदा के रूप में स्वीकार करने और वैश्विक दक्षिण को सशक्त समर्थन देने की वकालत की।
- **एआई एक्शन समिट 2025 (पेरिस):** भारत और फ्रांस की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन ने एआई के जिम्मेदार उपयोग और समान पहुंच पर बल दिया।
- **एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (नई दिल्ली):** इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय "मनुष्य, पृथ्वी और प्रगति" है, जिसका उद्देश्य एआई के लाभों को व्यापक और संतुलित रूप से साझा करना है।

निष्कर्ष:

मानव विज़न केवल तकनीकी नीति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मानव कल्याण, नैतिकता, समावेशन, जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों पर आधारित एक व्यापक शासन-दृष्टि है। यह दर्शाता है कि भारत एआई को केवल तकनीकी प्रगति के रूप में नहीं, बल्कि मानव मूल्यों से जुड़े विकास के साधन के रूप में देखता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023

संदर्भ:

हाल ही में, नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (NCPRI), पारदर्शिता कार्यकर्ता वेंकटेश नायक और 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट' द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाओं का तर्क है कि DPDP अधिनियम सूचना के अधिकार (RTI) को कमजोर करता है, खोजी पत्रकारिता में बाधा डालता है और राज्य की निगरानी शक्तियों का विस्तार करता है।

प्रमुख आपत्तियां:

- **RTI अधिनियम में संशोधन:** एक मुख्य आपत्ति DPDP अधिनियम की धारा 44(3) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किए गए संशोधन को लेकर है। यह संशोधन RTI अधिनियम के जनहित सर्वोपरि के प्रावधान को व्यक्तिगत जानकारी के लिए पूर्ण छूट (Blanket Exemption) से प्रतिस्थापित कर देता है। पूर्व में, लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी तब साझा कर सकते

थे जब उससे कोई व्यापक जनहित सिद्ध होता हो। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नया प्रावधान सूचना और निजता के इस संतुलन को समाप्त कर देता है, जिससे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी रोकने (Withhold) की शक्ति मिल जाती है, जो अंततः प्रशासनिक पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है।

- **पुट्टास्वामी निर्णय का उल्लंघन:** इन याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टास्वामी निर्णय (2017) का संदर्भ दिया गया है, जिसके अनुसार मौलिक अधिकारों पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) की कसौटी पर खरा उतरना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि DPDP अधिनियम इस परीक्षण में विफल रहता है, क्योंकि यह अधिकारों को सीमित करने के लिए 'न्यूनतम प्रतिबंधात्मक' (Least Restrictive) विकल्पों को नहीं अपनाता है। इसके अतिरिक्त, यह मनमाने ढंग से RTI ढांचे को संकुचित करता है, जिससे सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy) के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।
- **खोजी पत्रकारिता पर प्रभाव:** यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले पत्रकारों को 'डेटा फिडुशियरी' (Data Fiduciaries) के रूप में वर्गीकृत करता है। इसके तहत पत्रकारों पर सहमति लेने और सहमति न मिलने पर डेटा मिटाने की बाध्यता थोपी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि:
  - » ये प्रावधान खोजी रिपोर्टिंग के लिए व्यावहारिक नहीं हैं।
  - » इससे तथ्यों के बाद के सत्यापन (Post-facto verification) में कठिनाई होगी।
  - » 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने के कारण पत्रकारों में डर का माहौल पैदा होगा, जिससे भ्रष्टाचार और सरकारी जवाबदेही पर रिपोर्टिंग हतोत्साहित हो सकती है।

राज्य की शक्ति और निगरानी का विस्तार:

- धारा 36 केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी भी 'डेटा फिडुशियरी' (डेटा रखने वाली संस्था) से जानकारी मांग सके। इसके लिए सरकार को किसी स्वतंत्र संस्था या कानूनी अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रावधान सरकार को व्यक्तिगत डेटा तक अनियंत्रित पहुंच (Unrestricted Access) देता है, जिससे पत्रकारों के गुमनाम स्रोतों (Anonymous Sources) की पहचान उजागर होने का खतरा है। इससे न केवल निजता का हनन होता है, बल्कि चुनावी प्रक्रियाओं में डेटा के दुरुपयोग की भी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वतंत्रता:

- अधिनियम कानून लागू करने और दंड देने के लिए एक डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) की स्थापना करता है। याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में सरकारी सचिवों और नामित व्यक्तियों का दबदबा है, जो 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। चूंकि राज्य स्वयं सबसे बड़ा डेटा संग्रहकर्ता है, इसलिए इस अर्ध-न्यायिक निकाय पर कार्यकारी नियंत्रण इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के बारे में:

- यह भारत का पहला व्यापक कानून है जिसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और व्यक्तियों की निजता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसे 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया और 14 नवंबर, 2025 को 'DPDP नियम 2025' के साथ पूरी तरह से लागू किया गया। इसका लक्ष्य व्यक्तिगत निजता, व्यावसायिक उपयोगिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है।

निष्कर्ष:

यद्यपि DPDP अधिनियम का लक्ष्य डिजिटल निजता सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन संवैधानिक चुनौतियां पारदर्शिता, प्रेस की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दों के साथ इसके टकराव को उजागर करती हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि क्या यह अधिनियम निजता, जनहित और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच सही संतुलन बनाता है।

अंतरधार्मिक विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

संदर्भ:

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 धर्म परिवर्तन के किसी कृत्य के बिना सहमति से संबंध स्थापित करने वाले वयस्कों के

अंतरधार्मिक विवाह या लिव-इन संबंधों को निषिद्ध नहीं करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष:

- **आपसी सहमति वाले व्यक्तिगत संबंधों पर रोक नहीं:** न्यायालय ने माना कि धर्म परिवर्तन विरोधी कानून दो वयस्कों के बीच अंतरधार्मिक विवाह या लिव-इन संबंधों को प्रतिबंधित नहीं करता है, जहाँ गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन का कोई सबूत न हो।
- **धर्मांतरण की अनिवार्यता:** अधिनियम को लागू करने के लिए जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या मिथ्या वर्णन के माध्यम से किए गए धर्मांतरण का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए, केवल अंतरधार्मिक व्यक्तिगत संबंध इस दायरे में नहीं आते।
- **मौलिक अधिकारों का संरक्षण:** निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि साथी चुनने का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को केवल धर्म के आधार पर कम नहीं किया जा सकता।
- **कानून के समक्ष समानता:** अदालत ने टिप्पणी की कि यदि एक ही धर्म के वयस्क बिना किसी कानूनी कार्रवाई के साथ रह सकते हैं, तो अंतरधार्मिक वयस्कों को भी अनुच्छेद 14 और 15 के तहत वही अधिकार मिलना चाहिए।
- **पुलिस सुरक्षा:** पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे खतरा महसूस करने वाले जोड़ों के सुरक्षा आवेदनों पर विचार करें और कानून के अनुसार उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य करें।

निर्णय का महत्व:

- **कानूनी दायरे का स्पष्टीकरण:** यह फैसला गैर-कानूनी धार्मिक रूपांतरणों को नियंत्रित करने वाले कानून और व्यक्तिगत संबंधों में वयस्क व्यक्तियों की संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करता है।
- **मौलिक स्वतंत्रता की पुष्टि:** यह मुख्य संवैधानिक सुरक्षाओं, विशेष रूप से व्यक्तिगत मामलों में स्वायत्तता, गरिमा, समानता और पसंद की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है।
- **सामाजिक और कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा:** आदेश पुष्टि करता है कि अंतरधार्मिक संबंधों में सहमति से किए गए चुनाव को धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के माध्यम से अपराधी नहीं बनाया जा सकता और अनुचित रूप से बाधित नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के बारे में:

- उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 एक राज्य कानून है जिसे बल, धोखाधड़ी, जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य अवैध साधनों के माध्यम से प्राप्त धार्मिक रूपांतरणों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित होने और राज्यपाल की सहमति के बाद प्रभावी हुआ।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- **अवैध धर्मांतरण पर रोक:** यह अधिनियम बल, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने या ऐसा करने का प्रयास करने को अपराध घोषित करता है।
- **पूर्व सूचना और जांच:** अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति तथा संबंधित धार्मिक पदाधिकारी (जैसे पंडित, मौलवी आदि) को जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धर्मांतरण की वास्तविकता एवं वैधता की जांच की जाती है।
- **दंड:** अवैध धर्मांतरण इस अधिनियम के तहत दंडनीय है। संशोधनों के बाद, इन अपराधों को गैर-जमानती बना दिया गया है। प्रारम्भ में सज़ा 10 वर्ष तक के कारावास की थी लेकिन 2024 के संशोधित प्रावधानों में भारी दंड का प्रावधान है, जिसमें धमकी, बल या शादी के लिए धर्मांतरण के मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है।
- **सामूहिक धर्मांतरण:** यह अधिनियम सामूहिक धर्मांतरण को भी अपराध घोषित करता है और ऐसे मामलों में कड़े दंड का प्रावधान करता है।

केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की मंजूरी दी

संदर्भ:

हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिणी राज्य केरल का नाम बदलकर "केरलम" करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य के आधिकारिक नाम में परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह निर्णय जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव के आधार पर लिया गया, जिसमें राज्य

का नाम "केरलम" करने का अनुरोध किया गया था।

प्रस्ताव के बारे में:

- केंद्र सरकार ने "केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026" को मंजूरी दी है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश मिलने के बाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत इसे केरल विधानसभा को उसके विचार के लिए भेजा जाएगा। राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद ही विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया:

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का प्रावधान:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य का नाम कानून के माध्यम से बदल सकती है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:
  - » **राज्य का प्रस्ताव:** संबंधित राज्य की विधानसभा को नाम परिवर्तन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करना होता है।
  - » **राष्ट्रपति की अनुशंसा:** संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है।
  - » **राज्य विधानसभा की राय:** राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा को उसके विचार के लिए भेजते हैं। हालांकि, विधानसभा की राय बाध्यकारी (अनिवार्य रूप से मानने योग्य) नहीं होती।
  - » **संसद की स्वीकृति:** विधेयक को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
  - » **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक कानून बन जाता है। इसके पश्चात संविधान की प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों में राज्य के नाम को संशोधित किया जाता है।

राज्यों के नाम परिवर्तन का ऐतिहासिक संदर्भ:

- भारत में पहले भी कई राज्यों के नाम उनकी भाषाई, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप बदले जा चुके हैं:
  - » **ओडिशा (पूर्व में उड़ीसा):** वर्ष 2011 में राज्य और उसकी भाषा दोनों के नाम में संशोधन किया गया।
  - » **उत्तराखंड (पूर्व में उत्तरांचल):** वर्ष 2007 में स्थानीय परंपरा और प्रचलन के अनुसार नाम बदला गया।
- ये सभी परिवर्तन संबंधित राज्यों की मांग और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किए गए थे।

नाम परिवर्तन का महत्व:

- **सांस्कृतिक और भाषाई पहचान:** समर्थकों का मानना है कि "केरलम" नाम राज्य की मलयालम भाषाई विरासत के अधिक अनुरूप है और उसके ऐतिहासिक नाम को सही रूप में दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव निकट हैं, इसलिए इसे राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- **संवैधानिक और प्रशासनिक प्रभाव:** यद्यपि यह परिवर्तन मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है, फिर भी इसके लिए पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। नाम परिवर्तन के बाद सरकारी दस्तावेज़ों, आधिकारिक अभिलेखों, मानचित्रों और संघीय रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

निष्कर्ष:

केरल का नाम बदलकर "केरलम" करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति क्षेत्रीय पहचान और भाषाई विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और संवैधानिक कदम है। हालांकि यह एक प्रारंभिक लेकिन महत्वपूर्ण चरण है, अंतिम निर्णय संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रभावी होगा। यह कदम भारत की संघीय व्यवस्था की उस विशेषता को भी दर्शाता है, जिसमें क्षेत्रीय भावनाओं और स्थानीय आकांक्षाओं को संविधान के दायरे में सम्मान दिया जाता है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भारत–इज़राइल संबंध: तकनीक, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन

संदर्भ:

हाल ही में 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इज़राइल की राजकीय यात्रा पर थे, इस दौरान, दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंधों में शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई। यह कदम भारत–इज़राइल संबंधों को केवल रक्षा-केन्द्रित सहयोग से आगे बढ़ाकर एक व्यापक प्रौद्योगिकी-आधारित गठबंधन की दिशा में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।

यात्रा के मुख्य बिंदु:

- **रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी की पुनः पुष्टि की, जिसमें उन्नत रक्षा सहयोग, संयुक्त विकास और उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं।
- **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर साझेदारी हुई।
- **आर्थिक और व्यापारिक सहयोग**: भारत और इज़राइल ने वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे आर्थिक सहयोग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल भुगतान सहयोग का विस्तार, जिसमें UPI प्रणालियों के परस्पर संयोजन के माध्यम से सीमा-पार वित्तीय एकीकरण को प्रोत्साहन।
- **कृषि और ग्रामीण विकास:** ऐतिहासिक रूप से भारत–इज़राइल संबंधों का प्रमुख स्तंभ रही कृषि साझेदारी का विस्तार किया जाएगा। इसमें उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) का विस्तार और "विलेजेज ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना शामिल है, ताकि इज़राइली कृषि तकनीकों को भारतीय खेतों तक पहुंचाया जा सके।
- **जनसंपर्क और श्रम गतिशीलता:** शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान और शैक्षणिक आदान-प्रदान में सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी। इज़राइल ने 2030 तक 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जिससे रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।
- **क्षेत्रीय पहल एवं बहुपक्षीय सहभागिता:** दोनों नेताओं ने I2U2 (भारत–इज़राइल–यूएई–अमेरिका) तथा भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे ढांचों के अंतर्गत सहयोग पर बल दिया, जिससे संपर्क और आर्थिक एकीकरण को समर्थन मिलेगा।

भारत–इज़राइल संबंधों का विकास:

- भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी, किंतु पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। शीत युद्ध की भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति नैतिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता—इन सभी ने दशकों तक संबंधों को सीमित रखा।
- 1992 के बाद वैश्विक व्यवस्था बदली। सोवियत संघ का विघटन, आर्थिक उदारीकरण और नई सुरक्षा चुनौतियों ने भारत को व्यवहारिक कूटनीति की ओर अग्रसर किया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इज़राइल ने कम समय में आवश्यक रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए। उस संकट-क्षण ने विश्वास की नींव रखी।
- 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इज़राइल यात्रा ने "डी-हाइफनेशन" नीति को औपचारिक रूप दिया अर्थात भारत इज़राइल के साथ अपने संबंधों को फिलिस्तीन प्रश्न से अलग रखकर देखेगा। इससे

भारत को एक संतुलित त्रिकोणीय रणनीति अपनाने का अवसर मिला, जैसे- इज़राइल के साथ तकनीकी एवं रक्षा सहयोग, अरब देशों के साथ ऊर्जा और प्रवासी संबंध, तथा फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक समर्थन।

- वर्तमान में भारत–इज़राइल संबंध एक सीमित रक्षा-आयात संबंध से आगे बढ़कर बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं, जिसमें शामिल हैं:
  - » उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग
  - » रक्षा सह-विकास
  - » व्यापार विस्तार
  - » जल और कृषि नवाचार
  - » I2U2 जैसे लघु-बहुपक्षीय ढांचे
  - » भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

रक्षा और तकनीक-आधारित गठबंधन:

- भारत–इज़राइल संबंधों की रीढ़ रक्षा सहयोग रहा है। फाल्कन AWACS, हेरॉन और सर्चर ड्रोन, स्पाइडर वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण जैसे प्लेटफॉर्म भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता वृद्धि में महत्वपूर्ण रहे हैं। बराक-8 मिसाइल प्रणाली का सह-विकास इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं, बल्कि सह-विकासक की भूमिका में है।
- किन्तु वर्तमान संबंध का महत्व इस तथ्य में है कि संबंध अब केवल रक्षा-केन्द्रित नहीं रहे। "महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारी" के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया है। यह सहयोग वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के युग में भारत को रणनीतिक बढ़त दिला सकता है।
- इज़राइल का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में अग्रणी माना जाता है। दूसरी ओर, भारत के पास विशाल डिजिटल आधार, कुशल मानव संसाधन और विनिर्माण क्षमता है। इन दोनों की पूरकता एक ऐसी तकनीकी साझेदारी को जन्म दे सकती है, जो केवल द्विपक्षीय लाभ तक सीमित न रहकर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भी प्रभाव डाले।

आर्थिक आयाम:

- द्विपक्षीय व्यापार 1992 के लगभग 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 3.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। फिर भी यह संभावनाओं की तुलना में सीमित है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) इस संभावनाशीलता को वास्तविकता में बदल सकता है।
- हीरा व्यापार और रसायनों से आगे बढ़कर कृषि-प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, रक्षा सह-उत्पादन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाई दे सकता है। यूपीआई प्रणालियों के संभावित संयोजन से सीमा-पार भुगतान तंत्र में सहजता आएगी, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है।

कृषि और जल संबंधित सहयोग:

- भारत–इज़राइल सहयोग का एक अत्यंत व्यावहारिक आयाम कृषि और जल प्रबंधन है। भारत में स्थापित 43 उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) इज़राइली सटीक कृषि, ड्रिप सिंचाई और संरक्षित खेती तकनीकों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू कर रहे

हैं।

- जलवायु परिवर्तन और जल संकट की चुनौती के बीच, विलवणीकरण, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और समेकित जल प्रबंधन में सहयोग भारत के पश्चिमी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के लिए जीवनरेखा सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार यह साझेदारी केवल सामरिक या आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम भी समेटे हुए है।

क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- भारत–इज़राइल संबंधों का उन्नयन पश्चिम एशिया की व्यापक भू-राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। I2U2 (भारत–इज़राइल–यूएई–अमेरिका) और भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे मंच इस बात का संकेत हैं कि भारत बहुपक्षीय, लघु-बहुपक्षीय और संपर्क-आधारित कूटनीति के माध्यम से अपने भू-आर्थिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है।
- IMEC जैसी परियोजनाएँ भारत को यूरोप से जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती हैं, जिससे समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ:

- मजबूत प्रगति के बावजूद, कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - » **ईरान दुविधा:** इज़राइल ईरान को अस्तित्वगत खतरा मानता है। भारत के लिए ईरान ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाना जटिल है।
  - » **फिलिस्तीनी प्रश्न:** भारत आधिकारिक रूप से दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। मध्य पूर्व में तनाव के दौरान डी-हाइफनेशन नीति को बनाए रखना कठिन हो सकता है।
  - » **चीन कारक:** चीन एशिया में इज़राइल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इज़राइली अवसंरचना और तकनीकी क्षेत्रों में चीनी निवेश भारत के लिए रणनीतिक संवेदनशीलता उत्पन्न करता है।
  - » **बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएँ:** इज़राइली कंपनियाँ भारत की अपेक्षाकृत उदार IPR व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। सोर्स कोड और गहन तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण में हिचकिचाहट रक्षा स्वदेशीकरण को धीमा कर सकती है।
  - » **महापरियोजनाओं पर जोखिम:** IMEC जैसे संपर्क परियोजनाएँ हाइफ़ा बंदरगाह जैसे अवसंरचना पर निर्भर हैं। क्षेत्रीय संघर्ष इनकी सुरक्षा और व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह:

विशेष रणनीतिक साझेदारी को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक होंगे। पहला, रक्षा सह-उत्पादन और संयुक्त बौद्धिक संपदा स्वामित्व की दिशा में आगे बढ़ना। इससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। दूसरा, I2U2 और IMEC जैसे मंचों को संस्थागत रूप देना, ताकि संपर्क और ऊर्जा परियोजनाएँ स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकें। तीसरा, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, जैसे- AI, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और जल प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना। चौथा, शैक्षणिक और ट्रैक-2 कूटनीति को मजबूत करना, ताकि जन-से-जन संपर्क और दीर्घकालिक विश्वास को बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत–इज़राइल संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलना 21वीं सदी की उस कूटनीति का प्रतीक है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह साझेदारी भारत को पश्चिम एशिया में संतुलित, स्वायत्त और प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर देती है। यदि दोनों देश चुनौतियों को संतुलन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टि से संभालते हैं, तो यह संबंध केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तकनीकी और आर्थिक संरचना में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुक्त व्यापार समझौते को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस' पर हस्ताक्षर

संदर्भ:

आर्थिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए,भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ToR असल में मुख्य समझौते से पहले की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जो भविष्य में होने वाली वार्ताओं के दायरे, मुख्य उद्देश्यों और चर्चा के तौर-तरीकों को आधिकारिक रूप से परिभाषित करती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे जीसीसी देश सामूहिक रूप से भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक लेनदेन अब यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार की मात्रा को भी पार कर गया है।

प्रमुख द्विपक्षीय लाभ:

- **व्यापार एवं निवेश में सुगमता:** इस संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के माध्यम से सीमा शुल्क (टैरिफ) और अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त किए जाने की योजना है। इससे न केवल वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान सरल होगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक प्रवाह को भी एक नई गति मिलेगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण:** जीसीसी (GCC) देशों के पास उपलब्ध ऊर्जा के विशाल भंडार भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह साझेदारी भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लक्ष्यों को सशक्त बनाएगी।
- **रोजगार के नए अवसर:** व्यापार, सेवाओं और निवेश में होने वाली वृद्धि का सीधा लाभ भारतीय कार्यबल को मिलेगा। यह लाभ न केवल खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासी भारतीयों के लिए होगा, बल्कि भारत के भीतर भी रोजगार के नए और बेहतर अवसर सृजित करेगा।
- **निवेश प्रवाह में वृद्धि:** FTA के लागू होने से जीसीसी देशों से आने वाले निवेश के दायरे में विस्तार होने की प्रबल संभावना है। यह निवेश मुख्य रूप से भारत के बुनियादी ढांचे (Infrastructure), औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करेगा, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की अवधारणा:

- मुक्त व्यापार समझौते (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाली ऐसी संधियाँ हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क (टैरिफ) और व्यापारिक कोटा जैसी बाधाओं को कम करना या पूरी तरह समाप्त करना है।
- इससे 'तरजीही व्यापार क्षेत्र' (Preferential Trade Areas) विकसित होते हैं। वर्तमान समय के आधुनिक FTA केवल वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और डिजिटल व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। जहाँ एक ओर FTA बाजार तक पहुँच को आसान बनाकर उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये रोजगार विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसी चुनौतियाँ भी पेश कर सकते हैं।

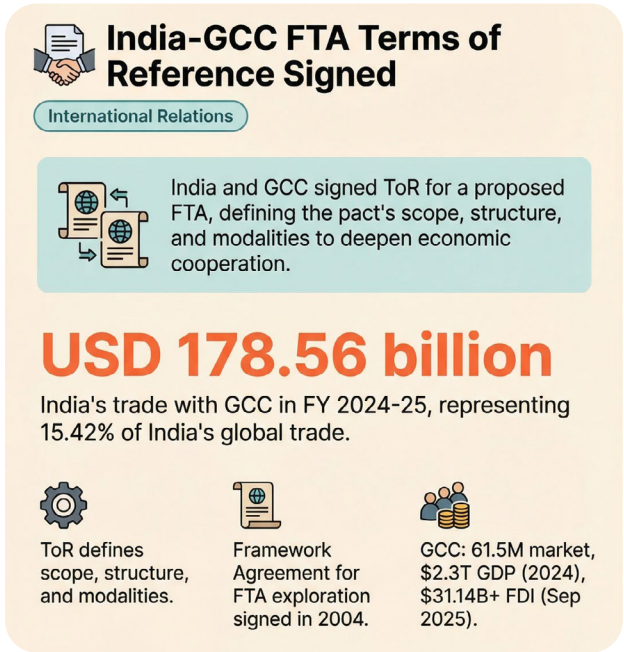

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)-

- **सदस्य राष्ट्र:** बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
- **स्थापना:** 25 मई 1981, रियाद (सऊदी अरब)।
- **प्रमुख उद्देश्य:** सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा समन्वय स्थापित करना; व्यापार एवं सीमा शुल्क का एकीकरण

करना तथा तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देना।

- **महत्व:** जीसीसी (GCC) दुनिया का एक अत्यंत प्रभावशाली आर्थिक ब्लॉक है, जिसके पास प्रचुर मात्रा में तेल और गैस के भंडार हैं। भारत के लिए इसका महत्व वहाँ रहने वाली विशाल प्रवासी भारतीय आबादी के कारण और भी बढ़ जाता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** यह परिषद मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने, आर्थिक विकास को गति देने और वैश्विक निवेश के प्रवाह को सुगम बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष:

'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) पर हस्ताक्षर करना मध्य पूर्व के साथ अपने आर्थिक संबंधों को नई गहराई देने की भारत की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। यदि भविष्य में यह वार्ता सफल रहती है, तो भारत-जीसीसी FTA एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में उभरेगा। यह न केवल व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा, बल्कि इस भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा।

न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty)

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता, न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START), 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। रूस ने इसकी अवधि एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अमेरिका की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संभावित समाप्ति ने वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियार नियंत्रण के भविष्य और नए हथियारों की दौड़ के जोखिम को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

न्यू स्टार्ट संधि के बारे में:

- यह संधि 2010 में प्राग में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी और 5 फरवरी 2011 को लागू हुई। वर्ष 2021 में इसे पाँच वर्षों के लिए और बढ़ाया गया था।
- **उद्देश्य:** यह संधि दोनों देशों को 1,550 तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड्स और 700 तैनात प्रक्षेपण प्रणालियों तक सीमित करती है। इनमें अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM), पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBM) और भारी बमवर्षक शामिल हैं। साथ ही, तैनात और गैर-तैनात प्रक्षेपकों की कुल संख्या पर भी सीमा निर्धारित की गई है।
- **सत्यापन तंत्र:** न्यू स्टार्ट में आपसी निरीक्षण, सूचनाओं का आदान-प्रदान और नियमित डेटा साझा करने की व्यवस्थाएँ शामिल थीं, जिनका उद्देश्य अविश्वास को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना था।
- **भागीदारी का निलंबन:** फरवरी 2023 में रूस ने संधि के कुछ प्रावधानों, विशेषकर स्थल पर होने वाले निरीक्षण को निलंबित कर दिया, हालांकि रूस संख्यात्मक सीमाओं का पालन करता रहा। इसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने भी अनुपालन से जुड़ी कुछ सूचनाओं के आदान-प्रदान को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया।

महत्व और लाभ:

- **रणनीतिक स्थिरता:** न्यू स्टार्ट ने अमेरिका–रूस रणनीतिक संबंधों में पूर्वानुमेयता बनाए रखी और अनियंत्रित परमाणु प्रतिस्पर्धा के

जोखिम को कम किया।

- **पारदर्शिता:** नियमित डेटा साझा करने और निरीक्षण से आकस्मिक टकराव और गलत व्याख्या की संभावना घटती रही।
- **हथियार कटौती की विरासत:** इस संधि ने वैश्विक परमाणु वारहेड्स की संख्या को शीत युद्ध काल के हजारों से घटाकर लगभग 12,000 तक लाने में योगदान दिया।
- **विश्वास-निर्माण:** स्पष्ट सीमाओं ने रूस–यूक्रेन संघर्ष सहित बढ़े हुए तनाव के बावजूद कुछ हद तक विश्वास बनाए रखने में मदद की।

चुनौतियाँ और वर्तमान मुद्दे:

- **विस्तार का अभाव:** संधि के विस्तार या इसके स्थान पर किसी नई संधि पर सहमति न बनने से बाध्यकारी परमाणु सीमाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
- **सत्यापन का क्षरण:** निरीक्षणों के निलंबन से निगरानी तंत्र और आपसी विश्वास कमजोर पड़ा है।
- **भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य:** अन्य परमाणु-सशस्त्र देशों, विशेषकर चीन, को हथियार नियंत्रण ढाँचे में शामिल करने के प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं।

समाप्ति के निहितार्थ:

- **संभावित हथियारों की दौड़:** कानूनी प्रतिबंधों के बिना अमेरिका और रूस अपने परमाणु भंडार बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का खतरा बढ़ेगा।
- **पारदर्शिता में कमी:** सत्यापन उपायों के कमजोर होने से गलत आकलन और रणनीतिक गलतफहमी की आशंका बढ़ सकती है।
- **वैश्विक परमाणु शासन पर संकट:** न्यू स्टार्ट की समाप्ति व्यापक वैश्विक हथियार नियंत्रण ढाँचे और परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के आधारभूत मानकों को कमजोर कर सकती है।
- **बहुपक्षीय प्रभाव:** अन्य परमाणु-सशस्त्र देश भी अपने शस्त्रागार के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं, जिससे भविष्य के निरस्त्रीकरण प्रयास और जटिल हो जाएंगे।

निष्कर्ष:

न्यू स्टार्ट संधि का संभावित समाप्त होना वैश्विक सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ है। इसकी अनुपस्थिति रणनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है और मौजूदा हथियार नियंत्रण व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। अतः संधि का विस्तार, इसके स्थान पर नई संधि पर बातचीत, या अधिक समावेशी बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण तंत्रों को आगे बढ़ाना, तनाव को रोकने और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

राफा सीमा और गाज़ा शांति योजना

संदर्भ:

हाल ही में, अमेरिका की मध्यस्थता से अक्टूबर 2025 में लागू हुए युद्धविराम ढांचे के अंतर्गत इज़राइल ने गाज़ा पट्टी और मिस्र के बीच स्थित राफा सीमा चौकी को सीमित स्तर पर पैदल आवागमन के लिए पुनः खोल दिया है। मई 2024 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इज़राइल द्वारा इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद यह पहली बार है जब राफा के माध्यम से किसी प्रकार की आवाजाही संभव हुई है। यद्यपि कड़े प्रतिबंधों के साथ यह मार्ग पुनः खोला गया है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण मानवीय पहल मानी जा रही है, विशेषकर चिकित्सा उपचार के लिए जाने वाले मरीजों और वापस घर लौटने वाले नागरिकों के लिए।

भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि:

- गाज़ा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक संकरी फ़िलिस्तीनी भूमि है, जिसकी सीमा उत्तर और पूर्व में इज़राइल तथा दक्षिण-पश्चिम में मिस्र से मिलती है। यह क्षेत्र लंबे समय से इज़राइल–फ़िलिस्तीन संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां भूमि, पहचान और शासन को लेकर लगातार टकराव होते रहे हैं।
- 1967 से गाज़ा में इज़राइली सैन्य नियंत्रण और नाकेबंदी के कई चरण हुए हैं। वर्ष 2007 से यह क्षेत्र हमास के शासन में है, जिसे इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आतंकवादी संगठन मानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इज़राइल पर किए गए बड़े हमले के बाद संघर्ष ने अत्यंत गंभीर रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप गाज़ा में लंबे समय तक इज़राइली सैन्य अभियान चलाया गया।

राफा की रणनीतिक महत्ता:

- राफा सीमा चौकी गाज़ा का एकमात्र ऐसा प्रवेश और निकास मार्ग है जो सीधे इज़राइल से होकर नहीं गुजरता। इसका सीमित रूप से पुनः खुलना लोगों की आवाजाही के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।
- साथ ही, यह प्रतीकात्मक रूप से भी उस क्षेत्र के लिए राहत का संकेत है, जो लंबे समय से संघर्ष, नाकेबंदी और सीमा बंद होने के कारण लगभग पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया था।

ट्रंप की गाज़ा शांति योजना के बारे में:

- सितंबर 2025 में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 बिंदुओं वाली गाज़ा शांति योजना प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य इज़राइल–हमास संघर्ष को समाप्त करना तथा मानवीय सहायता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करना है। इस योजना में तत्काल युद्धविराम, 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों की रिहाई और स्थिति में सुधार की शर्त पर इज़राइली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी का प्रस्ताव शामिल थी।

- योजना के अनुसार, गाज़ा को निरस्त्र कर पुनर्विकसित किया जाएगा, ताकि वहां से किसी भी प्रकार का आतंकी खतरा समाप्त हो सके। प्रारंभिक चरण में शासन एक अंतरराष्ट्रीय "शांति बोर्ड" के अधीन गठित तकनीकी विशेषज्ञों की अस्थायी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।
- इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे प्रमुख वैश्विक नेता भी शामिल होंगे। इज़राइल ने इस क्षेत्र के विलय से इंकार किया, जबकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया गया, जिसने स्थानीय पुलिस बल को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया। मानवीय सहायता तथा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण इस योजना के मुख्य स्तंभ हैं।

निष्कर्ष:

राफा सीमा को सीमित रूप से पुनः खोलना गाज़ा संकट के बीच मानवीय पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। ट्रंप की शांति पहल युद्धविराम, सुरक्षा व्यवस्था, शासन संरचना में परिवर्तन और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को आपस में जोड़ने वाला एक व्यापक, लेकिन जटिल प्रस्ताव है। इसकी सफलता इज़राइल, हमास और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच नाजुक राजनीतिक संतुलन पर निर्भर करेगी, जो अंततः इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की संभावनाओं को निर्धारित करेगा।

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता

संदर्भ:

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक प्रमुख व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) लगभग 50% से घटाकर 18% कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था के हिस्से के रूप में भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने और अमेरिकी आयात पर व्यापार बाधाओं को कम करने पर सहमति जताई है, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में नए सिरे से संतुलन (रीसेट) का संकेत देता है।

पृष्ठभूमि:

- अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क लगाते हुए टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया था। इसमें 25% प्रतिकारात्मक (रिसिप्रोकल) शुल्क और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद से जुड़े अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क शामिल थे। इन ऊंचे शुल्कों से वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन और कृषि उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों के लिए अनिश्चितता बढ़ गई थी।
- नए समझौते के तहत दंडात्मक शुल्क वापस ले लिया गया है और केवल संशोधित प्रतिकारात्मक शुल्क लागू रहेगा, जिसे 18% निर्धारित किया गया है।

भारत–अमेरिका व्यापार का संक्षिप्त अवलोकन:

- **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार:** अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। वित्त वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार:** भारत ने अच्छा व्यापार सरप्लस दर्ज किया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट और 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट शामिल है।
- **क्षेत्रीय संरचना:** भारत के प्रमुख निर्यातों में औषधियां, दूरसंचार उपकरण, बहुमूल्य रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद और रेडीमेड वस्त्र शामिल

हैं।

लाभान्वित होने वाले प्रमुख निर्यात क्षेत्र:

- टैरिफ में कमी से अमेरिकी बाजार में कई भारतीय क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है:
  - **वस्त्र एवं परिधान:** पहले ऊंचे शुल्कों से प्रभावित यह क्षेत्र अब मांग में पुनरुत्थान के लिए तैयार है।
  - **रत्न एवं आभूषण:** कम शुल्क से बेहतर मूल्यांकन और निर्यात वृद्धि संभव।
  - **सौर विनिर्माण:** "मेक इन इंडिया" सोलर सेल और मॉड्यूल को लागत लाभ मिलेगा।
  - **इंजीनियरिंग वस्तुएं:** पंप, कंप्रेसर और ऑटो कंपोनेंट जैसे उत्पाद अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

समझौते का आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव:

- **बाजार प्रतिक्रिया:** घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजारों और रुपये में तेजी देखी गई, जो निवेशकों के बढ़े भरोसे को दर्शाती है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:** कम टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी।
- **व्यापक सहयोग:** व्यापक वाणिज्यिक ढांचे के तहत भारत ने ऊर्जा, रक्षा उपकरण और विमान सहित अमेरिकी आयात बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

चुनौतियां:

- सकारात्मक घोषणा के बावजूद, विस्तृत कानूनी पाठ और क्षेत्रवार टैरिफ अनुसूचियों के अभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। साथ ही, टैरिफ कटौती और अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच से जुड़े भारत के दायित्वों पर भी स्पष्टता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुओं, विशेषकर इस्पात और एल्युमिनियम पर शुल्क औसत 18% से अधिक बने रह सकते हैं।

निष्कर्ष:

टैरिफ को 18% तक घटाने वाला भारत–अमेरिका व्यापार समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह हालिया व्यापार तनावों को कम करता है और भारत की निर्यात संभावनाओं को मजबूत बनाता है। हालांकि विस्तृत क्रियान्वयन समय-सीमा और क्षेत्र-विशेष अनुसूचियों की प्रतीक्षा है, फिर भी यह समझौता व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों में गहराते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है और भारत के लिए अमेरिका की भूमिका को एक प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में सुदृढ़ करता है।

भारत और अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने लगभग दस वर्षों के अंतराल के बाद नई दिल्ली में दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने की। इसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री तथा लीग के महासचिव ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करना था।

अरब लीग (अरब राष्ट्रों का संघ) के बारे में:

- अरब लीग (जिसे औपचारिक रूप से अरब राष्ट्रों का संघ कहा जाता है) मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के 22 देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक

और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है।

- लीग परिषद में प्रत्येक सदस्य देश को एक मत प्राप्त होता है और लिए गए निर्णय केवल उन्हीं देशों पर बाध्यकारी होते हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में स्थित है।
- इसके सदस्य देशों में मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन जैसे संस्थापक देश शामिल हैं, जबकि अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, मोरक्को, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ट्यूनीशिया जैसे अन्य देश बाद में सदस्य बने। भारत को अरब लीग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

भारत–अरब लीग सहयोग के बारे में:

- भारत और अरब लीग के बीच औपचारिक सहयोग की शुरुआत मार्च 2002 में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से हुई, जिससे राजनीतिक संवाद को संस्थागत आधार मिला। दिसंबर 2008 में अरब–भारत सहयोग मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस मंच की पहली बैठक जनवरी 2016 में बहरीन में आयोजित की गई।
- वर्ष 2010 में मिस्र में भारत के राजदूत को अरब लीग में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक संपर्क और मजबूत हुआ।
- भारत और अरब देशों के बीच आर्थिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 240 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जिसमें ऊर्जा आयात की प्रमुख भूमिका है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
- भारत–अरब साझेदारी और निवेश शिखर सम्मेलन तथा भारत–अरब वाणिज्य, उद्योग और कृषि मंडल (2026) जैसी पहलें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।

दूसरी बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **नई दिल्ली घोषणा और रणनीतिक सहयोग:** भारत और अरब देशों ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसके साथ ही 2026 से 2028 की अवधि के लिए एक कार्यकारी कार्यक्रम भी तय किया गया, जो भविष्य की साझेदारी का मार्गदर्शन करेगा।
- **आतंकवाद के खिलाफ सहयोग:** दोनों पक्षों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया, सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद तथा अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** बैठक के दौरान गाजा, सूडान, यमन, लेबनान और लीबिया में जारी संकटों पर चर्चा की गई तथा शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत ने मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति के लिए अपने समर्थन को पुनः स्पष्ट किया।
- **आर्थिक और तकनीकी सहयोग:** बैठक में व्यापार, ऊर्जा, संपर्क, डिजिटल तकनीक, नवाचार और लोगों के आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, जैसा कि अरब–भारत सहयोग मंच के कार्यकारी कार्यक्रम में निर्धारित है।
- **संस्थागत गति:** इस बैठक ने नियमित और संरचित उच्च-स्तरीय संवाद को गति प्रदान की। इसके अंतर्गत भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें, साझेदारी सम्मेलन तथा सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहलें आयोजित करने पर सहमति बनी।

निष्कर्ष:

दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती कूटनीतिक उपस्थिति को दर्शाती है और अरब देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करती है। यह बैठक ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद-रोधी सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान करती है तथा भारत की विदेश नीति को बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ाती है।

स्पेन में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की योजना

संदर्भ:

हाल ही में स्पेन ने बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए नियमों को और अधिक सख़्त करने की वैश्विक पहल में शामिल होने का निर्णय लिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने 3 फ़रवरी 2026 को दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान घोषणा की कि उनकी सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना तथा युवाओं के लिए एक अधिक सुरक्षित और संतुलित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना है।

कारण:

- **ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा:** स्पेन सरकार के अनुसार, बच्चों को इंटरनेट पर कई गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:
  - » अश्लील और यौन शोषण से संबंधित सामग्री, जिसमें हानिकारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित सामग्री भी शामिल है।
  - » घृणास्पद भाषण, भ्रामक सूचनाओं और हिंसक सामग्री के संपर्क में आना।
  - » मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव।
  - » प्रधानमंत्री सांचेज़ ने सोशल मीडिया को एक "डिजिटल वाइल्ड वेस्ट" की संज्ञा दी है, जहां बच्चे पर्याप्त सुरक्षा के बिना जटिल डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं।

स्पेन के प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान:

- **आयु प्रतिबंध:**
  - » 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर खाता बनाने या उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
  - » सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को प्रभावी और मज़बूत आयु-सत्यापन प्रणालियां लागू करनी होंगी, जो केवल साधारण टिक-बॉक्स तक सीमित न हों।
  - » यह प्रतिबंध संसद में विचाराधीन मौजूदा डिजिटल सुरक्षा क़ानूनों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- **व्यापक डिजिटल सुरक्षा सुधार:**
  - » अवैध सामग्री को हटाने में विफल रहने की स्थिति में सोशल मीडिया कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की कानूनी जवाबदेही तय की जाएगी।
  - » हानिकारक या अवैध सामग्री को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिदम को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
  - » घृणास्पद भाषण और ऑनलाइन ध्रुवीकरण पर निगरानी रखने के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ:

- **ऑस्ट्रेलिया:** दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना। यह व्यवस्था ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन अधिनियम के तहत लागू की गई, जिसमें नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर दंड का प्रावधान है।
- **फ़्रांस:** फ़्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला क़ानून पारित किया है, जो वर्ष 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग को सीमित करने के प्रयास भी किए गए हैं।
- डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों सहित कई यूरोपीय देश भी ऐसे ही कदमों पर विचार कर रहे हैं।

चुनौतियां और व्यावहारिक पहलू:

- **आयु सत्यापन और अनुपालन:** प्रभावी आयु-सत्यापन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है और इससे निजता से जुड़े प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं।

- **क़ानूनी बाधाएं:** स्पेन सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन आवश्यक होगा।
- **अधिकारों का संतुलन:** आलोचकों का मानना है कि इस प्रकार के प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं और डिजिटल साक्षरता जैसे वैकल्पिक उपायों से ध्यान भटका सकते हैं।

निष्कर्ष:

स्पेन द्वारा प्रस्तावित यह प्रतिबंध बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया और फ़्रांस के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्पेन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की नाबालिगों के प्रति ज़िम्मेदारी को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही यह पहल बाल सुरक्षा, डिजिटल स्वतंत्रता और सरकारी विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। इस प्रस्ताव के बच्चों, तकनीकी कंपनियों और संपूर्ण समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

चाबहार बंदरगाह को फंडिंग

संदर्भ:

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने संसद को जानकारी दी कि भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए प्रतिबद्ध 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। अंतिम किश्त 26 अगस्त 2025 को स्थानांतरित की गई। यह कदम बाहरी प्रतिबंधों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करने के भारत की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

चाबहार बंदरगाह परियोजना के बारे में:

- चाबहार एक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो ईरान के दक्षिण-पूर्व में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक प्रत्यक्ष समुद्री पहुँच प्रदान करता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और रणनीतिक पहुँच सुदृढ़ होती है।

दीर्घकालिक अनुबंध:

- 13 मई 2024 को भारत और ईरान के बीच 10 वर्षों का समझौता हुआ, जिसके तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के उपकरण लगाने और संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने बंदरगाह उपकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की।

परियोजना का रणनीतिक महत्व:

- **संपर्क और व्यापार:** चाबहार, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का प्रमुख आधार है, जो स्थल-रुद्ध (लैंडलॉक्ड) क्षेत्रों तक पहुँच बेहतर बनाता है और व्यापार मार्गों को सुगम करता है।
- **ग्वादर का विकल्प:** यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह (जो चीनी सहयोग से विकसित है) के मुकाबले एक रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है, जिससे क्षेत्रीय प्रभाव में संतुलन बनता है।
- **आर्थिक और मानवीय सहभागिता:** इस बंदरगाह के माध्यम से पूर्व में अफ़ग़ानिस्तान को गेहूँ और दालों जैसी मानवीय सहायता भेजी जा चुकी है, जो इसकी परिचालन प्रासंगिकता को दर्शाती है।

चुनौतियाँ और भू-राजनीतिक निहितार्थ:

- **अमेरिकी प्रतिबंध:** प्रतिबंध भारतीय कंपनियों और दीर्घकालिक संचालन के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं।
- **बजटीय परिवर्तन:** केंद्रीय बजट 2026–27 में आवंटन का अभाव या तो वित्तपोषण की पूर्णता या सतर्क पुनर्संतुलन का संकेत देता है।
- **कूटनीतिक संतुलन:** भारत को ईरान और अमेरिका, दोनों के साथ संबंधों का सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखते हुए अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी होगी।

आगे की राह:

भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह ईरान सहित सभी प्रमुख हितधारकों के साथ निरंतर और सक्रिय कूटनीतिक सहभागिता बनाए रखे, ताकि परियोजना से जुड़ी राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। चाबहार बंदरगाह की दीर्घकालिक परिचालन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, वित्तीय नवाचार और जोखिम-न्यूनन तंत्रों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, चाबहार बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) से जोड़ना क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा और यूरेशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला तथा रणनीतिक पहुँच को नई गति प्रदान करेगा।

निष्कर्ष:

चाबहार बंदरगाह के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता को पूरा करना, जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक अवसंरचना कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है। प्रतिबंधों और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, यह बंदरगाह पश्चिम और मध्य एशिया में भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रणनीतिक स्वायत्तता और विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है।

अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौता

संदर्भ:

हाल ही में हस्ताक्षरित अमेरिका-बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौते ने भारतीय वस्त्र और परिधान निर्यातकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। यह समझौता बांग्लादेशी वस्त्र और परिधान निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में शून्य पारस्परिक शुल्क (Zero Tariff) पहुँच प्रदान करता है, बशर्ते कि इसमें अमेरिकी मूल के कच्चे माल (जैसे कपास और मानव निर्मित फाइबर - MMF) का उपयोग किया गया हो।

भारत पर प्रभाव:

- **सूत (Yarn) पर निर्भरता:** वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने बांग्लादेश को 1.47 बिलियन डॉलर मूल्य के सूती धागे (570 मिलियन किलोग्राम) का निर्यात किया, जिससे बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा धागा निर्यात गंतव्य बन गया।
- **अमेरिकी बाजार का जोखिम:** बांग्लादेश के परिधान निर्यात का लगभग 20% और भारत के सूती परिधान निर्यात का 26% अमेरिका जाता है।
- **बाजार विस्थापन:** यदि बांग्लादेश शून्य-शुल्क पहुंच का लाभ उठाने के लिए अमेरिकी कपास की खरीद बढ़ाता है, तो भारतीय धागे और कपास की मांग गिर सकती है। भारतीय उद्योग जगत ने ट्रेसेबिलिटी (नजर रखने की प्रणाली) तंत्र पर भी चिंता जताई है, जिससे मूल देश के दावों के दुरुपयोग का डर है।

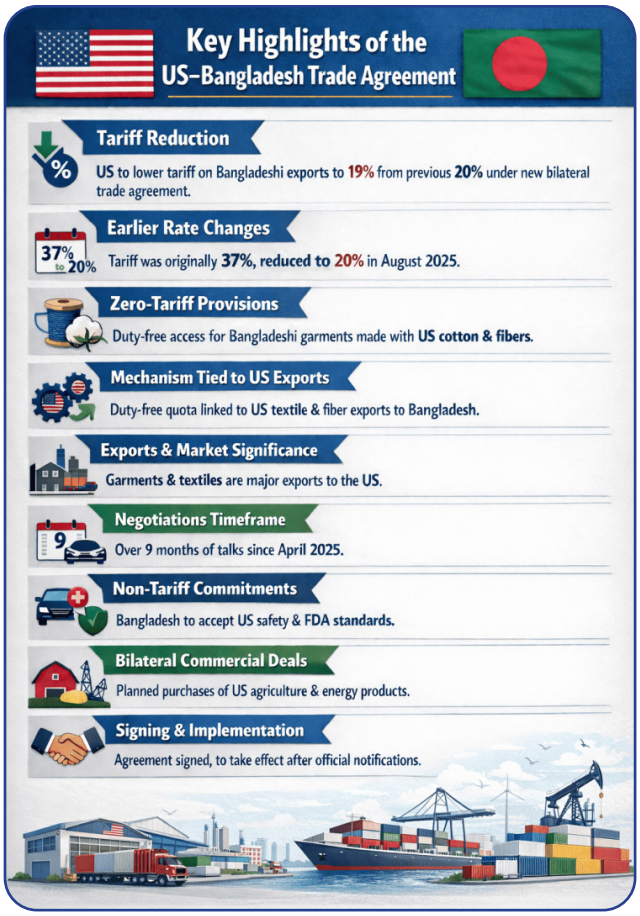

प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव:

- बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर परिधान, विशेष रूप से टी-शर्ट और महिलाओं के पहनावे जैसे सूती वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक है। वरीयता शुल्क से निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:
  - » 100% सूती कपड़ों में भारत की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता कम होना।
  - » आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) का अमेरिकी कपास की ओर स्थानांतरित होना।
  - » भारत की कीमत पर बांग्लादेश के परिधान निर्यात में वृद्धि होना।

भारतीय परिधान क्षेत्र की स्थिति:

- **वैश्विक रैंक:** कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक।
- **निर्यात:** वित्त वर्ष 2023-24 में 35.9 बिलियन डॉलर (जिसमें परिधान का हिस्सा 42% है)।
- **प्रमुख बाजार:** अमेरिका (25%), यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और जर्मनी।
- **रोजगार:** 4.5 करोड़ प्रत्यक्ष और 10 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार — कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता।

संरचनात्मक चुनौतियां:

- **विखंडन:** 80% से अधिक एमएसएमई (MSME) बांग्लादेश की मेगा-फैक्ट्रियों की तुलना में पैमाने (Scale) की कमी का सामना कर रहे हैं।
- **सिंथेटिक अंतर:** वैश्विक मांग मानव निर्मित फाइबर (MMF) की ओर बढ़ रही है, जबकि भारत अभी भी कपास पर अधिक निर्भर है।
- **पूंजी की उच्च लागत:** वियतनाम में ~4.5% की तुलना में भारत में यह ~9% है।
- **शुल्क नुकसान:** बांग्लादेश को प्रमुख बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है।

सरकारी पहल:

- **पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क:** एकीकृत कपड़ा बुनियादी ढांचा।
- **PLI योजना (कपड़ा):** MMF और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा।
- **AEPC:** निर्यात सुविधा।
- **समर्थ (Samarth) योजना:** कौशल विकास।

आगे की राह:

भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए बांग्लादेश की तरह ही अमेरिका के साथ पारस्परिक शुल्क प्रावधानों पर बातचीत करनी चाहिए। साथ ही, वैश्विक मांग के अनुरूप मानव निर्मित फाइबर (MMF) और मूल्यवर्धित कपड़ों में विविधता लाने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। भारतीय कपास की ब्रांडिंग और ट्रेसेबिलिटी तंत्र को मजबूत करने से बाजार में विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके अलावा, क्लस्टर एकीकरण के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाना और पूंजी की लागत कम करना वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष:

अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौता भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा की संवेदनशीलता को दर्शाता है। हालांकि तत्काल व्यवधान सीमित हो सकता है, लेकिन वैश्विक परिधान बाजार में भारत की स्थिति सुरक्षित करने के लिए व्यापार कूटनीति, उत्पाद विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में निरंतर रणनीतिक सुधार आवश्यक हैं।

भारत और मलेशिया के मध्य समझौतों पर हस्ताक्षर

संदर्भ:

हाल ही में, भारत और मलेशिया ने रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक विस्तार का प्रतीक हैं।

प्रमुख समझौते:

- इन समझौतों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
  - **रक्षा और सुरक्षा:** समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद विरोधी प्रयास और संयुक्त क्षमता निर्माण।
  - **व्यापार और निवेश:** द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन, स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटाने की व्यवस्था (Local Currency Settlement) और इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य सेवा में मलेशियाई निवेश की सुविधा।
  - **तकनीक और सेमीकंडक्टर:** उन्नत विनिर्माण के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक-दूसरे को एकीकृत करने हेतु सहयोग।
  - **बहुपक्षीय सहयोग:** आसियान, संयुक्त राष्ट्र, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर संयुक्त पहल।
- इन समझौतों ने आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहिष्णुता) के दृष्टिकोण को पुख्ता किया है, जिसमें दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथ की निंदा की है।

भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों के बारे में:

- **ऐतिहासिक जुड़ाव:** भारत और मलेशिया के बीच 2,000 से अधिक वर्षों का ऐतिहासिक संबंध है, जो व्यापार, धर्म, भाषा और

सांस्कृतिक आदान-प्रदान से आकार लेता रहा है। संस्कृत और हिंदू-बौद्ध परंपराओं ने मलेशिया के ऐतिहासिक विकास को प्रभावित किया। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए और निरंतर राजनीतिक जुड़ाव के माध्यम से इन्हें बनाए रखा गया है।

- **राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव:** वर्ष 2024 में, बढ़ते राजनीतिक विश्वास को दर्शाते हुए इस रिश्ते को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत किया गया। उच्च स्तरीय यात्राओं, विदेश मंत्रालय स्तर के परामर्श और संयुक्त राष्ट्र एवं आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग ने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है। मलेशिया एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** मलेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 19.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और कार्बनिक रसायन शामिल हैं, जबकि आयात में वनस्पति तेल, मशीनरी और विद्युत उपकरण मुख्य हैं। मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) के किनारे मलेशिया की रणनीतिक स्थिति भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और समुद्री कनेक्टिविटी पहल का समर्थन करती है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** हिंद महासागर और भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री पड़ोसी होने के नाते, दोनों देश नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती और आतंकवाद को लेकर समान चिंताएँ साझा करते हैं। संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण की पहल और खुफिया जानकारी साझा करने के क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है।
- **प्रवासी संबंध:** मलेशिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या 20 लाख से अधिक है, जो वहां की राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शैक्षिक आदान-प्रदान, पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाती है।

महत्व:

- ऐतिहासिक संबंधों के साथ मिलकर ये समझौते व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और जन-संपर्क को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय सहयोग को दर्शाते हैं।
- ये समझौते दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करते हैं, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक शासन में सुधार के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं को भी पुख्ता करते हैं।

भारत ने सेशेल्स के लिए आर्थिक पैकेज घोषित किया

संदर्भ:

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी हाल ही में 5 से 10 फ़रवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। अक्टूबर 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। इस अवसर पर भारत ने सेशेल्स गणराज्य के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। इस पैकेज का उद्देश्य सामाजिक आवास, ई-मोबिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना है। यह पहल सेशेल्स के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करती है।

ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध:

- भारत और सेशेल्स के बीच संबंध गहरे, पुराने और बहुआयामी रहे हैं। इन संबंधों की पहचान रणनीतिक समुद्री सहयोग, विकास सहायता और मज़बूत जन संपर्क से होती है। भारत, सेशेल्स को अपने "सागर" (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और "महासागर" दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है,

जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, सतत विकास और समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देना है।

- 1976 में सेशेल्स को स्वतंत्रता मिलने के बाद से दोनों देशों के बीच निरंतर द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध बने हुए हैं। दोनों राष्ट्र अपने संबंधों को मित्रता, विश्वास और सहयोग पर आधारित बताते हैं, जबकि सेशेल्स ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक "विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार" के रूप में स्वीकार किया है।

समुद्री और रक्षा सहयोग:

- सेशेल्स की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इसे भारत के समुद्री सुरक्षा हितों के लिए एक अहम साझेदार बनाती है। भारत ने सेशेल्स को उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गश्ती पोत (जैसे पीएस ज़ोरोएस्टर), डोर्नियर विमान तथा तटीय निगरानी रडार उपलब्ध कराए हैं।
- असम्प्शन द्वीप नौसैनिक परियोजना, यद्यपि सेशेल्स में घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण चर्चा का विषय रही है, फिर भी यह दोनों देशों के बीच संयुक्त समुद्री सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है। 1986 के राजनीतिक संकट के दौरान भारतीय नौसेना की सहायता तथा वर्तमान में जारी समुद्री डकैती-रोधी गश्त इस सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं।

लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक संबंध:

- भारत-सेशेल्स संबंध मज़बूत लोगों के बीच संपर्क से और अधिक सशक्त होते हैं। सेशेल्स की लगभग 11 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है, जबकि लगभग 82 प्रतिशत लोगों में किसी न किसी रूप में भारतीय विरासत पाई जाती है।
- भारत का आईटेक (भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास में योगदान देता है। इसके साथ ही चिकित्सा पर्यटन और सीधी हवाई कनेक्टिविटी सांस्कृतिक तथा आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है। ये सभी पहलें रक्षा, विकास और रणनीतिक सहयोग के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समग्र द्विपक्षीय नीति को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष:

175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह आर्थिक पैकेज भारत-सेशेल्स संबंधों में एक नए और महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत को दर्शाता है। इसमें आर्थिक विकास, रक्षा सहयोग और तकनीकी सहायता का संतुलित समन्वय शामिल है। यह पहल "सागर" दृष्टिकोण और "पड़ोसी प्रथम" नीति सहित भारत की व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती है, जिनका लक्ष्य क्षेत्रीय स्थिरता, सतत विकास और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस पैकेज से सेशेल्स में आजीविका के अवसरों में सुधार, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा जन-जन और संस्थागत संपर्कों को गहराई मिलने की उम्मीद है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की एक भरोसेमंद और स्थायी साझेदार की भूमिका और अधिक मज़बूत होगी।

सावलकोट जलविद्युत परियोजना

संदर्भ:

हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर प्रस्तावित ₹5,129 करोड़ की सावलकोट जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने के भारत के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान का आरोप है कि यह कदम भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं (विशेषकर सिंधु जल संधि) की भावना के विपरीत है। पाकिस्तान ने इसे "जल-निर्जलीकरण नीति" की संज्ञा देते हुए कहा है कि इससे उसके वैध जल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के बारे में:

- सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न एक ऐतिहासिक जल-वितरण समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता से अंतिम रूप दिया गया था। यह संधि सिंधु नदी तंत्र

की छह प्रमुख नदियों के जल के उपयोग और प्रबंधन को नियंत्रित करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **हस्ताक्षरकर्ता एवं तिथि:** 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- **नदियों का विभाजन:**
  - » **पूर्वी नदियाँ (भारत):** "रावी, ब्यास और सतलुज" नदियों का पूर्ण उपयोग भारत को प्राप्त है।
  - » **पश्चिमी नदियाँ (पाकिस्तान):** "सिंधु, झेलम और चिनाब" नदियों पर पाकिस्तान का प्राथमिक अधिकार है, जबकि भारत को सीमित उपयोग की अनुमति है।
- **पश्चिमी नदियों पर भारत के अधिकार:** घरेलू उपयोग, सिंचाई हेतु सीमित उपयोग, गैर-उपभोगात्मक कार्य तथा रन-ऑफ-द-रिवर प्रकार की जलविद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने का अधिकार।
- **स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी):** दोनों देशों के आयुक्तों से मिलकर बनी द्विपक्षीय संस्था, जो सूचना साझा करने, निरीक्षण और वार्षिक बैठकों के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित करती है।
- **विवाद समाधान तंत्र:**
  - » तकनीकी प्रश्नों के लिए स्थायी सिंधु आयोग
  - » मतभेद की स्थिति में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ
  - » औपचारिक विवादों के लिए मध्यस्थता न्यायालय
- सावलकोट परियोजना को 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि के कुछ प्रावधानों को स्थगित करने की घोषणा के पश्चात चिनाब नदी पर स्वीकृत पहली बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है।

पाकिस्तान की प्रमुख आपत्तियाँ:

- **संधि दायित्वों के उल्लंघन का आरोप:** पाकिस्तान का दावा है कि भारत का एकतरफा निर्णय संधि की प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। उसका कहना है कि परियोजना से संबंधित तकनीकी विवरणों पर सिंधु जल आयुक्तों के माध्यम से औपचारिक परामर्श किया जाना चाहिए था।
- **जल सुरक्षा संबंधी चिंता:** पाकिस्तान का तर्क है कि उसकी बड़ी आबादी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी बड़े जलविद्युत ढाँचे से उसके दीर्घकालिक जल प्रवाह और कृषि आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

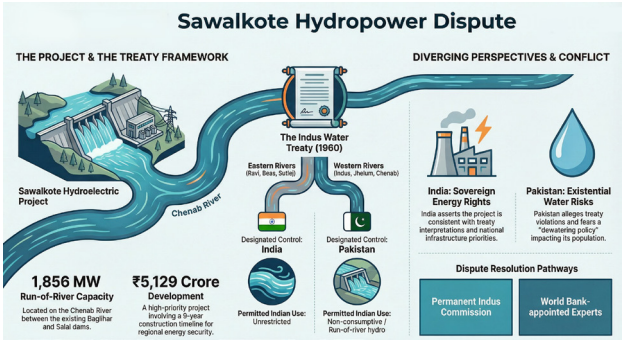

भारत का पक्ष:

- भारत का मत है कि सावलकोट जलविद्युत परियोजना एक वैध और संप्रभु विकास पहल है, जो संधि के प्रावधानों के अनुरूप रन-ऑफ-द-रिवर मॉडल पर आधारित है। भारत यह भी स्पष्ट करता है कि पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएँ स्थापित करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, बशर्ते वे संधि की तकनीकी शर्तों का पालन करें।
- भारत के अनुसार, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढाँचे का विस्तार राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ हैं, और इन पर बाहरी आपत्तियाँ बाध्यकारी नहीं हो सकतीं।

सावलकोट जलविद्युत परियोजना के बारे में:

- **स्थान:** चिनाब नदी पर, उधमपुर और रामबन जिलों के बीच; बगलीहार (ऊपरी धारा) और सलाल (निचली धारा) परियोजनाओं के मध्य
- **कुल स्थापित क्षमता:** 1,856 मेगावाट
  - » **चरण-I:** 1,406 मेगावाट
  - » **चरण-II:** 450 मेगावाट
- **प्रकार:** रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना
- **लागत एवं समयसीमा:** ₹5,129 करोड़; अनुमानित निर्माण अवधि लगभग 9 वर्ष, शीघ्र संचालन हेतु केंद्र सरकार का विशेष प्रयास

निष्कर्ष:

सावलकोट जलविद्युत परियोजना भारत की विकासात्मक आवश्यकताओं और सिंधु जल संधि के दायित्वों के बीच संतुलन की जटिलता को दर्शाती है, जहाँ भारत इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अवसंरचनात्मक प्रगति की दिशा में आवश्यक कदम मानता है, वहीं पाकिस्तान इसे अपनी जल सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील विषय समझता है। यह प्रकरण दक्षिण एशिया में सीमापार जल कूटनीति, संधि अनुपालन और विवाद समाधान की महत्ता को रेखांकित करता है तथा यह दर्शाता है कि अवसंरचना विकास, भू-

राजनीति और अंतरराष्ट्रीय विधि किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं।

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन

संदर्भ:

हाल ही में तारीक रहमान ने 13वें संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की भारी जीत के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। यह घटना ढाका में वर्षों की आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को चिह्नित करती है तथा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में संभावित निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है।

2026 बांग्लादेश आम चुनाव के बारे में:

- 12 फरवरी 2026 को आयोजित आम चुनाव वर्ष 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले जनविद्रोह के बाद हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव थे, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और आवामी लीग के दीर्घकालिक प्रभुत्व का अंत हुआ।
- इन चुनावों के परिणामस्वरूप तारीक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। यह जनादेश घरेलू राजनीतिक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है तथा बांग्लादेश की विदेश नीति में संभावित पुनर्संतुलन का संकेत देता है।

द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि:

- भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध हैं, विशेष रूप से वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के समर्थन से यह संबंध सुदृढ़ हुए। शेख हसीना के कार्यकाल (2009–2024) के दौरान द्विपक्षीय सहयोग निम्न क्षेत्रों में सशक्त हुआ:
  - » आतंकवाद-निरोध एवं सीमा सुरक्षा
  - » संपर्क (सड़क, रेल, जलमार्ग)
  - » व्यापार एवं ऊर्जा सहयोग
- हालाँकि, कुछ अनसुलझे मुद्दे बने रहे, जिनमें तीस्ता नदी जल-वितरण विवाद तथा सीमा प्रबंधन संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में हालिया तनाव:

- वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन तथा उसके पश्चात शेख हसीना के भारत में ठहरने से कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **तनाव के क्षेत्र:**
  - » वीज़ा प्रतिबंध एवं प्रोटोकॉल संबंधी मतभेद
  - » सीमा घटनाएँ
  - » बांग्लादेश के भीतर भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप
  - » जन-धारणा से संबंधित विश्वास के मुद्दे
- इन घटनाक्रमों ने उस साझेदारी में अनिश्चितता उत्पन्न कर दी, जो अन्यथा दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

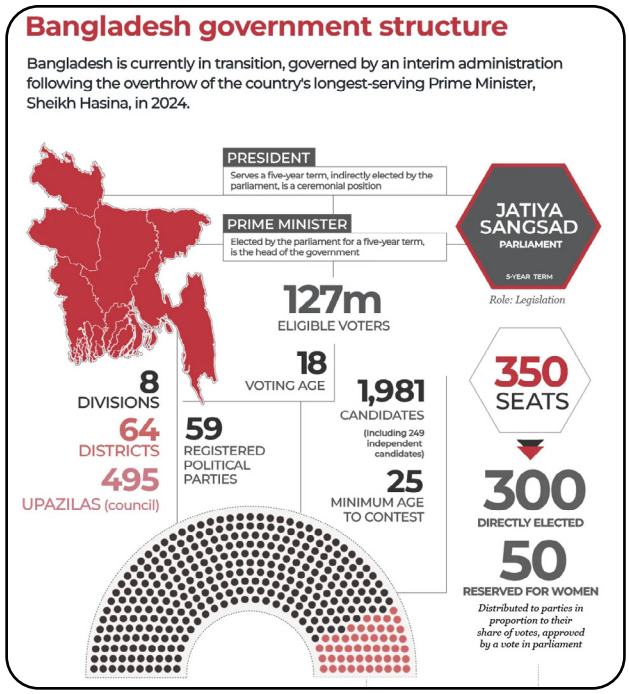

भारत के लिए निहितार्थ:

- **संबंधों के पुनर्संयोजन का अवसर:** BNP नेतृत्व ने स्थिर संबंध बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की है, जिससे व्यवहारिक कूटनीति के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किमी से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। सीमापार प्रवासन, तस्करी एवं उग्रवाद का प्रबंधन पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **जल एवं व्यापार संबंधी मुद्दे:** तीस्ता विवाद तथा व्यापार असंतुलन द्विपक्षीय विश्वास की परीक्षा ले सकते हैं। सहयोगात्मक तंत्र आवश्यक होंगे।
- **चीन कारक:** BNP-नेतृत्व वाली सरकार भारत, चीन एवं पाकिस्तान को सम्मिलित करते हुए संतुलित विदेश नीति अपनाने का प्रयास कर सकती है। दक्षिण एशिया में बढ़ते चीनी प्रभाव की भारत को सावधानीपूर्वक निगरानी करनी होगी।

भारत के लिए सामरिक महत्व:

- भारत के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है क्योंकि:
  - » यह पूर्वोत्तर भारत के लिए संपर्क प्रदान करता है।
  - » यह बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा का एक प्रमुख साझेदार है।
  - » बांग्लादेश की स्थिरता सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है।
  - » यह बिम्सटेक जैसी क्षेत्रीय पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संबंधों में किसी भी प्रकार की गिरावट भारत की पूर्वी सीमाओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह:

- अपने हितों की सुरक्षा हेतु भारत को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
  - » नई BNP नेतृत्व के साथ शीघ्र एवं निरंतर संवाद स्थापित करना।
  - » तीस्ता जैसे लंबित मुद्दों का सहकारी संघीय कूटनीति के माध्यम से समाधान करना।
  - » स्थिरता में पारस्परिक हित सृजित करने हेतु आर्थिक परस्पर निर्भरता को बढ़ाना।
  - » राजनीतिक व्यवस्थाओं से परे जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करना।
  - » सामरिक प्रतिस्पर्धा की निगरानी करना, बिना हस्तक्षेपकारी प्रतीत हुए।

निष्कर्ष:

वर्ष 2026 का शपथ ग्रहण समारोह निरंतरता एवं परिवर्तन, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि ऐतिहासिक अविश्वास एवं अनसुलझे विवाद चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, यह राजनीतिक परिवर्तन संबंधों के पुनर्संतुलन का अवसर प्रदान करता है। स्थायी कूटनीतिक सहभागिता, पारस्परिक सम्मान एवं रणनीतिक सहयोग क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने तथा भारत के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक होंगे।

भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ:

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारत एक ऐसे रणनीतिक समूह में शामिल हो गया है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।

पैक्स सिलिका के बारे में:

- पैक्स सिलिका की शुरुआत वर्ष 2025 के अंत में की गई थी। यह उन देशों का एक समूह है, जो आपसी तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुरक्षित एवं लचीला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका उद्देश्य संवेदनशील तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करना भी है।
- 'पैक्स सिलिका' नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, 'पैक्स' (अर्थात शांति) और 'सिलिका' (सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रयुक्त एक मूलभूत पदार्थ)। यह नाम तकनीकी संप्रभुता, सहयोग और सुरक्षित आपूर्ति व्यवस्था के विचार को दर्शाता है।
- यह पहल एआई अवसंरचना, सेमीकंडक्टर निर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य उन्नत तकनीकों के लिए भरोसेमंद एवं टिकाऊ आपूर्ति तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है।
- इस समूह में प्रारंभिक रूप से ऑस्ट्रेलिया, जापान, इज़राइल, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, सिंगापुर, क़तर और ग्रीस जैसे देश शामिल थे। भारत के शामिल होने से इस गठबंधन का भू-राजनीतिक और आर्थिक दायरा और अधिक विस्तृत हो गया है।

रणनीतिक महत्व:

- **चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा:** पैक्स सिलिका को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण, सेमीकंडक्टर निर्माण और एआई तकनीकों के क्षेत्रों में।
- **आर्थिक और सुरक्षा ढांचा:** यह समझौता साझेदार देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान, समन्वित निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर बल देता है। इसका उद्देश्य कच्चे माल, विनिर्माण तंत्र और एआई विकास मंचों को एकीकृत कर समन्वित तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- **विश्वसनीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र:** इस पहल का लक्ष्य

समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर संवेदनशील तकनीकों के लिए संभावित विरोधी स्रोतों पर निर्भरता कम करना है, ताकि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

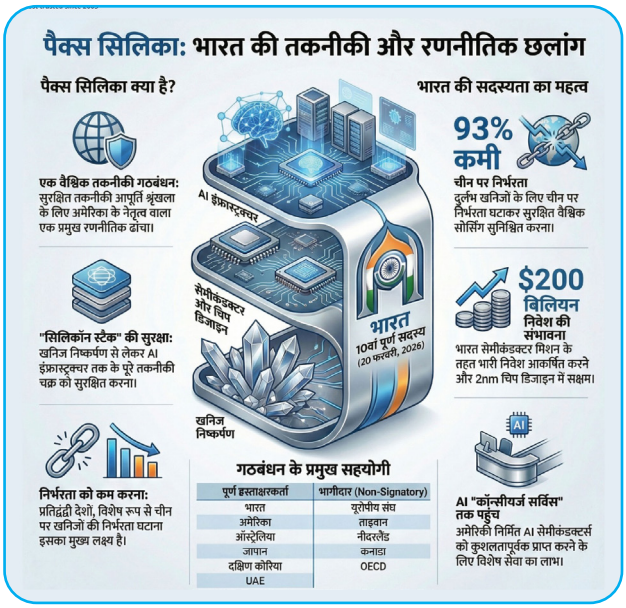

भारत के घरेलू और भू-राजनीतिक हित:

- **तकनीकी आत्मनिर्भरता:** पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है। साथ ही यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन जैसे कार्यक्रमों को भी मजबूती प्रदान करती है, जिनका उद्देश्य देश की तकनीकी क्षमता और विनिर्माण ढांचे को सशक्त बनाना है।
- **प्रतिभा और नवाचार क्षमता:** भारत के पास विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा और तेजी से विकसित हो रहा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन तंत्र है, जो इस गठबंधन के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण:** इस समूह की सदस्यता से भारत को अपनी तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध और संतुलित बनाने का अवसर मिलेगा। इससे किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी और भविष्य के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा तकनीकी अवसंरचना तक स्थिर पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।

भू-राजनीतिक प्रभाव:

- **भारत–अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूती:** पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इससे व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- **लोकतांत्रिक तकनीकी मानकों के साथ सामंजस्य:** यह गठबंधन पारदर्शिता, नैतिक एआई उपयोग और सुरक्षित सेमीकंडक्टर मानकों पर आधारित शासन ढांचे को बढ़ावा देता है। इससे भारत उन देशों के साथ खड़ा होता है, जो वैश्विक तकनीकी शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष:

नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पैक्स सिलिका घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना भारत की तकनीकी कूटनीति में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम है। यह न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भरोसेमंद देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करता है, बल्कि 21वीं सदी में सुरक्षित, लोकतांत्रिक और लचीली तकनीकी एवं आपूर्ति श्रृंखला संरचना के निर्माण में भारत की उभरती केंद्रीय भूमिका को भी रेखांकित करता है।

भारत-ब्राजील: 2030 तक 30 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता

संदर्भ:

हाल ही में भारत और ब्राजील ने अपने आपसी व्यापार को 2030 तक 30 अरब डॉलर (USD 30 Billion) तक पहुँचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। साथ ही, दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 'ग्लोबल साउथ' की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिश्तों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति श्री लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत यात्रा पर थे।

भारत-ब्राजील संबंध की पृष्ठभूमि:

- भारत और ब्राजील ने 1948 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और उनकी यह साझेदारी अब एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो चुकी है, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और बहुपक्षीय

सहयोग शामिल हैं। ब्राजील, लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12 से 15 अरब डॉलर (USD) के बीच रहा है।

- नया लक्ष्य इस दशक के अंत तक व्यापार को दोगुने से भी अधिक करने का है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती आर्थिक पूरकता को दर्शाता है।

खनिज और रणनीतिक समझौते:

- हालिया वार्ताओं का एक मुख्य परिणाम क्रिटिकल (महत्वपूर्ण) और रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ खनिजों) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना है।
- **महत्व:**
  - » यह भारत की खनिज आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाता है।
  - » प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।
  - » यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्माण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करता है।
  - » अन्वेषण, प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग को सुदृढ़ करता है।
  - » ब्राजील के पास दुर्लभ तत्वों और रणनीतिक खनिजों का विशाल भंडार है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और हाई-टेक उद्योगों के लिए अनिवार्य हैं।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- ब्राजील, लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। फिलहाल दोनों के बीच लगभग 12-15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अगले दशक के अंत तक व्यापार को दोगुने से भी ज्यादा करने का लक्ष्य है।
  - » **भारत द्वारा (निर्यात):** दवाइयां , डीजल, इंजीनियरिंग का सामान, लोहा, स्टील, टेक्सटाइल और प्लास्टिक।
  - » **भारत द्वारा (आयात):** कच्चा तेल (Crude oil), सोया तेल, सोना, कच्ची चीनी और तांबा व लोहे जैसे खनिज। खनिज और रणनीतिक समझौते का महत्व

वैश्विक और रणनीतिक तालमेल:

- दोनों देश कई बड़े अंतरराष्ट्रीय समूहों का हिस्सा हैं, जैसे: BRICS, G20, IBSA और BASIC
- दोनों देश निम्नलिखित का समर्थन करते हैं:
  - » संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार
  - » विकासशील देशों की आवाज
  - » बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था
  - » दक्षिण-दक्षिण सहयोग

रक्षा, ऊर्जा और जलवायु सहयोग:

- दोनों देश रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) साझा करने में सहयोग करते हैं।
- ब्राजील बायोफ्यूल के मामले में दुनिया में अग्रणी है। भारत और ब्राजील मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के जरिए स्वच्छ ऊर्जा पर काम कर रहे हैं।
- दोनों देश रक्षा उत्पादन और समुद्री सुरक्षा में एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाना।
- ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को मजबूती देना ।
- लैटिन अमेरिका में भारत की उपस्थिति का विस्तार।
- 'मेक इन इंडिया' के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा।

निष्कर्ष:

30 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य और खनिज सहयोग समझौते, आर्थिक व्यावहारिकता और रणनीतिक तालमेल पर आधारित भारत-ब्राजील की गहरी होती साझेदारी का संकेत देते हैं। दो बड़े लोकतंत्रों और उभरती शक्तियों के रूप में, व्यापार, खनिज, ऊर्जा और वैश्विक शासन में उनका सहयोग एक संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान करता है।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण: पारिस्थितिकी, सुरक्षा और सतत विकास का समन्वय

सन्दर्भ:

आर्द्रभूमियाँ केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं बल्कि शांति, सुरक्षा, आजीविका, जल और भोजन से जुड़े राष्ट्रीय हितों का मूल आधार हैं। हाल ही में 2 फ़रवरी 2026 (विश्व आर्द्रभूमि दिवस) को पटना बर्ड सैंक्चुअरी (उत्तर प्रदेश) और छरी-धांड (गुजरात) को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ के रूप में नामित किया है, जिससे देश के रामसर स्थलों की संख्या अब 98 तक पहुंच गई है। यह मान्यता भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और संरक्षण की रणनीतिक सोच का संकेत है।

आर्द्रभूमि:

- आर्द्रभूमियाँ जिनमें दलदल, झीलें, नदी के किनारों के बड़े तालाब, तटीय मैंग्रोव्स, गहरी और उथली जल संरचनाएँ शामिल हैं, ये केवल स्थिर जल के भंडार नहीं हैं, ये जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जैव विविधता, जल चक्र, मिट्टी संरचना, जलाशय भंडारण, और प्राकृतिक आपदा सीमांकन (फ्लड कंट्रोल) जैसी कई समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं।
- रामसर कन्वेंशन के अनुसार "आर्द्रभूमियाँ वे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से, जल से आच्छादित या संतृप्त रहते हैं, जिनमें स्थिर या प्रवाहित, मीठा, खारा या लवणीय जल शामिल हो सकता है और जिनकी गहराई निम्न ज्वार (Low Tide) के समय छह मीटर से अधिक न हो।"

आर्द्रभूमियों के प्रकार:

» मीठे पानी की आर्द्रभूमि – झीलें, तालाब, नदी तटीय क्षेत्र
» दलदली क्षेत्र
» तटीय आर्द्रभूमियाँ – मैंग्रोव, लैगून
» कृत्रिम आर्द्रभूमियाँ – जलाशय, सिंचाई तालाब, मछली पालन क्षेत्र

- आर्द्रभूमि की अवधारणा व्यापक है और यह प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित दोनों संरचनाओं को समाहित करती है।

आर्द्रभूमि का महत्त्व:

- **पारिस्थितिक महत्त्व**
  » **जैव विविधता का संरक्षण:** आर्द्रभूमियाँ अनेक प्रवासी पक्षियों, मछलियों, उभयचरों और वन्यजीवों का निवास स्थान हैं। उदाहरण के लिए, चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है।
  » **जल चक्र में योगदान:** आर्द्रभूमियाँ वर्षा जल को संचित कर भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) में सहायक होती हैं।

» **जल शुद्धिकरण:** ये प्राकृतिक फिल्टर की तरह कार्य करती हैं और जल से प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करती हैं।

- **आर्थिक महत्त्व**
  - » मत्स्य पालन से आय
  - » पर्यटन और पक्षी अवलोकन
  - » कृषि के लिए जल उपलब्धता
  - » प्राकृतिक आपदाओं से बचाई गई लागत

  स्वस्थ आर्द्रभूमियाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व**
  - » स्थानीय समुदायों की आजीविका का आधार
  - » पारंपरिक ज्ञान और जीवन-शैली से जुड़ाव
  - » धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

  उदाहरणस्वरूप, अनेक झीलें और सरोवर धार्मिक आयोजनों से जुड़े होते हैं।
- **आपदा प्रबंधन में भूमिका**
  - » बाढ़ नियंत्रण
  - » चक्रवात से सुरक्षा (विशेषकर तटीय मैंग्रोव)
  - » सूखे की स्थिति में जल भंडारण

  इस प्रकार आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक आपदा-नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन में योगदान**
  - » कार्बन अवशोषण
  - » तापमान संतुलन
  - » पारिस्थितिक स्थिरता

  आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में रामसर स्थल का नामांकन:

- भारत ने 1 फ़रवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम लागू हैं। इन नियमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्राधिकरणों का गठन किया गया है, जो आर्द्रभूमियों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
- रामसर स्थल का नामांकन राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को प्रस्तावित करने से शुरू होता है। प्रस्तावों को 9 मानदंडों के तहत जांचा जाता है और स्वीकृत प्रस्तावों को रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस (RSIS) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रामसर सचिवालय को भेजा जाता है, जो 1982 से भारत के स्थलों को सूचीबद्ध करता है।

नामांकन प्रक्रिया के मुख्य चरण:

- **स्थानीय पहचान:** राज्य वेटलैंड अथॉरिटी या संबंधित संस्थाएं विशिष्ट जैविक, पारिस्थितिक या जैव विविधता मानदंडों को पूरा करने वाली आर्द्रभूमि (wetland) की पहचान करती हैं।
- **प्रस्ताव तैयार करना:** राज्य सरकार एक विस्तृत प्रस्ताव (Ramsar Information Sheet - RIS) तैयार करती है।
- **केन्द्रीय स्वीकृति:** यह प्रस्ताव MoEFCC को भेजा जाता है, जहाँ एक विशेषज्ञ समिति इसकी जांच करती है।
- **अंतरराष्ट्रीय नामांकन:** केंद्रीय मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, प्रस्ताव को स्विट्जरलैंड स्थित रामसर सचिवालय को भेजा जाता है।
- **सूची में शामिल:** रामसर सचिवालय द्वारा सत्यापन के बाद, स्थल को अंतरराष्ट्रीय रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया जाता है।

महत्वपूर्ण मानदंड:

- रामसर स्थल के रूप में चयन के लिए, वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, जैसे कि:
  - » दुर्लभ या अनूठे पारिस्थितिक तंत्र होना।
  - » संकटग्रस्त प्रजातियों या जैविक विविधता का समर्थन करना।
  - » जलपक्षी (Waterfowl) की बड़ी आबादी को आश्रय देना।
- प्रारंभ में रामसर स्थलों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन 2014 से 2026 के बीच रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 98 हो गई है, जो संरक्षण प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है।

नए शामिल किए गए स्थल:

- » **पटना बर्ड सैंक्चुअरी (उत्तर प्रदेश):** यह लगभग 108 हेक्टेयर में फैला एक मध्यम आकार का तालाब है जो हर सर्दी में सैंकड़ों प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आश्रय बनता है।
- » **छरी-धांड (गुजरात):** यह एक मौसमी दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के शुष्क परिदृश्य में जैव विविधता का जीवंत केंद्र है, जिसमें कई प्रवासी पक्षी और वन्यजीव पाए जाते हैं।
- इन दोनों रामसर स्थलों का चयन यह स्पष्ट करता है कि आर्द्रभूमियाँ केवल बड़े या स्थायी जलाशयों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे,

मौसमी और मानव-परिस्थितिक संदर्भ वाले तंत्र भी वैश्विक मान्यता के योग्य हैं।

भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण नीतियां:

- **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017:** आर्द्रभूमि संरक्षण में राज्य स्तरीय आर्द्रभूमि प्राधिकरणों और सामुदायिक भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए), 2015:** जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) को मिलाकर एक एकीकृत योजना।
- **अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, 2023:** टिकाऊ प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके आर्द्रभूमि प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों, संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करती है ।
- **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूसीपी), 1987:** राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

चुनौतियाँ:

हालाँकि रामसर नामांकनों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी भारतीय पारिस्थितिक परिदृश्य में आर्द्रभूमियाँ कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं:

- **तेजी से घटती आर्द्रभूमियाँ**
  - » पिछले तीन दशकों में भारत की लगभग 40% प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ नष्ट हो चुकी हैं।
  - » शेष आर्द्रभूमियों के लगभग आधे हिस्से में पारिस्थितिक गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो प्रदूषण, अविकसित भूमि उपयोग और जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं।
- **प्रदूषण और अविकसित प्रवाह**
  - » अनुपचारित सीवेज, कृषि अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण आर्द्रभूमियों की स्वच्छता, जैव विविधता और जल-गुण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
- **विकास दबाव और भूमि परिवर्तन**
  - » शहरी विस्तार, अवैध अतिक्रमण, अविकसित अवसंरचना जैसे मार्ग, बांध और फ्लड कंट्रोल संरचनाएँ प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित कर रही हैं, जिससे आर्द्रभूमियाँ अपने मूल कार्य नहीं कर पा रही हैं।
  - » इन चुनौतियों के बीच रामसर नामांकन केवल एक औपचारिक मान्यता है लेकिन सतत संरक्षण और संवर्धन के लिए यह पर्याप्त नहीं है। नियंत्रण, निगरानी और सामुदायिक भागीदारी जैसे अनेक नियमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना आवश्यक है।

आगे की राह:

- भारत में रामसर नामांकन के बावजूद संरक्षण के लिए अभी कई व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता है, जैसे:
  - » **स्पष्ट मानचित्रण और सार्वजनिक डेटा:** आर्द्रभूमियों की सीमाएँ स्पष्ट रूप से मानचित्रित होनी चाहिए और यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि किसी भी अवैध भूमि परिवर्तन को रोका जा सके।
  - » **सामुदायिक भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका:** स्थानीय समुदायों, किसानों, मछुआरों और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षण में जोड़ा जाना चाहिए। इससे स्थानीय निगरानी, नवाचार और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
  - » **विज्ञान-आधारित प्रबंधन और अनुसंधान:** जीव विविधता, जल-गुणवत्ता और जल स्तर जैसी नियमित निगरानी आवश्यक है ताकि तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का वस्तुनिष्ठ आंकलन हो सके।

निष्कर्ष:

भारत में आर्द्रभूमियों के रामसर नामांकन जैसी उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। आर्द्रभूमियों की रक्षा करना केवल पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की जल सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास की नींव है। ये देश की वैश्विक प्रतिबद्धता और पारिस्थितिक जागरूकता को दर्शाती हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण की चुनौती केवल नामांकन तक सीमित नहीं है। यह एक दूरदर्शी, वैज्ञानिक, समन्वित और समाज-आधारित नीति-योजना की मांग करती है, जिसमें आर्द्रभूमियों को राष्ट्रीय सार्वजनिक संपदा के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना अनिवार्य है।

हीटवेव और आकाशीय बिजली को आपदा घोषित करने का प्रस्ताव

संदर्भ:

भारत के 16वें वित्त आयोग ने हीटवेव (लू) और आकाशीय बिजली को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। इसके पीछे इन आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, तीव्रता और मानव जीवन पर पड़ने वाला गंभीर प्रभाव प्रमुख कारण हैं। यह सिफारिश केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यापक आपदा प्रबंधन वित्तीय सुधारों का हिस्सा है, जहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के वित्त आयोग अनुदानों की घोषणा की, जिनमें आपदा प्रबंधन, ग्रामीण निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत, 17 नवंबर 2025 को प्रस्तुत वित्त आयोग की रिपोर्ट को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद में रखा गया। सरकार ने करों के ऊर्ध्वाधर विभाजन (टैक्स डिवोल्यूशन) में केंद्र की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है।

शामिल किए जाने का औचित्य:

- अत्यधिक गर्मी का प्रभाव वृद्धजनों, खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर असमान रूप से अधिक पड़ता है। वहीं, आकाशीय बिजली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनकर उभरी है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच हीटवेव के कारण 3,798 मौतें दर्ज की गईं। केवल वर्ष 2022 में ही आकाशीय बिजली से 2,887 लोगों की मृत्यु हुई, जो उस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मौतों का 36% थी।
- कम-से-कम 11 राज्य पहले ही हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा के रूप में मान्यता दे चुके हैं, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की मांग और मजबूत हुई है। राष्ट्रीय आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि अत्यधिक गर्म दिनों और रातों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे हीट स्ट्रोक और गर्मी से संबंधित मृत्यु जैसे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं।

वर्तमान आपदा ढांचा:

- वर्तमान में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के अंतर्गत चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, शीत लहर तथा अन्य अधिसूचित आपदाएँ शामिल हैं। राज्यों को यह अनुमति है कि वे राष्ट्रीय सूची में शामिल न की गई स्थानीय रूप से गंभीर आपदाओं के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अधिकतम 10% तक उपयोग कर सकते हैं।
- वित्त आयोग ने इस लचीलेपन को बनाए रखने की सिफारिश करते हुए हीटवेव और आकाशीय बिजली को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है, जिससे राज्यों को इन आपदाओं के लिए पूर्ण आपदा राहत एवं शमन निधियों तक पहुँच मिल सके।

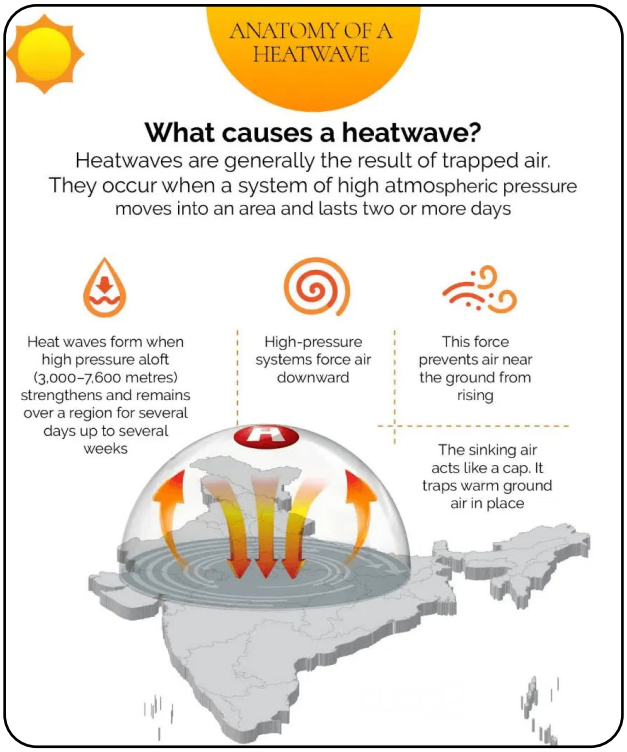

वित्तपोषण और आवंटन:

- वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए SDRF और राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) के माध्यम से कुल 2,04,401 करोड़ रुपये के आपदा प्रबंधन आवंटन की सिफारिश की है:
  - » **केंद्र का हिस्सा:** ₹1,55,915.85 करोड़
  - » **राज्यों का हिस्सा:** ₹48,485.15 करोड़
  - » **लागत साझेदारी अनुपात:** गैर-पूर्वोत्तर एवं गैर-पहाड़ी राज्यों के लिए 75:25; पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10
  - » **आवंटन विभाजन:** 80% SDRF के लिए और 20% SDMF के लिए

- केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित 1.4 लाख करोड़ रुपये के अनुदानों में आपदा प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, जिससे राज्य त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक जोखिम शमन दोनों के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हो सकें।

महत्व:

- हीटवेव और आकाशीय बिजली को राष्ट्रीय आपदा के रूप में मान्यता देने से समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी, राहत एवं मुआवजा मानकों का मानकीकरण होगा तथा राज्यों की आपदा तैयारी क्षमता मजबूत होगी। यह कदम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों के प्रति भारत की बढ़ती स्वीकार्यता को भी दर्शाता है और देश के आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक लचीला, समावेशी और भविष्य-उन्मुख बनाता है।

16वें वित्त आयोग के बारे में:

- भारत का वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है।
- 16वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2020 में एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 2021–26 की अवधि के लिए किया गया था। इसका दायित्व करों के बंटवारे, राजकोषीय अनुशासन और आपदा वित्तपोषण तंत्र की समीक्षा करना था। इसकी सिफारिशें केंद्रीय अंतरण, वित्त आयोग अनुदान, आपदा राहत आवंटन तथा राजकोषीय प्रबंधन प्रोत्साहनों का मार्गदर्शन करती हैं।

यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी द्वारा पैंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध

संदर्भ:

हाल ही में यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी (USLP), जो नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च जनजातीय संस्था है, ने अपने अधिकार क्षेत्र में पैंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह समुदाय-आधारित संरक्षण पहल अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाने और इंडो–म्यांमार जैव विविधता क्षेत्र में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पैंगोलिन प्रजातियों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।

पैंगोलिन के बारे में:

- पैंगोलिन विश्व के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले गैर-मानव स्तनधारी जीव हैं। भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I के अंतर्गत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार भारतीय पैंगोलिन "संकटग्रस्त" और चीनी पैंगोलिन "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" श्रेणी में आते हैं।
- ये रात्रिचर और कीटभक्षी स्तनधारी होते हैं, जो मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करते हैं। खतरे की स्थिति में ये अपने शरीर को गेंद की तरह गोल कर लेते हैं, जिसे "वोल्वेशन" कहा जाता है। इनके शरीर पर मौजूद केराटिन से बनी शल्क (स्केल्स) पारंपरिक औषधि और मांस के लिए (विशेषकर एशियाई बाजारों में अत्यधिक मांग में रहती हैं।

भारत में प्रजातियाँ और निवास क्षेत्र:

- **भारतीय पैंगोलिन (Manis crassicaudata):** यह शुष्क क्षेत्रों, ऊँचे हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है। यह विश्व की आठों पैंगोलिन प्रजातियों में आकार में सबसे बड़ा है।
- **चीनी पैंगोलिन (Manis pentadactyla):** यह मुख्य रूप से हिमालय की तराई और पूर्वोत्तर भारत के सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है।

संरक्षण स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट:** भारतीय पैंगोलिन – संकटग्रस्त; चीनी पैंगोलिन – गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची–I
- **CITES:** परिशिष्ट–I (अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार पर पूर्ण

प्रतिबंध)

मुख्य विशेषताएँ:

- रात्रिचर तथा बिल बनाने वाले जीव
- शल्क से ढके हुए एकमात्र स्तनधारी
- मुख्य भोजन चींटियाँ और दीमक
- प्रवास न करने वाले
- आत्मरक्षा के लिए गोल होकर सिकुड़ जाना

यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी के प्रतिबंध का महत्व:

- यह अनुच्छेद 371(ए) के अंतर्गत संवैधानिक स्वायत्तता वाले जनजातीय क्षेत्र में समुदाय-आधारित संरक्षण का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- यह इंडो–म्यांमार गलियारे में अवैध वन्यजीव व्यापार के विरुद्ध प्रयासों को सशक्त बनाता है।
- यह राष्ट्रीय कानूनों, CITES प्रतिबद्धताओं तथा वैश्विक पैंगोलिन संरक्षण रणनीतियों जैसे वैधानिक कानूनों का पूरक है।

चुनौतियाँ:

- दूरस्थ और घने वन क्षेत्रों में प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी करना।
- पारंपरिक रूप से वन संसाधनों पर निर्भर समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के विकल्प विकसित करना।
- चीन और वियतनाम से जुड़े सीमा-पार तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण।

निष्कर्ष:

यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी (USLP) द्वारा पैंगोलिन शिकार पर लगाया गया प्रतिबंध जमीनी स्तर पर संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है। पारंपरिक जनजातीय अधिकारों को कानूनी ढांचे के साथ जोड़ते हुए यह कदम न केवल जैव विविधता संरक्षण को मजबूती देता है, बल्कि भारत के एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

भारत का पहला बी कॉरिडोर: NHAI की हरित राजमार्ग पहल

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले समर्पित 'बी कॉरिडोर' विकसित करने की घोषणा की है। यह पहल राजमार्गों के किनारे केवल सजावटी पौधे लगाने की पुरानी परंपरा से हटकर, पारिस्थितिक और जलवायु के प्रति संवेदनशील नियोजन की ओर एक बड़ा कदम है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जैव विविधता संरक्षण को जोड़ता है।

बी कॉरिडोर के बारे में:

- बी कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विकसित की जाने वाली परागण-अनुकूल वनस्पतियों की पट्टियाँ हैं। इन गलियारों में ऐसे फूलों वाले पेड़, झाड़ियाँ और पौधे लगाए जाएंगे जोकि मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के लिए साल भर अमृत (nectar) और पराग सुनिश्चित करेंगे।

उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य परागणकों पर बढ़ते पारिस्थितिक दबाव को कम करना, अमृत की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना और टिकाऊ वृक्षारोपण के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना है।

प्रमुख विशेषताएं:

- जैव विविधता बढ़ाने के लिए नीम, करंज, महुआ, पलाश, जामुन और सिरीस जैसी प्रजातियां लगाई जाएंगी।
- पौधों का चयन इस तरह किया जाएगा कि अलग-अलग मौसमों में फूल खिलें, जिससे मधुमक्खियों को साल भर भोजन मिलता रहे।
- मधुमक्खियों की औसत चारा खोजने की दूरी को ध्यान में रखते हुए, फूलों के क्लस्टर 500 मीटर से 1 किमी के अंतराल पर लगाए जाएंगे।
- इन गलियारों का विकास स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

पहल का महत्व:

- **पारिस्थितिक सेवाओं को बढ़ावा:** परागण, कृषि और बागवानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कॉरिडोर फसल उत्पादकता के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे।
- **सतत बुनियादी ढांचा:** यह पहल राजमार्ग निर्माण में जैव विविधता संरक्षण को शामिल करती है, जो 'हरित बुनियादी ढांचे' (Green Infrastructure) की अवधारणा को दर्शाती है।
- **खाद्य सुरक्षा में सहायक:** परागणकों की स्वस्थ आबादी सीधे तौर

पर टिकाऊ कृषि प्रणालियों और खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है।

मधुमक्खियों का महत्व:

- मधुमक्खियाँ एक 'कीस्टोन प्रजाति' हैं। वे लगभग 90% जंगली फूलों वाले पौधों और दुनिया की लगभग एक-तिहाई फसलों को परागित करती हैं।

भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां:

- एपिस सेराना इंडिका (भारतीय मधुमक्खी)
- एपिस डोरसाटा (रॉक बी)
- एपिस फ्लोरिया (छोटी मधुमक्खी)
- एपिस मेलिफेरा (पश्चिमी मधुमक्खी - बाहरी प्रजाति)
- हाल ही में खोजी गई एपिस कारिंजोडियन (इंडियन ब्लैक हनी बी)

विशेष पहलू:

- **वैगल डांस (Waggle Dance):** भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी बताने के लिए मधुमक्खियों द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार की एक अनूठी विधि।
- **डंक रहित मधुमक्खियाँ:** उत्तर-पूर्व भारत में पाई जाने वाली टेट्रागोनुला इरिडिपेंसिस, बहुत प्रभावी परागणक होती हैं।

खतरे और संरक्षण:

- मधुमक्खियों के लिए प्रमुख खतरों में आवास का विनाश, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस (20 मई) इनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। भारत में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 'मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन' जैसी पहल मधुमक्खी पालन और ग्रामीण आजीविका को सहारा दे रही हैं।

पूर्वी हिमालय में सूक्ष्म आर्थ्रोपोड की नई प्रजाति की खोज

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में डिप्लूरा (Diplura) की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह भारतीय कीटविज्ञान (Entomology) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस नई प्रजाति का नाम लेपिडोकैम्पा सिक्कीमेंसिस (Lepidocampa sikkimensis) रखा गया है। यह पहली बार है जब भारत में डिप्लूरा की किसी प्रजाति का वर्णन भारतीय शोध दल द्वारा किया गया है। यह प्रजाति 50 वर्षों से अधिक समय से रुके डिप्लूरा अनुसंधान को आगे बढ़ाती है और पारिस्थितिकी तंत्र की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। डिप्लूरा, जिन्हें सामान्यतः दो-प्रोंग वाले ब्रिसलटेल कहा जाता है, नेत्रहीन, पंखहीन और मिट्टी में रहने वाले षट्पाद (hexapod) आर्थ्रोपोड होते हैं। ये पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण तथा मिट्टी की संरचना को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लेपिडोकैम्पा सिक्कीमेंसिस के बारे में:

- लेपिडोकैम्पा सिक्कीमेंसिस डिप्लूरा की एक नई खोजी गई प्रजाति है, जो सिक्किम के रावंगला (Ravangla) क्षेत्र के निकट पाई गई। यह एक आदिम षट्पाद (primitive hexapod) समूह से संबंधित है। इससे पहले भारत में डिप्लूरा की 17 प्रजातियाँ दर्ज की गई थीं, जिनका वर्णन विदेशी शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **रूपात्मक विशिष्टता (Morphological Distinctiveness):** इस प्रजाति की पहचान शरीर पर उपस्थित शल्कों (scales) की विशिष्ट व्यवस्था, ब्रिसल (chaetotaxy) के अनोखे पैटर्न तथा विशेष प्रकार के उपांगों (appendages) के आधार पर की गई है। ये विशेषताएँ इसे अन्य डिप्लूरा प्रजातियों से अलग करती हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका (Ecological Role):** अंधे एवं मिट्टी में रहने वाले षट्पाद होने के कारण डिप्लूरा मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये जैविक पदार्थों के अपघटन और पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण में योगदान देते हैं तथा मिट्टी की संरचना को सुरक्षित रखते हैं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में:

- 1916 में स्थापित और कोलकाता में मुख्यालय स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्था है।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - » **वर्गिकी अनुसंधान (Taxonomic Research):** प्रजातियों का वर्गीकरण एवं राष्ट्रीय प्राणी संग्रह का संरक्षण।
  - » **स्थिति सर्वेक्षण (Status Surveys):** लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की निगरानी।
  - » **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):** पारिस्थितिक तंत्रों एवं जैव विविधता प्रबंधन से संबंधित अध्ययन।

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, देशभर में 16 क्षेत्रीय केंद्र संचालित करता है और अपने अनुसंधान में डीएनए बारकोडिंग, GIS तथा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। इसकी प्रमुख प्रकाशन "फौना ऑफ इंडिया" शृंखला तथा विभिन्न राज्य-स्तरीय जीव-जंतु रिपोर्टें हैं।

निष्कर्ष:

यह खोज भारत में मृदा जीव (soil fauna) के अध्ययन को समृद्ध करती है, कम ज्ञात सूक्ष्म आर्थ्रोपोड के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करती है तथा हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण की आधारशिला को और सुदृढ़ बनाती है।

जलवायु परिवर्तन से संकट में लॉगरहेड कछुए: 17 वर्षीय अध्ययन

संदर्भ:

लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी तथा गैर-सरकारी संगठन (Associação Projeto Biodiversidade) द्वारा काबो वर्दे में 17 वर्षों तक किए गए विस्तृत अध्ययन में यह सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन लॉगरहेड कछुओं के जीवन चक्र पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डाल रहा है।

लॉगरहेड कछुओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- **आकार में कमी और घटती प्रजनन क्षमता:** कछुओं का शारीरिक आकार धीरे-धीरे छोटा होता जा रहा है। वे पहले की तुलना में प्रत्येक घोंसले में कम अंडे दे रहे हैं तथा कुल अंडों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है।
- **प्रजनन अंतराल में वृद्धि:** समुद्री उत्पादकता में कमी के कारण कछुओं को अपनी ऊर्जा पुनः संचित करने में अधिक समय लग रहा है। जहाँ पहले वे लगभग हर दो वर्ष में प्रजनन करते थे, अब यह अंतराल बढ़कर चार वर्ष तक पहुँच गया है।
- **मादा शिशुओं का बढ़ता अनुपात:** घोंसलों के तापमान में वृद्धि के कारण अधिक संख्या में मादा शिशु जन्म ले रहे हैं। वर्तमान में केप वर्दे में लगभग 84% नवजात मादा हैं। यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना रहा, तो वर्ष 2100 तक यह अनुपात 99.86% तक पहुँच सकता है, जिससे भविष्य में प्रजनन संतुलन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **आवास क्षरण और प्रवास में व्यवधान:** समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण अंडे देने वाले तटीय क्षेत्र कटाव का शिकार हो रहे हैं। साथ ही, समुद्री धाराओं में परिवर्तन से कछुओं के प्रवासन मार्ग और नवजात शिशुओं के समुद्र में फैलाव की प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

लॉगरहेड कछुए के बारे में:

- लॉगरहेड कछुआ (Caretta caretta) एक समुद्री सरीसृप है, जो चेलोनिडे (Cheloniidae) परिवार से संबंधित है। इसका नाम इसके बड़े सिर और शक्तिशाली जबड़ों के कारण पड़ा है।
- यह विश्व का सबसे बड़ा कठोर खोल वाला कछुआ है और यह आकार में लेदरबैक समुद्री कछुए के बाद दूसरे स्थान पर आता है।
- इनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो सकती है। ये अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों सहित भूमध्य सागर में भी पाए जाते हैं।
- ये सर्वाहारी होते हैं और मुख्यतः समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले जीवों जैसे घोंघे, शंख और केकड़ों का आहार लेते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN के अनुसार यह प्रजाति "असुरक्षित (Vulnerable)" अर्थात संकटग्रस्त श्रेणी में है। जलवायु परिवर्तन, आवास हानि, समुद्री प्रदूषण तथा मछली पकड़ने के जाल में फँसना इनके प्रमुख खतरे हैं।

व्यापक पारिस्थितिक प्रभाव:

- लॉगरहेड कछुए एक संकेतक प्रजाति माने जाते हैं, अर्थात इनकी स्थिति समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है।
- इनके शरीर के आकार, प्रजनन क्षमता और प्रवास में कमी यह संकेत देती है कि समुद्री पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
- संरक्षण प्रयासों को केवल तटीय क्षेत्रों तक सीमित न रखकर, भोजन क्षेत्रों की सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और जलवायु

शमन उपायों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

संरक्षण हेतु प्रमुख सुझाव:

- अंडे देने वाले तटों के साथ-साथ महत्वपूर्ण भोजन क्षेत्रों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए।
- मत्स्य उद्योग में अनजाने में होने वाली पकड़ (बायकैच) तथा समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ।
- घोंसलों के तापमान और लिंग अनुपात की नियमित निगरानी की जाए तथा असंतुलन की स्थिति में प्रबंधन उपाय लागू किए जाएँ।
- समुद्री कछुओं के संरक्षण कार्यक्रमों में जलवायु अनुकूलन और सहनशीलता को समाहित किया जाए, क्योंकि वैश्विक तापवृद्धि बहुआयामी खतरे उत्पन्न कर रही है।

निष्कर्ष:

लॉगरहेड कछुए स्वाभाविक रूप से अनुकूलनशील प्रजाति हैं, किंतु वर्तमान जलवायु परिवर्तन उनके प्रजनन, विकास और प्रवासन चक्र पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। इस प्रजाति की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें आवास संरक्षण, सतत मत्स्य प्रबंधन तथा प्रभावी जलवायु कार्रवाई को समान महत्व दिया जाए।

केरल में नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस केरलेंसिस की खोज

संदर्भ:

केरल में ड्रैगनफ्लाई (व्याधपतंग) की एक नई प्रजाति, लिरियोथेमिस केरलेंसिस (Lyriothemis keralensis) की खोज हुई है, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता को रेखांकित करती है। यद्यपि इसे पहली बार वर्ष 2013 में एर्नाकुलम जिले के वरापेट्टी क्षेत्र में दर्ज किया गया था, किंतु एक दशक से अधिक समय तक इसे लिरियोथेमिस एसिगस्ट्रा (Lyriothemis acigastra) समझा गया। यह प्रजाति ओडोनेट (Odonate) समूह से संबंधित है, जिसमें शिकारी और उभयचर प्रकृति के कीट शामिल होते हैं। इनकी विशेषता है- जलीय लार्वा अवस्था और पंखों वाले वयस्क रूप। विस्तृत आकृतिगत (morphological) अध्ययनों के माध्यम से इसकी विशिष्ट पहचान की पुष्टि की गई, जिससे केरल की समृद्ध कीट विविधता और अधिक स्पष्ट हुई।

आवास और विशेषताएँ:

- लिरियोथेमिस केरलेंसिस, केरल के निम्न-भूमि तटीय मैदानी क्षेत्रों में स्थित छायादार अनानास और रबर के बागानों के भीतर वनस्पति युक्त जलकुंडों तथा सिंचाई नहरों में पाई जाती है।
- यह अपेक्षाकृत छोटी प्रजाति है, जिसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता (sexual dimorphism) पाई जाती है। नर चमकीले रक्त-लाल रंग के होते हैं, जिन पर काले चिह्न और पतला उदर (abdomen) होता है, जबकि मादा अपेक्षाकृत भारी शरीर वाली और पीले रंग की होती है, जिन पर काले चिह्न पाए जाते हैं।
- यह प्रजाति मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून (मई के अंत से अगस्त तक) के दौरान दिखाई देती है। वर्ष के शेष समय में यह जलीय लार्वा अवस्था में रहती है। एक शिकारी कीट के रूप में यह मच्छरों, मक्खियों, मिज़ (midges), पतंगों और तितलियों जैसे कीटों का भक्षण करती है।

संरक्षण और पारिस्थितिक महत्व:

- लिरियोथेमिस केरलेंसिस की अधिकांश आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाई जाती है, जिससे यह बागान-प्रधान परिदृश्यों में भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।
- ओडोनेट प्रजातियों को स्वस्थ आर्द्रभूमि पारितंत्रों के जैव-संकेतक (bioindicators) के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। अतः इस नई प्रजाति की खोज मानव-प्रभावित परिदृश्यों में सूक्ष्म आवासों (microhabitats) के संरक्षण के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करती है।
- इस स्थानिक (endemic) प्रजाति के संरक्षण तथा केरल की उच्च कीट जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सतत भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाना अत्यंत आवश्यक होगा।

जायंट फैंटम जेलीफ़िश की खोज

संदर्भ:

अर्जेंटीना के तट के पास हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक अभियान के दौरान जायंट फैंटम जेलीफ़िश (Stygiomedusa gigantea) के दुर्लभ और अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड किए गए। यह प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में जीवित अवस्था में बहुत कम देखी जाती है। यह खोज अर्जेंटीना के नेतृत्व में किए गए एक गहरे समुद्री मिशन के दौरान हुई, जो श्मिट ओशन इंस्टीट्यूट के अनुसंधान पोत पर संपन्न हुआ। इस अभियान ने ब्यूनस आयर्स से लेकर टिएरा डेल फुएगो तक महाद्वीपीय शेल्फ के साथ स्थित समुद्री पारितंत्रों का अन्वेषण किया।

जायंट फैंटम जेलीफ़िश के बारे में

- जायंट फैंटम जेलीफ़िश एक दुर्लभ और रहस्यमय गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजाति है, जिसका मनुष्यों द्वारा बहुत कम सामना होता है। यह अपने विशाल आकार के लिए जानी जाती है।
- इसका घंटी (bell) जैसा आकार लगभग एक मीटर व्यास तक हो सकता है, जबकि इसकी लंबी, फीते जैसी मुख भुजाएँ (oral arms) लगभग दस मीटर तक फैल सकती हैं।
- अधिकांश जेलीफ़िश प्रजातियों के विपरीत, इसमें डंक मारने वाले टेंटेकल्स (tentacles) नहीं होते। इसके स्थान पर यह प्लवक (plankton) और छोटी मछलियों जैसे शिकार को अपनी बड़ी मुख भुजाओं की सहायता से पकड़ती है। वैज्ञानिक इसकी आकृति को "भूत जैसी" (ghostly) बताते हैं, क्योंकि यह बहुत कम दिखाई देती है और समुद्र के "मिडनाइट ज़ोन" में रहती है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता।

निष्कर्ष:

अर्जेंटीना के तट पर विशाल फैंटम जेलीफ़िश का यह अवलोकन महासागर की अब तक कम अन्वेषित गहराइयों की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है और यह दर्शाता है कि समुद्र की लहरों के नीचे अभी बहुत कुछ खोजा जाना शेष है। इस मिशन के निष्कर्ष संभावित नई प्रजातियों की खोज से लेकर विस्तृत प्रवाल (coral) तंत्रों की पहचान तक, गहरे समुद्री पारितंत्रों की पारिस्थितिक जटिलता को रेखांकित करते हैं और उनके वैश्विक वैज्ञानिक महत्व को और अधिक सुदृढ़ करते हैं।

भारत में बढ़ती वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता

संदर्भ:

हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत उन चार देशों में शामिल है जो वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता का लगभग 70 % योगदान करते हैं। इसे कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT) के रूप में मापा गया, जिसमें कीटनाशकों की मात्रा और गैर-लक्षित प्रजातियों पर उनके प्रभाव दोनों को शामिल किया गया। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता चीन, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- **बढ़ती विषाक्तता:** 2013–2019 के दौरान 65 देशों और 600 से अधिक कीटनाशकों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT) लगातार बढ़ रही है, विशेषकर भारत जैसे बड़े कृषि अर्थतंत्रों में।
- **जैव-विविधता पर गंभीर प्रभाव:** स्थलीय कीट, मिट्टी के सूक्ष्मजीव, मछलियाँ, परागण करने वाले जीव और जलीय पौधे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की मूलभूत प्रक्रियाएँ खतरे में पड़ रही हैं।
- **फसल पैटर्न और अधिक उपयोग:** फल, सब्जियाँ, अनाज, चावल, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों पर अधिक मात्रा और अधिक विषैले कीटनाशकों का प्रयोग पर्यावरणीय क्षति को बढ़ा रहा है।
- **कमज़ोर निगरानी तंत्र:** कई देशों (विशेषकर विकासशील देशों) में कीटनाशक उपयोग का विस्तृत और पारदर्शी राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की प्रगति का आकलन कठिन हो जाता है।
- वर्तमान में चिली 2030 तक कीटनाशक जोखिम में 50 % कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर एकमात्र देश है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- **जैव-विविधता में गिरावट:** कीट और मिट्टी के जीवों में विषाक्तता की वृद्धि से परागण, पोषक तत्व चक्र और खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **मानव स्वास्थ्य पर खतरा:** कीटनाशकों का संबंध तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों, प्रजनन समस्याओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UN Environment Assembly) सहित कई वैश्विक मंच 2035 तक अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

भारत में नीतिगत और कानूनी कमियाँ:

- **पुराना कानून:** कीटनाशक अधिनियम, 1968 मुख्य रूप से कृषि उपयोग तक सीमित है। घरेलू, सार्वजनिक स्वास्थ्य या अन्य गैर-कृषि उपयोगों को समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त प्रतीत होता है।
- **प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग:** भारत में कम से कम 66 ऐसे कीटनाशक अभी भी उपयोग में हैं, जिन्हें अन्य देशों में प्रतिबंधित किया जा चुका है। इनमें अत्यधिक विषैला रसायन पेराक्वाट (Paraquat) भी शामिल है।
- **प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025:** इसका उद्देश्य पर्यावरणीय जोखिम कम करना और जैव-कीटनाशकों को बढ़ावा देना है, किंतु यदि इसमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की पर्याप्त भागीदारी नहीं हुई तो इसका प्रभाव सीमित रह सकता है।

उच्च विषाक्तता के प्रमुख कारण:

- **हरित क्रांति की विरासत:** रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर कृषि प्रणाली ने कीटनाशकों के निरंतर उपयोग को बढ़ावा दिया।
- **कृषि का तीव्रीकरण:** अधिक फसल चक्र और एकल फसल प्रणाली (मोनोकल्चर) ने कीटों का दबाव बढ़ाया, जिससे रसायनों का उपयोग बढ़ा।
- **विकल्पों का सीमित प्रसार:** एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) और जैव-कीटनाशकों के उपयोग को व्यापक स्तर पर अपनाने में धीमी प्रगति हुई है।

नीतिगत प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:

- **वैश्विक प्रतिबद्धता:** भारत ने वैश्विक जैव-विविधता ढांचे के तहत 2030 तक कीटनाशक जोखिम को आधा करने का संकल्प लिया है, किंतु वर्तमान कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT) रुझान दर्शाते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए और ठोस प्रयास आवश्यक हैं।
- **बेहतर डेटा और पारदर्शिता:** सक्रिय घटकों (Active Ingredients) के आधार पर कीटनाशकों के उपयोग की नियमित और सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यक है, ताकि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सही मूल्यांकन हो सके।

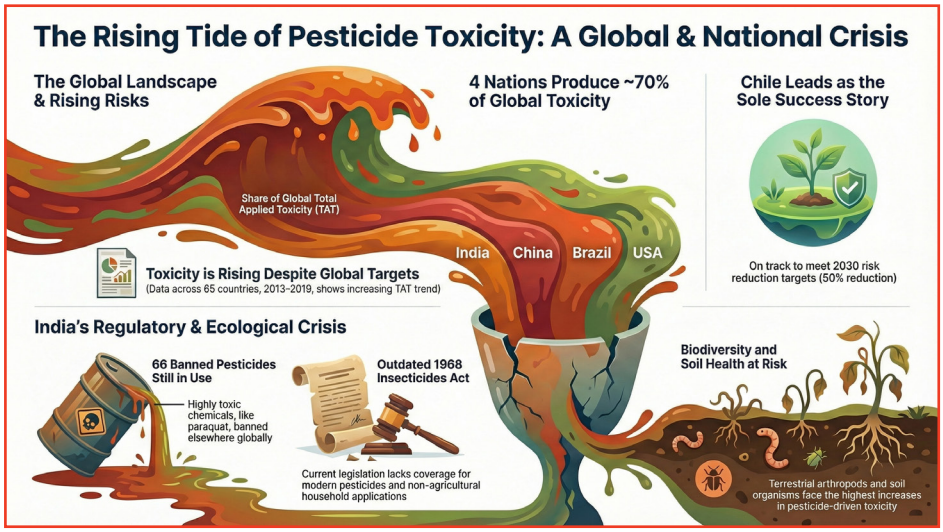

निष्कर्ष:

वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता में भारत की बड़ी हिस्सेदारी यह स्पष्ट करती है कि कृषि उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ती विषाक्तता यह संकेत देती है कि व्यापक नीतिगत सुधार, प्रभावी निगरानी, टिकाऊ कीट प्रबंधन और सशक्त कानून लागू करना समय की मांग है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू नीतियों को सुदृढ़ बनाना ही पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026: आत्मनिर्भर संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर कदम

संदर्भ:

हाल ही में भारत में 16–20 फरवरी 2026 तक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस ऐतिहासिक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने समाज, शासन और आर्थिक विकास के लिए एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, वैश्विक एआई अग्रणी, नीति-निर्माता, उद्योग नेता और नवप्रवर्तक शामिल हुए जो भारत के विकसित हो रहे एआई पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

समिट के दौरान सर्वम एआई का भी उद्घाटन हुआ जो भारत के उन्नत मेड-इन-इंडिया एआई मॉडल और प्रौद्योगिकियों का उदाहरण है। जिससे यह स्पष्ट है कि भारत एआई अपनाने से आगे बढ़कर एआई निर्माण की दिशा में अग्रसर है। सर्वम के योगदान भारत के संप्रभु, समावेशी और बहुभाषी एआई प्रणालियों पर ध्यान को दर्शाते हैं, जो विविध सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विदेशी एआई अवसंरचना पर निर्भरता को कम करते हैं।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026

- भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रारंभ किए गए इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और जनसमूहों में भारत की एआई क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
- समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के लिए भारत की मानव (M.A.N.A.V) दृष्टि प्रस्तुत की, जो मानव-केंद्रित तकनीकी एजेंडा को रेखांकित करती है-
  - » Moral and Ethical Systems (नैतिक प्रणालियाँ)
  - » Accountable Governance (जवाबदेह शासन)
  - » National Sovereignty (राष्ट्रीय संप्रभुता)
  - » Accessible and Inclusive AI (सुलभ और समावेशी एआई)
  - » Valid and Legitimate Technologies (वैध और विश्वसनीय प्रौद्योगिकियाँ)
- समिट की रूपरेखा तीन स्तंभों People, Planet और Progress पर आधारित थी, जिसमें सात कार्य समूह स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा, आर्थिक विकास, समावेशन और नैतिक एआई शासन जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक परिणामों पर केंद्रित थे।
- समिट का समापन 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट' के साथ हुआ, जिस पर 89 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में एआई तक समान पहुंच, राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान और खुले, परस्पर-संगत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक सहयोग की पुष्टि की गई। इस बहुपक्षीय सहमति ने एआई के लोकतांत्रिक प्रसार, समावेशी विकास और विश्वसनीय तकनीकी तैनाती जैसे सिद्धांतों पर बल दिया।

सर्वम एआई: स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल और नवाचार

- सर्वम एआई, समिट की प्रमुख नवाचारों में से एक के रूप में उभरा, जिसने स्थानीय संदर्भों में निहित आधारभूत एआई प्रणालियाँ विकसित करने के भारत के प्रयास को रेखांकित किया। कंपनी ने कई स्वदेशी एआई मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें Sarvam-30B और Sarvam-105B बड़े भाषा मॉडल (LLMs) शामिल हैं। ये दोनों मॉडल मिक्सचर ऑफ़ एक्सपर्ट (Mixture of Experts- MoE) आर्किटेक्चर पर आधारित हैं, जिन्हें कुशल तर्क और बहुभाषी प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ये मॉडल 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक भाषा को संसाधित और उत्पन्न कर सकते हैं तथा अनुवाद, समझ, रचनात्मक लेखन और टूल उपयोग जैसे विविध कार्यों के लिए अनुकूलित हैं।
- जहाँ अनेक वैश्विक एआई प्रणालियाँ मुख्यतः अंग्रेज़ी डेटा पर प्रशिक्षित हैं, वहीं सर्वम के मॉडल भारत की बहुभाषी विविधता और वास्तविक उपयोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करते हैं। विशेष रूप से 105-बिलियन-पैरामीटर मॉडल यह दर्शाता है कि भारत एआई क्षमता और भाषाई पहुंच के अग्रिम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखता है।
- समिट में सर्वम ने सर्वम काज़े (Sarvam Kaze) भी प्रस्तुत किया (एआई-संचालित स्मार्ट ग्लासेस की एक श्रृंखला) जो दृश्य डेटा की व्याख्या कर वास्तविक समय में उपयोगकर्ताओं की सहायता कर सकती है। यह दृष्टि, भाषा और संदर्भ समझ को संयोजित करने वाली पहनने योग्य एआई तकनीकों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- फाउंडेशन मॉडल और हार्डवेयर के अतिरिक्त, सर्वम ने 'इंडस' चैट ऐप भी लॉन्च किया, एक वेब और मोबाइल इंटरफेस, जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट और वॉइस के माध्यम से एआई प्रणालियों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। इंडस वास्तविक समय में सर्वम के मॉडलों के साथ संपर्क की सुविधा देता है और भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देता है, जो स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए एआई को सुलभ और प्रासंगिक बनाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

सर्वम और भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र का रणनीतिक महत्व

सर्वम एआई का उभरना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:

- **संप्रभु एआई विकास:** भारत की एआई रणनीति घरेलू रूप से विकसित, डेटा, आर्किटेक्चर और शासन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली संप्रभु एआई प्रणालियों के निर्माण पर बल देती है। यह प्राथमिकता डिजिटल उपनिवेशवाद की आशंकाओं से प्रेरित है, जहाँ विदेशी एआई उपकरणों पर निर्भरता स्थानीय मूल्यों, डेटा गोपनीयता और तकनीकी स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है।
- **बहुभाषी और समावेशी एआई:** सर्वम के फाउंडेशन मॉडल भारत की अनेक भाषाओं में सामग्री को समझने और उत्पन्न करने के लिए विकसित किए गए हैं, जिससे एआई तकनीकें अधिक समावेशी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनती हैं।

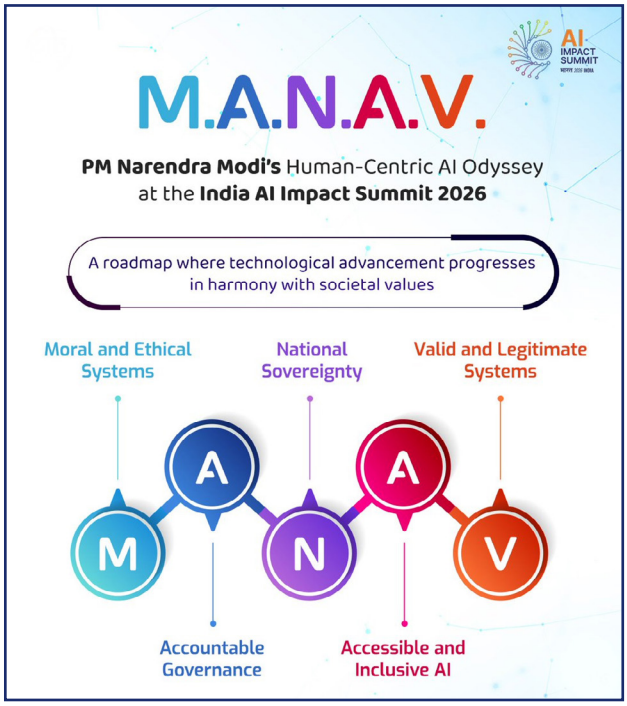

- **सीमित संसाधनों में उच्च प्रभाव वाला नवाचार:** तुलनात्मक रूप से सीमित संसाधनों के साथ कार्य करते हुए भी सर्वम ने बड़े पैमाने पर नवाचार प्रदर्शित किया है। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सब्सिडी युक्त कंप्यूट अवसंरचना का उपयोग कर उन्नत मॉडल और उपकरण विकसित किए गए जो यह दर्शाता है कि नीतिगत समर्थन और रणनीतिक अवसंरचना उच्च प्रभाव वाले परिणाम उत्पन्न कर सकती है।
- **हार्डवेयर और अनुप्रयोग:** सर्वम के नवाचार केवल बड़े भाषा मॉडलों तक सीमित नहीं हैं। दृष्टि एआई, वॉइस सिस्टम, काजे (Kaze) स्मार्ट ग्लासेस और एंटरप्राइज टूल्स जैसी तकनीकें शिक्षा, सहायक जीवन, पहुंच-योग्यता समाधान और कार्यप्रवाह स्वचालन में परिवर्तनकारी अनुप्रयोग प्रदान कर सकती हैं।

राष्ट्रीय और वैश्विक एआई एजेंडा:

- भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह दर्शाया कि भारत नवाचार, शासन और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। यद्यपि Google, OpenAI और Anthropic जैसे वैश्विक एआई अग्रणी चर्चा के केंद्र में थे, भारत ने नैतिक उपयोग, डेटा संप्रभुता, पारदर्शिता और समान विकास को प्राथमिकता देने वाले सहयोगात्मक ढाँचों पर जोर दिया।
- समिट में भारत की कंप्यूटिंग अवसंरचना में निवेश भी प्रदर्शित किया गया, डेटा केंद्रों में हजारों GPU की तैनाती, जो एआई अनुसंधान और प्रशिक्षण को गति प्रदान करती है तथा घरेलू स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी युक्त पहुंच उपलब्ध कराती है।
- इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य, कृषि, शासन और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में "एआई फॉर पब्लिक गुड" पर समिट का जोर इस व्यापक दृष्टि को दर्शाता है, जहाँ एआई केवल व्यावसायिक तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौतियों के समाधान का साधन है।

चुनौतियाँ:

हालाँकि भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने उल्लेखनीय प्रगति का संकेत दिया, फिर भी भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के सामने कई संरचनात्मक चुनौतियाँ मौजूद हैं।

- **अवसंरचना की सीमाएँ:** पश्चिमी और पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में भारत के पास अभी भी उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना, उन्नत चिप निर्माण और बड़े पैमाने के डेटा केंद्रों की कमी है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** Google, OpenAI, Anthropic जैसी स्थापित वैश्विक एआई कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भारतीय स्टार्टअप्स के लिए चुनौतीपूर्ण है।
- **प्रतिभा और अनुसंधान निवेश**: उच्च स्तरीय एआई अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक निवेश, विशेषज्ञ मानव संसाधन और विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग की आवश्यकता है।
- **डेटा गोपनीयता और नियामक ढांचा:** संप्रभु एआई मॉडल विकसित करने के साथ-साथ डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है।
- **प्रोटोटाइप से जन-अपनयन तक:** नवाचारों को प्रयोगशाला से निकालकर व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक उपयोग में लाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह:

- भारत को अपने एआई विज़न को साकार करने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी।
  - » **अवसंरचना में निवेश बढ़ाना:** उन्नत GPU, डेटा केंद्रों और सेमीकंडक्टर निर्माण में दीर्घकालिक निवेश से घरेलू एआई विकास को मजबूती मिलेगी।
  - » **सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहन:** सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को सुदृढ़ कर नवाचार को गति दी जा सकती है।
  - » **संप्रभु और बहुभाषी एआई पर बल:** स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित एआई प्रणालियों को विकसित करना डिजिटल समावेशन को सुनिश्चित करेगा।
  - » **नैतिक और पारदर्शी शासन ढांचा:** एआई के सुरक्षित, जवाबदेह और मानव-केंद्रित उपयोग के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश और नियामक तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
  - » **एआई फॉर पब्लिक गुड:** स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित कर सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- इन प्रयासों के माध्यम से भारत न केवल अपनी तकनीकी स्वायत्तता को सुदृढ़ कर सकता है, बल्कि वैश्विक एआई परिदृश्य में एक जिम्मेदार और समावेशी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और सर्वम एआई द्वारा प्रदर्शित प्रगति, भारत की एआई यात्रा में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक है। स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल को प्रोत्साहन देकर, नैतिक और समावेशी एआई को बढ़ावा देकर, तथा न्यू दिल्ली घोषणा के माध्यम से वैश्विक सहमति निर्मित कर, भारत स्वयं को एक जिम्मेदार एआई नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित कर रहा है। जैसे-जैसे तकनीक विकसित होगी, संप्रभुता, समावेशन और मानव-केंद्रित एआई पर भारत का ध्यान उसकी अगली डिजिटल क्रांति के नेतृत्व की आकांक्षा का केंद्रीय तत्व बना रहेगा।

कैंसर पर डब्लूएचओ रिपोर्ट

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इसकी अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (IARC) द्वारा किए गए एक नए वैश्विक विश्लेषण में यह पाया गया है कि भारत में निदान किए जाने वाले कैंसर के मामलों में से लगभग चार में से एक (करीब 40%) मामलों को रोका जा सकता है। यह अध्ययन विश्व कैंसर दिवस (4 फरवरी 2026) से पहले जारी किया गया, जो भारत और वैश्विक स्तर पर कैंसर के बोझ को कम करने में रोकथाम रणनीतियों की विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है।

डब्लूएचओ विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्ष:

- 185 देशों और 36 प्रकार के कैंसर के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली WHO–IARC रिपोर्ट के अनुसार:
  - » वैश्विक स्तर पर सभी नए कैंसर मामलों में से लगभग 37% (2022 में करीब 71 लाख मामले) रोके जा सकने वाले कारणों से जुड़े थे।
  - » भारत में लगभग चार में से चार कैंसर मामलों में से करीब चार में से एक (लगभग 5.2 लाख मामले) जोखिम कारकों में बदलाव के माध्यम से संभावित रूप से रोके जा सकते हैं।
  - » **लैंगिक अंतर:** रोके जा सकने वाले कैंसर मामलों में से चार में से अधिक मामले पुरुषों में पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में यह अनुपात लगभग तीन में से एक है।

कारण:

- विश्लेषण में कई ऐसे परिवर्तनीय (modifiable) कारकों की पहचान की गई है, जो कैंसर के मामलों के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं:
  - » **तंबाकू का सेवन:** सबसे बड़ा रोके जा सकने वाला कारण, जो फेफड़े, मुखगुहा और कई अन्य अंगों के कैंसर से जुड़ा है।
  - » **संक्रमण:** मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसे संक्रमण, जो क्रमशः गर्भाशय ग्रीवा और आमाशय (पेट) के कैंसर से जुड़े हैं।
  - » **अन्य कारक:** शराब का सेवन, उच्च बॉडी मास इंडेक्स (BMI), शारीरिक निष्क्रियता, वायु प्रदूषण और पराबैंगनी (UV) विकिरण के संपर्क से कैंसर का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

भारत में रोके जा सकने वाले कैंसर:

- भारत में प्रमुख रूप से रोके जा सकने वाले कैंसरों में शामिल हैं:
  - » **मुख कैंसर:** तंबाकू धूम्रपान, धुआँरहित तंबाकू और सुपारी (एरिका नट) के सेवन से प्रेरित।
  - » **फेफड़े और आमाशय के कैंसर:** धूम्रपान और दीर्घकालिक संक्रमणों से जुड़े।
  - » **गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर:** जिनमें HPV टीकाकरण, नियमित जांच (स्क्रीनिंग) और जीवनशैली में सुधार से घटनाओं की दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- ये निष्कर्ष भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत देते हैं:
  - » तंबाकू नियंत्रण और नशा-निवारण उपाय, जैसे उच्च कराधान और निरंतर जन-जागरूकता अभियान कैंसर दरों को उल्लेखनीय रूप से घटा सकते हैं।
  - » HPV और हेपेटाइटिस-बी के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम संक्रमण-जनित कैंसरों को रोक सकते हैं।
  - » संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और शराब सेवन में कमी सहित स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना आवश्यक है।
  - » विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, प्रारंभिक जांच (स्क्रीनिंग) और निवारक सेवाओं तक बेहतर पहुंच से समय रहते पहचान और उपचार के परिणाम सुधर सकते हैं।

कैंसर के विषय में:

- कैंसर रोगों का एक समूह है, जिसकी विशेषता कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, सामान्य कोशिका मृत्यु तंत्र से बच निकलना और आसपास के ऊतकों में आक्रमण या दूरस्थ अंगों तक फैलने (मेटास्टेसिस) की क्षमता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर ट्यूमर बनते हैं। इसके कारणों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जीवनशैली संबंधी विकल्प, पर्यावरणीय संपर्क और संक्रमण शामिल हैं।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - » **असामान्य कोशिका वृद्धि:** डीएनए क्षति के कारण कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और नियोजित कोशिका मृत्यु का प्रतिरोध करती हैं।
  - » **ट्यूमर:** ये कम (गैर-कैंसरयुक्त) या घातक (कैंसरयुक्त) हो सकते हैं।
  - » **मेटास्टेसिस:** घातक कोशिकाएँ रक्त या लसीका तंत्र के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं।
- **प्रकार:**
  - » **ठोस ट्यूमर:** कार्सिनोमा (जैसे त्वचा, फेफड़े, स्तन) और सारकोमा (हड्डी, मांसपेशी)।
  - » **रक्त कैंसर:** ल्यूकेमिया और लिम्फोमा।

निष्कर्ष:

WHO रिपोर्ट का यह निष्कर्ष कि भारत में लगभग 40% कैंसर रोके जा सकते हैं, स्वास्थ्य प्रणालियों और नीति-निर्माताओं के लिए उपचार-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर रोकथाम और प्रारंभिक पहचान पर जोर देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। तंबाकू, संक्रमण, जीवनशैली विकल्पों और पर्यावरणीय जोखिम कारकों को संबोधित करने वाले समन्वित, बहु-क्षेत्रीय प्रयास कैंसर के बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल लागत को घटा सकते हैं।

हीलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग

संदर्भ:

चीन के नानजिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नया सेंसर विकसित किया है, जो हीलियम का पता लगाने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बजाय ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। यह शोध दिसंबर 2025 में 'एप्लाइड फिजिक्स लेटर्स' (Applied Physics Letters) में प्रकाशित हुआ था।

हीलियम के बारे में:

- हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन और अक्रिय गैस है। इसका उपयोग उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे एमआरआई (MRI) मशीनों को ठंडा रखने से लेकर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण तक। उच्च-तकनीकी अनुप्रयोगों में इसकी उपयोगिता के बावजूद, हीलियम वैश्विक स्तर पर एक दुर्लभ और महंगा संसाधन है।
- इसकी बर्बादी को रोकने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और औद्योगिक दक्षता बनाए रखने के लिए छोटे से छोटे रिसाव का पता लगाना और उसका स्थान जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक गैस सेंसर, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, हीलियम का पता लगाने में संघर्ष करते हैं क्योंकि यह रासायनिक रूप से स्थिर है और आमतौर पर सेंसर सामग्री के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है।

सेंसर कैसे काम करता है?

- यह सेंसर ध्वनि को रोकने के लिए एक 'कागोम जाली' (आपस में जुड़े त्रिकोण और षट्भुज) में ध्वनिक टोपोलॉजिकल सामग्री का उपयोग करता है।
- ट्यूबों द्वारा जुड़े नौ सिलेंडर हवा और हीलियम को अंदर आने देते हैं। इसमें लगे स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और तीन कोनों पर लगे माइक्रोफोन संकेतों को मापते हैं।
- पता लगाना (Detection): हीलियम फंसी हुई ध्वनि तरंगों की गति और आवृत्ति को बदल देती है।

पारंपरिक सेंसरों की तुलना में लाभ:

- **मजबूती और स्थिरता:**
  - » यह सेंसर रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं है, जो इसे हीलियम जैसी अक्रिय गैसों का पता लगाने के लिए आदर्श बनाता है।
  - » यह बाहरी स्थितियों (तापमान, आर्द्रता) से अप्रभावित रहता है, जो आमतौर पर रासायनिक सेंसरों को अस्थिर कर देती हैं।
  - » इसका टोपोलॉजिकल डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि संरचनात्मक खामियों के बावजूद ध्वनि को पकड़ने का तंत्र लचीला बना रहे। साथ ही, तेजी से माप लेने के लिए गैस इनपुट के रास्ते काफी बड़े रखे गए हैं।
- **दिशात्मक पहचान (Directional Detection):** त्रिभुजाकार विन्यास की एक अनोखी विशेषता यह है कि यह रिसाव के स्रोत की

दिशा निर्धारित कर सकता है:

» तीनों कोनों पर आवृत्ति में बदलाव की गति की तुलना करके हीलियम के प्रवेश की दिशा ज्ञात की जा सकती है।

» यह क्षमता अधिकांश बिंदु-आधारित सेंसरों में उपलब्ध नहीं होती।

अनुप्रयोग (Applications):

- एयरोस्पेस, स्वास्थ्य सेवा (MRI सिस्टम) और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में हीलियम रिसाव का पता लगाना आवश्यक है।
- यह नया उपकरण 'मास-स्पेक्ट्रोमेट्री' आधारित डिटेक्टरों का एक बहुत सस्ता और तेज़ विकल्प है, जो काफी महंगे और भारी होते हैं।

निष्कर्ष:

यह नवाचार गैस सेंसिंग को रासायनिक तरीकों से हटाकर 'ध्वनिक-टोपोलॉजिकल' (acoustic-topological) तरीकों की ओर ले जाता है। यह हीलियम की संवेदनशील, स्थिर और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाता है, जिसमें संसाधन संरक्षण और औद्योगिक सुरक्षा में सुधार करने की अपार संभावनाएं हैं।

भारत में सर्पदंश (स्नेकबाइट) की बढ़ती समस्या

संदर्भ:

ग्लोबल स्नेक बाइट टास्कफोर्स की हालिया रिपोर्ट, भारत में सर्पदंश के मामलों के प्रभावी उपचार की क्षमता में गंभीर कमी को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 99 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों को एंटीवेनम देने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंटीवेनम एक जीवनरक्षक उपचार है, जो साँप के ज़हर में मौजूद विषाक्त तत्वों को निष्क्रिय करता है।

पृष्ठभूमि:

- विश्व में सर्पदंश से होने वाली कुल मौतों में से लगभग आधी भारत में होती हैं। प्रतिवर्ष लगभग 58,000 लोगों की मृत्यु सर्पदंश के कारण होती है। भारत एंटीवेनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद, समय पर इलाज तक पहुँच की कमी, कमजोर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण प्रभावी उपचार बाधित होता है।
- सर्पदंश एक "मूक संकट" के रूप में उभर रहा है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित समुदायों को प्रभावित करता है, विशेषकर मानसून के दौरान। इसके साथ ही, तेज़ शहरीकरण और खराब कचरा प्रबंधन के कारण शहरी क्षेत्रों में भी इसका जोखिम बढ़ता जा रहा है।

वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य:

- विश्व स्तर पर हर वर्ष लगभग 5.4 मिलियन लोगों को साँप काटते हैं, जिनमें से 1.8 से 2.7 मिलियन मामलों में ज़हर शरीर में प्रवेश करता है। प्रतिवर्ष, सर्पदंश के कारण दुनिया भर में 81,410 से 137,880 के बीच मौतें होती हैं, जबकि अनेक जीवित बचे लोगों को अंग-विच्छेदन या स्थायी विकलांगता जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्पदंश को उच्च-प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी घोषित किया है।
- भारत में विषैले साँपों की विविधता अत्यधिक है। देश में 300 से अधिक साँप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 60 से अधिक विषैली हैं। "बिग फोर", भारतीय कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर, अधिकांश सर्पदंश से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।
- 2001 से 2014 के बीच किए गए एक अध्ययन के अनुसार, इस अवधि में लगभग 12 लाख मौतें और 36 लाख स्थायी विकलांगता के मामले सामने आए। इसका तात्पर्य है कि लगभग हर 250 में से एक भारतीय को अपने जीवनकाल में सर्पदंश से मृत्यु का जोखिम है।

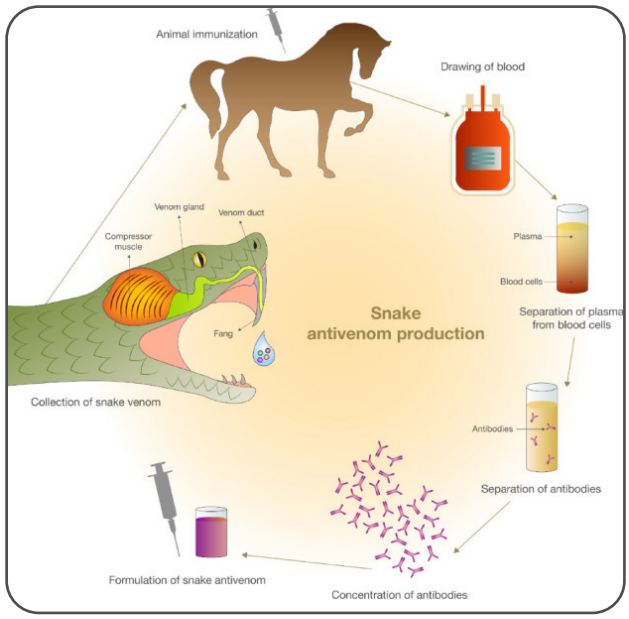

एंटीवेनम के बारे में:

- साँप के ज़हर में हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन पाए जाते हैं, जो रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, तंत्रिकाओं को पंगु बना सकते हैं और शरीर के ऊतकों को क्षति पहुँचा सकते हैं।
- एंटीवेनम ऐसे जीवनरक्षक औषधीय पदार्थ हैं, जो ज़हर के विषैले तत्वों से जुड़कर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सके। भारत में उपलब्ध बहुविषी एंटीवेनम मुख्यतः "बिग फोर" साँपों के ज़हर के विरुद्ध प्रभावी हैं, लेकिन किंग कोबरा या पिट वाइपर जैसी अन्य प्रजातियों के ज़हर को पूरी तरह कवर नहीं करते।
- एंटीवेनम निर्माण की प्रक्रिया में विषैले साँपों से ज़हर निकाला जाता है, फिर जानवरों (आमतौर पर घोड़े या भेड़) को उससे प्रतिरक्षित किया जाता है और बाद में उनके शरीर से एंटीबॉडी प्राप्त की जाती हैं। तमिलनाडु की इरुला जनजाति एंटीवेनम उत्पादन में प्रयुक्त लगभग 80 प्रतिशत ज़हर की आपूर्ति करती है। यह कार्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियामक अनुमति के साथ किया जाता है।

एंटीवेनम तक पहुँच में चुनौतियाँ:

- घरेलू स्तर पर उत्पादन होने के बावजूद, एंटीवेनम की उपलब्धता कई बाधाओं से प्रभावित है:
  - » **भौगोलिक:** दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
  - » **सांस्कृतिक:** अंधविश्वास और पारंपरिक मान्यताओं के कारण समय पर अस्पताल न पहुँचना।
  - » **आर्थिक:** उत्पादन की उच्च लागत के कारण दवा का महँगा होना और सीमित उपलब्धता।
  - » **लॉजिस्टिक:** ठंडे भंडारण व्यवस्था की कमजोरी, जिससे एंटीवेनम की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- इन समस्याओं के कारण उपचार में देरी होती है, जटिलताएँ बढ़ती हैं और अनेक ऐसी मौतें होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है।

आगे की राह:

सर्पदंश से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए समग्र और व्यवस्थित प्रयास आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना, उचित भंडारण और प्रभावी वितरण व्यवस्था के साथ एंटीवेनम की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा स्वास्थ्यकर्मियों को सर्पदंश प्रबंधन और एंटीवेनम के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण देना शामिल है। साथ ही, समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि लोग समय पर अस्पताल पहुँचें और पारंपरिक या अवैज्ञानिक उपचारों पर निर्भर रहने से होने वाली देरी को रोका जा सके।

कैंसर इम्यूनोथेरेपी

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे) के शोधकर्ताओं ने कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए प्रयोगशाला में विकसित टी कोशिकाओं को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पुनः प्राप्त करने की एक अधिक अधिक कोमल और प्रभावी विधि विकसित की है। यह चरण कार टी-सेल थेरेपी जैसी उन्नत उपचार तकनीकों को विश्वसनीय और किफ़ायती बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्ययन बायोमैटीरियल्स साइंस नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और यूरोपीय बायोमैटीरियल्स सोसायटी के सम्मेलन संग्रह में भी शामिल किया गया है।

शोध के बारे में:

- कार टी-सेल थेरेपी में सबसे पहले रोगी के शरीर से टी कोशिकाएँ निकाली जाती हैं। इसके बाद प्रयोगशाला में इन्हें इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि वे कैंसर कोशिकाओं को बेहतर ढंग से पहचान सकें। फिर इन संशोधित कोशिकाओं की संख्या बढ़ाई जाती है और अंततः इन्हें दोबारा रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। हालाँकि टी कोशिकाओं को विकसित करने की तकनीकों में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन उन्हें पूरी तरह सुरक्षित, जीवित और कार्यक्षम अवस्था में पुनः प्राप्त करना अब भी एक बड़ी तकनीकी चुनौती बना हुआ है।
- पारंपरिक रूप से टी कोशिकाओं को समतल प्लास्टिक सतहों पर उगाया जाता है, जो मानव शरीर के प्राकृतिक वातावरण की सही नकल नहीं कर पातीं। इस समस्या के समाधान के लिए अब त्रि-आयामी रेशेदार ढाँचों का उपयोग किया जा रहा है, जो मानव ऊतकों जैसी संरचना प्रदान करते हैं।
- इससे टी कोशिकाएँ अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और बेहतर तरीके से विभाजित होती हैं, लेकिन इन रेशेदार ढाँचों से टी कोशिकाएँ बहुत मज़बूती से चिपक जाती हैं, जिससे उन्हें बिना नुकसान पहुँचाए

अलग करना कठिन हो जाता है।

- आईआईटी बॉम्बे की शोध टीम ने टी कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग विधियों का परीक्षण किया:
  - » पोषण माध्यम की सहायता से हाथों द्वारा कोशिकाओं को बाहर निकालना
  - » ट्राइपएल नामक एक शक्तिशाली एंज़ाइम का उपयोग
  - » एक्यूटेज़ नामक अपेक्षाकृत सौम्य एंज़ाइम घोल का उपयोग
- तीनों विधियों से लगभग समान संख्या में टी कोशिकाएँ प्राप्त हुईं, लेकिन एक्यूटेज़ विधि कोशिकाओं की जीवन क्षमता और प्रतिरक्षा से जुड़ी कार्यक्षमता को बनाए रखने में सबसे प्रभावी साबित हुई। एक्यूटेज़ से प्राप्त टी कोशिकाएँ आगे भी स्वस्थ रूप से बढ़ती रहीं और सामान्य टी कोशिकाओं की तरह कार्य करती रहीं। इसके विपरीत, अधिक कठोर विधियों से निकाली गई कोशिकाओं में उन सतही प्रोटीनों को क्षति पहुँची, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होते हैं।

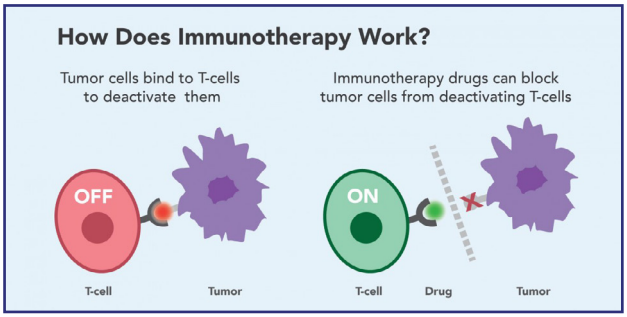

टी कोशिकाओं और कार टी-सेल थेरेपी के बारे में:

- **टी कोशिकाएँ क्या हैं?**
  - » टी कोशिकाएँ श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली की रीढ़ माना जाता है। ये कोशिकाएँ शरीर में लगातार निगरानी करती रहती हैं, असामान्य कोशिकाओं (जैसे कैंसर कोशिकाओं) की पहचान करती हैं और या तो उन्हें सीधे नष्ट करती हैं या अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करती हैं। इसी कारण इम्यूनोथेरेपी में टी कोशिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
- **कार टी-सेल थेरेपी क्या है?**
  - » कार टी-सेल थेरेपी एक उन्नत उपचार पद्धति है, जिसमें रोगी की अपनी टी कोशिकाओं को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि वे कैंसर कोशिकाओं को अधिक सटीकता और प्रभावशीलता से पहचान सकें और उन पर हमला कर सकें। इस प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:
    - ➢ रोगी के रक्त से टी कोशिकाओं को एकत्र करना
    - ➢ प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं में कार रिसेप्टर से संबंधित जीन को प्रविष्ट कराना
    - ➢ संशोधित टी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर उन्हें पुनः रोगी के शरीर में डालना
  - » विश्व स्तर पर कार टी-सेल थेरेपी को कुछ रक्त कैंसरों (जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा) के उपचार के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इस उपचार ने उन रोगियों में भी उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं, जिन पर पारंपरिक उपचार प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। हालाँकि यह उपचार अभी भी महँगा है और ठोस ट्यूमर वाले कैंसरों के लिए इस पर शोध जारी है।

इम्यूनोथेरेपी में कोशिका पुनः प्राप्ति का महत्व:

- केवल टी कोशिकाओं को विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है। इम्यूनोथेरेपी की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कोशिकाएँ पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान जीवित, पूरी तरह क्रियाशील और बिना क्षति के बनी रहें।
- आईआईटी बॉम्बे के शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि एक्यूटेज़ जैसी कोमल विधि से टी कोशिकाओं को सुरक्षित रूप से अलग किया जा सकता है। इससे अधिक स्वस्थ और प्रभावी टी कोशिकाएँ प्राप्त होती हैं, जो इम्यूनोथेरेपी को विश्वसनीय और बड़े स्तर पर लागू करने योग्य बनाती हैं।

निष्कर्ष:

आईआईटी बॉम्बे का यह अध्ययन कैंसर इम्यूनोथेरेपी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती "प्रयोगशाला में विकसित टी कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुँचाए पुनः प्राप्त करना" का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। यह शोध यह सिद्ध करता है कि पुनः प्राप्ति तकनीकें कोशिकाओं की सेहत और कार्यक्षमता को बनाए रखती हैं। इससे प्रभावी, बड़े पैमाने पर लागू होने योग्य और अधिक किफ़ायती कैंसर उपचार विकसित करने की दिशा में एक मज़बूत आधार तैयार होता है, जो भारत में उन्नत चिकित्सा को अधिक सुलभ बनाने के लक्ष्य को भी सशक्त समर्थन देता है।

तारे के ब्लैक होल बनने का स्पष्ट प्रमाण

संदर्भ:

हाल ही में खगोलविदों ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा में स्थित एक तारे M31

2014 DS1 को सीधे ब्लैक होल में परिवर्तित होते हुए देखा। यह अब तक का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि कोई तारा बिना सुपरनोवा विस्फोट के भी अचानक गायब होकर ब्लैक होल बन सकता है।

तारा कैसे ढहता है?

- तारे मूलतः दो विपरीत बलों के बीच संतुलन की अवस्था में रहते हैं:
  - » **बाहरी दाब (Outward Pressure):** यह दाब तारे के केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन (Hydrogen - Helium) प्रक्रिया से उत्पन्न होता है।
  - » **आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल (Inward Pull):** तारे का विशाल द्रव्यमान उसे भीतर की ओर खींचता है।
- जब किसी विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन रुक जाता है और बाहरी दाब समाप्त हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाता है और तारे का केंद्र तेजी से संकुचित होकर ढहने लगता है।

तारे का अंतिम परिणाम:

- तारा अंततः क्या बनेगा, यह उसके कोर (Core) के द्रव्यमान पर निर्भर करता है:

कोर का द्रव्यमान	संभावित परिणाम
सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से कम	श्वेत बौना (White Dwarf)
1.4 – 3 गुना के बीच	न्यूट्रॉन तारा (Neutron Star)
3 गुना से अधिक	ब्लैक होल (Black Hole)

- 1.4 सौर द्रव्यमान सीमा को चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit) कहा जाता है।
- 3 सौर द्रव्यमान तक की सीमा को टॉलमैन–ओपेनहाइमर–वोल्कॉफ सीमा (TOV Limit) कहा जाता है।
- यदि तारे का कोर इन सीमाओं से अधिक भारी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाता है कि पदार्थ पूरी तरह संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल जाता है।

खोज का महत्व:

- यह सिद्ध करता है कि ब्लैक होल केवल विस्फोटक सुपरनोवा से ही नहीं बनते, बल्कि कुछ तारे "मूक मृत्यु" (Silent Death) के माध्यम से भी सीधे ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकते हैं।
- इससे तारकीय विकास (Stellar Evolution) की हमारी समझ में सुधार होगा।
- यह ब्रह्मांड में ब्लैक होल के निर्माण की दर और उनकी उत्पत्ति के नए मॉडल विकसित करने में सहायक होगा।
- साथ ही, यह ब्रह्मांड के दीर्घकालिक विकास (Cosmic Evolution) को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ब्लैक होल बनने के प्रमुख तरीके:

- **सुपरनोवा विस्फोट द्वारा निर्माण:** अधिकांश विशाल तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करते हैं। विस्फोट के बाद बचा हुआ अत्यधिक घना कोर ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है।
- **प्रत्यक्ष ढहाव (Direct Collapse / Failed Supernova):** कुछ तारे, जैसे M31 2014 DS1, बिना किसी विस्फोट के चुपचाप ढह जाते हैं और सीधे ब्लैक होल बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को "फेल्ड सुपरनोवा" कहा जाता है। इस स्थिति में आसपास के तारे अपनी कक्षा में बने रहते हैं, जैसा कि V404 Cygni ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम में देखा गया है।

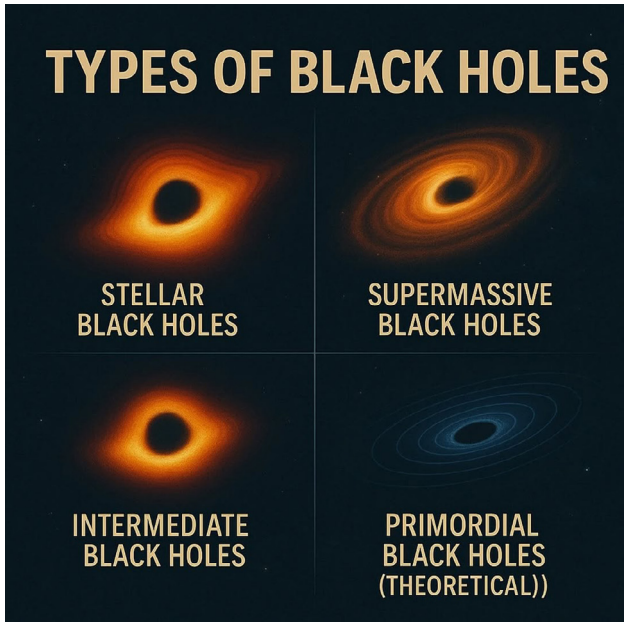

ब्लैक होल के मुख्य भाग:

- **सिंगुलैरिटी (Singularity):** ब्लैक होल का केंद्र, जहाँ घनत्व अनंत माना जाता है।
- **इवेंट होराइजन (Event Horizon):** वह सीमा जहाँ से प्रकाश सहित कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती।
- **अभिवृद्धि चक्र (Accretion Disk):** ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल का चक्र, जो अत्यधिक तापमान के कारण एक्स-रे

विकिरण उत्सर्जित करता है। इसी के माध्यम से वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता लगाते हैं।

हाल की महत्वपूर्ण खोजें:

- **Gaia BH3:** मिल्की वे आकाशगंगा में खोजा गया ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 33 गुना अधिक है।
- **सैजिटेरियस A*:** हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित महाविशालकाय ब्लैक होल।
- **इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT):** वर्ष 2019 में पहली बार ब्लैक होल की छाया की तस्वीर लेने में सफल रहा।

दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए जीन एडिटिंग की नई तकनीक

संदर्भ:

हाल ही में 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में ब्रॉड इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नई जीनोम-एडिटिंग रणनीति का प्रदर्शन किया है। PERT (प्राइम-एडिटिंग-मीडिएटेड रीडथ्रू ऑफ प्रीमैच्योर टर्मिनेशन कोडन) नामक यह तकनीक एक ही दृष्टिकोण से कई आनुवंशिक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। यह उन बीमारियों के लिए एक 'जीन-एग्नोस्टिक' समाधान प्रदान करती है, जिनके लिए पहले हर म्यूटेशन के लिए अलग उपचार की आवश्यकता होती थी।

नॉनसेंस म्यूटेशन के बारे में:

- लगभग 25% ज्ञात रोग पैदा करने वाले आनुवंशिक परिवर्तन इसी म्यूटेशन के कारण होते हैं।
  - » **प्रभाव:** ये म्यूटेशन डीएनए में एक समय-पूर्व "स्टॉप कोडन" उत्पन्न कर देते हैं, जिससे शरीर में प्रोटीन का उत्पादन बीच में ही रुक जाता है।
  - » **संबंधित बीमारियां:** सिस्टिक फाइब्रोसिस (Cystic Fibrosis), बैटन रोग, टे-सैक्स (Tay-Sachs) रोग और नीमन-पिक रोग टाइप-C इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
  - » **वर्तमान चुनौती:** अभी तक प्रत्येक म्यूटेशन के लिए अलग थेरेपी की आवश्यकता होती है, जिससे इलाज बहुत महंगा और समय लेने वाला हो जाता है।

PERT रणनीति क्या है?

- प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में डीएनए के निर्देशों को mRNA में कॉपी किया जाता है, जिसे 'कोडन' (तीन अक्षरों के समूह) के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया में tRNA (ट्रांसफर आरएनए) अनुवादक के रूप में कार्य करते हैं और सही अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुँचाते हैं।

तकनीक की कार्यप्रणाली:

- मानव कोशिकाओं में लगभग 418 tRNA जीन होते हैं, जिनमें से कई गैर-जरूरी होते हैं।
- वैज्ञानिकों ने इन गैर-जरूरी tRNA को 'सप्रेसर tRNA' (Suppressor tRNA) में बदल दिया।
- यह विशेष tRNA दोषपूर्ण 'स्टॉप सिग्नल' को अनदेखा कर देता है और प्रोटीन के निर्माण को रुकने नहीं देता।
- शोधकर्ताओं ने प्राइम एडिटिंग का उपयोग करके एक सामान्य tRNA जीन को स्थायी रूप से 'सप्रेसर tRNA' में बदल दिया, जिससे सुरक्षा और प्रभावशीलता दोनों बनी रहती है।

जीन एडिटिंग के प्रमुख उपकरण:

- जीन एडिटिंग का अर्थ है जीवित कोशिकाओं के डीएनए में सटीक बदलाव करना। इसके मुख्य उपकरण हैं:
  - » **CRISPR-Cas9:** शुरुआती और लोकप्रिय तकनीक।
  - » **बेस एडिटिंग:** व्यक्तिगत डीएनए अक्षरों को बदलना।
  - » **प्राइम एडिटिंग:** यह एक उन्नत जीनोम-एडिटिंग तकनीक है जिसे 'सर्च-एंड-रिप्लेस' टूल कहा जाता है। यह डीएनए की दोनों लड़ियों को पूरी तरह काटे बिना केवल एक लड़ी में लक्षित सुधार करती है। इससे 'ऑफ-टारगेट इफेक्ट्स' (अनचाहे आनुवंशिक बदलाव) का जोखिम न्यूनतम हो जाता है और जीनोमिक सटीकता बनी रहती है।

शोध के महत्वपूर्ण निहितार्थ :

- **सार्वभौमिक उपचार:** एक ही रणनीति से कई अलग-अलग आनुवंशिक विकारों का इलाज संभव।
- **लागत और समय में कमी:** हर बीमारी के लिए अलग दवा बनाने की जरूरत नहीं होगी।
- **प्रिसिजन मेडिसिन:** यह विशिष्ट जीन के बजाय 'प्लेटफॉर्म-आधारित' उपचारों की ओर एक बड़ा कदम है।

चुनौतियाँ:

- शरीर के विभिन्न अंगों तक इसकी प्रभावी पहुंच ।

- दीर्घकालिक सुरक्षा का परीक्षण।
- नैतिक और नियामक चुनौतियाँ।

निष्कर्ष:

PERT रणनीति जेनेटिक मेडिसिन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हालांकि इसके क्लीनिकल ट्रायल और सुरक्षा मानकों पर अभी और काम होना बाकी है, लेकिन यह तकनीक दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लाखों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है।

लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSDs) के लिए राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज विकारों (Lysosomal Storage Disorders) के लिए अपनी पहली सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक की स्थापना की है। एलएसडी 70 से अधिक दुर्लभ, आनुवंशिक चयापचय रोगों का समूह है, जो प्रायः गंभीर और जानलेवा होते हैं तथा जिनके लिए प्रभावी उपचार बहुत सीमित हैं।

लाइसोसोमल स्टोरेज विकार के बारे में:

- एलएसडी दुर्लभ आनुवंशिक चयापचय रोग होते हैं, जो उन विशेष एंजाइमों या सहायक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनकी सहायता से शरीर, वसा और शर्करा जैसे जटिल अणुओं को तोड़ता है। इनकी कमी से कोशिकाओं में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे समय के साथ विभिन्न अंगों को क्षति पहुँचती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- अनुमान है कि भारत में 12,000 से अधिक लोग एलएसडी से प्रभावित हैं।
- वर्तमान में एलएसडी के बहुत कम रोगों के लिए ही उपचार उपलब्ध हैं, और जो उपचार उपलब्ध हैं वे अत्यंत महंगे (लगभग प्रति रोगी प्रति वर्ष ₹1 करोड़ से अधिक) होते हैं।

बायोबैंक के बारे में:

- बायोबैंक एक विशेष सुविधा होती है, जहाँ मानव जैविक नमूनों "जैसे रक्त, ऊतक, डीएनए और मूत्र" को एकत्र, संसाधित और सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है। इनके साथ संबंधित स्वास्थ्य जानकारी भी रखी जाती है, ताकि चिकित्सा अनुसंधान किया जा सके। ऐसे संग्रह रोगों को समझने, नए उपचार विकसित करने और रोगी-केंद्रित उपचार पद्धतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- बायोबैंक में नैतिक मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिससे प्रतिभागियों की गोपनीयता बनी रहे और उनकी सूचित सहमति सुनिश्चित हो।

बायोबैंक की प्रमुख विशेषताएँ:

- **राष्ट्रीय संसाधन:** यह बायोबैंक देश के 15 राज्यों से पहचाने गए 530 रोगियों के जैविक नमूनों और उनके विस्तृत चिकित्सीय आँकड़ों का समेकित राष्ट्रीय संग्रह है।
- **जैविक नमूनों का व्यापक संग्रह:** इसमें रक्त से प्राप्त जीनोमिक डीएनए, प्लाज़्मा और मूत्र के नमूने सुरक्षित रूप से संग्रहीत हैं। साथ ही प्रत्येक रोगी का विस्तृत क्लिनिकल विवरण, एंजाइम गतिविधि संबंधी जानकारी और आनुवंशिक प्रोफ़ाइल भी उपलब्ध है।
- **विविध रोगों का समावेश:** इस बायोबैंक में लाइसोसोमल भंडारण विकारों के 27 अलग-अलग प्रकार शामिल हैं। इनमें गौशे रोग (Gaucher disease), टे-सैक्स रोग (Tay-Sachs disease), म्यूकोलिपिडोसिस (Mucolipidosis) तथा मॉरक्वियो ए सिंड्रोम (Morquio A syndrome) जैसे अपेक्षाकृत अधिक पाए जाने वाले विकार भी सम्मिलित हैं।
- **केंद्रीकृत डिजिटल मंच:** एक सुव्यवस्थित डिजिटल डाटाबेस के माध्यम से सभी चिकित्सीय और जीनोमिक आँकड़ों को संगठित रूप से सुरक्षित रखा गया है। इससे शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और संस्थानों को संरचित, पारदर्शी और सुगम पहुँच प्राप्त होती है, जो प्रभावी अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देती है।

अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान:

- **आँकड़ों की कमी को दूर करना:** यह बायोबैंक एलएसडी के लिए लंबे समय से महसूस की जा रही राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत चिकित्सीय और जीनोमिक रजिस्ट्री की कमी को पूरा करता है।
- **उपचार विकास में सहायता:** शोधकर्ता इन आँकड़ों का उपयोग जाँच उपकरणों, रोग मॉडलों और नए उपचार विकल्पों के विकास के लिए कर रहे हैं, जिनमें स्टेम सेल आधारित शोध सहयोग भी शामिल हैं।
- **सटीक चिकित्सा को बढ़ावा:** यह संग्रह जीन और लक्षणों के आपसी संबंध के अध्ययन तथा रोग के प्राकृतिक इतिहास के विश्लेषण के लिए मंच प्रदान करता है, जिससे भविष्य में अधिक सटीक निदान और रोगी के अनुसार उपचार संभव हो सकेगा।
- **दुर्लभ रोग नीति से तालमेल:** यह बायोबैंक भारत की राष्ट्रीय

दुर्लभ रोग नीति के उद्देश्यों को मजबूत करता है, जिसका लक्ष्य दुर्लभ आनुवंशिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, सहायता और उपचार तक पहुँच में सुधार करना है।

निष्कर्ष:

लाइसोसोमल भंडारण विकारों के लिए भारत की राष्ट्रीय बायोबैंक दुर्लभ रोगों के प्रबंधन, अनुसंधान ढाँचे और चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है। यह पहल इन जटिल आनुवंशिक रोगों को बेहतर ढंग से समझने, समय पर निदान करने और भविष्य में प्रभावी उपचार विकसित करने की दिशा में नई आशा प्रदान करती है।

दीर्घकालिक रेटिना रोगों के लिए बायोसिमिलर

संदर्भ:

हाल ही में ज़ाइडस लाइफसाइंसेज (Zydus Lifesciences) लिमिटेड ने एनीरा (ANYRA) नामक दवा लॉन्च की है, जो 2 मि.ग्रा. एफ्लिबरसेप्ट (Aflibercept) की भारत में विकसित पहली बायोसिमिलर दवा है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक रहने वाली गंभीर नेत्र-बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनमें समय पर उपचार न मिलने पर स्थायी दृष्टि जाने का खतरा रहता है। इस पहल से महंगी जैविक दवाओं तक भारतीय मरीजों की पहुँच पहले की तुलना में अधिक आसान और किफायती होगी।

बायोसिमिलर क्या होते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- बायोसिमिलर ऐसी जैविक दवाएँ होती हैं जो पहले से स्वीकृत मूल जैविक दवाओं के अत्यंत समान होती हैं। इनकी सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता में चिकित्सकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया जाता।
- साधारण जेनेरिक दवाओं के विपरीत, बायोसिमिलर का विकास एक जटिल और वैज्ञानिक रूप से उन्नत प्रक्रिया है। इसके लिए आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी, विशेष कोशिका-रेखा (सेल लाइन) का विकास, बड़े पैमाने पर नियंत्रित उत्पादन तथा कठोर क्लिनिकल परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका निर्माण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और संसाधन-सघन होता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्व:

- दीर्घकालिक रेटिना रोग "जैसे आयु-संबंधी मैक्युलर डिजनरेशन (AMD), डायबिटिक मैक्युलर एडीमा (DME) और रेटिनल वेन ऑक्लूज़न (RVO)" में प्रायः आँख के अंदर बार-बार इंजेक्शन देने पड़ते हैं। यह उपचार लंबी अवधि तक चलता है और काफी महंगा हो सकता है, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य प्रणाली दोनों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।
- एनीरा (ANYRA) का स्वदेशी निर्माण उपचार की लागत को कम करने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होगा। इससे मरीज नियमित रूप से उपचार जारी रख सकेंगे और रोकी जा सकने वाली अंधता के मामलों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
- भारत में वृद्धजन आबादी लगातार बढ़ रही है और मधुमेह के मामलों की संख्या भी अधिक है। ऐसी स्थिति में सस्ती और प्रभावी जैविक दवाओं की उपलब्धता नेत्र-चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा सभी वर्गों तक समान स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

व्यापक प्रभाव:

- यह पहल भारत के बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करती है और यह दर्शाती है कि देश जटिल जैविक दवाओं के अनुसंधान, विकास और निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- इसके माध्यम से भारत वैश्विक बायोसिमिलर बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत कर सकता है, आयातित जैविक दवाओं पर निर्भरता घटा सकता है और समग्र स्वास्थ्य व्यय को कम करने में योगदान दे सकता है।
- नीतिगत दृष्टिकोण से यह कदम सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों तक उन्नत उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

एनीरा (ANYRA) का लॉन्च भारत में उन्नत रेटिना उपचार को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल है। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को सशक्त करता है, देश की जैव-प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत बनाता है और यह संकेत देता है कि भारतीय दवा कंपनियाँ अब उच्च-मूल्य जैविक दवाओं के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण

संदर्भ:

केंद्र सरकार देशभर में एकल-खुराक ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के बीच गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के अधिक बोझ को कम करना है। यह अभियान 90 दिनों तक विशेष रूप से चलाया जाएगा और बाद में इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा।

अभियान के बारे में:

- इस टीकाकरण अभियान के तहत देश की 14 वर्ष आयु की सभी लड़कियों को शामिल किया जायेगा। किशोरावस्था को टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि एचपीवी के संपर्क से पहले लगाया गया टीका अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है।
- पात्र लाभार्थी U-Win डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगी और निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवा सकेंगी। 90-दिवसीय अभियान के बाद यह टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से नियमित रूप से उपलब्ध रहेगा।
- चूंकि भारत में हर वर्ष लगभग 1.15 करोड़ लड़कियां 14 वर्ष की आयु पूरी करती हैं, इसलिए इस पहल को एक बार के कार्यक्रम के बजाय निरंतर और दीर्घकालिक अभियान के रूप में तैयार किया गया है।

गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में:

- गर्भाशय ग्रीवा कैंसर गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) की कोशिकाओं में विकसित होता है और आमतौर पर उच्च-जोखिम एचपीवी प्रकारों के लंबे समय तक बने रहने वाले संक्रमण के कारण होता है। हालांकि कई एचपीवी संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि संक्रमण लगातार बना रहे तो यह पूर्व-कैंसर घाव (प्री-कैंसरस लीज़न) उत्पन्न कर सकता है, जो समय पर उपचार न मिलने पर आक्रामक कैंसर में बदल सकता है।
- गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के अलावा, एचपीवी का संबंध गुदा, लिंग, योनि तथा गले (ओरोफैरिंजियल) के कैंसर से भी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जहाँ 2007 से एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम लागू है, वहाँ समय के साथ एचपीवी संक्रमण और पूर्व-कैंसर स्थितियों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
- प्रारंभिक आयु में टीकाकरण और नियमित स्क्रीनिंग (जांच) को साथ में अपनाना, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की सबसे प्रभावी रणनीति मानी जाती है।
- भारत में महिलाओं के बीच गर्भाशय ग्रीवा कैंसर दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। हर वर्ष लगभग 1.25 लाख नए मामले सामने आते हैं और करीब 75,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। चूंकि लगभग 90% मामले लगातार एचपीवी संक्रमण के कारण होते हैं, इसलिए टीकाकरण कवरेज का विस्तार सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रमुख प्राथमिकता बन गया है।

एचपीवी टीके के बारे में:

- एचपीवी टीका वायरस के उन उच्च-जोखिम प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो अधिकांश गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9 से 20 वर्ष आयु की लड़कियों के लिए एकल-खुराक टीकाकरण अनुसूची की सिफारिश की, जो दीर्घकालिक सुरक्षा के मजबूत वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है।
- वर्तमान चरण में सरकार गार्डासिल टीके का उपयोग करेगी, जिसका निर्माण एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा किया जाता है। यह टीका एचपीवी प्रकार 16 और 18 से सुरक्षा देता है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 70% गर्भाशय ग्रीवा कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके विभिन्न संस्करण अन्य प्रकारों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- भारत ने अपना स्वदेशी एचपीवी टीका 'सर्वावैक' भी विकसित किया है, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। आवश्यक अनुमोदनों के बाद इसे व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

निष्कर्ष:

देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान एक महत्वपूर्ण निवारक स्वास्थ्य पहल है। वायरस के संपर्क से पहले किशोरियों को लक्षित करके भारत भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामलों और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से, व्यापक कवरेज और निरंतर जन-जागरूकता के साथ लागू किया गया, तो यह अभियान बड़े पैमाने पर रोके जा सकने वाले इस कैंसर के विरुद्ध भारत की लड़ाई में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है।

6 आर्थिक मुद्दे

ऑरेंज इकोनॉमी: भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान का नया क्षितिज

सन्दर्भ:

इक्कीसवीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक शक्ति का मापदंड अब केवल सेवा या औद्योगिक उत्पादन नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, सांस्कृतिक प्रभाव और विचारों की गति भी है जो कल्पना, नवाचार और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के धरातल पर आकार ले रही है। इसी संदर्भ में 'ऑरेंज इकोनॉमी' (Orange Economy) की अवधारणा उभरकर आई है, जहाँ रचनात्मकता को आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में देखा जा रहा है।

भारत जैसे विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र के लिए, ऑरेंज इकोनॉमी न केवल विकास का एक इंजन है, बल्कि यह अपनी 'सॉफ्ट पावर' (Soft Power) को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ करने का एक रणनीतिक माध्यम भी है। इसी महत्त्व को देखते हुए हाल में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री को देश की सर्विस-लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी के केंद्र में रखा। यह पहली बार है जब सरकार ने स्पष्ट तौर पर ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी को मुख्यधारा में लाने का संकेत दिया है।

ऑरेंज इकोनॉमी:

- ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे सामान्यतः "क्रिएटिव इकोनॉमी" भी कहा जाता है, उन आर्थिक गतिविधियों का समूह है जो विचारों, ज्ञान, सांस्कृतिक पूंजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आधारित होती हैं। इसमें फिल्म एवं संगीत उद्योग, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स (AVGC), डिजिटल कंटेंट निर्माण, डिजाइन एवं फैशन, विज्ञापन एवं प्रकाशन, सांस्कृतिक पर्यटन और लाइव एंटरटेनमेंट एवं मीडिया क्षेत्र शामिल हैं।
- इन क्षेत्रों में आर्थिक मूल्य का स्रोत भौतिक उत्पाद नहीं, बल्कि "रचनात्मक अभिव्यक्ति" होती है अर्थात् यह अर्थव्यवस्था "आइडिया-ड्रिवन" (Idea-driven) होती है, जहाँ कल्पना और नवाचार आर्थिक उत्पादन के मूल कारक बन जाते हैं। वैश्विक स्तर पर, रचनात्मक उद्योग अब आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा बन चुके हैं, जो विभिन्न देशों की जीडीपी में 0.5% से लेकर 7% तक का योगदान दे रहे हैं।
- ऑरेंज इकोनॉमी शब्द सबसे पहले कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्केज और संस्कृति मंत्री फेलिपे बुइत्रागो ने दिया था। उन्होंने 2013 में अपनी किताब The Orange Economy: An Infinite Opportunity में इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाया। ऑरेंज रंग दुनियाभर में रचनात्मकता, संस्कृति और बदलाव का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस इकोनॉमी के लिए ऑरेंज शब्द चुना गया।

भारतीय संदर्भ में ऑरेंज इकोनॉमी का महत्व:

- भारत की ऑरेंज इकोनॉमी कई कारणों से विशेष महत्व रखती है-
    - **रोजगार सृजन का नया माध्यम:** रचनात्मक उद्योगों में फिल्म निर्माण, गेमिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है।
    - **सेवा क्षेत्र आधारित विकास:** ऑरेंज इकोनॉमी सेवा क्षेत्र को गति प्रदान करती है, जिससे होटल, पर्यटन, विज्ञापन,

लॉजिस्टिक्स और मीडिया जैसे सहायक क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं।

» **सॉफ्ट पावर का विस्तार:** भारतीय सिनेमा, योग, भारतीय भोजन, शास्त्रीय संगीत एवं सांस्कृतिक उत्सव विश्व स्तर पर भारत की पहचान को सुदृढ़ करते हैं। इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के साथ-साथ कूटनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाती है।

» **निर्यात संवर्धन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म और OTT सेवाओं के माध्यम से भारतीय कंटेंट वैश्विक बाजारों तक पहुँच रहा है, जिससे सांस्कृतिक उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है।

- मुख्य उद्योग रिपोर्टों (जैसे FICCI-EY रिपोर्ट) और सरकारी अनुमानों पर आधारित आंकड़ों के अनुसार भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का मूल्य 2024 में लगभग ₹2.5 ट्रिलियन आँका गया है, जिसके 2027 तक ₹3.067 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- कुल राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा डिजिटल मीडिया से आता है, जो उत्पादन और वितरण के मॉडल को पूरी तरह बदल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग (₹232 बिलियन), एनीमेशन और VFX (₹103 बिलियन) और लाइव इवेंट्स (₹100+ बिलियन) जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि रचनात्मकता अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक 'रणनीतिक क्षमता' बन गई है।

ऑरेंज इकोनॉमी के प्रमुख स्तंभ:

- ऑरेंज इकोनॉमी का सबसे तकनीकी और गतिशील हिस्सा AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality) है।

» **एनीमेशन और VFX:** भारत आज दुनिया के लिए एक वैश्विक उत्पादन आधार (Global Production Base) बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय फिल्मों, स्ट्रीमिंग कंटेंट और विज्ञापनों में भारतीय टीमों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। भारतीय कलाकार और इंजीनियर जटिल वैश्विक वर्कफ्लो का हिस्सा हैं, जो भारत की तकनीकी गहराई को प्रदर्शित करता है।

» **गेमिंग उद्योग:** भारत दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग बाजारों में से एक बनकर उभरा है। यह अब केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्थान बन गया है। मोबाइल उपकरणों की सुलभता ने गेमिंग को छोटे शहरों और गांवों तक पहुँचा दिया है, जिससे एक विशाल उपभोक्ता आधार तैयार हुआ है।

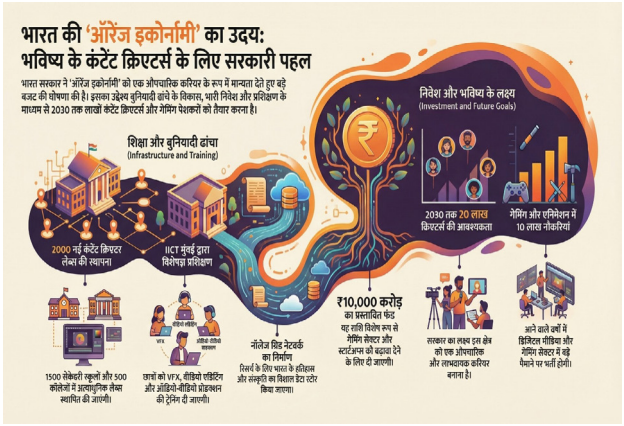

सरकार की नीतिगत पहल और संस्थागत ढांचा:

- भारत सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी की क्षमता को पहचानते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

» **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT):** इसे एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence) के रूप में स्थापित किया गया है। यह संस्थान प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और उद्योग के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा।

» **शिक्षा और कौशल विकास:** भविष्य की मांग को देखते हुए 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स' स्थापित करने की योजना है। लक्ष्य यह है कि 2030 तक इस क्षेत्र के लिए आवश्यक 20 लाख पेशेवरों की फौज तैयार की जा सके।

» **वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES):** यह मंच क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है, जिससे विचारों का आदान-प्रदान और व्यापारिक निवेश संभव हो पाता है।

» **क्रिएट इन इंडिया चैलेंज:** यह पहल स्थानीय प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

चुनौतियां:

यद्यपि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी तीव्र गति से विकसित हो रही है, तथापि

इसके समक्ष अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

- **बौद्धिक संपदा संरक्षण (IP Protection):** रचनात्मक उद्योगों, जैसे फिल्म, संगीत, एनीमेशन, गेमिंग एवं डिजिटल कंटेंट का प्रमुख आधार बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) होता है। किन्तु भारत में पायरेसी, अनधिकृत प्रतिलिपि निर्माण एवं कॉपीराइट उल्लंघन की घटनाएँ व्यापक हैं। इससे क्रिएटर्स को उनके कार्य का समुचित आर्थिक प्रतिफल नहीं मिल पाता, जिससे नवाचार एवं निवेश की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। अतः एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचा तथा प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है।
- **कौशल अंतराल (Skill Gap):** ऑरेंज इकोनॉमी का विस्तार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तथा वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करता जा रहा है। हालांकि, वर्तमान शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली इन तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप पर्याप्त रूप से अद्यतन नहीं है। परिणामस्वरूप उद्योग की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध मानव संसाधन के कौशल के बीच असंगति उत्पन्न हो जाती है, जो उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।
- **बुनियादी ढाँचा:** रचनात्मक उद्योगों के विकास के लिए उच्च गति वाले इंटरनेट, डिजिटल उत्पादन उपकरण, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएँ तथा डिज़ाइन लैब्स जैसे आधुनिक अवसंरचना की आवश्यकता होती है। किन्तु भारत में ऐसी सुविधाएँ मुख्यतः महानगरों तक सीमित हैं। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इनका अभाव क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाता है तथा प्रतिभाओं के समुचित उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है।
- **पूंजी की कमी:** रचनात्मक स्टार्टअप्स का प्रमुख निवेश बौद्धिक संपदा एवं रचनात्मक विचारों के रूप में होता है, न कि पारंपरिक भौतिक परिसंपत्तियों (जैसे भूमि या मशीनरी) के रूप में। इस कारण बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएँ उन्हें ऋण प्रदान करने से बचती हैं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने हेतु ठोस संपत्ति का अभाव होता है। परिणामस्वरूप नवाचार-आधारित उद्यमों के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सीमित हो जाती है।

आगे की राह:

- ऑरेंज इकोनॉमी के सतत एवं समावेशी विकास के लिए एक सहयोगात्मक मॉडल अपनाना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थान मिलकर एक सशक्त 'इकोसिस्टम' का निर्माण करें, ताकि नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता को संस्थागत समर्थन मिल सके। भारत में रचनात्मक उद्योगों के विस्तार के लिए शिक्षा, कौशल एवं संस्थागत ढाँचे में निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रतिभा को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा सके।
- इसके साथ ही, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे स्थापित रचनात्मक केंद्रों के अतिरिक्त टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में 'क्रिएटिव क्लस्टर्स' विकसित करना आवश्यक है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके और क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सके।
- समावेशी विकास की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण भारत की कला, शिल्प एवं सांस्कृतिक परंपराओं को रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाए, ताकि 'वोकल फॉर लोकल' पहल को वैश्विक पहचान मिल सके और स्थानीय सृजनात्मकता को अंतरराष्ट्रीय मंच प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग कलाकारों के प्रतिस्थापन के बजाय उनकी रचनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु किया जाना चाहिए, जिससे तकनीकी प्रगति और मानवीय सृजनशीलता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष:

ऑरेंज इकोनॉमी भारत के लिए 'विकसित भारत @ 2047' के सपने को साकार करने का एक अनिवार्य स्तंभ है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कभी खत्म न होने वाले संसाधन 'मानवीय कल्पना' पर आधारित है। भारत के लिए ऑरेंज इकोनॉमी केवल राजस्व का स्रोत नहीं है, बल्कि यह भारत की 'सॉफ्ट पावर' को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। हमारी फिल्में, संगीत, योग और सांस्कृतिक विरासत जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में पहुँचती हैं, तो वे भारत की एक सकारात्मक छवि निर्मित करती हैं। यह 'सांस्कृतिक कूटनीति' (Cultural Diplomacy) का एक आधुनिक रूप है, जो व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों में भारत की शक्ति को बढ़ाता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हालिया मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय अनुकूल घरेलू मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया। साथ ही, RBI ने वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के लिए अपनी मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर 2.1% कर दिया है, जो उसके 4% के लक्ष्य से काफी कम है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- MPC एक छह-सदस्यीय वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसका उद्देश्य मौद्रिक नीति में नियम-आधारित और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
- **प्रमुख विवरण:**
  - » **उद्देश्य:** आर्थिक वृद्धि को समर्थन देते हुए 4% (± 2) के दायरे में मुद्रास्फीति बनाए रखना।
- **संरचना (6 सदस्य):**
  - ➢ **अध्यक्ष:** RBI गवर्नर (पदेन)
  - ➢ **सदस्य:** RBI के तीन अधिकारी (जिनमें एक उप-गवर्नर शामिल) तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी विशेषज्ञ
  - » **बैठकें:** वर्ष में कम से कम चार बार (द्विमासिक)
  - » **मतदान:** बहुमत के आधार पर; बराबरी की स्थिति में गवर्नर का निर्णायक मत
  - » **मुख्य उपकरण:** रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और खुले बाजार परिचालन (OMO)

मौद्रिक नीति का रुख:

- **विस्तारवादी/उदार:** वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु दरों में कटौती
- **संकोचनात्मक/कड़ा:** उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु दरों में वृद्धि
- **तटस्थ:** वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलित दृष्टिकोण
- MPC ने पूर्व की एकल-सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है।

नीति निर्णय:

- **रेपो दर:** 5.25% पर यथावत
- **नीति रुख:** तटस्थ स्थिरता का संकेत, साथ ही परिस्थितियाँ बदलने पर कार्रवाई की लचीलापन

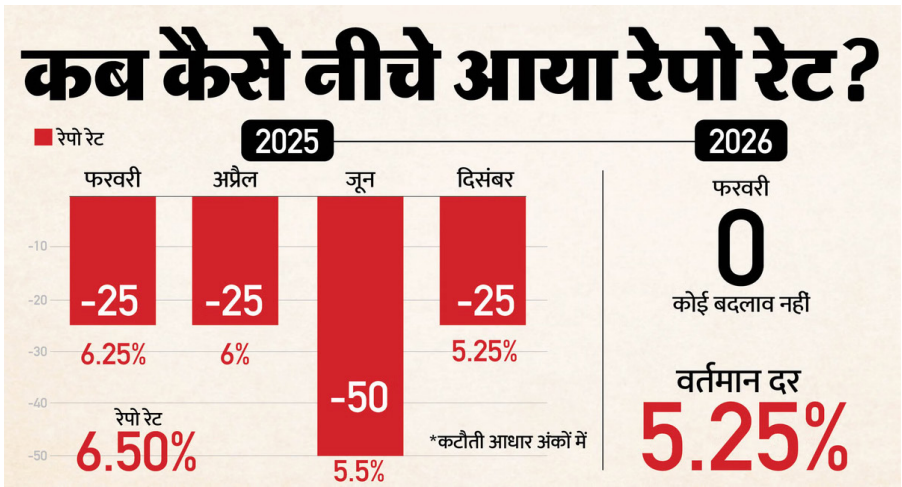

दरें यथावत रखने के पीछे तर्क:

- **निम्न मुद्रास्फीति:** सीमित मूल्य दबाव के कारण और सख्ती की आवश्यकता नहीं।
- **आर्थिक वृद्धि:** मजबूत घरेलू मांग और लचीले क्षेत्रों से निरंतर वृद्धि का समर्थन।
- **वैश्विक जोखिम:** भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ और जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव में सावधानीपूर्ण रुख आवश्यक।

महत्व:

- **मूल्य स्थिरता:** मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर, आरबीआई के ढांचे पर विश्वास बढ़ता है।
- **नीतिगत पूर्वानुमेयता:** स्थिर दरें उधारी, ऋण और निवेश निर्णयों में सहायक।
- **मौद्रिक गुंजाइश:** तटस्थ रुख भविष्य में डेटा के आधार पर समायोजन की लचीलापन बनाए रखता है।

निष्कर्ष:

नीतिगत दर को यथावत रखते हुए और FY26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 2.1% पर संशोधित करके, RBI ने संतुलित, डेटा-आधारित दृष्टिकोण का संकेत दिया है, जो वृद्धि और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन साधता है। MPC की भूमिका पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है, जिससे भारत की मौद्रिक नीति रूपरेखा की विश्वसनीयता मज़बूत होती है और घरेलू व वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के प्रति लचीलापन बना रहता है।

'डीप टेक' स्टार्ट-अप

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने "डीप टेक स्टार्ट-अप" की आधिकारिक परिभाषा निर्धारित की है और स्टार्ट-अप इंडिया ढांचे के अंतर्गत इन्हें मान्यता देने के लिए पृथक पात्रता मानदंड अधिसूचित किए हैं। यह अधिसूचना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी की गई है। यह पहला अवसर है जब डीप टेक से जुड़े उद्यमों को भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में एक अलग श्रेणी के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है, जिससे उन्हें नवाचार और विस्तार के लिए लक्षित नीतिगत सहयोग उपलब्ध हो सकेगा।

डीप टेक स्टार्ट-अप क्या होता है?

- डीप टेक स्टार्ट-अप वह संस्था होती है जो मुख्य रूप से विज्ञान या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए ज्ञान, उन्नत अनुसंधान या अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित समाधान विकसित करती है। ऐसे स्टार्ट-अप्स की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
  - » ये केवल व्यावसायिक गतिविधियों पर नहीं, बल्कि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर अधिक निवेश करते हैं।
  - » इनके पास महत्वपूर्ण और नवीन बौद्धिक संपदा होती है, या वे इसे विकसित करने की प्रक्रिया में होते हैं तथा इसके व्यावसायीकरण की दिशा में कार्य करते हैं।
  - » इनके उत्पाद या तकनीक के विकास में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, साथ ही इसमें उच्च पूंजी निवेश, उन्नत अवसंरचना और तकनीकी अथवा वैज्ञानिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है।

स्टार्ट-अप मान्यता के लिए संशोधित मानदंड:

- डीपीआईआईटी की नई अधिसूचना के तहत डीप टेक स्टार्ट-अप के लिए सामान्य स्टार्ट-अप से अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
  - » **आयु सीमा:** डीप टेक स्टार्ट-अप्स को स्थापना या पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 20 वर्ष तक मान्यता दी जा सकती है, जबकि अन्य स्टार्ट-अप के लिए यह सीमा 10 वर्ष निर्धारित है।
  - » **वार्षिक टर्नओवर सीमा:** डीप टेक स्टार्ट-अप के लिए अधिकतम वार्षिक टर्नओवर सीमा ₹300 करोड़ निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य स्टार्ट-अप्स के लिए यह सीमा ₹200 करोड़ बनी रहेगी।
  - » **आवेदन की आवश्यकता:** डीप टेक स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्था को डीपीआईआईटी के समक्ष आवेदन करना होगा। यह मान्यता आर एंड डी पर केंद्रित गतिविधियों और नवाचार की संभावनाओं के मूल्यांकन के आधार पर दी जाएगी।

मान्यता की प्रक्रिया:

- किसी कंपनी को स्टार्ट-अप या डीप टेक स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता देने का अंतिम अधिकार डीपीआईआईटी के पास होगा। इस निर्णय प्रक्रिया में एक अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें डीपीआईआईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

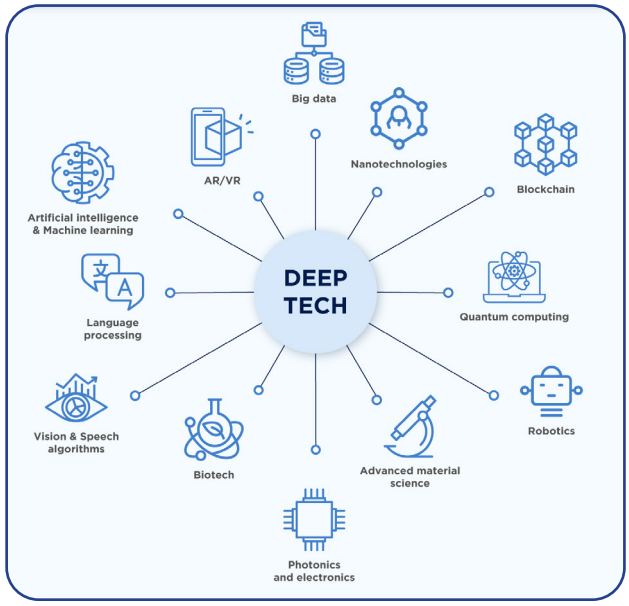

महत्त्व और प्रभाव:

- **लंबे विकास चक्र को समर्थन:** डीप टेक कंपनियों को नवाचारी

तकनीकों को बाज़ार तक पहुँचाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। विस्तारित मान्यता अवधि उनकी वास्तविक अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत समर्थन सुनिश्चित करती है।

- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती:** डीप टेक के लिए अलग श्रेणी बनाकर सरकार ने यह स्वीकार किया है कि ऐसी तकनीकें समय, पूंजी और जोखिम की दृष्टि से अधिक मांग वाली होती हैं, जिससे दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **लाभों तक बेहतर पहुँच:** मान्यता प्राप्त डीप टेक स्टार्ट-अप को तेज़ पेटेंट प्रक्रिया, आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के अंतर्गत कर छूट (शर्तों के अधीन) तथा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की आर डी आई निधि जैसी योजनाओं के तहत वित्तपोषण की पात्रता प्राप्त हो सकती है।

निष्कर्ष:

डीप टेक स्टार्ट-अप के लिए स्पष्ट परिभाषा और पृथक पात्रता मानदंड निर्धारित करना भारत की नवाचार नीति में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। लंबी मान्यता अवधि, उच्च टर्नओवर सीमा और सुव्यवस्थित मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से सरकार का उद्देश्य गहन वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग नवाचार को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करना और भारत को वैश्विक डीप टेक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

लघु वन उत्पादों की खरीद में गिरावट

संदर्भ:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लघु वन उत्पादों (MFP) की सरकारी खरीद में वर्ष 2024-25 के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 राज्यों में 2023-24 की तुलना में खरीद में 92% से अधिक की कमी आई है।

लघु वन उत्पादों (MFP) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में:

- **लघु वन उपज (MFP):** ये पौधों या जानवरों से प्राप्त गैर-लकड़ी वन उत्पाद हैं, जिनमें बाँस, शहद, लाख, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, तेंदू पत्ते, गम काराया और करंज के बीज शामिल हैं। लघु वन उत्पाद 10 करोड़ से अधिक वन-आश्रित लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें भोजन, दवा और कई आदिवासी समुदायों को उनकी वार्षिक आय का 20-40% हिस्सा प्रदान करते हैं।
- **लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत 'प्राइसिंग सेल' द्वारा तय किया जाता है। MSP आदिवासी संग्रहकर्ताओं के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाता है। इसमें आमतौर पर हर तीन साल में संशोधन किया जाता है।

MSP का उद्देश्य:

- आदिवासी समुदायों को बिचौलियों के शोषण से बचाना।
- वन-आश्रित आबादी के लिए आय और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना।
- वन संसाधनों की संधारणीय (Sustainable) कटाई को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख कानूनी ढांचा:

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:** गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- **पेसा अधिनियम (PESA), 1996:** वन प्रबंधन और MFP के विपणन में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाता है।

आर्थिक और सामाजिक महत्व:

- यह विशेष रूप से गैर-कृषि मौसम के दौरान निर्वाह और नकद आय प्रदान करता है।
- आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाता है, जो अक्सर MFP के संग्रह और प्रसंस्करण (Processing) में मुख्य भूमिका निभाती हैं।
- सालाना 1 करोड़ कार्यदिवस उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जो ग्रामीण विकास में योगदान देता है।

MFP के लिए प्रमुख योजनाएं और पहल:

- **MSP के माध्यम से MFP के विपणन की प्रणाली:** 2013-14 में शुरू की गई यह योजना इमली, शहद और महुआ जैसे उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य देकर सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
- **वन धन विकास केंद्र (VDVK):** प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत लागू ये केंद्र आदिवासी संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करते हैं।
- **NSTFDC वित्तीय सहायता:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम MFP से जुड़ी गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।
- **PM-JANMAN पहल:** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों

(PVTGs) को विशेष वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

MFP विकास के मुख्य घटक:

- **मूल्य संवर्धन (Value Addition):** कच्चे माल के संग्रह से आगे बढ़कर जैम, पाउडर और तेल जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण।
- **बुनियादी ढांचा सहयोग:** भंडारण सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- **क्षमता निर्माण:** आदिवासियों को टिकाऊ संग्रह और विपणन प्रथाओं में प्रशिक्षित करना।

चुनौतियाँ:

- राज्य स्तर पर क्रियान्वयन (Implementation) में कमी।
- धन जारी करने में देरी और खरीद प्रक्रिया में लॉजिस्टिक बाधाएं।
- MSP और सरकारी योजनाओं के बारे में आदिवासी संग्रहकर्ताओं के बीच जागरूकता का अभाव।

निष्कर्ष:

2024-25 में MFP खरीद में 92% की गिरावट MSP तंत्र और संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीर कमियों को दर्शाती है। टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्य-स्तरीय निष्पादन को मजबूत करना, समय पर खरीद सुनिश्चित करना और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना अनिवार्य है।

नीति आयोग की ऊर्जा सुधार संबंधी रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित अध्ययन "विकसित भारत और नेट ज़ीरो की ओर परिदृश्य" (Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero) में एक ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत भारत वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। हालांकि, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य साहसिक ऊर्जा सुधारों, बड़े पैमाने पर निवेश तथा सामाजिक एवं संसाधन-आधारित समझौतों के संतुलित प्रबंधन पर निर्भर करते हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट दो संभावित मार्ग प्रस्तुत करती है:
  - » वर्तमान नीतिगत परिदृश्य
  - » नेट-ज़ीरो परिदृश्य
- नेट-ज़ीरो परिदृश्य के अंतर्गत भारत की जीडीपी लगभग ग्यारह गुना तक बढ़ने की सम्भावना है, जबकि ऊर्जा मांग में अपेक्षाकृत सीमित वृद्धि होती है। यह आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा उपभोग के बीच अलगाव (Decoupling) उन्नत ऊर्जा दक्षता, बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण तथा विभिन्न क्षेत्रों में परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के सिद्धांतों को अपनाने से संभव होता है।
  - » विद्युत ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा तंत्र की आधारशिला बनकर उभर रही है और अंतिम ऊर्जा मांग में इसकी हिस्सेदारी नेट-ज़ीरो परिदृश्य में उल्लेखनीय रूप से बढ़ती है।
  - » मध्य शताब्दी तक नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधनों की भूमिका 2070 तक सीमित रह जाती है।
  - » हरित हाइड्रोजन, जैव-ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ उन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहाँ उत्सर्जन कम करना कठिन है।
- यह मार्ग प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को मानव विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ने की अनुमति देता है, जबकि यह OECD देशों के स्तर से काफी नीचे बनी रहती है जो यह दर्शाता है कि उच्च आर्थिक विकास और उत्सर्जन नियंत्रण साथ-साथ संभव हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- ऊर्जा संक्रमण का पैमाना अत्यंत व्यापक है। भारत को वर्ष 2070 तक लगभग 22.7 ट्रिलियन डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से लगभग आधा निवेश विद्युत क्षेत्र में जाएगा। वार्षिक आधार पर यह लगभग 500 अरब डॉलर प्रति वर्ष के बराबर है, जो वर्तमान स्वच्छ-ऊर्जा निवेश स्तर से कहीं अधिक है।
  - » **वित्तीय अंतराल (Financing Gap):** पूंजी बाजारों में संरचनात्मक सुधारों के बावजूद लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर का वित्तीय अंतर बना रहेगा, जिसे मुख्यतः बाहरी वित्तपोषण से पूरा करना पड़ सकता है।
  - » **भूमि और जल की सीमाएँ:** नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और कृषि के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, विशेषकर जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में।
  - » **रोजगार में परिवर्तन:** स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण रोजगार सृजन

के अवसर प्रदान करेगा, किंतु क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने हेतु लक्षित कौशल-विकास कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

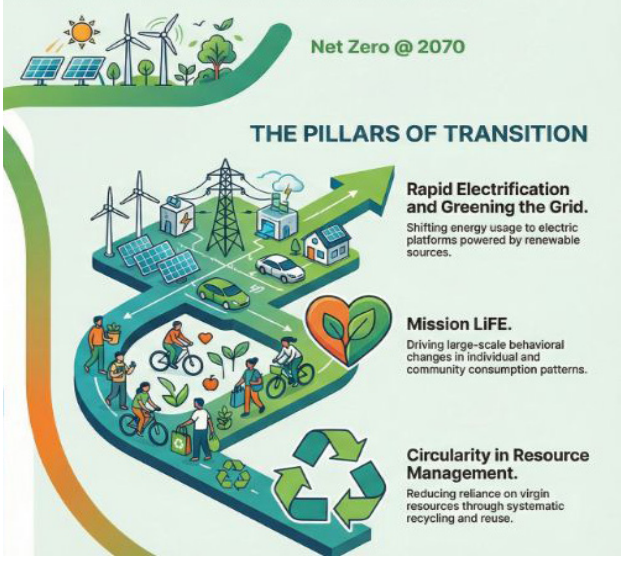

सतत संक्रमण के लिए नीतिगत सुझाव:

- रिपोर्ट इस चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कई रणनीतिक हस्तक्षेपों का सुझाव देती है:
  - » **मांग-पक्षीय उपाय:** ऊर्जा दक्षता में सुधार, व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहन, सुदृढ़ भवन संहिता का अनुपालन तथा सार्वजनिक परिवहन आधारित शहरी नियोजन को बढ़ावा देना।
  - » **वित्तीय सुधार:** बांड बाजारों का विस्तार, मिश्रित वित्त (Blended Finance) को प्रोत्साहन तथा घरेलू एवं विदेशी पूंजी को आकर्षित करने हेतु समर्पित हरित-वित्त संस्थानों की स्थापना।
  - » **संस्थागत समन्वय:** प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद के अंतर्गत मिशन मोड शासन ढाँचे को अपनाकर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

भारत का नेट-ज़ीरो संक्रमण विकास पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि विकास की पुनर्परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह एक स्वच्छ, अधिक लचीले और समावेशी विकास मॉडल की आधारशिला रख सकता है तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक उदाहरण स्थापित कर सकता है। हालांकि, यदि इस दिशा में देरी होती है तो संक्रमण की लागत बढ़ सकती है और कार्बन-लॉक-इन का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है। अतः वर्तमान दशक में निर्णायक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में चार स्थान की वृद्धि है। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र शोध संस्था पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में:

- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यह आकलन करता है कि विभिन्न देश सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए कितने तैयार हैं। यह सूचकांक चार प्रमुख स्तंभों- प्रौद्योगिकी,जनसंसाधन,शासन, प्रभाव पर आधारित है।
- इन चारों स्तंभों के अंतर्गत 53 संकेतकों के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी अपनाने, कौशल, नीतिगत वातावरण और परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है।

NRI 2025 में भारत का प्रदर्शन:

भारत का स्कोर 2024 में 53.63 से बढ़कर 2025 में 54.43 हो गया है, जो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारियों में प्रगति को दर्शाता है। यह रैंकिंग में सुधार डिजिटल अवसंरचना के विस्तार, नीतिगत सुधारों और नवाचार पहलों में निरंतर प्रयासों का परिणाम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने निम्न संकेतकों में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है:

- **प्रथम स्थान:**
  - » दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश
  - » कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशन
  - » सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात
  - » ई-वाणिज्य संबंधी कानून
- **द्वितीय स्थान:**
  - » फाइबर-टू-द-होम तथा भवन आधारित इंटरनेट सदस्यता
  - » मोबाइल ब्रॉडबैंड उपयोग
  - » अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ
- **तृतीय स्थान:**

» घरेलू बाजार का आकार
» आय असमानता

- ये उपलब्धियाँ भारत की विस्तारित डिजिटल अर्थव्यवस्था, बढ़ते शोध उत्पादन तथा सुदृढ़ कनेक्टिविटी अवसंरचना को दर्शाती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी आय के स्तर की तुलना में अधिक नेटवर्क तैयारियों का प्रदर्शन करता है तथा निम्न-मध्यम आय वाले देशों में दूसरा स्थान रखता है।

महत्व:

- यह रैंकिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल तैयारी का बहुआयामी आकलन प्रस्तुत करती है, जिसमें केवल अवसंरचना ही नहीं बल्कि मानव संसाधन, शासन की गुणवत्ता तथा सामाजिक प्रभाव भी शामिल हैं।
- दूरसंचार निवेश और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निर्यात में उच्च स्थान यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक डिजिटल सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन रहा है, विशेषकर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में। यह सुधार निम्न राष्ट्रीय पहलों "5जी सेवाओं का व्यापक विस्तार, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत नेटवर्क विस्तार, डिजिटल शिक्षा एवं कौशल विकास पर बढ़ता जोर" के अनुरूप है।

चुनौतियाँ:

- उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत अब भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं से नीचे स्थान पर है, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल साक्षरता, शासन ढाँचे और डिजिटल सेवाओं तक समान पहुँच जैसे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।
- भारत की नेटवर्क तत्परता को और सुदृढ़ करने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करना, डेटा शासन व्यवस्था में सुधार करना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मानव संसाधन विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 45वें स्थान पर पहुँचना और प्रमुख डिजिटल संकेतकों में सुधार यह दर्शाता है कि भारत एक सुदृढ़ एवं लचीले डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। लक्षित अवसंरचना विस्तार, सहायक नीतियाँ तथा शोध एवं नवाचार पर विशेष ध्यान के माध्यम से भारत नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है, जो उसके व्यापक विकास पथ का एक महत्वपूर्ण अंग है।

कुमार भास्कर वर्मा सेतु

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए छह-लेन सड़क पुल 'कुमार भास्कर वर्मा सेतु' का उद्घाटन किया। यह पुल पूर्वोत्तर भारत के आधारभूत ढाँचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप राज्य के प्रसिद्ध 7वीं शताब्दी के शासक कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें असम की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है।

सेतु की मुख्य विशेषताएँ:

- यह पुल लगभग 1.24 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित है। यह 8.4 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का हिस्सा है, जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। लगभग ₹3,030

करोड़ की लागत से बना यह छह-लेन एक्स्ट्राडोज्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल है, जो पूर्वोत्तर भारत में अपनी श्रेणी का पहला पुल है।

- एक्स्ट्राडोज्ड डिजाइन में गर्डर और केबल-स्टेड पुलों की विशेषताओं का संयोजन होता है, जिससे पुल को अधिक मजबूती, स्थायित्व और चौड़ी नदी पर लंबे विस्तार को संभालने की क्षमता मिलती है।
- क्षेत्र की उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसमें बेस आइसोलेशन तकनीक और फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग जैसी उन्नत इंजीनियरिंग प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। इसके अलावा, ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) के माध्यम से पुल की सुरक्षा और स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है।

कुमार भास्कर वर्मा सेतु के प्रमुख लाभ:

- **बेहतर संपर्क:** यह पुल गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच सुचारु आवागमन सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रा का समय कम होता है और यातायात जाम की समस्या में कमी आती है।
- **राष्ट्रीय संस्थानों और सांस्कृतिक स्थलों तक आसान पहुँच:** यह पुल उत्तर गुवाहाटी के प्रमुख शैक्षणिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्रों तक सरल पहुँच प्रदान करता है, जिससे पर्यटन, शिक्षा और प्रशासन को बढ़ावा मिलता है।
- **उत्तर गुवाहाटी का 'ट्विन सिटी' के रूप में विकास:** यह पुल उत्तर गुवाहाटी को गुवाहाटी के पूरक शहर के रूप में विकसित करने में सहायक है, जिससे मुख्य शहर पर जनसंख्या और यातायात का दबाव कम होता है तथा नियोजित शहरी विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है।
- **क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** बेहतर संपर्क के कारण व्यापार, निवेश और रियल एस्टेट गतिविधियों को गति मिलती है। साथ ही, निर्माण और संचालन के दौरान रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं।

भास्करवर्मन के बारे में:

- भास्करवर्मन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में कामरूप (प्राचीन असम) पर शासन किया।
- वे संस्कृत और वैदिक शिक्षा के प्रमुख संरक्षक थे तथा उन्होंने विद्वानों को संरक्षण देकर साहित्यिक और बौद्धिक परंपराओं को समृद्ध किया।
- उनका शासनकाल शिक्षा, कला और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से स्मरण किया जाता है।
- उन्होंने थानेसर के राजा हर्षवर्धन के साथ रणनीतिक गठबंधन किया और बंगाल के शासक शशांक के विरुद्ध सहयोग किया, जिससे कामरूप की राजनीतिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने चीन के साथ भी राजनयिक संबंध बनाए। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, उन्होंने चीनी यात्री ह्वेनसांग (Xuanzang) की मेजबानी की, जो उनके राज्य के अंतरराष्ट्रीय संपर्क और प्रतिष्ठा को दर्शाता है।
- उन्होंने निधानपुर और दुबी ताम्रपत्र अभिलेख जारी किए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। इन अभिलेखों से कामरूप के प्रशासन, भूमि अनुदान प्रणाली और सामाजिक संरचना की विस्तृत जानकारी मिलती है।
- असम के नलबाड़ी में स्थित कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय (KBVSASU) आज भी उनके नाम और आदर्शों को जीवित रखे हुए है। यह विश्वविद्यालय संस्कृत, साहित्य और प्राचीन अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा है और ज्ञान-विकास की उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष:

कुमार भास्कर वर्मा सेतु आधुनिक इंजीनियरिंग कौशल, दूरदर्शी योजना और सांस्कृतिक सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उद्घाटन असम के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। यह सेतु न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, बल्कि यात्रा को सरल बनाकर सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करता है।

भारत-विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म

संदर्भ:

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत-विस्तार (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources- VISTAAR) डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो एक एआई-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य किसानों को डेटा-आधारित, व्यक्तिगत परामर्श सेवाएं प्रदान करना है, जिससे कृषि स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता और उत्पादकता में सुधार हो सके।

भारत-विस्तार की मुख्य विशेषताएँ:

- **बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म:** यह शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिसे भविष्य में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तारित करने की योजना है, ताकि इसे पूरे भारत के किसानों के लिए सुलभ बनाया जा सके।
- **एग्रीस्टैक और ICAR नॉलेज बेस का एकीकरण:** यह एग्रीस्टैक ढांचे के अंतर्गत आने वाले पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि पद्धतियों के संकलन को AI प्रणालियों के साथ जोड़ता है।
- **किसान-केंद्रित सहायता:** यह मौसम के पूर्वानुमान, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन, कीट एवं रोगों और बाजार भावों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण:** इसमें 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' और 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' जैसी योजनाओं की जानकारी शामिल है और भविष्य में सभी प्रमुख केंद्रीय कृषि योजनाओं को इसके अंतर्गत लाने की योजना है।
- **प्रत्यक्ष प्रश्न प्रणाली:** किसान अपनी स्थानीय भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं और बुवाई, फसल सुरक्षा और बाजार दरों पर तत्काल सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय कृषि के लिए महत्व:

- **बेहतर उत्पादकता:** एआई-आधारित अंतर्दृष्टि किसानों को सिंचाई, उर्वरक और कीट प्रबंधन को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है।
- **जोखिम में कमी:** भविष्य विश्लेषण से मौसम की घटनाओं, कीटों के प्रकोप और बाजार के उतार-चढ़ाव का पहले से अनुमान लगाने में मदद मिलती है, जिससे फसल के नुकसान को कम किया जा सकता है।
- **निर्णय लेने में कुशलता:** सीधी सलाह मिलने से कार्यालय जाने या जटिल डिजिटल टूल्स को समझने की जरूरत कम हो जाती है।
- **समावेशी पहुँच:** बहुभाषी समर्थन छोटे और सीमांत किसानों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे 'डिजिटल डिवाइड' कम होता है।

कृषि में AI: अनुप्रयोग और लाभ:

- **सटीक खेती (Precision Farming):** AI-संचालित ड्रोन और IoT सेंसर फसल के स्वास्थ्य और मिट्टी की नमी की निगरानी करते हैं।
- **खरपतवार और कीट प्रबंधन:** रोबोट और कंप्यूटर विजन सिस्टम केवल प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करते हैं, जिससे रसायनों का उपयोग कम होता है।
- **पूर्वानुमान विश्लेषण:** मशीन लर्निंग बाजार के रुझान, फसल कटाई के सही समय और जलवायु जोखिमों का पूर्वानुमान लगाती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन:** रीयल-टाइम ट्रैकिंग परिवहन दक्षता में सुधार करती है और उपज की बर्बादी को कम करती है।
- **स्वायत्त मशीनरी:** AI-संचालित ट्रैक्टर और उपकरण श्रम की कमी की समस्या को हल करते हैं।

नीतिगत और रणनीतिक निहितार्थ:

- **डिजिटल सशक्तिकरण:** भारत-विस्तार 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' मिशनों के साथ मेल खाता है।
- **सतत कृषि:** डेटा-आधारित अभ्यास संसाधनों की बर्बादी को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देते हैं।
- **नवाचार और अनुसंधान:** 'एआई हैकाथॉन' और 'कृषि कोष AI रणनीति रोडमैप' कृषि चुनौतियों के लिए नए समाधानों को प्रोत्साहित करते हैं।
- **वैश्विक स्थिति:** यह एआई-संचालित कृषि-तकनीक समाधानों में भारत की भूमिका को मजबूत करता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं

के लिए एक उदाहरण पेश करता हैं |

निष्कर्ष:

भारत-विस्तार भारतीय कृषि में एक युगांतरकारी बदलाव का प्रतीक है। यह किसानों को सशक्त बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करता है। यह तकनीक, नीति और ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करके वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटता है और सुनिश्चित करता है कि भारत की कृषि लचीली , कुशल और भविष्य के लिए तैयार बनी रहे।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (National Monetisation Pipeline 2.0) का शुभारंभ किया है। यह मुद्रीकरण कार्यक्रम का दूसरा चरण है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय बोझ बढ़ाए सरकारी बिना संपत्तियों के मूल्य का प्रभावी उपयोग कर निवेश जुटाना है। इसे नीति आयोग ने अवसंरचना से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0, केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025–30 के अनुरूप है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 के बारे में:

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एक सुव्यवस्थित नीति ढांचा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों (ब्राउनफील्ड अवसंरचना) में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर संसाधन जुटाए जाते हैं। इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही बना रहता है, लेकिन उनके संचालन अथवा उपयोग से प्राप्त आय को नई और उत्पादक अवसंरचना परियोजनाओं में पुनर्निवेश किया जाता है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच ₹16.72 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत 12 प्रमुख क्षेत्रों "जैसे राजमार्ग, रेलवे, विद्युत, बंदरगाह, कोयला और खनन" की 2,000 से अधिक परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। इस अनुमानित राशि में लगभग ₹5.8 लाख करोड़ का संभावित निजी निवेश भी शामिल है।

महत्त्व:

- **राजकोषीय बोझ के बिना अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा:** राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष बजटीय व्यय पर निर्भरता को कम करता है। मौजूदा परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण के माध्यम से नए संसाधन उत्पन्न होते हैं, जिससे राजकोषीय घाटे पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन:** विभिन्न मुद्रीकरण मॉडलों के जरिए निजी पूंजी को अवसंरचना क्षेत्र में आमंत्रित किया जाता है। इससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) व्यवस्था सुदृढ़ होती है, दीर्घकालिक निवेश प्रवाह बढ़ता है तथा परिसंपत्तियों के संचालन में दक्षता और पारदर्शिता आती है।

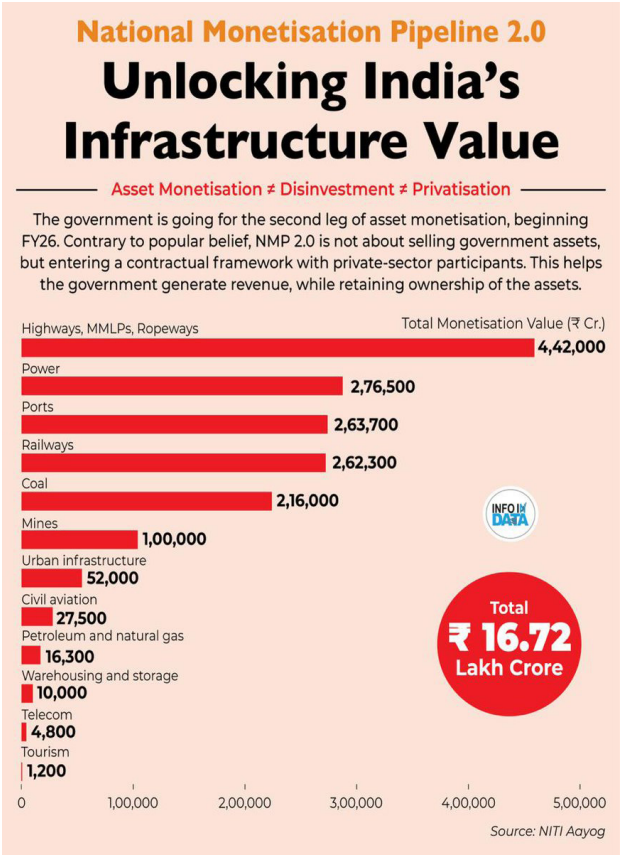

- **संभावित गुणक प्रभाव:** अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 के अंतर्गत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से अगले 5–10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। नए पूंजीगत व्यय और आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप निवेश गुणक प्रभाव के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग ₹40 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त योगदान हो सकता है।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना लक्ष्यों के साथ सामंजस्य:** यह पहल भारत की व्यापक अवसंरचना विकास रणनीति और दीर्घकालिक

आर्थिक दृष्टि के अनुरूप है। इससे संपर्क-सुविधा, ऊर्जा परिवर्तन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और शहरी विकास को गति मिलेगी।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- **क्रियान्वयन संबंधी जोखिम:** इतनी बड़ी और विविध परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य प्रभावी कार्यान्वयन, स्पष्ट नियामक ढांचे, अनुकूल बाजार परिस्थितियों और निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करता है।
- **मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण की जटिलता:** सार्वजनिक परिसंपत्तियों का यथार्थ एवं पारदर्शी मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है, ताकि राष्ट्र को उचित आर्थिक लाभ प्राप्त हो और सार्वजनिक हित सुरक्षित रहे।
- **सामाजिक और रणनीतिक चिंताएँ:** महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निजी भागीदारी की सीमा को लेकर बहस जारी है। साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवाओं की निरंतरता बनी रहे और आम नागरिकों के हितों की रक्षा हो।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 भारत की मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से भविष्य के विकास के लिए वित्त जुटाने की एक महत्त्वपूर्ण नीति पहल है। वित्त वर्ष 2030 तक ₹16.72 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य यह दर्शाता है कि सरकार परिसंपत्ति पुनर्चक्रण, बाजार भागीदारी और पूंजी संचयन के जरिए अवसंरचना विकास को तीव्र गति देना चाहती है, साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।

7 आंतरिक सुरक्षा

भारत का रक्षा बजट: आधुनिकीकरण और क्षमता-निर्माण की दिशा में नीतिगत बदलाव

संदर्भ:

वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पारंपरिक युद्ध की अवधारणा अब बहु-आयामी (multi-domain) संघर्ष में परिवर्तित हो चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित युद्ध प्रणालियाँ, ड्रोन स्वार्म तकनीक, साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अंतरिक्ष आधारित निगरानी तंत्र आज किसी भी देश की सैन्य क्षमता के निर्धारक बन चुके हैं। भारत के लिए यह परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण में स्थित है जहाँ एक ओर उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ सैन्य तनाव है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की निरंतर रणनीतिक चुनौतियाँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की रक्षा जैसे नए आयाम भी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केंद्र में आ गए हैं। अतः बदलती भूराजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों के बीच तत्परता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण आवश्यक है।

इन्हीं उभरती चुनौतियों के संदर्भ में केंद्रीय बजट-2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व आवंटन किया गया है। यह बजट केवल वित्तीय वृद्धि का संकेत नहीं देता, बल्कि भारत की रक्षा नीति में एक संरचनात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है जहाँ ध्यान पारंपरिक 'बल-रखरखाव' से हटकर 'क्षमता-निर्माण' (capability creation) पर केंद्रित किया जा रहा है। यह विकास न केवल आंतरिक सुरक्षा बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और सामरिक स्वायत्तता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रक्षा बजट-2026 के प्रमुख प्रावधान:

- केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग ₹7.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह राशि कुल केंद्रीय व्यय का लगभग 14–15 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष स्थान पर है।
- इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूंजीगत व्यय (capital expenditure) में वृद्धि है, जिसके अंतर्गत लगभग ₹2.19 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत अधिग्रहण के लिए ₹1.85 लाख करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जो नए सैन्य उपकरणों, विमानों, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और उन्नत निगरानी प्रणालियों की खरीद के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹1.39 लाख करोड़ की राशि घरेलू रक्षा उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित की गई है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के बजट में वृद्धि की गई है, जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार और उन्नत रक्षा प्रणालियों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह आवंटन भारत के रक्षा क्षेत्र को आयात-निर्भरता से मुक्त कर आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास है।

रक्षा बजट के मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय बजट 2026–27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है।
- यह आवंटन वित्त वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में 15.19% की वृद्धि को दर्शाता है और कुल केंद्रीय सरकारी व्यय का 14.67% है।
- घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनसे खरीद के लिए

1.39 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- वित्त वर्ष 2026–27 में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना हेतु 12,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025–26 की तुलना में प्रारंभिक चरण में 45.49% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2026–27 में डीआरडीओ का आवंटन 29,100.25 करोड़ रुपये रहा है, जो वित्त वर्ष 2025–26 के 26,816.82 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है।
- भारत अभी दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश है, उसके पहले यूएस, चीन और रूस हैं।

रणनीतिक महत्व:

- बजट-2026 में रक्षा व्यय में वृद्धि का वास्तविक महत्व उसके रणनीतिक प्रभाव में निहित है। पारंपरिक रूप से भारत की सैन्य संरचना 'मैनपावर-इंटेंसिव' रही है, जहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती प्राथमिक रक्षा रणनीति का हिस्सा थी। किंतु आधुनिक युद्ध तकनीक-प्रधान हो चुका है, जिसमें नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध प्रणाली, सटीक-निर्देशित हथियार, रीयल-टाइम निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय-प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह बजट भारत को 'टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव' सैन्य ढाँचे की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। उन्नत वायुसेना प्लेटफॉर्म, नौसैनिक परिसंपत्तियों, ड्रोन प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता में निवेश से भारत की बहु-आयामी युद्ध क्षमता (multi-domain warfare capability) सुदृढ़ होगी। विशेष रूप से उत्तरी सीमाओं पर निगरानी क्षमता और समुद्री क्षेत्रों में नौसैनिक प्रभुत्व बढ़ाने के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त, सूचना-आधारित युद्ध (information warfare) और साइबर सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान भारत को भविष्य के हाइब्रिड युद्धों के लिए तैयार करेगा। इस प्रकार, बजट-2026 केवल सैन्य उपकरणों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र रक्षा रणनीति के निर्माण की दिशा में कदम है।

आत्मनिर्भरता और रक्षा-औद्योगिक आधार:

- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) भारत की दीर्घकालिक सामरिक नीति का प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। बजट-2026 में घरेलू रक्षा उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित राशि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य न केवल आयात-निर्भरता को कम करना है, बल्कि घरेलू विनिर्माण क्षमता को विकसित कर रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा देना है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी, रक्षा स्टार्ट-अप्स और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से भारत एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार विकसित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक और सैन्य प्रौद्योगिकी के समन्वय (civil-military fusion) से द्वैध-उपयोग (dual-use) तकनीकों का विकास संभव होगा, जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
- यदि इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो भारत न केवल अपनी रक्षा आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा कर सकेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा।

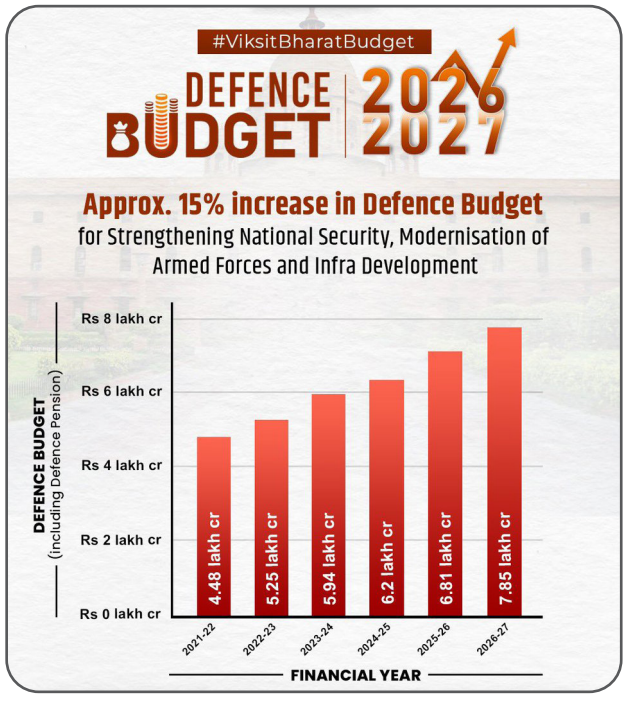

चुनौतियाँ:

- **वेतन एवं पेंशन व्यय का उच्च भार:** यद्यपि बजट-2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, फिर भी रक्षा व्यय का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। इससे सैन्य आधुनिकीकरण एवं नए उपकरणों की खरीद के लिए

उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं।

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया की जटिलता:** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया की जटिलता और लंबी समय-सीमा अक्सर आधुनिक सैन्य उपकरणों की समय पर उपलब्धता में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- **घरेलू उद्योग की सीमित तकनीकी क्षमता:** घरेलू रक्षा उद्योग की तकनीकी क्षमता, विशेष रूप से उन्नत एयरोस्पेस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में, अभी भी वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है, जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रभावित करती है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सीमित निवेश:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अपेक्षित स्तर पर निवेश का अभाव स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
- **प्रौद्योगिकीय निर्भरता:** उन्नत सैन्य तकनीकों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- **संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों की आवश्यकता:** इन चुनौतियों का समाधान केवल वित्तीय आवंटन से संभव नहीं है, बल्कि संस्थागत सुधार एवं प्रभावी नीति-निर्माण के माध्यम से ही रक्षा आधुनिकीकरण को गति प्रदान की जा सकती है।

आगे की राह:

- भारत को रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। त्वरित और पारदर्शी अधिग्रहण प्रक्रिया, निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति-सुधार आवश्यक हैं।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, थिएटर कमांड जैसी सैन्य संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता मानकों और वैश्विक सहयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि भारत की सामरिक स्वायत्तता को भी सुदृढ़ करेगा।

निष्कर्ष:

केन्द्रीय बजट-2026 भारत की रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ ध्यान केवल सैन्य व्यय बढ़ाने पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक क्षमता-निर्माण पर केंद्रित है। यदि वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ संस्थागत सुधार और तकनीकी नवाचार को भी समान महत्व दिया जाए, तो भारत भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकेगा। इस प्रकार, रक्षा पर बजट न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने का माध्यम है, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति-स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

प्रोजेक्ट कुशा

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत, प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य रूस की S-400 ट्रायम्फ और अमेरिका की MIM-104 पैट्रियट जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों की क्षमताओं की तरह स्वदेशी प्रणाली तैयार करना है।

प्रोजेक्ट कुशा के बारे में:

- प्रोजेक्ट कुशा एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह-से-आकाश मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है, जिसे महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया जा रहा है। ईआर-एसएएम प्रणाली को लगभग 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस परियोजना में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रडार प्रणालियों और संपूर्ण सिस्टम एकीकरण की जिम्मेदारी निभा रही है। यह प्रणाली भारतीय वायु सेना की एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (Integrated Air Command and Control System) से जुड़ी होगी, जिससे वास्तविक समय में लक्ष्य की पहचान, खतरे का मूल्यांकन और समन्वित सैन्य कार्रवाई संभव हो सकेगी।

मुख्य विशेषताएँ:

- **तीन-स्तरीय संरचना:** इस प्रणाली में तीन प्रकार के इंटरसेप्टर (अवरोधक मिसाइल) शामिल हैं:
  - » **एम1:** लगभग 150 किलोमीटर की रेंज
  - » **एम2:** लगभग 250 किलोमीटर की रेंज
  - » **एम3:** लगभग 350–400 किलोमीटर की रेंज
- यह बहु-स्तरीय ढाँचा अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे किसी एक परत के विफल होने पर दूसरी परत प्रभावी भूमिका निभा सके। ये इंटरसेप्टर लड़ाकू विमानों, ड्रोन (यूएवी), क्रूज़ मिसाइलों, सटीक निर्देशित हथियारों तथा कुछ बैलिस्टिक खतरों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। इनकी अधिकतम गति मैक 5.5 तक हो सकती है और अंतिम चरण में लक्ष्य को भेदने के लिए उन्नत सीकर तकनीक का उपयोग किया जाता है।

रडार, सेंसर और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणाली:

- प्रोजेक्ट कुशा में लंबी दूरी के निगरानी रडार, फायर-कंट्रोल रडार और कमांड नोड्स को एकीकृत किया गया है। यह प्रणाली ज़मीन, हवा और भविष्य में संभावित रूप से अंतरिक्ष आधारित स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को एक साथ जोड़ती है।
- इस नेटवर्क-केंद्रित डिज़ाइन के कारण एक ही समय में कई लक्ष्यों की निगरानी, खतरों की स्वचालित प्राथमिकता तय करना और पूरे युद्ध क्षेत्र में समन्वित जवाबी कार्रवाई संभव हो पाती है। यह प्रणाली पूरी तरह से आईएसीसीएस के साथ एकीकृत होगी।

मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा:

- प्रोजेक्ट कुशा, मिशन सुदर्शन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मिशन वर्ष 2035 तक भारत के लिए बहु-स्तरीय वायु एवं मिसाइल रक्षा कवच विकसित करने की दीर्घकालिक योजना है।
- प्रोजेक्ट कुशा अन्य वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर भारत की लंबी दूरी की सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार बनेगा।

प्रभाव और महत्व:

- वर्तमान में भारत रूस से आयातित एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भर है। प्रोजेक्ट कुशा के सफल विकास और तैनाती से यह निर्भरता कम होगी।
- इससे भारत को स्वदेशी उत्पादन, सॉफ़्टवेयर और भविष्य के उन्नयन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, तैनाती में अधिक लचीलापन आएगा और भविष्य में निर्यात की संभावनाएँ भी खुलेंगी। साथ ही, भू-राजनीतिक दबावों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी सीमाओं में भी कमी आएगी।

कुशा बनाम एस-400 बनाम पैट्रियट:

विशेषता	प्रोजेक्ट कुशा	एस-400 ट्रायम्फ	एमआईएम-104 पैट्रियट
मूल देश	भारत	रूस	संयुक्त राज्य अमेरिका
अधिकतम सीमा	~400 किमी (एम3)	400 किमी तक	~160 km (वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग)
केंद्र	बहुस्तरीय हवाई रक्षा	लंबी दूरी के बहु-लक्ष्य	मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल फोकस (PAC-3)
एकीकरण	आईएसीसीएस के साथ पूर्ण स्वदेशी एकीकरण	आयातित प्रणाली	नाटो-एकीकृत
रणनीतिक नियंत्रण	पूर्ण घरेलू नियंत्रण	आपूर्तिकर्ता-निर्भर	आपूर्तिकर्ता-निर्भर

- जहाँ एस-400 युद्ध में परखी जा चुकी प्रणाली है और पैट्रियट का भी व्यापक युद्ध अनुभव रहा है, वहीं प्रोजेक्ट कुशा भारत को सॉफ़्टवेयर पर पूर्ण नियंत्रण, बेहतर एकीकरण क्षमता और भविष्य में स्वतंत्र रूप से उन्नयन करने की सुविधा प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

एम1, एम2 और एम3 इंटरसेप्टरों का चरणबद्ध परीक्षण जारी है और लगभग वर्ष 2030 तक इस प्रणाली को सशस्त्र बलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मिसाइलों की तकनीकी क्षमता के साथ-साथ, प्रोजेक्ट कुशा की सफलता भारत की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली की समग्र मजबूती पर निर्भर करेगी। यह परियोजना रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

AMCA प्रोजेक्ट: भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान

संदर्भ:

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारत के महत्वाकांक्षी पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के प्रोटोटाइप को डिजाइन और विकसित करने के लिए तीन दावेदारों को चुना (Shortlist) है। टाटा, एल एंड टी के नेतृत्व वाले दो संघों और भारत फोर्ज को लड़ाकू जेट बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

AMCA के बारे में:

- AMCA एक सिंगल-सीट, ट्विन-इंजन और हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देशीय स्टेल्थ फाइटर है। इसे भारतीय वायु सेना (IAF) और भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है।
  - » **डिजाइन:** इसे रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया है।
  - » **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं के साथ 'सुपरक्रूज' प्रदर्शन, आंतरिक हथियार और बहुआयामी परिचालन बहुमुखी प्रतिभा को जोड़ना है।

प्रस्तावित भूमिकाएं और क्षमताएं:

- **श्रेष्ठता:** हवा में अपनी ताकत बनाए रखना और जमीन पर सटीक हमले करना।
- **SEAD अभियान:** दुश्मन की हवाई सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट करना।
- **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध:** इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए दुश्मन के तंत्र को बाधित करना।
- **रडार क्रॉस-सेक्शन:** इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार द्वारा आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता।
- **प्रतिस्थापन:** यह भारतीय वायुसेना के मुख्य आधार सुखोई Su-30MKI बेड़े की जगह लेगा।

समयसीमा:

- इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है,

जिसमें 125 से अधिक विमानों को वायुसेना में शामिल करने की योजना है। AMCA के आने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट संचालित करते हैं (जैसे अमेरिका के F-22/F-35, चीन का J-20 और रूस का Su-57)।

विकास का इतिहास:

- AMCA कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में 'मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' (MCA) कार्यक्रम के रूप में हुई थी।
  - » **विकास:** शुरुआत में इसे 20-टन श्रेणी का फाइटर माना गया था, लेकिन अब यह 25-टन श्रेणी के विमान के रूप में विकसित हो गया है, जो एवियोनिक्स, स्टेल्थ कोटिंग और इंजन तकनीक में हुई प्रगति को दर्शाता है।
  - » **वर्तमान स्थिति:** फरवरी 2025 तक, यह कार्यक्रम 'प्रोटोटाइप विकास' चरण में है। इसकी व्यावहारिकता (Feasibility), प्रारंभिक डिजाइन और विस्तृत डिजाइन के चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।

रणनीतिक और औद्योगिक महत्व:

- **स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा:** विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और एक आत्मनिर्भर एयरोस्पेस औद्योगिक आधार तैयार करना।
- **तकनीकी प्रगति:** यह स्टेल्थ तकनीक, एवियोनिक्स, प्रणोदन प्रणाली और मिश्रित सामग्रियों के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।
- **वायु शक्ति का विस्तार:** AMCA भारतीय वायुसेना के बेड़े को आधुनिक बनाएगा, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी।

आगे की राह:

चुनी गई निजी फर्मों को प्रोटोटाइप बनाने के लिए सरकारी फंडिंग मिल सकेगी। सफल परीक्षण के बाद ही अंतिम निर्माण अधिकार दिए जाएंगे। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ, AMCA प्रोजेक्ट भारत के उन्नत सैन्य विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो 2030 के दशक के मध्य तक देश के रक्षा परिदृश्य को बदल सकता है।

भारत की ₹3.25 लाख करोड़ की रक्षा स्वीकृति

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को ₹3.25 लाख करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की है। यह हाल के वर्षों में सबसे बड़े रक्षा अधिग्रहणों में से एक है और ऐसे समय में आया है जब भारतीय वायु सेना अपनी स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन की संख्या से कम पर संचालन कर रही है। इनमें से 18 विमान फ्रांस से फ्लाई-अवे स्थिति में प्राप्त होंगे, जबकि शेष 90 विमानों का निर्माण "मेक इन इंडिया" पहल के तहत देश में किया जाएगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में:

- रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाली भारत की रक्षा खरीद संबंधी सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। यह अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 'एसेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' (AoN) प्रदान करती है, दीर्घकालिक योजनाओं को स्वीकृति देती है तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है।
- राफेल सौदे को मिली स्वीकृति भारत की संरचित और कुशल रक्षा योजना प्रक्रिया को दर्शाती है।

स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा:

- इस अधिग्रहण की एक प्रमुख विशेषता घरेलू उत्पादन है। लगभग 90 विमानों का संयोजन भारत में किया जाएगा, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और एयरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

- "बाय एंड मेक" मॉडल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है तथा महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है।

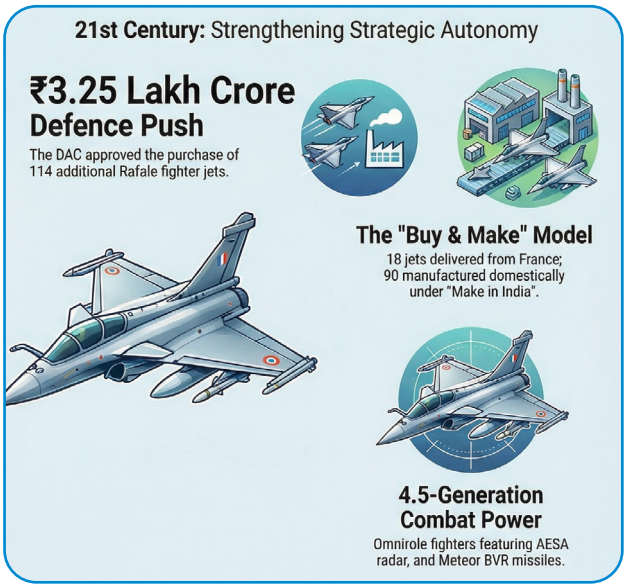

राफेल के बारे में:

- राफेल, एक 4.5 पीढ़ी का, ट्विन-इंजन, बहु-भूमिका (ओम्नीरोल) लड़ाकू विमान है, जो एक ही आक्रमण में वायु हमला, जमीनी हमला, टोही तथा परमाणु प्रतिरोध करने में सक्षम है।
- इसके उन्नत एवियोनिक्स में RBE2 AESA रडार, स्पेक्ट्रा (SPECTRA) इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तथा मॉड्यूलर डेटा फ्यूजन प्रणाली शामिल हैं।
- स्नेमा M88 इंजनों से संचालित यह विमान मैक 1.8 तक की गति से सुपरक्रूज़ कर सकता है और इसका युद्धक दायरा 1,000 किमी से अधिक है।
- इसके आयुधों में मेटियोर बीवीआर मिसाइल, SCALP/स्टॉर्म शैडो क्रूज़ मिसाइल तथा एक्सोसेट एंटी-शिप मिसाइल शामिल हैं। भारतीय वायु सेना के लिए विशेष संशोधनों से इसकी उत्तरजीविता, उच्च-ऊँचाई प्रदर्शन तथा परिचालन लचीलापन और बढ़ गया है।

रणनीतिक और परिचालन महत्व:

- यह अधिग्रहण भारत के लड़ाकू विमान बेड़े में मौजूद महत्वपूर्ण क्षमतागत कमी को दूर करेगा और पश्चिमी तथा उत्तरी सीमाओं पर जारी सुरक्षा चुनौतियों के बीच तैयारियों को सुनिश्चित करेगा।
- राफेल बेड़े का विस्तार कर 176 विमानों तक (जिसमें 26 नौसैनिक राफेल-M विमान भी शामिल हैं) भारत बहु-आयामी परिचालन तत्परता और प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

परिचालन लाभों के अतिरिक्त, यह सौदा फ्रांस के साथ भारत की रक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है, जिससे दीर्घकालिक रणनीतिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। उन्नत विदेशी तकनीक और घरेलू विनिर्माण के संयोजन के माध्यम से यह अधिग्रहण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है तथा यह दर्शाता है कि भारत उच्च-स्तरीय रक्षा प्रणालियों को अपनी सशस्त्र सेनाओं में सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सक्षम है।

ओडिशा ने माओवादी आत्मसमर्पण नीति में संशोधन किया

संदर्भ:

हाल ही में, ओडिशा सरकार ने तीन महीने से भी कम समय में दूसरी बार अपनी माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को संशोधित किया है। यह संशोधन पात्रता मानदंडों में ढील देता है, जिससे ओडिशा के बाहर के व्यक्ति जो भाकपा (माओवादी) गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति मिलती है, बशर्ते उनकी संलिप्तता पुलिस द्वारा प्रमाणित हो और उन्होंने कहीं और पुनर्वास लाभ न लिया हो। यह संशोधन 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने के राज्य के लक्ष्य का समर्थन करता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के लक्ष्य के अनुरूप है।

नक्सली-माओवादी उग्रवाद के बारे में:

- नक्सली-माओवादी उग्रवाद भारत में एक लंबे समय से चला आ रहा सशस्त्र संघर्ष है, जिसकी जड़ें वामपंथी उग्रवाद (LWE) में हैं, जो कम्युनिस्ट समाज की स्थापना के लिए राज्य मशीनरी को निशाना बनाता है।
- 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह संघर्ष "रेड कॉरिडोर" तक फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को प्रभावित करता है।
- सामाजिक-आर्थिक असमानता और माओवादी विचारधारा से प्रेरित इस उग्रवाद का नेतृत्व भाकपा (माओवादी) द्वारा सशस्त्र हिंसा के

माध्यम से किया जाता है।

नीति के बारे में:

- ओडिशा की योजना आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - **पोलित ब्यूरो/केंद्रीय समिति सदस्य:** ₹1.10 करोड़ तक
  - **राज्य समिति सदस्य:** ₹55 लाख
  - **क्षेत्रीय समिति सदस्य:** ₹33 लाख
- उच्च इनाम वाले कैडरों के लिए अतिरिक्त ₹10 लाख की सावधि जमा (FD); जीवनसाथी के साथ अलग से सुविधा दी जाती है।
- वर्ष 2025 में, 317 माओवादियों को ढेर किया गया, 862 को गिरफ्तार किया गया और लगभग 2,000 ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल प्रभावित जिले 2014 के 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए हैं, और सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से गिरकर 3 रह गई है, जिससे रेड कॉरिडोर लगभग ध्वस्त हो गया है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) में कमी की प्रमुख उपलब्धियां:

- **हिंसा में कमी:** हिंसक घटनाओं में 53%, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% और नागरिक मृत्यु में 70% की कमी आई (2014-2024)।
- **सुरक्षा बुनियादी ढांचा:** 12,000 किमी सड़कें, 586 किलाबंद पुलिस स्टेशन, 361 कैंप और 68 हेलीपैड बनाए गए।
- **प्रौद्योगिकी और संचार:** 8,500 से अधिक मोबाइल टावरों ने खुफिया जानकारी की पहुंच में सुधार किया।
- **वित्तीय प्रहार:** NIA और राज्य एजेंसियों द्वारा ₹92 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।
- **क्षमता निर्माण:** SRE के तहत ₹3,331 करोड़ और SCA के तहत ₹3,817.59 करोड़ आवंटित किए गए; विशेष बलों, अस्पतालों और कौशल केंद्रों में निवेश किया गया।

संशोधित नीति के लाभ:

- **माओवादी कैडर को कमजोर करना:** शीर्ष और मध्यम स्तर के नेताओं के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करता है।
- **सुरक्षा बढ़ाना:** पूर्व में उग्रवाद-प्रवण क्षेत्रों में घटनाओं को कम करता है।
- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्मिलन:** पूर्व विद्रोहियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करता है।
- **अंतर-राज्य समन्वय:** अंतर-राज्यीय माओवादी नेटवर्क को बाधित करता है।

निष्कर्ष:

ओडिशा की संशोधित नीति, केंद्रीय हस्तक्षेपों, किलाबंद पुलिस स्टेशनों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, मोबाइल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और शिक्षा के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद को मिटाने की एक बहुआयामी रणनीति को दर्शाती है। पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण के साथ सुरक्षा अभियान भारत को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भविष्य के करीब लाते हैं, जो प्रभावी आंतरिक सुरक्षा शासन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

तेलंगाना में दो शीर्ष माओवादी नेताओं का आत्मसमर्पण

संदर्भ:

हाल ही में, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दो वरिष्ठ नेताओं (जिन पर 3.5 करोड़ रुपए का संयुक्त इनाम था) ने तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह भारत के नक्सल मुक्त प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है।

भारत में नक्सलवाद के बारे में:

- नक्सलवाद, जिसे नक्सल या नक्सलवादी भी कहा जाता है, उग्र वामपंथी आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सुदूर-वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधाराओं पर आधारित है, जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और राज्य के कथित अन्याय को दूर करने के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत करते हैं। यह भारत की सबसे स्थायी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना हुआ है।
- इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कानू सान्याल जैसे नेताओं के नेतृत्व में भूमिहीन किसानों को सामंती शोषण के खिलाफ संगठित किया गया था। जल्द ही यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया, और विभिन्न भूमिगत समूहों के रूप में विकसित होते हुए अंततः भाकपा (माओवादी) में विलय हो गया।

नक्सलवाद के कारण:

- नक्सलवाद मूल रूप से गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है:
  - सीमांत समुदायों में भूमिहीनता और कृषि संकट।
  - संसाधन दोहान और विकास परियोजनाओं के कारण

आदिवासी आबादी का शोषण और विस्थापन।

» दूरदराज के क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं का अभाव और अप्रभावी शासन।

» राज्य के उत्पीड़न की धारणा, जो कभी-कभी पुलिस की ज्यादतियों के कारण और मजबूत हो जाती है, जिससे विद्रोही भावना को समर्थन मिलता है।

ऐतिहासिक विकास:

- नक्सलवाद विभिन्न चरणों से गुजरा है:
  - » **प्रथम चरण (1967-74):** नक्सलबाड़ी विद्रोह के साथ उदय, भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन और शुरुआती सशस्त्र लामबंदी।
  - » **द्वितीय चरण (1980 के दशक):** पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जैसे समूहों के साथ पुनरुद्धार, जिससे मध्य और पूर्वी भारत में विद्रोह का विस्तार हुआ।
  - » **तृतीय चरण (2000-वर्तमान):** भाकपा (माओवादी) का गठन और "रेड कॉरिडोर" में तेज अभियान, जिसमें समानांतर प्रशासन और गुरिल्ला युद्ध शामिल है।
- **वर्तमान स्थिति और रुझान:**
  - » वामपंथी उग्रवाद (LWE) का भौगोलिक दायरा काफी कम हो गया है। 2014 में 10 राज्यों के 126 सबसे प्रभावित जिलों से घटकर, 2025 की शुरुआत तक यह संख्या लगभग 12 जिलों तक सीमित हो गई है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में केंद्रित हैं।

नीतिगत प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ:

- भारत सरकार ने सुरक्षा उपायों और विकास पहलों को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है:
  - » **सुरक्षा अभियान:** विशिष्ट विद्रोह विरोधी इकाइयाँ और अंतर-राज्य समन्वय के लिए संयुक्त कमान संरचनाएँ।
  - » **विकास कार्यक्रम:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे का विस्तार, कौशल विकास पहल और वन अधिकार अधिनियम जैसे अधिकार-आधारित कानून।
  - » **पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीतियां:** कैडरों को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- हालाँकि, कठिन इलाके, गुरिल्ला रणनीति, खुफिया जानकारी की कमी और विद्रोहियों के समर्थन को कम करने के लिए न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष:

उच्च पदस्थ माओवादी नेताओं का आत्मसमर्पण वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समन्वित सुरक्षा और पुनर्वास रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। हालाँकि, नक्सलवाद का बने रहना सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने, भूमि विवादों को सुलझाने और समावेशी शासन के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का भारत का लक्ष्य सुरक्षा लाभ को बनाए रखने और प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं विकासोन्मुख वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लक्षित विकास हस्तक्षेपों पर निर्भर करेगा।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक का सफल उड़ान प्रदर्शन किया। यह ऐतिहासिक परीक्षण भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणोदन क्षमताओं और समग्र रक्षा तकनीकी सामर्थ्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक:

- सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) एक उन्नत वायु-श्वसन (एयर-ब्रीदिंग) प्रणोदन प्रणाली है, जिसे मुख्यतः लंबी दूरी की हवा-से-हवा मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है। पारंपरिक ठोस रॉकेट मोटरों के विपरीत जो ईंधन और ऑक्सीडाइज़र दोनों साथ लेकर चलते हैं और प्रक्षेपण के तुरंत बाद जलकर समाप्त हो जाते हैं, SFDR वायुमंडलीय हवा को ऑक्सीडाइज़र के रूप में उपयोग करता है।
- इससे सुपरसोनिक गति पर ठोस ईंधन का दीर्घकालिक दहन संभव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दूरी, उच्च गति और बेहतर ऊर्जा संरक्षण मिलता है जो आधुनिक हवाई युद्ध और दृश्य सीमा से परे (BVR) अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं।
- इस प्रणाली के प्रमुख घटकों में नोज़ल-रहित बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और ईंधन प्रवाह नियंत्रक शामिल हैं। हालिया उड़ान परीक्षण में, ग्राउंड-आधारित बूस्टर मोटर द्वारा आवश्यक मैक

संख्या तक प्रारंभिक त्वरण के बाद सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया, जिससे भविष्य में एकीकरण हेतु तकनीक की तत्परता प्रमाणित हुई।

रणनीतिक महत्व:

- SFDR के सफल प्रदर्शन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास यह जटिल मिसाइल प्रणोदन तकनीक है, जो अब तक कुछ ही उन्नत रक्षा शक्तियों तक सीमित रही है।
- यह क्षमता अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की हवा-से-हवा मिसाइलों के विकास की संभावनाओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है, जो वायु श्रेष्ठता सुनिश्चित करने और उच्च तीव्रता वाले संघर्ष परिदृश्यों में सामरिक बढ़त प्रदान करने के लिए अत्यावश्यक हैं।
- यह उन्नत प्रणोदन प्रणाली मिसाइलों को पूरे उड़ान पथ में निरंतर थ्रस्ट बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जिससे 'नो-एस्केप ज़ोन' बढ़ता है और फुर्तीले, उच्च गति वाले लक्ष्यों के विरुद्ध अवरोधन की संभावना में सुधार होता है। यह तकनीकी छलांग भारत के हवाई युद्धक शस्त्रागार के आधुनिकीकरण के प्रयासों को पूरक करती है और महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती है।

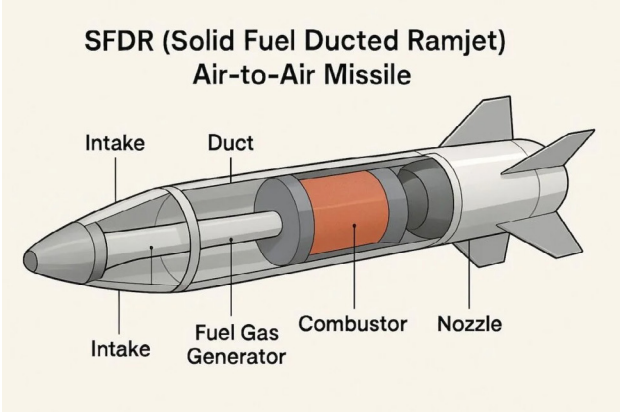

भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं पर प्रभाव:

- विशेषज्ञों का मानना है कि SFDR तकनीक अगली पीढ़ी की दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा मिसाइलों (BVRAAMs), जैसे अस्त्र Mk-3 (गांडीव), के विकास की आधारशिला बनेगी। इन मिसाइलों से अपेक्षा है कि वे विस्तारित संलग्नता दूरी, संभवतः 300 किमी से अधिक हासिल करेंगी, जिससे भारत की वर्तमान मिसाइल सूची में मौजूद क्षमतागत अंतर दूर होंगे और भारतीय वायु सेना की परिचालन पहुँच में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

चांदीपुर परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा SFDR तकनीक का सफल उड़ान प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य में एक निर्णायक उपलब्धि है। इस परिष्कृत प्रणोदन प्रणाली में दक्षता हासिल कर भारत न केवल अपनी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है, बल्कि भविष्य के एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए अपने मिसाइल तकनीकी आधार का भी विस्तार करता है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती तकनीकी परिपक्वता और स्वदेशी नवाचार के माध्यम से विश्वस्तरीय रक्षा क्षमताएँ विकसित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारत की पहली आतंकवाद-विरोधी नीति

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति 'प्रहार' का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक सिद्धांत आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को अलग-अलग दृष्टिकोणों से बदलकर एक एकीकृत, सक्रिय और खुफिया-आधारित राष्ट्रीय रणनीति में बदलने का प्रयास करता है।

आतंकवाद के बारे में:

- भारत में आतंकवाद को हिंसा के अवैध उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें बमबारी,घातक हथियार और खतरनाक सामग्री शामिल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालना या जनता में भय व्यापत करना है।

आतंकवाद की परिभाषा:

- 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' की धारा 113 के तहत, एक आतंकवादी कृत्य तब माना जाता है जब कोई विस्फोटक, घातक हथियार या अन्य घातक साधनों के उपयोग के माध्यम से राष्ट्र की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालता है या भय पैदा करता है।
- **प्रमुख कानून:** 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक कानून है।

'प्रहार' की आवश्यकता क्यों पड़ी:

- दशकों के आतंकवाद-विरोधी प्रयासों के बावजूद, भारत को सीमा पार आतंकवाद, विकसित होते आंतरिक चरमपंथी खतरों और

तकनीक-आधारित रणनीति का सामना करना पड़ा है। आतंकवादी समूहों और शत्रु संस्थाओं ने भर्ती करने, योजना बनाने और हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार, साइबर प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो फंडिंग और डार्क वेब का तेजी से लाभ उठाया है।

- अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक संगठन भी भारत के भीतर संवेदनशील लोगों को प्रभावित करने और कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करते हैं।
- खतरों के परिवर्तित स्वरूप के मद्देनज़र पारंपरिक प्रतिक्रियात्मक उपाय अपर्याप्त साबित हुए हैं। ऐसे में 'प्रहार' का उद्देश्य एक समग्र राष्ट्रीय कार्य-ढांचा प्रस्तुत करना है, जो खुफिया तंत्र, परिचालन प्रतिक्रियाओं, विधिक कार्रवाई, सामाजिक सहभागिता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एकीकृत कर एक सुसंगत और प्रभावी रणनीति सुनिश्चित करता है।

'प्रहार' सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं:

- **रोकथाम:** आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए MAC (मल्टी-एजेंसी सेंटर) और JTFI के माध्यम से खुफिया जानकारी पर आधारित सक्रिय उपाय।
- **प्रतिक्रिया:** स्थिति की गंभीरता के अनुसार चरणबद्ध और संतुलित कार्रवाई की जाती है। सामान्य घटनाओं में स्थानीय पुलिस तथा बड़ी और जटिल घटनाओं में NSG (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) जैसे विशेष बलों को तैनात किया जाता है।
- **समन्वय:** बेहतर अंतर-एजेंसी सहयोग के लिए 'संपूर्ण-सरकार' और 'संपूर्ण-समाज' का दृष्टिकोण।
- **कानून का शासन:** आतंकवाद-विरोधी कार्रवाइयां संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक निरीक्षण का सम्मान करती हैं।
- **मूल कारणों का समाधान:** सामुदायिक जुड़ाव, शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से कट्टरपंथ से निपटना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** खुफिया जानकारी साझा करना, प्रत्यर्पण, कानूनी सहायता और बहुपक्षीय समन्वय।
- **लचीलापन:** घटना के बाद स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक और सामाजिक सहायता सहित तेजी से सुधार।

महत्व और निहितार्थ:

- 'प्रहार' भारत के सुरक्षा ढांचे में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है:
  - » यह तदर्थ या प्रतिक्रियात्मक उपायों के बजाय एक औपचारिक राष्ट्रीय सिद्धांत स्थापित करता है।
  - » यह राज्यों और केंद्र के बीच परिचालन बाधाओं को कम करते हुए अंतर-एजेंसी एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
  - » यह आधुनिक आतंकवाद के डिजिटल आयाम को पहचानते हुए, तकनीक और मानवीय खुफिया जानकारी के बीच की दूरी को पाटता है।
  - » यह लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण, सुरक्षा अनिवार्यताओं और अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है।

निष्कर्ष:

प्रहार' भारत की पहली एकीकृत आतंकवाद-विरोधी नीति है, जो शून्य-सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है और खुफिया जानकारी के आधार पर काम करती है। इसका उद्देश्य आतंकवाद को रोकना, घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाना, कानूनी सुरक्षा मजबूत करना, समाज को सुरक्षित बनाना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। आतंकवाद के बदलते स्वरूप को देखते हुए, 'प्रहार' भारत को पारंपरिक और नए दोनों प्रकार के खतरों से निपटने के लिए अधिक संगठित और सक्रिय बनाता है।

पावर पैक्ड न्यूज

प्रधानमंत्री मोदी को 'कनेसट अध्यक्ष पदक' से सम्मानित किया गया

- हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की यात्रा पर थे जंहा उन्हें भारत-इजरायल रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान 'कनेसट अध्यक्ष पदक' प्रदान किया गया। कनेसट अध्यक्ष अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री के संसद को संबोधन के पश्चात यह सम्मान प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिष्ठित पदक को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। यह सम्मान जुलाई 2017 की उनकी ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है।
- प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल एवं फिलिस्तीन दोनों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018 में उन्हें फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर पदक भी प्रदान किया गया था। यह सम्मान रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि एवं नवाचार क्षेत्रों में दोनों देशों के बढ़ते सहयोग को प्रतिबिंबित करता है।

राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव 2026 का आयोजन

- भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की स्मृति में 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में 'राजाजी उत्सव' आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अशोक मंडप के समीप स्थित 'ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस' पर राजाजी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो पूर्व में स्थापित ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
- उत्सव के अंतर्गत 24 फरवरी से 1 मार्च तक अमृत उद्यान एवं सांस्कृतिक केंद्र में राजाजी के जीवन एवं कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें फिल्म प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।
- राजाजी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ-साथ प्रखर विचारक, विधिवेत्ता एवं लेखक भी थे। उन्होंने रामायण एवं महाभारत का अंग्रेजी एवं तमिल में अनुवाद किया था।

संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष के तहत नई पहल

- संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष (UNRSF) के अंतर्गत राजस्थान, असम, तमिलनाडु एवं केरल में एक नई सड़क सुरक्षा पहल प्रारंभ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, स्थायी वित्तपोषण को बढ़ावा देना, डेटा-आधारित निर्णयों में सुधार करना तथा लक्षित सुधारात्मक उपायों को लागू करना है।
- भारत में वैश्विक स्तर पर मात्र 1% वाहन होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में लगभग 11% हिस्सेदारी दर्ज की जाती है। वर्ष 2023 में लगभग 4.80 लाख दुर्घटनाओं में 1.72 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 1.77 लाख हो गई। मृतकों में 67% लोग 18-45 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत की जीडीपी का लगभग 3-5% वार्षिक नुकसान होता है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र की 2021-2030 कार्ययोजना के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को आधा करना है।

अश्लील सामग्री प्रसारण के आरोप में पाँच ओटीटी मंचों पर प्रतिबंध

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील एवं स्पष्ट यौन सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पाँच ओवर-द-टॉप (OTT) मंचों- मूड एक्सवीआईपी,

कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील एवं जुगनू को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के अंतर्गत की गई है, जो केंद्र सरकार को सार्वजनिक शालीनता, संप्रभुता एवं कानून-व्यवस्था की रक्षा हेतु आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री तक पहुँच प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करती है।

- अधिकारियों के अनुसार ये प्लेटफॉर्म नियामक मानकों का उल्लंघन करते हुए पोर्नोग्राफिक सामग्री का प्रसारण कर रहे थे। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई। इन नियमों के अंतर्गत ओटीटी मंचों के लिए तीन-स्तरीय स्व-नियामक तंत्र, आयु-आधारित सामग्री वर्गीकरण तथा शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य है।

VoicERA: भारत का ओपन-सोर्स वॉयस एआई स्टैक

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान VoicERA नामक एक ओपन-सोर्स वॉयस एआई स्टैक लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म भारत के राष्ट्रीय भाषा बुनियादी ढांचे 'भाषिणी' पर आधारित है तथा बहुभाषी आवाज-आधारित सेवाओं को सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया है।
- एकस्टेप फाउंडेशन, IIIT बेंगलुरु एवं AI4Bharat के सहयोग से निर्मित यह प्लेटफॉर्म वॉयस एवं संवादात्मक एआई प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय निष्पादन परत के रूप में कार्य करेगा। VoicERA मॉड्यूलर, इंटरऑपरेबल एवं क्लाउड-डिप्लॉयबल है, जो सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों एवं स्टार्टअप्स के बीच सुरक्षित एवं स्केलेबल तैनाती सुनिश्चित करता है।
- यह कृषि परामर्श, शिक्षा सहायता, शिकायत निवारण तथा नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में वॉयस-सक्षम सेवाओं को बढ़ावा देगा तथा डिजिटल समावेशन को सुदृढ़ करेगा।

प्रधानमंत्री राहत योजना की शुरुआत

- भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर एवं नकदरहित चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार) योजना प्रारंभ की है। इस राष्ट्रीय आपातकालीन उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र पीड़ितों को दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक ₹1.5 लाख तक का नकदरहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
- योजना का उद्देश्य 'स्वर्णिम घंटा' के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कर मृत्यु दर में कमी लाना है। यह पहल आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, पुलिस एवं अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करती है। इसके अंतर्गत स्थिरीकरण देखभाल को अनिवार्य बनाया गया है तथा गंभीर मामलों में 48 घंटे के भीतर चिकित्सा पुष्टि सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा वित्तपोषित है।

भारत टैक्सी

- भारत सरकार ने 'भारत टैक्सी' नामक सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहरी परिवहन को अधिक न्यायसंगत एवं किफायती बनाना है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से संचालित इस प्लेटफॉर्म में ड्राइवर 'सारथी' के रूप में सहकारी संस्था के हिस्सेदार होंगे। यह प्लेटफॉर्म शून्य-कमीशन मॉडल पर आधारित है तथा केवल नाममात्र का दैनिक शुल्क लिया जाएगा, जिससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि हो सके।
- ऐप के माध्यम से दोपहिया वाहन, ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी सेवाएं उपलब्ध होंगी। किराया संरचना पारदर्शी एवं सर्ज-फ्री होगी, जो निजी प्लेटफॉर्म की तुलना में लगभग 30% तक कम हो सकती है। यह पहल श्रमिक सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार एवं समावेशी शहरी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जिम्बाब्वे ने लेनाकापाविर एचआईवी रोकथाम इंजेक्शन का वितरण शुरू किया

- जिम्बाब्वे ने दीर्घकालिक एचआईवी रोकथाम हेतु लेनाकापाविर इंजेक्शन का वितरण प्रारंभ किया है, जो वर्ष में दो बार दिया जाता है और प्रत्येक खुराक छह महीने तक सुरक्षा प्रदान करती है। इस विस्तारित-प्रभावी निवारक इंजेक्शन को अपनाने वाले देशों में जिम्बाब्वे अग्रणी है।
- पिछले दो दशकों में एचआईवी/एड्स के कारण देश में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके मद्देनजर पहले चरण में संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लगभग 46,500 व्यक्तियों को लक्षित किया गया है।
- लाभार्थियों को छह महीने पश्चात दूसरी खुराक प्रदान की जाएगी। यह इंजेक्शन कमजोर समूहों, विशेषकर युवा महिलाओं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कैलिफोर्निया स्थित जैव-औषधीय कंपनी गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित इस दवा को ग्लोबल फंड के सहयोग से अमेरिकी राष्ट्रपति की एड्स राहत आपातकालीन योजना के अंतर्गत समर्थन प्राप्त है।

भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' प्रारंभ

- भारतीय सेना एवं जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JGSDF) के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' का सातवां संस्करण 24 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभ हुआ।
- 24 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना तथा परिचालन समन्वय एवं अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है। संयुक्त प्रशिक्षण में दोनों देशों के 120 सैनिक भाग ले रहे हैं, जिसमें भारतीय दल लद्दाख स्काउट्स तथा जापान की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं।
- अभ्यास अर्ध-शहरी वातावरण में अभियानों की संयुक्त क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। प्रमुख गतिविधियों में अस्थायी परिचालन अड्डा स्थापित करना, खुफिया, निगरानी एवं टोही नेटवर्क विकसित करना तथा घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शामिल हैं। यह अभ्यास आधुनिक प्रौद्योगिकी के समन्वित उपयोग के माध्यम से परिचालन तत्परता को बेहतर बनाने का प्रयास है।

भारत-नेपाल के बीच जैव विविधता संरक्षण हेतु समझौता

- भारत एवं नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को वन, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा नेपाल के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के बीच संपन्न हुआ। साझा पारिस्थितिकी तंत्र एवं सीमा पार वन्यजीव आवासों को ध्यान में रखते हुए भू-भाग स्तर पर सहयोग को प्राथमिकता दी गई है।
- हाथी, गैंडा, बाघ एवं हिम तेंदुआ जैसी प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव गलियारों के पुनर्स्थापन पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वन एवं वन्यजीव अपराधों की रोकथाम तथा प्रवर्तन क्षमता सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल सीमा-पार संरक्षण एवं स्मार्ट हरित अवसंरचना विकास को प्रोत्साहित करेगी।

तारिक रहमान बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री

- संसदीय चुनावों के उपरांत बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें जातीय संसद में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह समारोह नव-निर्वाचित बीएनपी सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त ए.एम.एम. नासिर उद्दीन द्वारा संसदीय शपथ दिलाए जाने के कुछ घंटों बाद आयोजित किया गया।
- 60 वर्षीय रहमान 25 दिसंबर 2025 को लगभग पंद्रह वर्षों के निर्वासन के पश्चात बांग्लादेश लौटे थे और विदेश प्रवास के दौरान यूनाइटेड

किंगडम में रहकर अपनी पार्टी के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटा रहे थे। प्रधानमंत्री के रूप में वे 25 मंत्रियों तथा 24 राज्य मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगे। फरवरी 2026 के चुनावों में बीएनपी की जीत के पश्चात नई सरकार का गठन हुआ है, जिससे देश की राजनीतिक दिशा में संभावित नीतिगत परिवर्तनों की अपेक्षा की जा रही है।

मुंबई अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा

- मुंबई को अर्थशॉट पुरस्कार 2026 के मेजबान शहर के रूप में चयनित किया गया है, जो भारत में इस प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार का प्रथम आयोजन होगा। यह घोषणा मुंबई जलवायु सप्ताह के दौरान की गई, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। वर्ष 2020 में ब्रिटेन के राजकुमार विलियम द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पृथ्वी संरक्षण हेतु नवाचार आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करता है।
- वर्ष 2026 के संस्करण में पांच प्रमुख श्रेणियों-प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ वायु, महासागर पुनर्जीवन, अपशिष्ट-मुक्त विश्व निर्माण तथा जलवायु सुधार, में कुल 15 अभिनव समाधानों को मान्यता दी जाएगी। यह बहु-दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व को सम्मानित करने के साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगा तथा जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा।

असम में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II का शुभारंभ

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II का शुभारंभ किया। ₹6,800 करोड़ से अधिक लागत वाली यह योजना वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू रहेगी तथा इसे 15 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सघनता-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास, सतत आजीविका के अवसरों का सृजन तथा स्थानीय निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है।
- योजना के अंतर्गत सुदृढ़ ग्राम संरचना के माध्यम से निवासियों को सीमा सुरक्षा में सहयोगी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाया जाएगा, जिससे सीमा पार अपराधों की रोकथाम तथा आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सहायता मिल सकेगी।

साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय का निधन

- प्रख्यात बंगाली साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय, जिन्हें उनके उपनाम 'शंकर' से जाना जाता था, का 20 फरवरी 2026 को कोलकाता में निधन हो गया। वे आयु-संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे।
- शंकर समकालीन बंगाली साहित्य के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक थे। उनका उपन्यास 'चौरंगी' शहरी जीवन की जटिलताओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है तथा उनके प्रमुख साहित्यिक कार्यों में शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'जन अरण्य' और 'सीमाबद्ध' जैसे उपन्यासों की रचना की, जिनमें आम जनजीवन के नैतिक एवं सामाजिक संघर्षों को दर्शाया गया है। उनके साहित्यिक कार्यों पर आधारित फिल्म रूपांतरण भी किए गए। वर्ष 2021 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा उन्हें बंकिम पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया।

एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणापत्र को वैश्विक समर्थन

- भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान अपनाए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणापत्र को 89 देशों एवं अंतरराष्ट्रीय

संगठनों द्वारा अनुमोदित किया गया है। बांग्लादेश इसके 89वें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ। यह घोषणापत्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है तथा "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के सिद्धांत से निर्देशित है।

- शिखर सम्मेलन ने नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, नवोन्मेषकों तथा स्टार्टअप्स को एआई-आधारित समाधानों पर विचार-विमर्श हेतु एक साझा मंच प्रदान किया। इसमें 500 से अधिक एआई विशेषज्ञ, 100 से अधिक संस्थापक एवं सीईओ, 150 शिक्षाविद तथा लगभग 400 मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में पांच लाख से अधिक आगंतुकों की भागीदारी दर्ज की गई।

मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने जीता बाफ्टा पुरस्कार

- मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने लंदन में आयोजित 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता। फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन नवोदित फिल्मकार लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है।
- फिल्म में गुगुन किपगेन एवं बाला हिजाम ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। 'बूंग' ने 'लिलो एंड स्टिच', 'आकों' तथा 'ज़ूट्रोपोलिस 2' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान प्राप्त किया।
- समारोह में फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अदर' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित छह पुरस्कार जीते, जबकि पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। गॉथिक हॉरर फिल्म 'सिनर्स' तथा 'फ्रेंकस्टीन' को भी तीन-तीन पुरस्कार प्राप्त हुए। इस आयोजन में भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट अतिथि प्रस्तुतकर्ता के रूप में सम्मिलित हुईं।

प्रख्यात ओडिया गायिका गीता पटनायक का निधन

- प्रख्यात ओडिया पार्श्व गायिका गीता पटनायक का 15 फरवरी 2026 को 73 वर्ष की आयु में मस्तिष्क आघात के कारण निधन हो गया। उन्होंने ओडिया संगीत जगत में कई दशकों तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और क्षेत्रीय संगीत परंपरा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गीता पटनायक विशेष रूप से दिग्गज गायक अक्षय मोहंती के साथ अपने रचनात्मक सहयोग के लिए जानी जाती थीं, जिनके साथ उन्होंने अनेक लोकप्रिय गीतों को स्वर प्रदान किया।
- अपने दीर्घ संगीतमय करियर के दौरान उन्होंने ओडिया फिल्मों और स्वतंत्र संगीत में अनेक यादगार गीत गाए। उनके चर्चित गीतों में फिल्म 'जाजाबार' का गीत "फुर किना उदिगला बानी" विशेष रूप से लोकप्रिय रहा। उनकी विशिष्ट गायन शैली और मधुर आवाज़ ने उन्हें ओडिया संगीत जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। उनके निधन से क्षेत्रीय संगीत उद्योग को अपूरणीय क्षति पहुँची है तथा उनके योगदान को लंबे समय तक स्मरण किया जाएगा।

जनवरी 2026 में भारत के निर्यात में 13.17% वृद्धि

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में भारत के कुल निर्यात (वस्तुओं एवं सेवाओं सहित) में वार्षिक आधार पर 13.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में कुल निर्यात बढ़कर 80.45 अरब डॉलर हो गया, जो जनवरी 2025 के 71.09 अरब डॉलर से अधिक है। हालांकि, इसी अवधि में कुल आयात में भी 18.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 76.48 अरब डॉलर से बढ़कर 90.83 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
- परिणामस्वरूप, जनवरी 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर 10.38 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के 5.39 अरब डॉलर की तुलना में लगभग दोगुना है। वस्तुओं का निर्यात 36.34 अरब डॉलर से बढ़कर 36.56 अरब डॉलर तक पहुंचा, जबकि सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए यह 34.75 अरब डॉलर से बढ़कर 43.90 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।

ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सड़क-सह-रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी

- आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न सड़क-सह-रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ₹18,662 करोड़ की लागत से विकसित की जाने वाली यह 33.7 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड परियोजना इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में निर्मित की जाएगी। इस परियोजना में नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग शामिल होगी।
- नया मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर स्थित गोहपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर स्थित नुमालीगढ़ से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर 34 किलोमीटर रह जाएगी। इसके परिणामस्वरूप यात्रा समय छह घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सहित अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है तथा यह क्षेत्रीय संपर्क एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

उदय कोटक गिफ्ट सिटी कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त

- उद्योगपति एवं बैंकर उदय सुरेश कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति गुजरात सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से की गई, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने हसमुख अधिया का स्थान लिया है, जो जून 2023 से कंपनी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
- उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक एवं निदेशक हैं और उन्होंने लगभग चार दशकों तक बैंकिंग समूह के विकास में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया है। वे 1 सितंबर 2023 तक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, जिसके पश्चात 2 सितंबर 2023 से उन्होंने गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक का पदभार संभाला।
- गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी है, जहां देश का पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) स्थापित किया गया है।

मिया अमोर मोटली पुनः बारबाडोस की प्रधानमंत्री नियुक्त

- बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने आम चुनावों में ऐतिहासिक तीसरी लगातार जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी, बारबाडोस लेबर पार्टी (BLP), ने 30-0 के पूर्ण जनादेश के साथ संसद के निचले सदन की सभी 30 सीटें जीत लीं। यह लगातार तीसरी बार है जब पार्टी ने विधानसभा की सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है। विपक्ष के नेता राल्फ थॉर्न ने चुनाव परिणामों को निराशाजनक बताया, हालांकि उन्होंने स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण चुनाव अभियान के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटली को इस विजय पर बधाई दी। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात नवंबर 2024 में जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- बारबाडोस कैरेबियन क्षेत्र का एक द्वीप राष्ट्र है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है तथा यह एकात्मक संसदीय गणराज्य के रूप में संचालित होता है। देश की आधिकारिक मुद्रा बारबाडियन डॉलर है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेज़ानी (Gezani)

- हाल ही में फरवरी 2026 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'गेज़ानी' (Gezani) ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इसे दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे घातक चक्रवातों में गिना जा रहा है। इस चक्रवात ने मुख्य रूप से मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है।

- यह 4 फरवरी 2026 को एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के रूप में शुरू हुआ और तेजी से विकसित होते हुए एक "तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात" (Intense Tropical Cyclone) बन गया।
- 10 फरवरी 2026 को गेज़ानी ने मेडागास्कर के पूर्वी तट पर स्थित टोमासिना (Toamasina) शहर के पास दस्तक दी। उस समय हवाओं की गति 185 किमी/घंटा से अधिक और झोंके 250 किमी/घंटा तक थे। 20 फरवरी 2026 तक यह पूरी तरह से शांत होकर समाप्त हो गया था।
- **मेडागास्कर:** यहाँ भारी तबाही हुई, जिसमें कम से कम 59 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 4.78 लाख लोग प्रभावित हुए। टोमासिना का लगभग 75% बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया।
- **मोजाम्बिक:** मेडागास्कर को पार करने के बाद, यह मोजाम्बिक चैनल में फिर से मजबूत हुआ और मोजाम्बिक के तट के बहुत करीब (लगभग 15 किमी) से गुजरा, जिससे वहां भी बाढ़ और नुकसान हुआ।

नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' एवं केंद्रीय सचिवालय भवनों का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का भी उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक स्थानांतरण से पूर्व दक्षिण ब्लॉक में अंतिम केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की गई, जिससे उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक जैसे औपनिवेशिक प्रशासनिक परिसरों के उपयोग का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक का निर्माण ब्रिटिश काल में वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था और स्वतंत्रता से पूर्व इनमें औपनिवेशिक प्रशासनिक कार्यालय संचालित होते थे।
- प्रधानमंत्री कार्यालय अब प्रमुख मंत्रालयों के साथ नव-निर्मित 'सेवा तीर्थ' परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय भी शामिल होंगे। कर्तव्य भवन 1 एवं 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि मंत्रालयों सहित विभिन्न विभागों को स्थान दिया जाएगा। इन परिसरों को डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय संरचना तथा 4-स्टार जीआरआईएचए स्थिरता मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जो प्रशासनिक दक्षता एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

संशोधित सीपीआई के अनुसार जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 2.75%

- संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार जनवरी 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर 2.75% दर्ज की गई। यह सीपीआई श्रृंखला में एक दशक से अधिक समय में किया गया पहला प्रमुख संशोधन है, जिसमें आधार वर्ष को 2012 से अद्यतन कर 2024 कर दिया गया है। यद्यपि दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 1.33% थी, फिर भी जनवरी की दर भारतीय रिज़र्व बैंक की सहनशीलता सीमा के भीतर बनी रही।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण मुद्रास्फीति 2.73% तथा शहरी मुद्रास्फीति 2.77% दर्ज की गई। खाद्य मुद्रास्फीति 2.13% रही, जबकि संशोधित सीपीआई श्रृंखला में खाद्य वस्तुओं के भार में कमी की गई है, जिससे समग्र मुद्रास्फीति पर उनके प्रभाव में कमी आई है। मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्यतः व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, शिक्षा सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तथा वस्त्र एवं जूते जैसी श्रेणियों में मूल्य वृद्धि के कारण हुई। साथ ही, रेस्तरां एवं आवास सेवाओं की लागत में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय नौसेना ने संयुक्त कार्य बल 154 (CTF 154) की कमान संभाली

- हाल ही में, भारतीय नौसेना ने बहरीन स्थित कम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) के तहत सयुंक्त कार्य बल (CTF) 154 की कमान संभालकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 11 फरवरी 2026 को मनामा में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी ने आधिकारिक रूप से इतालवी नौसेना से यह जिम्मेदारी ग्रहण की।
- मई 2023 में स्थापित, CTF 154 का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना है। यह टास्क

फोर्स समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA), अंतरराष्ट्रीय कानून, समुद्री बचाव और नेतृत्व विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। CTF-154, CM के अंतर्गत 5 ऑपरेशनल टास्क फोर्सेज में से एक है, जो मध्य पूर्व में समुद्री स्थिरता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

- यह पहली बार है जब भारत ने CMF के भीतर किसी बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स का नेतृत्व किया है। भारत नवंबर 2022 में CMF का 'एसोसिएट पार्टनर' बना था और 2023 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यह कदम भारत की 'पसंदीदा सुरक्षा भागीदार' (Preferred Security Partner) की छवि को मजबूत करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक पहुँच को दर्शाता है।
- सीएमएफ में 47 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना फरवरी 2002 में हुई थी। सीएमएफ के पाँच संयुक्त कार्य बल हैं:
  - » सीटीएफ 150 (अरब खाड़ी के बाहर समुद्री सुरक्षा अभियान)
  - » सीटीएफ 151 (समुद्री डकैती विरोधी अभियान)
  - » सीटीएफ 152 (अरब खाड़ी के अंदर समुद्री सुरक्षा अभियान)
  - » सीटीएफ 153 (लाल सागर समुद्री सुरक्षा)
  - » सीटीएफ 154 (समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण)
- इस नेतृत्व के माध्यम से भारतीय नौसेना 47 सदस्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करेगी, जिससे वैश्विक समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश बजट 2026–27

- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। बजट में ₹43,565.33 करोड़ की नई योजनाओं को शामिल किया गया है तथा इसका प्रमुख फोकस पूंजीगत व्यय, वित्तीय अनुशासन, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार पर है। कुल बजट का 19.5% पूंजीगत व्यय हेतु निर्धारित किया गया है, जबकि शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा कृषि क्षेत्रों को क्रमशः 12.4%, 6% और 9% आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP के 3% पर निर्धारित किया गया है।
- बजट में चिकित्सा शिक्षा हेतु ₹14,997 करोड़ तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹37,956 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 16 अविकसित जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़ प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार ने पुलिस अवसंरचना उन्नयन के लिए भी पर्याप्त संसाधन आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, डेटा प्राधिकरण की स्थापना और आठ डेटा सेंटर पार्क विकसित करने की योजना डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भारत-थाईलैंड संयुक्त इन-सीटू हवाई अभ्यास

- भारतीय वायु सेना और रॉयल थाई वायु सेना के बीच परिचालन समन्वय एवं अंतरसंचालनीयता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक संयुक्त इन-सीटू हवाई अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इन-सीटू अभ्यास वास्तविक उड़ान एवं युद्ध-संबंधी परिस्थितियों में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभियान होता है, जिससे दोनों सेनाओं को परिचालन वातावरण के निकट समन्वित रूप से कार्य करने का अवसर मिलता है।
- इस अभ्यास में भारत ने अपनी अग्रिम पंक्ति की हवाई संपत्तियाँ जैसे Su-30MKI लड़ाकू विमान, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS), एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्लेटफॉर्म तथा IL-78 मध्य-वायु ईंधन भरने वाले विमान तैनात किए हैं। वहीं, थाई वायु सेना अपने ग्रिपेन मल्टीरोल लड़ाकू विमान के साथ भाग ले रही है, जिससे संयुक्त उड़ान संचालन एवं सामरिक समन्वय को बढ़ावा मिल रहा है। इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच हवाई अभियानों में पारस्परिक समझ, समन्वय एवं मिशन दक्षता को बढ़ाना है। यह पहल भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राजस्थान बजट 2026–27

- राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिव्या कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026–27 का राज्य बजट प्रस्तुत किया, जिसमें युवाओं के रोजगार सृजन एवं अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 30,000 युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान परीक्षा एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- अवसंरचना विकास के अंतर्गत ₹500 करोड़ की लागत से 42,000 किलोमीटर सड़कों एवं 250 अटल प्रगति पथों के निर्माण की योजना बनाई गई है। साथ ही, ₹24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 'हर घर नल' योजना के अंतर्गत एक वर्ष में तीन लाख नए नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। औद्योगिक विकास हेतु ₹350 करोड़ की लागत से नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे तथा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर भूमि का विकास प्रस्तावित है। यह बजट राज्य में समावेशी विकास एवं रोजगार अवसरों के विस्तार को लक्षित करता है।

सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के नए कदम

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025-26 के दौरान सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, शासन (governance) और डिजिटल पहुंच को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को कुल ऋण और अग्रिम के 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
- 19 जनवरी, 2026 से बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सहकारी समितियों को आगे ऋण देने (on-lending) के लिए दिए गए ऋणों को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण' की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- पात्र शहरी सहकारी बैंक अब भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष की शाखाओं की संख्या के 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) तक नई शाखाएं खोल सकते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सहकारी बैंकों के निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए 'सहकार सारथी' (Sahakar Sarthi) नामक एक साझा सेवा इकाई (SSE) की स्थापना की गई है जो तकनीकी और ऑडिट सेवाएं प्रदान करेगी।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC) को एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में मंजूरी दी गई है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) पर ऑनबोर्डिंग के लिए लाइसेंसिंग शुल्क कम कर दिया गया है।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों को अब एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे शिकायतों का निवारण आसान हो गया है।

भारत ने 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली शेरपा बैठक की मेजबानी की

- भारत ने ब्रिक्स समूह की 2026 की अध्यक्षता के अंतर्गत नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा एवं सौ-शेरपा बैठक की मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा एवं आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने की, जबकि उप-शेरपा शंभू एल. हक्की भी उपस्थित रहे। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात सहित सदस्य एवं भागीदार देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- बैठक का केंद्रीय विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" रहा, जो ब्रिक्स सहयोग के प्रति भारत के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दी गई।

- आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पूर्व इस बैठक ने भारत के 2026 एजेंडा की आधारशिला रखी तथा सदस्य देशों के बीच समन्वय, लचीलापन एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल प्रस्तुत की।

डेयरी क्षेत्र के लिए 'श्वेत क्रांति 2.0' पहल

- केंद्र सरकार ने दुग्ध क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने एवं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'श्वेत क्रांति 2.0' नामक सहकारी पहल प्रारंभ की है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करना है। अनुमान है कि वर्ष 2028–29 तक दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की दैनिक खरीद 1,007 लाख किलोग्राम तक पहुँच जाएगी।
- इस रणनीति के अंतर्गत उन क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार किया जाएगा जहाँ अब तक इनकी सेवाएँ सीमित रही हैं। कार्यक्रम में लगभग 1.20 लाख नई एवं मौजूदा दुग्ध सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय दुग्ध सहकारी समितियों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, नए दूध वितरण मार्गों का निर्माण, संग्रहण इकाइयों, परीक्षण उपकरणों एवं थोक दूध कूलरों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास भी प्रस्तावित है।
- यह पहल राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम 2.0 के माध्यम से वित्तपोषित है और दुग्ध उत्पादन कार्यबल में 70 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' का शुभारंभ

- दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी 2026 को बालिकाओं की शिक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' प्रारंभ की है, जो वर्ष 2008 की लाडली योजना का उन्नत संस्करण है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका को जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा स्तर तक की शिक्षा अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में ₹56,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि संरचित वित्तीय साधनों में निवेश की जाएगी ताकि समय के साथ इसकी वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- परिपक्वता के पश्चात यह धनराशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। योजना का लाभ केवल उन बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं है। प्रति परिवार अधिकतम दो जीवित बालिकाएँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण जन्म के समय अथवा विद्यालय प्रवेश एवं उच्च शिक्षा नामांकन जैसे महत्वपूर्ण चरणों में किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक बाधाओं के कारण बालिकाओं की शिक्षा में व्यवधान को रोकना तथा उनके दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

डीपफेक सामग्री हटाने हेतु तीन घंटे की समयसीमा

- सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई-जनित अथवा डीपफेक सामग्री को हटाने के लिए तीन घंटे की अनिवार्य समयसीमा निर्धारित की है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। संशोधित नियमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित सामग्री की औपचारिक एवं कानूनी परिभाषा प्रदान की गई है, जिसमें सिंथेटिक सामग्री को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है।
- सरकार अथवा न्यायालय द्वारा चिह्नित किए जाने के पश्चात संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री को निर्धारित समयसीमा के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्लेटफॉर्म्स को एआई लेबल हटाने या संबंधित मेटाडेटा को दबाने की अनुमति नहीं होगी। यह अनुपालन आवश्यकताएँ 20 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
- इस नियामक ढाँचे का उद्देश्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा भ्रामक एवं दुष्प्रचार आधारित सामग्री के प्रसार

को नियंत्रित करना है।

'खंजर अभ्यास'

- भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास 'खंजर' (KHANJAR) का 13वां संस्करण हाल ही में 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का प्रतीक है।
- खंजर अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (SF) और किर्गिस्तान की 'स्कॉर्पियन' ब्रिगेड ने भाग लिया।
- इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियानों, शहरी युद्ध कौशल और पहाड़ी इलाकों में विशेष ऑपरेशनों पर था। अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियारों, निगरानी उपकरणों और सामरिक तकनीकों का साझा प्रदर्शन किया गया।
- यह अभ्यास न केवल सैन्य अंतर-संचालनीयता (Interoperability) को बढ़ाता है, बल्कि मध्य एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी विश्वास भी पैदा करता है।
- 'खंजर' अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह बारी-बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था, जबकि 13वां संस्करण भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। यह अभ्यास भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के तहत सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

स्टार्टअप इंडिया के तहत डीपटेक स्टार्टअप्स को विस्तारित मान्यता

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, डीपटेक स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत डीपटेक स्टार्टअप्स की पात्रता अवधि को उनके निगमन की तिथि से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है, जो सामान्य स्टार्टअप्स की तुलना में दोगुनी है। साथ ही, इनके लिए वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा ₹300 करोड़ निर्धारित की गई है, जबकि सामान्य स्टार्टअप्स के लिए यह सीमा ₹200 करोड़ है।
- सरकार के अनुसार, डीपटेक स्टार्टअप्स वे कंपनियां हैं जो अपने राजस्व या वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में निवेश करती हैं तथा जिनका विकास चक्र लंबा, पूंजी निवेश उच्च तथा तकनीकी अनिश्चितता अधिक होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को डीपटेक की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- इस नीतिगत बदलाव से विकास पूंजी, अनुदान तथा संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार होने की संभावना है तथा प्रयोगशाला अनुसंधान से व्यावसायीकरण तक संक्रमण को गति मिल सकती है।

जापान में सनाए ताकाइची की ऐतिहासिक चुनावी जीत

- जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 8 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने निचले सदन की कुल 465 सीटों में से 316 सीटें जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। गठबंधन सहयोगी इशिन पार्टी के साथ दो-तिहाई बहुमत प्राप्त होने से सरकार की विधायी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मजबूती मिली है। ताकाइची को एक कट्टर रूढ़िवादी और 'आयरन लेडी' के रूप में जाना जाता है। वे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी रही हैं और रक्षा बजट बढ़ाने व 'एबोनॉमिक्स' (Abenomics) नीतियों की प्रबल समर्थक हैं।
- इस विजय से प्रस्तावित कर कटौती तथा रक्षा व्यय में वृद्धि से संबंधित नीतिगत सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि, बिक्री कर में प्रस्तावित राहत के वित्तपोषण को लेकर वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखी गई।
- चुनाव में युवा मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय रही, जिन्होंने ताकाइची की प्रत्यक्ष नेतृत्व शैली को समर्थन दिया। यह जीत जापान के पुरुष-प्रधान राजनीतिक ढांचे में एक बड़े बदलाव का प्रतीक मानी जा रही है जो जापान की घरेलू आर्थिक नीतियों तथा क्षेत्रीय

सुरक्षा प्राथमिकताओं में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

- ताकाइची को एक कट्टर रूढ़िवादी और 'आयरन लेडी' के रूप में जाना जाता है। वे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी रही हैं और रक्षा बजट बढ़ाने व 'एबोनॉमिक्स' (Abenomics) नीतियों की प्रबल समर्थक हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी

- कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) लाइसेंस जारी किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला कस्टोडियन बैंक बन गया है। एफपीआई खाता खोलने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की गई, जिसमें प्रत्येक चरण में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग किया गया तथा निवेशकों से किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ी।
- बैंक अब तक दो एफपीआई लाइसेंस जारी कर चुका है, जो पूरी तरह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। इस पहल से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश करना अधिक सरल एवं पारदर्शी हो गया है। यह कदम भारत में कागजरहित निवेश प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जनवरी 2026 में एकीकृत डिजिटल कार्यप्रणाली लागू किए जाने के पश्चात इस पहल को संभव बनाया गया है।

रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026

- भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 (Global Teacher Prize 2026) से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान प्रदान किया गया। उन्हें 1 मिलियन डॉलर (लगभग ₹8.3-9 करोड़) की राशि प्रदान की गई है।
- रूबल नागी को कला-आधारित शिक्षा (Art-based education) के माध्यम से वंचित समुदायों में बदलाव लाने के लिए यह सम्मान मिला है। उन्होंने अपनी "रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन" के जरिए भारत भर में 800 से अधिक शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।
- रूबल नागी ने झुग्गी-झोपड़ियों की दीवारों को 'लर्निंग वॉल्स' (Living walls of learning) में बदलकर साक्षरता, स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता फैलाने का अनूठा कार्य किया है। उनका चयन 139 देशों से प्राप्त 5,000 से अधिक नामांकनों में से किया गया।
- वह इस पुरस्कार राशि का उपयोग कश्मीर में एक अत्याधुनिक कौशल विकास और शिक्षण केंद्र (Skill-cum-learning centre) स्थापित करने के लिए करेंगी। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन (Varkey Foundation) द्वारा यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है और इसे शिक्षा जगत का 'नोबेल पुरस्कार' भी माना जाता है।

भारत ने जीता अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026

- भारत ने 6 फरवरी 2026 को इंग्लैंड को फाइनल में पराजित कर रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
- जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने नौ विकेट के नुकसान पर 411 रन बनाए। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 412 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 311 रनों पर सिमट गई, हालांकि कैलेब फाल्कनर ने संघर्षपूर्ण शतक लगाया।
- वैभव सूर्यवंशी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही, जिससे उसकी रणनीतिक दक्षता एवं सामूहिक प्रदर्शन का प्रमाण मिला। इस ऐतिहासिक विजय ने जूनियर स्तर पर भारतीय क्रिकेट के निरंतर प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया तथा देश में उभरती प्रतिभाओं की सशक्त संभावनाओं को रेखांकित किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता

- भारत ने पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing) के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आज भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन चुका है। मोबाइल उत्पादन का मूल्य 2014-15 के ₹18,900 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹5.45 लाख करोड़ के पार पहुँच गया है।
- वर्ष 2014-15 में भारत में बिकने वाले केवल 26% मोबाइल स्वदेशी थे, जो आज बढ़कर 99.2% हो गए हैं। देश में मोबाइल निर्माण इकाइयों की संख्या मात्र 2 (2014) से बढ़कर अब 300 से अधिक हो गई है।
- भारत अब मोबाइल का शुद्ध निर्यातक (Net Exporter) बन गया है। मोबाइल निर्यात ₹1,556 करोड़ (2014) से बढ़कर ₹2 लाख करोड़ (2024-25) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। इस क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस क्रांति का मुख्य श्रेय भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना और 'मेक इन इंडिया' पहल को जाता है। Apple, Samsung और Google जैसे वैश्विक दिग्गजों ने भारत को अपना प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाया है। इसके अतिरिक्त, हालिया सेमीकंडक्टर मिशन और बुनियादी ढांचे में सुधार ने इस पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती प्रदान की है।
- यह प्रगति न केवल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति दे रही है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में भारत को एक 'विश्वसनीय भागीदार' के रूप में स्थापित कर रही है।

वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार

- भारतीय मूल के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा पृथ्वी विज्ञान में आजीवन असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है और इसे प्रायः भूविज्ञान का 'नोबेल पुरस्कार' भी कहा जाता है।
- रामनाथन को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन पर उनके दीर्घकालिक शोध, विशेषकर सुपर-प्रदूषकों के अध्ययन के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 1975 में नासा में कार्य करते हुए उन्होंने यह महत्वपूर्ण खोज की थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) ऊष्मा को अत्यधिक कुशलता से अवशोषित करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को अधिक गर्म कर सकते हैं। इस शोध ने जलवायु परिवर्तन पर मानव-निर्मित प्रौद्योगिकी के प्रभाव को उजागर किया।
- हिंद महासागर प्रयोग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया के ऊपर वायुमंडलीय भूरे बादलों की पहचान हुई, जिसने वायु प्रदूषण, कमजोर भारतीय मानसून तथा हिमालयी ग्लेशियरों के तीव्र पिघलने के बीच संबंध स्थापित किया। वर्तमान में वे स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में विशिष्ट प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में कार्यरत हैं।

'परीक्षा पे चर्चा' का 9वां संस्करण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख छात्र संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) का नौवां संस्करण 6 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। इस वर्ष यह कार्यक्रम पहली बार बहु-स्थानिक प्रारूप में आयोजित किया गया, जिसमें नई दिल्ली, कोयंबटूर, रायपुर, देव मोगरा और गुवाहाटी सहित पांच शहरों में सत्र संपन्न हुए।
- कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल तथा शिक्षा मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता प्रदान करना तथा परीक्षा को एक सकारात्मक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के समग्र विकास, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- नौवें संस्करण के लिए माईगव पोर्टल पर 4.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जबकि पूर्व-कार्यक्रम गतिविधियों में

देशभर के लगभग 4.81 करोड़ छात्रों ने भागीदारी सुनिश्चित की।

आरसीबी ने जीता 2026 महिला प्रीमियर लीग खिताब

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग (WPL) का खिताब जीता। वडोदरा में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से पराजित कर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया।
- दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 203 रन बनाए, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स ने 57 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करते हुए 19.4 ओवर में जीत दर्ज की।
- टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रन की मैच-विजयी पारी खेली और उन्हें फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इस जीत के साथ आरसीबी पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है जिसने एक साथ आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग दोनों खिताब अपने नाम किए हैं। गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जबकि नंदिनी शर्मा को उभरती हुई खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया।

68वाँ वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2026

- 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 2 फरवरी 2026 को लॉस एंजिल्स स्थित क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में किया गया, जिसकी मेजबानी प्रसिद्ध कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने की। यह उनके द्वारा छठी तथा अंतिम बार इस प्रतिष्ठित समारोह की मेजबानी थी। इस वर्ष केंड्रिक लैमर को सर्वाधिक नौ तथा लेडी गागा को सात नामांकन प्राप्त हुए।
- समारोह में पॉप स्टार बैड बनी ने एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसके अतिरिक्त, किसी के-पॉप कलाकार द्वारा पहली बार ग्रैमी पुरस्कार जीतना वैश्विक संगीत उद्योग में एशियाई प्रतिनिधित्व के विस्तार का संकेतक माना गया।
- संगीत वृत्तचित्र "म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स", जो महान संगीतकार जॉन विलियम्स के जीवन पर आधारित है, को भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस पुरस्कार के साथ एमी, ग्रैमी, टोनी और ऑस्कर प्राप्त कर ईजीओटी का दर्जा हासिल किया।
- तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 90 वर्ष की आयु में उनके स्पोकन वर्ड एल्बम 'मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन एवं स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में पहला ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि दर्शाती है कि ग्रैमी पुरस्कार अब मनोरंजन से परे बौद्धिक एवं आध्यात्मिक योगदानों को भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं।

नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव

- नागालैंड के कोहिमा के निकट स्थित रुसोमा गाँव में 30 जनवरी 2026 से दो दिवसीय रुसोमा संतरा महोत्सव के पाँचवें संस्करण का आयोजन किया गया। "रुसोमा की प्रचुरता" विषय पर आधारित इस महोत्सव का उद्देश्य ग्राम कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय संतरा उत्पादकों के योगदान को सम्मानित करना था।
- यह आयोजन क्षेत्रीय कृषि उत्पादों के ब्रांडिंग, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरा है।
- वर्तमान में गाँव के 570 परिवारों में से लगभग 470 परिवार संतरे की खेती से जुड़े हुए हैं, जिससे यह कृषि गतिविधि स्थानीय आजीविका का प्रमुख स्रोत बन चुकी है। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक खेलों, स्थानीय व्यंजनों तथा संतरे के पौधों से संबंधित प्रदर्शनी स्टॉलों का आयोजन किया गया।

- इसका उद्देश्य रुसोमा संतरों के विशिष्ट स्वाद एवं गुणवत्ता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी है। स्थानीय प्रशासन ने आगामी छह से सात वर्षों में संतरे के बागानों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 100 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह महोत्सव कृषि-आधारित पर्यटन एवं ग्रामीण विकास के समन्वित मॉडल के रूप में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

माइकल नॉब्स का निधन

- भारत के पूर्व पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ी माइकल नॉब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 2011 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे, जब भारत 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहा था। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जो भारतीय हॉकी के पुनर्निर्माण के प्रयासों का महत्वपूर्ण चरण था।
- एक खिलाड़ी के रूप में माइकल नॉब्स ने 1979 से 1985 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वे 1981 में बॉम्बे में आयोजित हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य रहे तथा 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी में उनके योगदान ने उन्हें एक अनुभवी रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया।
- भारत के अतिरिक्त उन्होंने जापान की राष्ट्रीय हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में भी कार्य किया। भारतीय हॉकी के संक्रमण काल में उनकी भूमिका टीम के पुनर्गठन, फिटनेस सुधार तथा प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण रही। उनका निधन वैश्विक हॉकी समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के बाहरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के सेवाओं के निर्यात ने वस्तु निर्यात की तुलना में वृद्धि की गति में बढ़त हासिल की।
2. भारत दुनिया में प्रवासी रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा।
3. विदेशी मुद्रा भंडार ने छह महीने से कम का आयात कवरेज प्रदान किया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

2. आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में उजागर निम्नलिखित क्षेत्रीय रुझान भारत के संरचनात्मक परिवर्तन को किस प्रकार दर्शाते हैं?

1. बागवानी (Horticulture) उत्पादन ने खाद्य अनाज (Foodgrain) उत्पादन को पार कर लिया।
2. विनिर्माण (Manufacturing) की वृद्धि PLI योजनाओं और सेमीकंडक्टर पहलों द्वारा समर्थित।
3. सेवाएँ (Services) क्षेत्र GDP का आधे से अधिक और FDI inflows का अधिकांश हिस्सा देता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

3. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) नियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।
2. ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 की जगह लेते हैं।
3. ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

4. संघ बजट 2026–27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% अनुमानित किया गया है।
2. ऋण-से-जीडीपी अनुपात, संशोधित अनुमान (RE) 2025–26 की तुलना में बढ़ने का अनुमान है।
3. सकल बाज़ार उधारी ₹17.2 लाख करोड़ अनुमानित की गई है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

5. संघ बजट 2026–27 में उल्लिखित तीन "कर्तव्य" निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक विकास को तेज़ करना और उसे सतत बनाए रखना
2. सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना
3. आकांक्षाओं की पूर्ति करना तथा क्षमताओं का निर्माण करना
4. समावेशी विकास सुनिश्चित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

6. बजट 2026–27 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया

गया है।
2. पूंजीगत व्यय जीडीपी का लगभग 4.4% है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

7. बजट 2026–27 में निम्नलिखित कौन-कौन सी अवसंरचना पहल की घोषणा की गई थी?

1. सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
2. 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन
3. केवल सीमा सड़कों के लिए भारत-माला चरण III
सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

8. बजट 2026–27 में निम्नलिखित में से कौन-कौन सी निर्माण और रणनीतिक उद्योग पहल का हिस्सा हैं?

1. बायोफार्मा SHAKTI प्रोग्राम
2. रियर अर्थ कॉरिडोर
3. नेशनल टेक्सटाइल मिशन 2.0
सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

9. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
2. यह भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में ग्राम सभा से परामर्श को अनिवार्य बनाता है।
3. PESA के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) नोडल मंत्रालय है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

10. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार मान्यता प्राप्त हैं?

1. अधिकतम 4 हेक्टेयर तक व्यक्तिगत वन भूमि अधिकार
2. बाँस और तेंदूपत्ता जैसे लघु वनोपज (Minor Forest Produce) पर सामुदायिक अधिकार
3. वन क्षेत्रों में भूमिगत खनिजों पर स्वामित्व अधिकार
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

11. सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक वायु-श्वासी (एयर-ब्रीदिंग) प्रणोदन प्रणाली है।
2. यह अपनी पूरी उड़ान के दौरान ईंधन और ऑक्सीकारक (ऑक्सीडाइज़र) दोनों को अपने साथ ले जाती है।
3. यह अधिसोनिक (सुपरसोनिक) गति पर निरंतर थ्रस्ट (प्रणोदन बल) प्रदान करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

12. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है।
2. इसके अंतर्गत धनराशि सीधे सांसदों को जारी की जाती है।
3. यह योजना 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रारंभ की गई थी।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

13. भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के डेटा के प्रसंस्करण हेतु प्लेटफ़ॉर्म को सत्यापनीय अभिभावकीय सहमति प्राप्त करनी होती है।
2. बच्चों के लिए निर्देशित व्यवहारिक ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन को अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
3. यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. 2011 की भारत की 15वीं जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 2011 की जनगणना भारत की जनसंख्या को 1.21 अरब तक दर्ज करने वाली थी, जिसमें पिछले दशक की तुलना में वृद्धि 17.70% थी।
2. सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था।
3. सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार (1102 प्रति किमी^{2}) और सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश (17 प्रति किमी^{2}) था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

15. छोटे वनोपज (Minor Forest Produce – MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. MFP के लिए MSP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है।
2. MFP के लिए MSP का उद्देश्य आदिवासी संकलकों को बाजार मूल्य की अस्थिरता से बचाना है।
3. MFP के लिए MSP का पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष अनिवार्य है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

16. निम्नलिखित में से कौन-कौन से कानूनी प्रावधान जनजातीय समुदायों को छोटे वनोपज (Minor Forest Produce – MFP) के संबंध में अधिकार प्रदान करते हैं?

1. वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act), 2006
2. पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996
3. जैविक विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act), 2002

सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

17. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के फैसले के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से सिद्धांत राज्य DGP की नियुक्ति को नियंत्रित करना चाहिए?

1. UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम IPS अधिकारियों में से चयन
2. न्यूनतम दो वर्ष की निश्चित कार्यकाल
3. राज्य सरकार के पूर्ण विवेकानुसार नियुक्ति

सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

18. भारत की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee–MPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एमपीसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी।
2. एमपीसी का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें (±2%) की सहनशील सीमा निर्धारित है।
3. एमपीसी के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

19. दलबदल से संबंधित मामलों में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
2. अयोग्यता से संबंधित मामलों में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त होता है।
3. दुर्भावना (mala fides), मनमानी/विकृति (perversity) या अनुचित देरी के मामलों में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

20. संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से कार्य किसी विधायक की अयोग्यता का कारण बन सकते हैं?

1. स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देना
2. पूर्व अनुमति के बिना पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना
3. किसी निर्दलीय सदस्य का चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

21. पीएम केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (Public Charitable Trust) के रूप में स्थापित किया गया था।
2. इसका लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है।
3. इसे सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

22. भारत में सर्पदंश विषाक्तता (Snakebite Envenoming) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वैश्विक स्तर पर सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी है।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सर्पदंश विषाक्तता को एक उच्च-प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (Neglected Tropical Disease) के रूप में वर्गीकृत किया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

23. नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
2. इसने वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया।
3. यह मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से मिलकर बने एक शासी परिषद (Governing Council) के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

24. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है।
2. यह देशों की नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उपयोग करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।
3. यह अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन चार स्तंभों "प्रौद्योगिकी (Technology), लोग (People), शासन (Governance) और प्रभाव (Impact)" पर करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

25. CAR T-सेल थैरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें रोगी की अपनी टी-सेल्स को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए इंजीनियर किया जाता है।
2. इसे वर्तमान में कुछ रक्त संबंधी कैंसर के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है।
3. यह मुख्य रूप से हड्डी के मज्जा (Bone marrow) से निकाले गए बी-सेल्स का उपयोग करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

26. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था।
2. इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा लागू किया जाता है।
3. यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा की जाती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

27. संसद के अध्यक्ष (लोक सभा के स्पीकर) को हटाने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्पीकर को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत है।
2. हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने से पहले न्यूनतम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।
3. प्रस्ताव को पास करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की सरल बहुमत आवश्यक है।
4. प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर को कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

28. सांसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में, स्पीकर की निष्पक्षता आवश्यक है क्योंकि:

1. स्पीकर पार्टी छोड़ने/दल बदल कानून (Anti-Defection Law) के तहत निर्णय करते हैं।
2. स्पीकर मनी बिल (Money Bills) को प्रमाणित करते हैं।
3. स्पीकर विधानमंडल की कार्यसूची और बोलने का समय नियंत्रित करते हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

29. भारत में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोकपाल एक सांविधिक (statutory) संस्था है, जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया।

2. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक संवैधानिक संस्था है।
3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988, संशोधित 2018) में लालच लेना और देना दोनों को दंडनीय बनाया गया है।
4. व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 सूचनाकर्ताओं (informants) को प्रतिशोध से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

30. नक्सलवादी–माओवादी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका आरंभ 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुआ था।
2. यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है।
3. यह विद्रोह मुख्यतः शहरी महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

31. केन–बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) के अंतर्गत भारत की पहली प्रमुख नदी-जोड़ परियोजना है।
2. इसका उद्देश्य बेतवा नदी से केन नदी में अधिशेष जल का स्थानांतरण करना है।
3. यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिए है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

32. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस अधिनियम ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह ली।
2. इसने आत्महत्या के प्रयासों को अपराध नहीं माना जाता है।
3. यह किफायती और गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

33. जनवरी 2026 में जारी नई संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है।
2. उपभोग टोकरी (consumption basket) में वस्तुओं की संख्या घटा दी गई है।
3. यह संशोधन बदलते उपभोग पैटर्न और डिजिटलीकरण को बेहतर ढंग से दर्शाने के उद्देश्य से किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

34. सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें विश्व बैंक मध्यस्थ (broker) की भूमिका में था।
2. भारत को पश्चिमी नदियों (Western Rivers) पर असीमित अधिकार हैं।
3. यह संधि विवाद निवारण के लिए क्रमबद्ध (graded) प्रक्रिया प्रदान करती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

35. सावलकोट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए:

1. कुल क्षमता 1,856 मेगावाट है।
2. चरण I (Stage I) की क्षमता चरण II (Stage II) से अधिक है।
3. अनुमानित निर्माण अवधि लगभग 9 वर्ष है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से तथ्य सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

36. भारत में पैंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पैंगोलिन एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जिनका शरीर पूर्णतः केराटिन की शल्कों (scales) से ढका होता है।
2. भारतीय और चीनी दोनों पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
3. पैंगोलिन प्रवासी (migratory) स्तनधारी हैं और केवल शुष्क मरुस्थलीय पारितंत्रों में पाए जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

37. पैंगोलिन की संरक्षण स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय पैंगोलिन – संकटग्रस्त (IUCN)
2. चीनी पैंगोलिन – अत्यंत संकटग्रस्त (IUCN)
3. दोनों प्रजातियाँ CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

38. भारत–बांग्लादेश आर्थिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर था।
3. भारत ने बांग्लादेश को 8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण रेखाएँ (Lines of Credit – LoC) प्रदान की हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

39. पीएम राहत (PM RAHAT) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।
2. उपचार कवरेज दुर्घटना की तिथि से 30 दिनों तक उपलब्ध है।
3. यह योजना "गोल्डन आवर" के दौरान त्वरित उपचार प्रदान करने पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

40. प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (Surface-to-Air Missile) प्रणाली है।
2. इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
3. इसे लगभग 400 किमी तक के हवाई खतरों को भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

41. निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से तारे के अवशेष को उससे संबंधित भौतिक सीमा के साथ मिलाता है?

1. सफेद बौना (White Dwarf) – चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit)
2. तंत्रिका तारा (Neutron Star) – टॉलमैन–ओपेनहाइमर–वोल्कॉफ सीमा (TOV Limit)
3. ब्लैक होल (Black Hole) – श्वार्ज़स्चिल्ड त्रिज्या (Schwarzschild Radius)

सही उत्तर का चयन कीजिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

42. ओल चिकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा वर्ष 1925 में किया गया था।
2. इसे मूल रूप से मुंडारी भाषा के लिए डिज़ाइन किया गया था।
3. यह संथाली भाषा के लिए एक ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) लेखन प्रणाली प्रदान करती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

43. एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक सिंगल-सीट, ट्विन-इंजन, पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है।
2. इसे विशेष रूप से केवल भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया जा रहा है।
3. इसे सभी मौसमों में काम करने वाले बहु-भूमिका विमान के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

44. भारतएआई मिशन (IndiaAI Mission) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे मार्च 2024 में ₹10,000 करोड़ से अधिक के व्यय के साथ स्वीकृत किया गया था।
2. इसका उद्देश्य स्वदेशी लार्ज मल्टीमोडल मॉडल (LMMs) विकसित करना है।
3. इसे सीधे नीति आयोग द्वारा लागू किया जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

45. डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करती है?

A: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

B: सूचना का अधिकार अधिनियम

C: भारतीय साक्ष्य अधिनियम

D: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

46. BHASHINI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करता है।
2. इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच को बढ़ावा देना है।
3. यह केवल टेक्स्ट (पाठ) अनुवाद सेवाओं तक सीमित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

47. अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं (Essential Religious Practices – ERP) सिद्धांत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस मामले में हुई?

A: केशवानंद भारती मामला
B: शिरूर मठ मामला
C: मिनर्वा मिल्स मामला
D: एस.आर. बोम्मई मामला

48. संकल्प (SANKALP) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2017 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) द्वारा स्वीकृत किया गया था।
2. इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
3. इसे विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

49. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें संसद के दोनों सदनों से कुल 22 सदस्य होते हैं।
2. मंत्री इस समिति के सदस्य हो सकते हैं।
3. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
4. 1967 से परंपरानुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

50. भारत की टीकाकरण पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme) 1985 में शुरू किया गया था।
2. मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है।
3. U-WIN पोर्टल का उपयोग गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	A	11	C	21	B	31	C	41	D
2	D	12	B	22	C	32	D	42	B
3	D	13	A	23	C	33	B	43	B
4	B	14	D	24	C	34	B	44	A
5	B	15	B	25	A	35	D	45	B
6	C	16	A	26	A	36	A	46	A
7	A	17	A	27	A	37	D	47	B
8	A	18	A	28	D	38	D	48	B
9	A	19	B	29	B	39	B	49	B
10	A	20	D	30	A	40	B	50	D

ध्येय IAS
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

UPPCS

PRELIMS TEST SERIES 2026

12 APR 2026

9:30 AM

TOTAL TEST-20

Sectional	: 04
Full Length	: 12
Csat	: 03
Current Affairs	: 01

OFFLINE / ONLINE MODE

LUCKNOW

☎ 7619903300
ALIGANJ

☎ 7570009003
GOMTI NAGAR

☎ 8853467068
PRAYAGRAJ

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
Aliganj Lucknow

NEW BATCH

Start

UPSC(IAS)

UPPCS

For Online Admission
SCAN QR

LUCKNOW

☎9506256789 ALIGANJ

☎7570009003 GOMTI NAGAR

☎8853467068 PRAYAGRAJ